खण्ड-233, अंक-5
शुक्रवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(24 अगस्त, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५७७–५८१
प्रश्नोत्तर	५८१–६४३
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	६४४
२० अगस्त, १९६२ को सदन में घटी घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (स्थगित) ..	६४४–६४९
२० अगस्त, १९६२ को सदन में घटी घटना के बारे में मुख्य मन्त्री द्वारा कथित असत्य वादन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अस्वीकृत)	६४९–६५३
२० अगस्त, १९६२ को सदन में घटी घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	६५३–६६०
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६६०–६६१
१ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४–३६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	६६१–६६२
श्री काशीनाथ मिश्र के निलम्बन पर आपत्ति (जारी)	६६२–६६६
सदन का भावी कार्यक्रम (जारी)	६६६–६६७
श्री काशीनाथ मिश्र के निलम्बन पर आपत्ति	६६७
सदन का भावी कार्यक्रम	६६७–६७१
बजट की घाटे की रकम की नवीन करों द्वारा पूर्ति न करने के सम्बन्ध में असरकारी संकल्प (जारी)	६७१–६९५
नत्थिय	६९६–७२५

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३५८

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्धईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेंद्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेंद्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेंद्रबहादुरसिंह श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचम दास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बर्नासिंह, श्री
बलवार्नासिंह, श्री
बलवीर्रासिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेंद्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेंदु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय,श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरारासिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री

रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर,
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेंद्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २४ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

भिनगा रोड पर भक्ला घाट का पुल टूटने से असुविधा

*१---श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में भिनगा रोड पर भक्ला घाट के पीपों का पुल टूट जाने से यातायात में विशेषतः स्त्रियों तथा बच्चों को बहुत असुविधा होती है और यातायात प्रायः बन्द ही हो रहा है तो सरकार इसकी व्यवस्था पर क्या विचार कर रही है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)---पीपे का पुल वर्षा ऋतु में तोड़ दिया जाता है और यातायात को नाव द्वारा नदी के पार उतारने का प्रबन्ध किया जाता है।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वहां जो नावें हैं वे फेरी सर्विस के लिये हैं या पुल के लिये हैं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---इस वक्त यह कहना कठिन है, लेकिन वह नावें दोनों काम कर सकती हैं। जिस समय पुल डिस्मेंटिल हो जायगा तो उन से फेरी का काम लिया जा सकता है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि वहां हजारों आदमी इधर से उधर जाते हैं इसलिये क्या वहां वे कोई पुल बनवाने की बात पर विचार कर रहे हैं?

श्री गनेशीलाल---इस समय कोई ऐसा विचार नहीं है।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसी कोई सूचना है कि वह बतला सकें कि वह नावें कितनी ऊंची हैं और कितनी ऊंचाई से सवारियों को नीचे उतरना पड़ता है?

श्री गनेशीलाल ---इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री विजयसिंह---वहां से दो फर्लांग की दूरी पर ही एक अन्धियारी नाला है और वहां भी यात्रियों के उतरने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या सरकार वहां भी नावें भेजने की व्यवस्था करेगी?

श्री गिरधारीलाल---जिस स्थान के लिये सवाल किया गया है, उसका जवाब दिया गया है। इस दूसरे स्थान के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है और क्या व्यवस्था होगी यह भी कहना कठिन है।

श्री विजयसिंह---जहां यह पुल है उसके पास ही डेढ़, दो मील पर एक नाला है और वहां लोगों को परेशानी होती है.....

श्री अध्यक्ष---आपके कहने का मतलब यह है कि वहां लोगों की परेशानी देखते हुये सरकार उसका क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---मैं इसे देख लूंगा। मुझे इसकी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि माल मन्त्री जी को उस स्थान की और नदी की जानकारी है और उनसे जानकारी हासिल कर के क्या सरकार वहां कम से कम बरसात के दिनों में पीपों का पुल बनाने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---पीपे का पुल तो है। वह दिक्कत तो बरसात में पड़ती है जब किश्तियों से लोग आर-पार जाते हैं। वहां दो नदियां पड़ती हैं। पिछले साल एक पुल को खोला गया है और दूसरी जगह पीपे के पुल से काम लिया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---जहां तक पुल बनाने का सवाल है वहां एक वर्ष पहले फ्लड डिवीजन ने जनता की मांग पर जांच करायी थी और एक ब्लू प्रिंट भी तैयार करवाया था। तो क्या सरकार बतलायेगी कि उस योजना के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---मुझे इस वक्त इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां की मांग सरकार के पास आती है और सरकार उसे एग्जामिन करती है और फिर प्रायरिटी के हिसाब से तय कर लेती है। इस वक्त एक पुल वहां बन गया है और दूसरी जगह पैन्टून के जरिये काम चलाया जाता है।

श्री मुन्नूसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घाट पर छोटी नावें बनाने के लिये सैंक्शन हो चुका है? यदि हां, तो कब हुआ और अभी तक वे नावें क्यों नहीं बनीं ?

श्री गिरधारीलाल---इसकी कोई सूचना नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५७ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मथुरा संग्रहालय की मूर्ति बाहर ले जाने का मामला

*१--**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगभग ८ माह पूर्व मथुरा संग्रहालय के बाहर उसकी एक मूर्ति गलत तरीके से ले जाई जाती पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो उससे सम्बन्धित संग्रहालय के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

आबकारी राज्य-मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२---**श्री डूंगरसिंह** (अनुपस्थित)---क्या इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच के लिये मुख्य मन्त्री जी के पास कोई स्मृति-पत्र ट्रिब्यूनल बैठाने का कोई प्रार्थना-पत्र आया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता।

*३---श्री डूंगरसिंह (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया।]

भीम ग्राम तथा महमूदगढ़ी का अग्निकाण्ड

*४---श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा, तहसील माठ के ग्राम भीम में ४ मई, १९६२ को भयंकर अग्निकांड हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त गांव में कितने व्यक्ति मरे और कितने धन का नुकसान हुआ तथा सरकार ने पीड़ितों को क्या सहायता दी ?

माल मंत्री के सभा-सचिव (बृजबिहारी)---उक्त ग्राम में दिनांक ४-५-१९६२ को नहीं वरन २-५-१९६२ को अग्निकांड हुआ। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। अनुमानतः ५४,७६५ रुपये की हानि हुई।

पीड़ितों को सहायतार्थ २,६०० रुपये गृह निर्माण सहायता के रूप में तथा १,८५० रुपये आपत्तिकालीन तकावी के रूप में दिया गया।

*५---श्री राधेश्याम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मथुरा, तहसील माठ के ग्राम महमूदगढ़ी में ५ मई, १९६२ में भयंकर अग्निकांड हुआ था ? यदि हां, तो उपरोक्त गांव में कितने व्यक्ति मरे तथा कितने धन का नुकसान हुआ ?

श्री बृजबिहारी---उक्त ग्राम में ५-५-१९६२ को नहीं बल्कि १२-४-१९६२ को अग्निकांड हुआ था। इसमें ५ व्यक्ति मरे तथा अनुमानतः ८५० रुपये की अन्य हानि हुई।

श्री राधेश्याम शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो क्षति इस गांव में हुई है वह कितनी हुई है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इसमें ४५ आदमियों का नुकसान हुआ था। जिसमें से २६ को १०० रुपये के हिसाब से हाउस सबसीडी दी गई थी।

श्री राधेश्याम शर्मा---क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी मेरी सूचना सही मान कर, क्योंकि मैंने खुद जाकर वहां देखा है, वहां ५२ आदमियों का सर्वस्व नष्ट हो गया है। क्या इसका फिर से सर्वेक्षण करा कर, उनकी सहायता करने का उचित कदम उठायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यदि आप लिख कर दें तो हम पता लगा लेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा---जो ८५० रुपये की क्षति मन्त्री जी ने बताई है उसके सम्बन्ध में यदि वे मेरी सूचना सही मानें तो कम से कम २० हजार रुपये का नुकसान वहां हुआ है। जो हानि हुई है वह आपने ८५० रुपये की बतलाई है तो वास्तविक क्षति को देखते हुये तो यह बहुत कम है। इसलिये क्या मन्त्री जी कोई उचित कदम उठायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, उस पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं है और जो हमने दिया वह भी पर्याप्त समझ कर दिया है।

श्री राधेश्याम शर्मा---मैं भी इस हाउस का सदस्य हूं, तो क्या मेरी सूचना को सही मान कर माननीय मन्त्री जी दोबारा सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यदि आप लिखकर दें तो करा लेंगे, तब यह हमारा फर्ज हो जायगा।

अध्यापकों को नियमित वेतन न दे पाने वाली बलिया जिले की शिक्षा संस्थायें

*६---श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला अन्तर्गत कौन-कौन ऐसे हायर सेकेन्डरी स्कूल, कालेज और डिग्री कालेज हैं जो नियमित सरकारी अनुदान पाने के बावजूद भी अपने-अपने अध्यापकों को गत चार महीनों या अधिक की तनख्वाह नहीं दे पाये हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां, सूची संलग्न है ।

इन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे नियमित वेतन नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे अध्यापकों का वेतन नियमित समय से बांटने का प्रबन्ध करें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९६ पर)

सदर तहसील में चकबंदी का विरोध

*७---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---क्या सरकार को मालूम है कि सदर तहसील आगरा में हो रही चकबन्दी के विरोध में दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ को जिलाधीश, आगरा के समक्ष सदर तहसील के हजारों किसानों द्वारा चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए दुबारा चकबन्दी कराने की मांग की गई थी ?

श्री बृजबिहारी---दिनांक २४-११-१९६१ को आगरा जिले की सदर तहसील के लगभग १०० काश्तकार स्वामी विशेश्वरानन्द के नेतृत्व में चकबन्दी विषयक शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधीश, आगरा से मिले थे ।

*८---श्री राजेन्द्रसिंह---यदि हां, तो जिलाधीश, आगरा ने किसानों को क्या आश्वासन दिया था और इस सम्बन्ध में जिलाधीश आगरा ने कितने गांवों में चकबन्दी की स्वयं जांच की थी और उसमें की गई अनियमितताओं के बारे में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी---जिलाधीश, आगरा ने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगर किसी गांव के अधिक काश्तकार चकबन्दी योजना से असन्तुष्ट होंगे तो वे स्वयं उस गांव की चकबन्दी योजना की जांच करेंगे। जिलाधीश की आज्ञानुसार बन्दोबस्त अधिकारी ने शिकायतों की जांच की। अधिकतर काश्तकारों की शिकायतें निस्सार पाई गयीं। कुछ काश्तकारों ने नियमानुसार उजरदारी दाखिल कर रक्खी थी जिनका निवारण चकबन्दी अधिकारी द्वारा किया गया। जिन काश्तकारों के चकों में संशोधन की आवश्यकता पाई गई उनकी शुद्धि की गई। इन कारणों से जिलाधीश को स्वयं गांव में जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कितनी दरख्वास्तें सही पाई गयीं, जिनकी शुद्धि की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सही तादाद बताना तो मुश्किल है लेकिन कुछ सही पाई गई हैं कुछ जिसमें आब्जेक्शन्स सही हैं और कुछ आब्जेक्शन रिजेक्ट हुए।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे कि ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो किसानों को कानून के अनुसार सहायता देने में बाधक होते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जायगी, जिससे किसानों को दौड़कर जिलाधीश के पास न जाना पड़े ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह तो कायदा है। उनको मदद करनी चाहिये। अगर कोई ज्यादती करता है तो उसको सजा भी दी जाती है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार, जिस प्रकार की अनेकों शिकायतें हैं और भीषण शिकायतें हैं, उनको देखते हुए नये सिरे से चकबन्दी करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां तो सब तसल्लुत है, सब ने अपना कब्जा कर रखा है और खेती करते हैं।

मुजफ्फरनगर में भौपा बस स्टैण्ड से मिलने वाली सड़क का असन्तोषजनक निर्माण

*९—श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर कचहरी कम्पाउन्ड में डाकखाना तथा हवालात के बीच से भौपा बस स्टैन्ड जाने वाली सड़क की मरम्मत अभी हाल में हुई है ? यदि हां, तो उस सड़क की लम्बाई चौड़ाई क्या है और उसमें कितना रुपया लगा है ?

श्री बृजबिहारी—जी हां, यह सड़क २२६ फीट लम्बी है तथा इसका स्तर कचहरी कम्पाउन्ड की अन्य सड़कों के समान कराकर १८५ फीट लम्बी और १२ फीट चौड़ी सड़क पर ईंटों का खड़न्जा कराया गया है। इसमें ६५० रुपया व्यय हुआ है।

*१०—श्री अहमद बख्श—क्या यह भी सही है कि यह सड़क पहले से कुछ नीची हो गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री बृजबिहारी—जी हां, आधे इंच से ६–७ इंच तक। पुख्ता होने पर इस सड़क का स्तर कचहरी कम्पाउन्ड की अन्य पुख्ता सड़कों से मिल जायगा।

श्री अहमद बख्श—क्या सरकार बतायेगी कि यह सड़क कचेहरी तथा और सड़कों की तरह पुख्ता नहीं थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां की सतह कुछ नीची होने के कारण कम्पाउन्ड में पानी भर जाता है। इसलिये वहां खरन्जा लगा दिया गया है ताकि उसकी सतह बराबर हो जाय और वाटर लागिंग न होने पाये।

श्री अहमद बख्श—क्या सरकार को जानकारी है कि वहां पर पहले पानी नहीं भरता था और जिस वक्त से यह खरन्जा लगा है तब से पानी भरने लगा है और आमदोरफ्त बन्द हो जाती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमें ऐसी सूचना नहीं है।

श्री अहमद बख्श—तो क्या सरकार मेरी सूचना को आधार मान कर इसकी इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो वहां बारिश की कमी है, पहले पानी तो बरसने दीजिये।

मुसाफिरखाना तहसील में सी० एल० आर० डी० में बढ़े लगान के विरुद्ध उज्रदारी

*११—श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)—तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में सी० एल० आर० डी० में बढ़े हुए लगान के विरुद्ध किसानों ने कितनी उज्रदारी इस साल की और उसके फलस्वरूप कितनों का बढ़ा हुआ लगान समाप्त किया गया ?

श्री बृजबिहारी--तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में सी० एल० आर० डी० में बढ़े हुए लगान के विरुद्ध किसानों ने वर्तमान राजस्व वर्ष (Revenue Year) में अर्थात १-१०-१९६१ से ३०-६-१९६२ तक ५३ उज्रदारी कीं, जिसके फलस्वरूप १६ उज्रदारी का बढ़ा हुआ लगान कम किया गया और ३७ उज्रदारियां निर्णय के लिये शेष हैं।

श्री अब्दुल समी--श्रीमन्, ८ महीनों में जितनी उज्रदारियां हुईं उनमें से १/३ कामयाब हुई हैं और बाकी पर फैसला नहीं हुआ है। इसको देखते हुए क्या सरकार उन लोगों को जिन्होंने गलत लगान तसखीश किया जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, कोई सजा देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसी वजह से तो दुरुस्ती हो रही है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--सी० एल० आर० डी० का क्या मतलब है, उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसका मतलब है करेक्शन आफ लैंड रेवेन्यू डिमांड। जहां बहुत सी जमीन लोग जोत लेते थे और मालगुजारी नहीं देते थे, उन सब की दुरुस्ती के लिये यह स्कीम जारी की गयी।

श्री ऊदल--जिनकी उज्रदारियां स्वीकार की गयीं और जिन लोगों ने गलत इस्टीमेट किया उन लोगों के खिलाफ सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहुत सी अदालतें गलती करती हैं, अपील में उनका फैसला रद्द हो जाता है, तो उस अदालत को कोई सजा तो दी नहीं जाती जब मेलाफाइड इन्टेन्शन होता है तो सजा दी जाती है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जला जौनपुर)--क्या सरकार इसके लिये आदेश देगी जिन बहुत से बागों पर लगान लगा दिया गया है जहां काफी संख्या में पेड़ मौजूद हैं उसको दुरुस्त कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमने उसके लिये आर्डर दे दिया है कि जिस बाग की नवइयत खत्म हो जाय और वह जेरे काश्त हो उसी से लगान लिया जाय। अगर इस तरह के केसेज कोई हों। तब कह दीजिये कि उज्रदारी कर दीजिये एक महीने के अन्दर।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या मन्त्री जी यह दया करेंगे कि उज्रदारी किसानों से न लेकर सरकार द्वारा फिर से इन्क्वायरी करा ली जाय कि अधिकांश बागों पर लगान लागू कर दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बिला वजह करें, यह संभव नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या मन्त्री जी प्रदेश भर में लगान गलत दर्ज होने की वजह से कोई विशेष स्टाफ जिलों में बढ़ाकर उसको दुरुस्त कराने की सोच रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सब जगह तो नहीं मालूम होता। कहीं-कहीं मुमकिन है कि हो।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि बहुत सी ऐसी जमीनों पर लगान लिया गया है जो दूसरे के खाते में भी दर्ज हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर ऐसा केस है तो उज्रदारी करने पर ठीक हो सकता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---मन्त्री जी ने बताया कि यह व्यापक नहीं है, प्रदेश में, लेकिन इलाहाबाद की मैं कहता हूं कि गलत लगान, बागों की नौइयत मौजूद है, उस पर भी लगाया गया है और करछना तहसील में ७०० लगान खारिज हुए, तो माननीय मन्त्री जी फिर से विचार करेंगे कि ऐसा कोई आदेश दें कि तहसीलदार रैंक का आदमी फिर से जांच करे कि बागों पर ठीक लगान तशखीस करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह स्कीम वाउन्ड अप हो गयी है, लिहाजा अजसरे नौ इतना रुपया गरीब जनता का लगाकर खर्च करें यह उचित नहीं मालूम होता। वह उज्रदारी में तय हो सकता है, जैसाकि करछना में हुआ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या माननीय मन्त्री महोदय किसी प्रकार का आर्डर हर जिले में भेजने जा रहे हैं कि उज्रदारी करने पर एक ही दो तारीख में किसानों के ऐसे बागों से लगान खत्म किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तारीख मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल है, न मालूम कैसी स्थिति हो, एक दो पेशी के लिये कौन कह सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन बागों पर लगान तकर्रर हो गया था और उनकी वसूलयाबी रोक दी गयी है, अब उनकी क्या हालत है ? वसूली होगी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिनको उज्रदारी करनी हो वह कर दें। नहीं करनी है तो वसूली होगी।

कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)---आपके लेखपाल और इन्क्वायरी करने वाले अफसरान रिश्वत लेकर जो काबिल माफी बागों पर लगान लगा देते हैं और जहां पर लगान चाहिये वहां माफ कर देते हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---स्पेसिफिक केस पर अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री अहमद बख्श---क्या मन्त्री जी ऐसे आर्डर्स जारी करेंगे कि एक दो पेशी में उज्रदारी तय न हो तो कम से कम काश्तकार पर इतना खर्चा तो न पड़े जो आने जाने में उसको करना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका जवाब दे दिया है।

बभनान-मनकापुर-उतरौला सड़कों की खराब हालत

*१२---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मनकापुर-बभनान सड़क, जिला गोंडा में बड़ी ही खराब हालत में है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क के सुधार तथा पक्की करने की सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल---मनकापुर-बभनान कच्ची सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की है। इसको पक्का बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

*१३---श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या मनकापुर-बभनान सड़क पर नमवर नदी पर पुल न होने के कारण नदी पार करने के लिये वर्षा में जनता को बहुत कष्ट होता है ?

श्री गनेशीलाल—अवश्य होता होगा।

*१४—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनकापुर-नवाबगंज और मनकापुर-उतरौला सड़कों का जिर्णोद्धार कब तक हो जायेगा ?

श्री गनेशीलाल—मनकापुर-उतरौला सड़क के मील १५–२९ तक आधुनीकरण तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में शामिल है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री बतलावेंगे कि मनकापुर-सादुल्ला-नगर सड़क अन्तरिम जिला परिषद् में नहीं है, मनकापुर से मसकनवा तक पी० डब्ल्यू० डी० की है और मसकनवा-बभनान सड़क जिला परिषद् की है, यह सही है या गलत ?

श्री गिरधारीलाल—जो इत्तिला मेरे पास आई है उससे यह अन्तरिम जिला परिषद् की है। मुमकिन है कि प्रश्नकर्ता को भ्रम हो कि पहले बहुत सी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० ने ले ली थीं। ८, १० साल पहले बहुत-सी सड़कें वापिस हुई हैं और उनमें ये भी वापिस हो गई होंगी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—मन्त्री जी ने कहा कि मुमकिन है। क्या सरकार फिर से इत्तिला प्राप्त करेगी कि मनकापुर-मसकनवा पी० डब्ल्यू० डी० सड़क है और उसमें यह नदी हायल होती है जिस पर यातायात का कोई साधन नहीं है और उस साधन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—यह देखना है कि वह पी० डब्ल्यू० डी० की है, या नहीं। जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से फैसला लिया जा सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—ऐसी सड़कें जिन्हें सरकार आवश्यक समझती है और जो अन्तरिम जिला परिषद् के पास हैं जो आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से उन्हें बनवा नहीं सकतीं, या कम से कम पुल नहीं बनवा सकती हैं, तो सरकार की कोई योजना है कि उनके बनवाने में सहायता की जाय।

श्री गिरधारीलाल—योजनायें तो सभी हैं। लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर ही बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पुलों की जरूरत है। जिला परिषदों की सड़कों के लिये जिम्मेदारी लेना कठिन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी बतावेंगे कि क्या यह सही है कि गोंडा जिले में स्टार-ग्रिड फारमूला के अनुसार कम सड़कें बनी हैं, तो इस सड़क को लेने में क्या एतराज है ?

श्री गिरधारीलाल—सिर्फ गोंडा में ही नहीं, काफी जिले ऐसे हैं जहां स्टार-ग्रिड फारमूला के हिसाब से पूरी सड़कें फाइनेंशल रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से नहीं बन पाई हैं। तीसरे प्लान का माइलेज और फंड्स सभी जिलों में थोड़ा-थोड़ा बांट दिया गया है, लेकिन फिर भी स्टार-ग्रिड फारमूले की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिस नदी का मैंने जिक्र किया है वहां साधन न होने की वजह से लोगों को बरसात में मजबूरन रेल के पुल से होकर जाना पड़ता है और इसमें हर साल १, २ जानों को दुर्घटना हो जाया करती है ? इसे देखते हुए क्या वहां कोई पुल या नाव का साधन देने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इस वक्त इसकी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार ने कोई रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी कि हम स्टार-ग्रिड फारमूला के अनुसार सड़कें नहीं बना पा रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—यह बिलकुल ऐसा ही है जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अपना एक लक्ष्य रखती है और उस तक पहुंचने के लिये जितनी भी कोशिश हो सकती है करती है। किसी हद तक पहुंच भी जाते हैं। इस प्रकार लक्ष्य बनाकर किसी काम को किया जाता है। उसमें कुछ जिले पूरे हो गये हैं, कुछ नहीं हुए हैं।

श्री उग्रसेन—दूसरी पंचवर्षीय योजना में गोंडा जिले में कितनी सड़कें बनाई गईं?

श्री गिरधारीलाल—नोटिस चाहिये।

जौनपुर जिले में पिछड़ी व परिगणित जाति के अनट्रेन्ड अध्यापक

*१५—**श्री हरिगेनराम** (जिला वाराणसी)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिला अन्तरिम परिषद् के अन्तर्गत कुल कितने अनट्रेन्ड अध्यापक कार्य कर रहे हैं और उनमें कितने पिछड़ी जाति और कितने परिगणित जाति के व्यक्ति हैं?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम)—

कुल अप्रशिक्षित अध्यापक	२२९
पिछड़ी जाति के अध्यापक	९१
परिगणित जाति के अध्यापक	३४

*१६—**श्री हरिगेनराम**—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, केराकत, जौनपुर, गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, मड़ियाहूं, जौनपुर में कुल कितने छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनमें कितने पिछड़ी जाति व कितने परिगणित जाति के व्यक्ति हैं?

श्री अजीज इमाम—राजकीय शिक्षा विद्यालय, केराकत में—

कुल छात्राध्यापक	७६
पिछड़ी जाति के छात्राध्यापक	२०
परिगणित जाति के छात्राध्यापक	९

राजकीय दीक्षा विद्यालय, मड़ियाहूं में—

कुल छात्राध्यापक	६६
पिछड़ी जाति के छात्राध्यापक	१५
परिगणित जाति के छात्राध्यापक	९

श्री हरिगेनराम—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्धारित परिगणित जाति वालों की दरख्वास्तें होते हुये भी सुरक्षित सीटों के अनुसार उन्हें स्थान क्यों नहीं दिये गये?

श्री अजीज इमाम—सूचना की आवश्यकता है।

श्री हरिगेनराम—प्रचुर मात्रा में हरिजनों के उपलब्ध होते हुये भी एच० टी० सी० की ट्रेनिंग में सुरक्षित कोटे के अनुसार स्थान न देने का क्या कारण है?

श्री अजीज इमाम—इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री माताप्रसाद—क्या आदरणीय मंत्री जी कोई ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि यदि सुरक्षित सीटों के अनुसार पिछले साल अनट्रेन्ड अध्यापक नहीं रखे गये हैं या एच० टी० सी० की ट्रेनिंग में नहीं गये हैं तो इस साल पिछले साल की कमी पूरी हो?

श्री अजीज इमाम—जिला परिषद् में शिक्षा नियमावली के अनुसार काम किया जाता है। उसमें परिगणित या किसी जाति के लिये स्थान सुरक्षित रखने का या परसेंटेज मुकर्रर करने का नियम नहीं है। इसलिये मेरा खयाल है कि कोई आर्डर पास करना अनियमित होगा।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अनट्रेन्ड अध्यापक जौनपुर जिले में रखे गये हैं वे इस साल अलग किये जा रहे हैं ?

श्री अजीज इमाम---यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---अनट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री अजीज इमाम---उनका इंटरव्यू होता है और जिन्हें फिट पाया जाता है उन्हें रख लिया जाता है ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---यह तो एक तरीका है । योग्यता या क्वालीफिकेशन क्या है, उसका बेसिस क्या है ?

श्री अजीज इमाम---मिनिमम क्वालिफिकेशन जूनियर हाई स्कूल रखी गई है ।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय---क्या जिला परिषदों को आदेश गये हैं कि जूनियर हाई स्कूल न रखकर केवल हाई स्कूल रखे जावें ?

श्री अजीज इमाम---ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है ? लेकिन अगर अच्छी कैटेगरी के लोग मिलते हैं तो हम उन्हें प्रिफरेंस देंगे ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि हरिजनों के लिये रिजर्वेशन है भी या नहीं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)---जहां तक अनट्रेन्ड अध्यापकों का सवाल है उनका कोटा निर्धारित नहीं है, ट्रेन्ड अध्यापकों के लिये नियत है ।

श्री हरीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी ने वह जी० ओ० पढ़ा है जो जिला परिषदों को भेजा गया है और जिसमें कहा गया है प्रत्येक स्थान के लिये हरिजनों का रिजर्वेशन है ?

श्री अध्यक्ष---वे कहते हैं कि अनट्रेन्ड अध्यापकों के लिये कोई कोटा निश्चित नहीं है ।

श्री हरीसिंह---श्रीमन्, है ।

श्री अजीज इमाम---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी ।

श्री उग्रसेन---अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय दूसरी बात कहते ह और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय दूसरा जवाब देते हैं । इस प्रकार से हरिजनों के साथ ज्यादती करके उनको दबाया जाता है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि सरकारी हर विभाग के लिये सरकार के यह आदेश हैं कि १८ प्रतिशत हरिजनों को लिया जाय ? यदि हां, तो क्या मंत्रीजी अपने बयान को इसकी रोशनी में ठीक करने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीज इमाम---मैंने यह कहा कि जिला परिषद् की नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार अनट्रेन्ड अध्यापकों को किसी परसेंटेज के हिसाब से लिया जाय, खास तौर से टेम्परेरी टीचर्स के लिये ।

श्री अध्यक्ष---श्री हरीसिंह कह रहे हैं कि इस प्रकार के शासकीय आदेश गये हैं ।

श्री अजीज इमाम---शासकीय आदेशों के सिलसिले में मैंने कहा कि इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---मैं माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय जयराम वर्मा डिप्टी मिनिस्टर इस विभाग के थे तब ऐसे आदेश जारी किये गये थे कि सरकार ने जो १८ प्रतिशत का हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लिये आदेश जारी किया है, वह एल० एस० जी० विभाग के लिये भी है, वह पूरा किया जाय। बाद में सरकार ने उसको दुहराया भी था। क्या मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुये जवाब देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें कुछ गलतफहमी मालूम पड़ती है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने ठीक ही कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियमों में कोई ऐसा नियम नहीं है कि अनट्रेन्ड टीचर्स को किस परसेंटेज में रखा जाय क्योंकि अनट्रेन्ड टीचर्स को रखा जाना ही निषेध है। जो चीज निषेध है उसका परसेंटेज किस प्रकार से मुकर्रर किया जा सकता है, इसलिये इस प्रकार का नियम न होगा। जब ट्रेन्ड रखे जायेंगे तब उनमें परसेंटेज होगा।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन अनट्रेन्ड टीचर्स के लिये कोई रिजर्वेशन नहीं है तो फिर क्या कारण है कि हरिजन और लोगों से ज्यादा काबिल होते हुये भी नहीं लिये जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें रिजर्वेशन का कोई सवाल नहीं है। जो काबिल हैं वे जरूर रखे जायेंगे और ऐसे काबिल लोगों को जो नहीं लेते हैं वे गड़बड़ी करते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---माननीय मंत्री जी ने कहा कि अनट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति में प्रतिशत नहीं देखा जाता है, तो इस प्रकार का कोई आदेश सरकार ने जौनपुर जिला परिषद् या अन्य जिला परिषदों को भेजा है कि अनट्रेन्ड अध्यापकों की नियुक्ति में प्रतिशत का कोई खयाल न रखा जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब ऐसा कोई नियम बना ही नहीं है तो क्या भेजा जाय। जो उनके नियम बने हुये हैं उसके अनुसार वे काम करते हैं।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि जब ये अध्यापक लिये जाते हैं तो सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि हरिजनों को १८ प्रतिशत स्थान दिया जाय लेकिन नियुक्ति करते वक्त हरिजनों को १८ प्रतिशत स्थान नहीं दिया जाता है जब कि वहां ट्रेन्ड अनट्रेन्ड का कोई सवाल ही नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नियम के अनुसार जहां नियुक्ति हो वहां १८ प्रतिशत रिजर्वेशन की बात है लेकिन जिनके लिये कोई नियम बना नहीं है उनके लिये रिजर्वेशन कैसे हो सकता है ?

श्री उग्रसेन---पहले उनकी नियुक्ति होती है, ट्रेनिंग के लिये बाद में भेजे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जवाब दे दिया, बाद में आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि वहां कोई नियम बना नहीं है इसलिये नहीं रखे जाते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार की यह नीति है कि हरिजनों के लिये १८ प्रतिशत रिजर्वेशन होना चाहिये, तो जहां नियम नहीं बने हैं वहां के लिये सरकार कोई ऐसा नया आदेश जारी करेगी कि नये नियम बना दिये जायं और हरिजनों को १८ प्रतिशत लिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सरकार पहले से ही उस पर विचार कर रही है, इसके लिये सुझाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री माताप्रसाद---अनट्रेन्ड अध्यापकों को रखने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया रुपया देती है तो फिर अनट्रेन्ड अध्यापकों को रखते हुये क्यों नहीं रिजर्वेशन का खयाल रखा जाता ?

श्री अजीज इमाम---इसका सवाल ही नहीं है कि अनट्रेन्ड अध्यापकों में परिगणित जाति के नहीं रखे जाते । बाकायदा इसके फीगर्स हैं कि अनट्रेन्ड अध्यापकों में परिगणित जाति के कितने रखे गये और अन्य पिछड़ी जाति के कितने रखे गये ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल, मड़ियाहूं में जो छात्राध्यापक रखे गये हैं उनको किस आधार पर रखा गया है, वे योग्यता के आधार पर रखे गये हैं या मनमाने ढंग से रख लिये गये हैं ?

श्री अजीज इमाम---मनमाने ढंग से ये नहीं रखे गये हैं । राजकीय शिक्षालय, केराकत में कुछ ७६ रखे जाने थे जिनमें से १२ परिगणित जाति के होने चाहिये थे । मगर १२ न मिलने की वजह से ९ परिगणित जाति के और ३० पिछड़ी जाति के रखे गये हैं । उसी तरह से राजकीय शिक्षण विद्यालय, मड़ियाहूं में ६६ छात्राध्यापक रखे जाने थे, जिनमें से ११ सीटें परिगणित जाति की होनी चाहिये थी जो न मिलने से ९ परिगणित जाति के रखे गये हैं और १५ पिछड़ी जाति के रखे गये हैं ।

श्री हरीसिंह---अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तथा उपमंत्री जी ने भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं तो रिजर्वेशन है या नहीं है इस सम्बन्ध में कौन-सी बात सही मानी जाय, उपमंत्री जी कहते हैं कि है और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कहते हैं कि नहीं है, कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर तो माननीय राजस्व मंत्री ने दे दिया ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि...

श्री अजीज इमाम---श्रीमन्, इतना शोर होता है कि सुन नहीं पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---मुझे खेद है कि मैं देख रहा हूं कि सरकारी बेंचों में अधिक शोर होता है जो नहीं होना चाहिये । अगर व्यवस्था नहीं रखना है और अगर शान्ति नहीं चाहते तो सदन बन्द कर दिया जाय। बहुत बातें होती हैं ।

श्री कमलासिंह यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बैकवर्ड और हरिजनों के कितने ऐसे अभ्यर्थियों ने दरख्वास्तें दी थीं कि जो फर्स्ट व सेकन्ड डिवीजन में पास किये थे ?

श्री अजीज इमाम---सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं नार्मल स्कूल में जो अध्यापक लिये गये हैं उसमें कितने हरिजन प्रार्थी थे और कितने लिये गये ?

श्री अजीज इमाम---सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---उन्होंने स्वयं अभी कहा था कि ९ लिये गये । मैं जानना चाहता हूं कि कितने हरिजन अभ्यर्थी हरिजन जाति के थे और उनमें से कितने लिये गये ?

श्री अजीज इमाम---यह तो मैंने बताया कि सब हरिजनों को नहीं रखा जा सकता ।

श्री अध्यक्ष---यदि जानते हों तो प्रश्न का जवाब दिया जाय, केवल प्रश्न यह है कि कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र आये ?

श्री अजीज इमाम---सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, इस बात को सूचना मानकर कि हरिजनों का जो निश्चित कोटा है उसके अनुसार उनको जान-बूझकर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो क्या सरकार कोई आदेश देगी कि आगे निश्चित कोटा के आधार पर ही नियुक्तियां हों ?

श्री अध्यक्ष—उस का जवाब तो हो गया कि अनट्रेन्ड के लिये कोटा नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—तो क्या आगे के लिये उन का भी कोटा निश्चित करने का कोई आदेश सरकार देगी ?

श्री अजीज इमाम—अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है ।

प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने में कठिनाई

*१७—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं ।

*१८—श्री सूबेदारसिंह—क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में इस समय कुल कितने प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं ? अभी जिले में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला गया है ?

श्री अजीज इमाम—८३४ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं ।

४६२ ग्राम पंचायतों में स्कूल नहीं हैं ।

श्री सूबेदारसिंह—माननीय शिक्षा मंत्री जी की वह कौन-सी कठिनाइयां हैं जिन की वजह से प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा रहा है ?

श्री अजीज इमाम—असिल में सन् १९५७ में यह स्कीम बनी थी कि हर डेढ़ मील के फासले पर एक प्राइमरी स्कूल हो और उसी हिसाब से बजट को देखते हुये एक स्कूलों का नक्शा बना था लेकिन अब एक ऐसा नक्शा बनाया गया है कि जिसके मुताबिक हर गांव सभा में एक स्कूल हो जायगा, इसी के लिये कोशिश है और इसलिये अब उस की जरूरत नहीं है ।

श्री सूबेदारसिंह—माननीय शिक्षा मंत्री ने विश्लेषण तो किया लेकिन उन्होंने उन प्रमुख कारणों को नहीं बताया जिन की वजह से इस स्टेज पर प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है ?

श्री केशभान—अध्यक्ष महोदय, अभी प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये आवश्यक साधन सरकार के पास नहीं हैं, साधन में अर्थ भी आता है, अध्यापकों के भवन आदि की व्यवस्था है तथा अन्य बहुत-सी बातें हैं जिनकी उपलब्धि हमारे पास अभी नहीं है इसलिये वह अनिवार्य नहीं की जा सकीं ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—मंत्री जी वह समय बतायेंगे जब प्रदेश की सरकार समर्थ हो जायगी कि सारे प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा कर दी जाय ?

श्री केशभान राय—तृतीय योजना में हम इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि अनिवार्य कर सकें । चौथी योजना में भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकेंगे । उससे आगे की बात बताना असम्भव है ।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी बतायेंगे कितने आवश्यक साधन चाहिये, कितना धन चाहिये जिसके होने से ६ से ११ वर्ष तक की अवस्था के बच्चों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य की जा सकती है ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब हमारे संविधान में यह बात डायरेक्टिव प्रिन्सिपल में है कि १४ वर्ष तक के बच्चों के लिये प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य की जायगी, इस के लिये सरकारें कदम उठायेंगी, तो उस प्रिन्सिपल के मुताबिक सूबे की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री केशभान राय—इस समय यूनिवर्सल एजूकेशन की व्यवस्था की गई है अगर कोई पढ़ना चाहे उसके लिये व्यवस्था है । लेकिन अनिवार्य नहीं की जा सकी । पर इसका मतलब यह नहीं है सरकार ऐसा नहीं चाहती । जब साधन हो जायेंगे तो अवश्य अनिवार्य कर देंगे । उस डायरेक्टिव की तरफ हम चल रहे हैं और एक दिन आयेगा जब हम सब के लिये अनिवार्य शिक्षा कर सकेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव—डायरेक्टिव प्रिन्सिपल में यह भी कहा गया है १५ साल के अन्दर सरकारें उनको पूरा करने के लिये कदम उठायेंगी और मैंने यह पूछा था क्या सरकार ने कोई योजना, रूपरेखा तैयार की है ?

श्री अध्यक्ष—वह पूछना चाहते हैं कोई योजना बनायी है ?

श्री केशभान राय—मैंने बताया हमारी यूनिवर्सल शिक्षा तो एक कदम है उसके लिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मंत्री जी ने कहा एक दिन आयेगा । तो मैं जानना चाहता हूं वह दिन उनके कार्यकाल में आ जायगा या उसके बाद आयेगा ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया ।)

श्री सूबेदारसिंह—मंत्री जी ने बताया कि ८६४ प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं और ४६२ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कोई भी स्कूल नहीं है । क्या मंत्री जी बतायेंगे ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें एक से अधिक प्रारम्भिक विद्यालय चल रहे हैं ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना चाहिये ।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, गुढ़ह

*१९—श्री सूबेदारसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गत ३ वर्षों में मैनपुरी जिले में कोई राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की आज्ञा प्रदान की है ? यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ?

श्री अजीज इमाम—जी हां । १९६१-६२ में स्थान गुढ़हा, जिला मैनपुरी में राजकीय कन्या सीनियर बेसिक स्कूल खोला गया ।

श्री सूबेदारसिंह—क्या यह सही है कि जिस समय गुढ़हा में खोलने का आदेश हुआ उससे पहले मैनपुरी जिले के एक गांव मानपुर हरी में उसी प्रकार का विद्यालय खोलने का आदेश सरकार ने जारी किया था ?

श्री अजीज इमाम—इसकी सूचना चाहिये ।

सकरौली कन्या पाठशाला के स्थानान्तरण का विरोध

*२०—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सकरौली, जिला एटा में राजकीय कन्या पाठशाला का उद्घाटन २ अक्तूबर, १९६१ को हुआ था ? यदि हां, तो कन्या पाठशाला, सकरौली से नगला उदी को क्यों हटायी गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२१---श्री गिरवरप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार को उक्त पाठशाला को न हटाने का ३० अप्रैल, १९६२ का विरोध-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अजीज इमाम---सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर जिले के लिये प्राइमरी स्कूल

*२२---श्री रमेशचन्द्र शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसीलों में १९६२ जुलाई तक आबादी के अनुसार प्रारम्भिक प्राइमरी कितने स्कूल बच्चों के लिये और कितने लड़कियों के लिये खुलने जा रहे हैं ?

श्री अजीज इमाम---इस वर्ष अक्तूबर से २० मिश्रित एवं १५ कन्याओं की प्राइमरी पाठशालायें खुलेंगी । अभी तक तहसीलवार संख्या निर्धारित नहीं की गई है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा---जिलों में जो कोटा निर्धारित किया जाता है प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये वह वहां की आबादी के अनुसार है या पिछड़ेपन के हिसाब से है या जहां कम स्कूल हैं वहां अधिक स्कूल खोले जायं इसके हिसाब से है ?

श्री अजीज इमाम---इसमें कई चीजें देखी जाती हैं जैसे आबादी भी है, बजट भी है और जिले की आवश्यकता भी है ।

श्री माताप्रसाद---जौनपुर जिला परिषद् ने इस साल ६६ स्कूल खोलने के लिये सरकार के पास दरख्वास्त भेजी थी लेकिन ६६ स्कूल की इजाजत न देकर केवल २० स्कूल खोलने की इजाजत क्यों दी गयी है ?

श्री अजीज इमाम---बजट के हिसाब से और जिले की आवश्यकता के हिसाब से जो नक्शा बना उसके मुताबिक इजाजत दी गयी ।

फर्रुखाबाद जिले में गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल खोलने की प्रार्थना

*२३---श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में सोरिख-हसेरन-तिर्वागंज में राजकीय गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल खोलने की योजना है ? यदि हां, तो किस स्थान में आगामी वर्ष राजकीय गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरों का स्थायीकरण

*२४---श्री गुलाबसिंह (जिला देहरादून) (अनुपस्थित)---क्या सरकार विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों में स्थायी इंजीनियरों की संख्या बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---स्थायी इंजीनियरों की संख्या इस प्रकार है :---

१---सार्वजनिक निर्माण विभाग	१६२
२---सिंचाई विभाग	२५७
३---स्वायत्त शासन विभाग	३३
४---विद्युत् विभाग	६८

*२५—श्री गुलाबसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार का इन विभागों में स्थायी इंजीनियरों की संख्या बढ़ाने का कोई विचार है ? यदि हाँ, तो क्या वे स्थायी स्थान अस्थायी रूप से कार्य करने वाले इंजीनियरों के लिये जिनका पहला नम्बर (क्लेम) है सुरक्षित करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—विद्युत् विभाग को छोड़ कर अन्य विभागों में स्थायी इंजीनियरों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गये अस्थायी असिस्टेंट इंजीनियरों को स्थायी करने के लिए कुछ समय तक ५० प्रतिशत स्थायी पद सुरक्षित होंगे।

फर्रुखाबाद जिले में कक्षा ६ की फीस की क्षतिपूर्ति

*२६—श्री होरीलाल यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के किन-किन जूनियर हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को १९६०-६१ में कक्षा ६ की फीस की क्षति पूर्ति का रुपया पूरा भुगतान नहीं किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९६०-६१ की अवधि का कक्षा ६ का क्षति पूर्ति का रुपया किसी जूनियर हाई अथवा हायर सेकेंडरी स्कूल का भुगतान होना शेष नहीं है।

*२७—श्री होरीलाल यादव (अनुपस्थित)— उपरोक्त स्कूलों को कितना-कितना रुपया भुगतान करना बाकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

सैदपुर तहसील म सड़क निर्माण

*२८—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में प्रथम-द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी सड़क बनी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी बननी है ?

श्री गनेशीलाल—प्रथम योजना में ४ मील १ फर्लांग सड़क का निर्माण हुआ। दूसरी योजना में किसी नई सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तीसरी योजना में भी इस तहसील में किसी नई सड़क के निर्माण का आयोजन नहीं है।

*२९—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर सादात रोड पर पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कितना धन खर्च किया गया है और क्या इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था ?

श्री गनेशीलाल—इस सड़क को कच्ची सड़क के निर्माण में १९५० तक १,९३४ रुपये ९ आना खर्च किया गया। इसके बाद यह सड़क परिषद् को हस्तान्तरित कर दी गयी। द्वितीय योजना में इस सड़क का निर्माण सम्मिलित नहीं था।

*३०—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में तहसील हेडक्वार्टर से तहसील का उत्तरी भाग सम्बन्धित करने के लिये कोई सड़क बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० द्वारा ४ मील १ फर्लांग लम्बी कौन-सी सड़क बनाई और वह कितने खर्च में बनी ?

श्री गनेशीलाल—सैदपुर के भीतर सड़क ४ मील १ फर्लांग पक्की बनाई गयी।

श्री कमलासिंह यादव---द्वितीय और तीसरी पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर सड़क क्यों नहीं बनाई जा रही है जब कि अन्तरिम जिला परिषद् ने सैदपुर सादात रोड के लिये प्रस्ताव भेजा है ?

श्री गिरधारीलाल---अन्तरिम जिला परिषद् ने इसी सड़क के लिये नहीं बल्कि बहुत सी सड़कों के लिये प्रस्ताव भेजा है लेकिन प्रायरिटी इस सड़क को नहीं दी गयी जिस प्रायरिटी से सड़कों को बनाया जाता है।

श्री कमलासिंह यादव---लिस्ट में दूसरे नम्बर पर इसका नम्बर है और इसके बनाने की व्यवस्था नहीं हो रही है जब कि पहले नम्बर की सड़क बन चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने इसको देखा नहीं है। मैं इसको अच्छी तरह से देख लूंगा कि किस वजह से इस सड़क को छोड़ कर दूसरे नम्बर की सड़क ली गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले सरकार की ओर से जिला परिषदों से यह माँग की गयी थी कि कौन-कौन-सी सड़कें आप लेना चाहते हैं प्राथमिकता के अनुसार। कमलासिंह जी कहते हैं कि प्रथम नम्बर की सड़क पूरी हो गयी तो दूसरे नम्बर की सड़क उस प्रस्ताव के अनुसार अपने आप बन जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या है कि जब प्राथमिकता इस सड़क को दी गई थी तो क्यों नहीं अधिकारियों ने यह सड़क बनायी ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो अभी दिया गया है कि देख कर बता सकेंगे।

मैनपुरी जिले में पानी भर जाने से फसल को क्षति

*३१---**श्री माधोनारायण** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जिला मैनपुरी की तहसील शिकोहाबाद-जसराना व मैनपुरी में पिछली बरसात में कितना रकबा पानी में भरा (water logged) रहा और उससे खरीफ व रबी में कितना नुकसान हुआ ? क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला मैनपुरी की तहसील शिकोहाबाद में सिरसा नदी में हर साल बाढ़ आती है और इस नदी में कई महीने बाढ़ रहती है तथा हजारों बीघा जमीन बाढ़ग्रस्त रहती है ? यदि हाँ, तो क्या जिला अलीगढ़ व शिकोहाबाद के बीच कोई नाले या खड़ंजा इस नदी में डाले गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पिछले वर्ष की बरसात में मैनपुरी जिले की तहसील शिकोहाबाद, जसराना और सदर में क्रमशः ३८,७१० एकड़, १०,८६९ एकड़ और ४६७ एकड़ भूमि में काफी समय तक पानी भरा रहा। प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ की फसल को प्रति रुपया २५ नये पैसे से लेकर १०० नये पैसे तक की क्षति पहुंची है। पानी भरा रहने के कारण कहीं कहीं पर रबी की बोआई देर से हुई और उसका असर पैदावार पर पड़ा किन्तु वह असर अन्त में नगण्य रहा।

यह सही है कि तहसील शिकोहाबाद में कुछ वर्षों से सिरसा नदी में प्रायः हर वर्ष बाढ़ आ जाती है जो काफी समय तक रहती है और उससे काफी क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। जिला अलीगढ़ की सीमा से लेकर शिकोहाबाद तक इस नदी में कोई नाले या खड़ंजे नहीं डाले गये हैं।

विकास खण्ड, औरैया में गृह निर्माणार्थ सहायता

*३२---**श्री सुखलाल** (जिला इटावा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा विकास खंड औरैया में सन् १९६०-६१ से सन् १९६२-६३ तक नदी की बाढ़ से गिरे हुये मकानों के मालिकों को कितनी सहायता दी गई तथा इन व्यक्तियों के नाम, ग्राम क्या हैं?

श्री बृजबिहारी—विकास खंड औरैया में नदी की बाढ़ तथा अति वर्षा से गिरे हुए गृहों के स्वामियों को १९६०–६१ से १९६१–६२ तक निम्नलिखित धनराशि का तकाबी, ऋण, मकान की मरम्मत आदि के लिये दिया गया :—

	रु०
सन् १९६०–६१	११,८९०.००
सन् १९६१–६२	२४,७३०.००
सन् १९६२–६३	अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई, क्योंकि अभी कोई बाढ़ नहीं आई है।

गृह स्वामियों के नामों की सूची बहुत अधिक बड़ी होने के कारण यहाँ पढ़ना या छपा कर प्रस्तुत करना कठिन है। अतः यह सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

श्री सुखलाल—सन् १९६०–६१, १९६१–६२ में जिन व्यक्तियों को मकान गिरने पर कोई सहायता नहीं मिली, क्या उनको सरकार सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिनको देना था उनको सरकार दे चुकी।

आजमगढ़ जिले के कलेक्शन विभाग में हरिजन

*३३—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के कलेक्शन विभाग में सन् १९५२ से अब तक कुल कितने कर्मचारी रक्खे गये हैं ? उनमें पिछड़ी जाति, हरिजन तथा मोमिन अंसारों की संख्या क्या है ?

श्री बृजबिहारी—वाँछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६९७ पर)

श्री सुरजन—जो तालिका मंत्री जी ने सूचनार्थ प्रेषित की है उसमें उन्होंने यह नहीं दिया है कि १० परसेंट से कम हरिजन रखे जाने का कारण क्या ह, क्या मंत्री जी इस बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ये स्टाफ़ के लोग पहले के रेक्रूटेड हैं जब कि परसेंटेज वगैरह फिक्स्ड नहीं था। सन् १९५२ में परसेंटेज १० परसेंट हुआ और सन् १९५३ में १८ परसेंट हुआ। बहुत से लोग उसके पहले के हैं इस वजह से हरिजन और बैकवर्ड भाइयों की तादाद में कमी है। लेकिन अब हिदायत कर दी गयी है। जहाँ तक इन्फ़ीरियर क्लास का ताल्लुक है, जब तक इनका परसेंटेज पूरा न हो तब तक इन्हीं लोगों को रखा जाय। बैकवर्ड का परसेंटेज तो फ़िक्स्ड नहीं है लेकिन उनको प्रिफरेन्स दिया जाय, अदर थिंग्स बींग ईक्वल, (other things being equal)

श्री सुरजन—जो हरिजन रखे गये हैं ये सब चपरासी ही हैं या किसी और श्रेणी में भी रखे गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके डिटेल्स तो नहीं हैं लेकिन जिस पद के योग्य होंगे उसमें कर दिये गये होंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री महोदय सदन की जानकारी के लिये बतायेंगे कि इस विभाग में काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं और उन में हरिजन कितने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह फेहरिस्त हमने दे दी है, आपने गालिबन पढ़ा नहीं है।

श्री ऊदल—सन् १९५२ और ५३ में तो परसेंटेज बहुत कुछ पूरा हो चुका था लेकिन उसके बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं वह बहुत कम हैं। तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि वह क्यों कम है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं विचार करं रहा हूं।

बलिया कलेक्टरी में परिगणित जाति के कर्मचारी

*३४—श्री रघुनाथ (जिला बलिया) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलिया कलेक्टरी में इस वक्त कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें कितने हरिजन हैं? रिजर्वेशन के अनुसार यदि कम हैं, तो इसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१०८, जिनमें २ परिगणित जाति के हैं। अधिकाँश नियुक्तियाँ बहुत पहले की हैं जब कि सुशिक्षित हरिजन उपलब्ध नहीं थे और उनके लिए सुरक्षित स्थान नहीं थे।

इलाहाबाद जिले में लेखपालों के विरुद्ध कार्यवाही

*३५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, १९६२ में लेखपालों के घूस लेने के कितने आरोप-पत्र जिलाधीश, इलाहाबाद को प्राप्त हुये तथा उनमें क्या किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तीन लेखपालों के विरुद्ध कुल चार आरोप-पत्र प्राप्त हुए। इनमें से एक आरोप-पत्र की जाँच अभी चल रही है तथा शेष की प्रारम्भिक जाँच के फलस्वरूप सम्बन्धित दो लेखपाल मुअत्तल कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

*३६-३८—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

शिक्षा विभाग के अस्थायी क्लर्क

*३९—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में सन् १९५२ के नियुक्त क्लर्क अब तक स्थायी नहीं किये गये?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, कुछ ऐसे हैं।

*४०—श्री गयाप्रसाद—क्या यह भी सत्य है कि शिक्षा विभाग में जिन क्लर्कों की नियुक्ति सन् १९५९ और १९६० में हुई है वे स्थायी कर दिये गये?

आचार्य जुगलकिशोर—सन् १९५९ में नियुक्त कतिपय क्लर्क स्थायी हो चुके हैं।

बलिया जिले की कचेहरियों में हरिजन कर्मचारी

*४१—श्री रघुनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कलेक्टरी तथा तीनों तहसीलों के कार्यालयों में कितने अराजपत्रित कर्मचारी काम कर रहे हैं? उनकी अलग-अलग संख्या क्या है? उनमें से कितने हरिजन हैं? यदि हरिजनों की संख्या रिजर्वेशन के अनुसार कम है तो उसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कलेक्ट्रेट के मुख्य कार्यालय में ७९, बलिया तहसील में ६४, बाँसडीह तहसील में ५६ तथा रसड़ा तहसील में ७२ हैं। केवल बलिया तहसील में २ हरिजन कर्मचारी हैं। इनमें अधिकाँश कर्मचारियों की नियुक्ति पहले की है जब कि सुशिक्षित हरिजन उपलब्ध नहीं थे और इनके लिए स्थान सुरक्षित नहीं थे।

नोट—ताराँकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

बाराबंकी जिला परिषद् के अनट्रेण्ड टीचर

*४२—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में जो अन्ट्रेण्ड टीचर जुलाई, १९६१ से अब तक रखे गये किस योग्यता के थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूची * सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्तरिम जिला परिषद् के विद्यालयों की अध्यापिकाओं सम्बन्धी सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है।

देहरादून में कक्षा ५ के पर्चे आउट होना

*४३—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या सरकार इस समाचार के बारे में बतायेगी कि देहरादून नगरपालिका द्वारा संचालित कक्षा पाँच की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र परीक्षा की तिथि के पूर्व ही आउट हो गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, ऐसी शिकायत मिली है।

*४४—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २ मई, १९६२ को होने वाला पर्चा १ मई, १९६२ को सिटी मैजिस्ट्रेट देहरादून को दिखा दिये जाने के बाद भी २ मई, १९६२ को वही प्रश्न-पत्र दिया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिकायत की जाँच की जा रही है जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमावर्ती प्रभावित ग्राम

*४५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को विदित है कि यू० पी०-बिहार सीमा निर्धारण में विलम्ब होने के कारण जिला बलिया की बहुत-सी भूमि दोनों प्रान्तों के बीच झगड़े में पड़ी है ? यदि हाँ, तो ऐसी भूमि का रकबा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्नकर्ता का झगड़े से क्या अर्थ है स्पष्ट नहीं है। यह सच है कि बिहार व उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच सीमा निर्धारण के विषय में बातचीत हो रही थी और दोनों सरकारों की सम्मति से अब इसका निश्चय करने हेतु Arbitrator नियुक्त हो गये हैं। सीमावर्ती प्रभावित गाँवों की संख्या १९२ है।

टेहरी-गढ़वाल जिले में भूमि बन्दोबस्त

*४६—श्री सुरजन तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आज कल टेहरी-गढ़वाल जिले में नया भूमि बन्दोबस्त जो हो रहा है उसमें दो किस्म की जमीनों को खत्म कर दिया जा रहा है जैसे इजरान, कटील और दोयम नम्बर की जमीन को अव्वल नम्बर में रक्खा जा रहा है जबकि वहां अव्वल नम्बर की जमीन ह ही नहीं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इससे लगान किसानों पर नहीं बढ़ेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—(क) यह कहना ठीक नहीं है कि टेहरी-गढ़वाल जिले के वर्तमान बन्दोबस्त में इजरान व कटील किस्म की भूमि खत्म की जा रही है।

(ख) यह भी कहना ठीक नहीं है कि प्रत्येक दोयम नम्बर की जमीन को अव्वल दर्ज किया जा रहा है। जो भूमि १९२६ को बन्दोबस्त में दोयम दर्ज की गई थी और अब उसकी हैसियत पिछले बन्दोबस्त से अच्छी हो गई है केवल उसी भूमि को अव्वल दर्ज किया जा रहा है। इस प्रकार किस्म जमीन अच्छी होने से लगान बढ़ जायेगा।

---

* छापी नहीं गई।

*४७—श्री सुरजन तथा श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि नये बन्दोबस्त में मेंड़ जिन्हें दौड़बिट्टा कहा जाता है अब तक किसान के थे और अब उस पर लगान लगेगा और उस पर उगाये हुये पेड़ों तक को काटने का हक किसानों को नहीं रहेगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वर्तमान बन्दोबस्त म पांच कड़ी से कम के मेड़ (डोल विटा) जो कृषक भूमि (cultivated land) से मिले हुये हैं उन्हें कृषक भूमि में सम्मिलित कर दिया जाता है । ऐसी भूमि पर पड़त के अनुसार लगान निर्धारित किया जायेगा । दो खेतों के बीच की बंजर भूमि जिसकी चौड़ाई पांच कड़ी से अधिक है उसे उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज किया गया है । ऐसी बंजर भूमि के पेड़ उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति है । इन्हें काटने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है ।

फूलपुर तहसील में भूदान में प्राप्त भूमि का वितरण

*४८—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में तहसील फूलपुर में कितने भूमि हीनों को भूमिदान द्वारा पट्टे दिये गये हैं और उनमें कितने भूदानियों को जमीनें अब तक नहीं मिल पाई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में भूदान द्वारा ६१५ भूमिहीनों को पट्टे दिये गये । इनमें से १० भूमिहीनों को मौके पर जमीन दिला दी गई थी पर क्योंकि इस पर कुछ और लोगों ने कब्जा कर लिया था, इस समय जमीन उनके कब्जे में नहीं है ।

*४९—श्री बंशीलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद क फूलपुर तहसील में मौजा चिलौड़ा, तेंदुई, बनी, सांवडीह आदि ग्रामों में बहुत से भूदानियों को सिर्फ पट्टे मिल गये हैं और साथ ही साथ यह भी बतलाया जाय कि कितने भूदानियों को अभी तक जमीनें नहीं मिल पायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद के ग्राम चिलौड़ा, तेन्दुई, बनी, सांवडीह आदि ग्रामों में ६१५ भूमिहीनों को पट्टे दिये गये जिसमें से केवल १० का कब्जा इस समय नहीं है । उनके नाम इस प्रकार हैं :

१—श्री दुबली
२—श्री नथई
३—श्री माता दयाल
४—श्री कालू
५—श्री इसरी
६—श्री रामस्वरूप
७—श्री ननकू
८—श्री परमेश्वर
९—श्री सीताराम
१०—श्री मंगर

*५०—श्री बंशीलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो पट्टे भूदानियों को दिये गये जिस सन् में, तभी से लगान सर्किल रेट का दुगना लगान कुर्की वारन्ट द्वारा छः-छः सात-सात तथा आठ-आठ साल तक वसूल किया जा रहा है और क्या यह भी सही है कि जिसे जमीन नहीं मिली उससे भी लगान जबरन वसूल हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सही नहीं है कि भूदानियों से ६-६, ७-७ या ८-८ वर्ष पहले का लगान वसूल किया जा रहा है । अपितु उसी फसली साल से वसूला जा रहा है जब से वे बहैसियत 'सीरदार' सरकारी कागजात में दर्ज हुए । लगान न देने पर कानूनी कार्यवाही की गई है ।

बहराइच जिले में राप्ती बाढ़ग्रस्त क्षत्र

*५१---श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में राप्ती नदी से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में इस साल के लिये बरसात से पहले सस्ते गल्ले की दूकानें तथा जानवरों के चारे का एक स्टाक जमा करने की व्यवस्था करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस समय तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि संबंधित क्षेत्र में पहिले ही से सस्ते गल्ले की दूकानों तथा जानवरों के लिये चारे का स्टाक जमा करने की व्यवस्था की जाय । किन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो समुचित व्यवस्था की जायेगी ।

*५२---श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के तराई क्षेत्र में कितने ऐसे पहाड़ी कूले हैं जिनकी वजह से तराई के काश्तकारों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कथित क्षेत्र में ऐसा कोई पहाड़ी नाला नहीं है जिससे तराई के काश्तकारों को हानि पहुंचती हो ।

*५३---श्री मुन्नूसिंह तथा श्री प्रेमसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त क्षेत्र में कितने ऐसे गांव जिनका इनसे नुकसान होता है (क) क्या उन गांवों के नाम सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

सदर तहसील में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*५४---श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के सदर तहसील में राप्ती और मोरी नदियों के बीच स्थित किन-किन गांवों की सन् १९६१ में बाढ़ से क्षति हुई थी और कितने मकान आंशिक व कितने पूर्ण रूप से ध्वस्त हुये थे तथा उन्हें बनवाने के लिये सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६९८-७०१ पर)

*५५---श्री रामसूरतप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के सदर तहसील में स्थित ग्राम बरही को जो सन् १९६१ ई० के बाढ़ से ही राप्ती नदी के कटाव से प्रभावित हो रहा है उसे बचाने तथा मदना नाला व बौठा बांध के टूटे बांधों से प्रभावित गांवों को बचाने की क्या व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ग्राम बरही को बचाने के लिये कैंची बांध बनाने की व्यवस्था की गई है । पदना नाले पर टूटे बांध की मरम्मत की जा रही है तथा ग्राम बौटा के पास टूटे हुए बांध को टेस्ट वर्क द्वारा फिर से बनवाया जा रहा है ।

*५६---श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---[११ वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फतेहपुर जिले के लेखपाल

*५७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिला के लेखपालों की अस्थायी व स्थायी सूची किस आधार पर बनायी जाती है तथा उक्त आधार पर इस समय की वर्तमान सूची क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लेखपाल सेवा नियमावली के नियम १७ के आधार पर सूची बनाई जाती है ।

इस समय फतेहपुर जिले के लेखपाल संवर्ग (cadre) में ३४७ लेखपाल हैं । इनमें से २०३ लेखपाल स्थायी, १२६ अस्थायी तथा १८ स्थानापन्न हैं ।

बदरीनाथ पुरी में शीत से क्षति

*५८—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमौली)—क्या यह सही है कि बदरीनाथ पुरी में गत शीतकाल में बर्फ से क्षति हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार क्षति का विवरण देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, क्षति हुई है । क्षति का विवरण सलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०२ पर)

बलिया जिले के राजकीय अपर प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल

*५९—श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला बलिया)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में सरकार द्वारा कितने अपर प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल इस समय चल रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—बलिया जिले में सरकार द्वारा एक बालिकाओं का प्राइमरी स्कूल नगर में चल रहा है । इसके अतिरिक्त एक बालकों का जूनियर हाई स्कूल भी सरकार द्वारा चल रहा है जो राजकीय आदर्श विद्यालय कहलाता है और राजकीय दीक्षा विद्यालय, बलिया से संलग्न है ।

*६०—श्री जगन्नाथप्रसाद—क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कितने विद्यालयों में सरकार द्वारा अलग-अलग इमारतें बनाई गई हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—उपरोक्त दोनों विद्यालयों में से किसी के लिये भी सरकार द्वारा अलग इमारतें नहीं बनाई गई हैं ।

अतिरिक्त विद्यालय उप-निरीक्षक

*६१—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने एडीशनल डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स रखे गये हैं और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा की प्रगति संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने में विद्यालय उप निरीक्षक को सहायता देने तथा उसके नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने के लिये उत्तराखण्ड मण्डल के तीनों जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष ५१ जिलों में से प्रत्येक में एक-एक अतिरिक्त विद्यालय उप निरीक्षक नियुक्त किये गये ह ।

*६२—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने अफसरों को अब तक वेतन मिल गया है और कितनों को नहीं ? उन्हें अब तक वेतन न मिलने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रामनगर में मलिक मुहम्मद जायसी की कब्र

*६३—श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान रामनगर, तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर में मलिक मुहम्मद जायसी की कब्र किस हालत में ह ?

डाक्टर सीताराम—कब्र की हालत ठीक है ।

बाराबंकी जिले में डिग्री कालेज न होना

*६४—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में डिग्री कालेज खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—शासन ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है । प्रश्न नहीं उठता ।

*६५-६६—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—[१२वें मंगलवार के लिय तारांकित प्रश्न ११३-११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गय ।]

फर्रुखाबाद जिले में गंगा व रामगंगा पर पुलों की स्वीकृति

*६७—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या फर्रुखाबाद जिले में गंगा जी के घटिया घाट और रामगंगा के विच-पुरिया घाट पर पीपों के पुल बनाने की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो उस कार्य में कितनी प्रगति अभी तक हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । इन घाटों पर पीपों के पुलों का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, इस समय तक इस कार्य में ४० प्रतिशत प्रगति हुई है ।

जौनपुर-प्रतापगढ़ के बीच पक्की सड़क बनाने की प्रार्थना

*६८—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जौनपुर जिले में, मछलीशहर तहसील के अन्तर्गत बेलवार से मछलीशहर जाने वाली कच्ची सड़क को पक्की बनाने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उसमें काम कब से लगेगा ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

*६९—श्री भगौतीदीन—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर व प्रतापगढ़ दोनों जिलों को नजदीकी सड़क से मिलाने के लिये तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ से, वक्ता, जिला जौनपुर की कच्ची सड़क को पक्की बनाने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक बनने की उम्मीद है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले में तकावी का गलत वितरण

*७०—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि देवरिया जिला के चारों तहसीलों में कितना रुपया फर्जी व्यक्तियों के नाम पर सन् १९५३ से ६१ तक सिंचाई हेतु तकावी ले ली गई है और इस प्रकार ली गई तकावी पर क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला देवरिया में १९५३—१९६१ के अन्तर्गत सिंचाई के हेतु बांटी गई तकावी में ९,५०० रुपया फर्जी व्यक्तियों द्वारा ले लेने का पता अब तक चला है । उपरोक्त धन में से ६,२२५ रुपया पहचान करने वाले व्यक्ति से वसूल हो चुका है और शेष धन की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

*७१—श्री चन्द्रबली—क्या यह सही है कि देवरिया तहसील से सिंचाई हेतु डेढ़ लाख रुपया फर्जी व्यक्तियों के नाम उक्त तकावी दी गई है या ली गयी है जिसके अपराध में कुछ लोग मुअत्तल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । फर्जी व्यक्तियों द्वारा केवल ९,५०० रुपया सिंचाई हेतु तकावी लेने का पता अब तक है । इस संबंध में कोई कर्मचारी मुअत्तल नहीं है ।

*७२—श्री चन्द्रबली—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि उपरोक्त तकावी किसी एक ही तहसीलदार के समय में वितरित हुई है ? यदि हां, तो वह तहसीलदार क्यों मुअत्तल नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । मुअत्तल न किये जाने के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है ।

मार्च के महीने में चकबन्दी की अधिक अपीलों का निर्णय करने पर आपत्ति

*७३—श्री सहदेवसिंह—क्या राजस्व मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ५७–५८, दिनांक १८ मई, १९६२ के संदर्भ में बतायेंगे कि इटावा के सहायक चकबन्दी संचालक ने दिनांक ३१ मार्च, १९६२ को ५७ अपीलों की सुनवाई और फैसला कितने समय में किया और प्रति अपील औसतन कितना समय दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षेत्रीय चकबन्दी उपनिदेशक ने इटावा में दिनांक ३१ मार्च, १९६२ को ५० अपीलों की सुनवाई और फैसला १३ घंटे में किया । इस प्रकार प्रति अपील को औसतन १३ मिनट से अधिक समय दिया गया ।

*७४—श्री सहदेवसिंह—क्या इटावा जिले के बनकटी खुर्द गांव के श्री शिवराम ने अपनी अपील की ठीक से सुनवाई न होने के कारण फांसी लगाकर उसी दिन तुरन्त बाद आत्महत्या कर ली ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बनकटी खुर्द के श्री शिवराम की अपील की सुनवाई ३०-३-१९६२ को इटावा जिले के चकबन्दी उप-निदेशक ने की थी । अपील को खारिज करने का फैसला ३१-३-१९६२ को सुनाया गया । यह सत्य ह कि उसी दिन श्री शिवराम ने आत्महत्या कर ली परन्तु जिस दिन उनकी अपील सुनी गई थी उस दिन केवल ९ अन्य अपीलों की सुनवाई हुई थी इसलिये यह कहना सत्य नहीं है कि उनकी अपील की सुनवाई ठीक नहीं हुई थी ।

*७५—श्री सहदेवसिंह—क्या इन स्थितियों में सरकार इस व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर तथा इलाहाबाद जिला परिषदों द्वारा शिक्षा अनुदान का अनियमित प्रयोग

*७६—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर तथा इलाहाबाद अन्तरिम जिला परिषदों को जो धन शिक्षा की मद से अनुदान स्वरूप गत तीन वर्षों में मिला है उसे उन संस्थाओं ने शिक्षा के सम्बन्ध में ही खर्च किया है?

आचार्य जुगलकिशोर—अन्तरिम जिला परिषद्, इलाहाबाद के शिक्षा संबंधी लेखे का विशेष लेखेक्षण कराया जा रहा है। वास्तविक स्थिति उसके पश्चात् ज्ञात हो सकेगी।

अन्तरिम जिला परिषद्, कानपुर के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहां शिक्षा सम्बन्धित अनुदान अन्य मदों पर व्यय हुआ हो।

*७७—श्री राजनारायण मिश्र—यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि स्थानीय निकायों (Local Bodies) को शिक्षा की मद में मिलने वाले अनुदान को दूसरी मदों में व्यय करने का अवसर न मिले?

आचार्य जुगलकिशोर—नियम निर्धारित हैं, जिन से अनुदानोपयोग संबंधी अनियमितताएं प्रकाश में आ जायें तथा दुरुपयोग की गई अनुदान की धनराशि स्थानीय निकायों से वापस ली जा सके।

तरबगंज तहसील में घाघरा का कटाव

*७८—श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के तरबगंज तहसील के अन्तर्गत मौजा तुलसीपुर, दत्तनगर, माझाराठ तथा दुर्गागंज माझा में दो-तीन साल से घाघरा नदी की बाढ़ के कारण तमाम घर कट गये हैं? यदि हां, तो मौजेवार इन घरों की क्या संख्या है और ये बेघर के लोग इस समय कहां रह रहे हैं तथा आगामी बारिश में शेष घरों को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के अन्तर्गत केवल तुलसीपुर दत्तनगर तथा माझा राठ में कुछ मकान कटे जिनकी संख्या क्रमशः १५०, ३२ तथा १० है। ग्राम दत्तनगर के कटे हुए घरों के परिवार उसी ग्राम की आबादी में अन्य स्थान पर या अपनी निजी भूमि में आबाद हो गये ह। शेष दो ग्रामों के कटे हुए १६० घरों के परिवारों में से ८६ परिवार वन विभाग की २७९ एकड़ भूमि में अब तक बसाये जा चुके हैं। शेष ७४ परिवार घाघरा नदी के पार फजाबाद जिले में जाकर अपनी उस भूमि में आबाद हो गये हैं जिसको घाघरा नदी ने उस पार छोड़ दिया है। बाढ़ को रोक देना सरकार के लिये सम्भव नहीं है।

*७९—श्री विष्णुप्रतापसिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इनमें से कुछ लोगों को मौजा जैतपुर में जंगलात की तरफ से जो जमीन मिलनी थी वह अब तक क्यों नहीं मिली और उसके कब तक मिलने की आशा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम जैतपुर में वन विभाग से ३७७ एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

देवरिया जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*८०—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—क्या राजस्व मंत्री दिनांक २५ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या ९१, ९२ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि अग्निपीड़ितों को प्रति तहसील कितनी सहायता दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील का नाम	धन रु०
देवरिया	२०५
सलेमपुर	१००
हाटा	७८०
पडरौना	७६०
योग ..	१,८४५

*८१—श्री कृष्णा—क्या राजस्व मंत्री उन गांवों के अग्निकांड की क्षति के आंक सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०३–७०६ पर)

डिडौहा ग्राम की चकबन्दी

*८२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम डिडौहा, तहसील व जिला बस्ती की चकबन्दी अभी तक क्यों नहीं हुई जबकि उसके आस-पास के सभी ग्रामों की चकबन्दी हो गई है ? सरकार कब तक उक्त ग्राम की चकबन्दी करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम डिडोहा में चकबन्दी का कार्य चकबन्दी अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत विज्ञापन न हो सकने के कारण अभी तक नहीं हो सका। अब विज्ञापन हो गया है और आशा की जाती है कि वहां लगभग १ साल में चकबन्दी हो जायेगी।

*८३–८४—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—[स्थगित किये गये।]

मोंठ—गुरसराय सड़क निर्माण की स्वीकृति

*८५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में मोंठ–गुरसराय सड़क को पक्का करने का निश्चय कब किया गया था और कितने मील पर कार्य कब प्रारम्भ हुआ था, तथा ३१ मार्च, १९६२ तक कितने मील सड़क पूरी तरह से बन चुकी है ? यदि पूरी सड़क अभी तक नहीं बन सकी तो क्यों और अब कब तक बनने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क के निर्माण का निश्चय नवम्बर, १९५५ में किया गया था और उसी वर्ष २२ मील १ फर्लांग पर कार्य आरम्भ कर दिया गया था। ३१ मार्च, १९६२ तक इस सड़क के १५ मील ४ फर्लांग बन चुके हैं और बाकी सड़क मार्च, १९६३ तक पूरी बन जाने की आशा है।

*८६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क पर मोंठ से चौथे मील के एक फर्लांग पर ग्राम कुम्हराड़ के पास एक पुलिया एक ही दर की बनायी जा रही थी जिस के कारण पानी पूरी तरह से पुलिया से नहीं निकल पाता है। पिछले वर्षों में पानी ग्राम कुम्हराड़ में भर गया था, गांव वालों व क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इस पुलिया को १०-१० फीट चौड़े तीन दरों का बनाने का निश्चय किया था, पर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर ने इसे अस्वीकार कर दिया था तब से पुलिया अधूरी बनी पड़ी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी गांव वालों की मुसीबत को देखते हुये इसे तीन दर की बनाने की आज्ञा देंगे ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। इस स्थान पर १० फीट चौड़ी एक दर की पुलिया बनाई जा रही है। अतिरिक्त जल के निकालने के लिये दूसरी पुलिया उसी के पास बनाई जान की योजना विचाराधीन है।

*८७--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उक्त पुलिया को कई वर्षों से अस्थायी तौर पर लोहे की छेददार चद्दरों से पाट रक्खा है जिसके कारण बारिश के दिनों में नाले में बहते हुये पशुओं के सींग चद्दर के छेदों में फंस जाने के कारण अनेकों पशु मर गये हैं? यदि हां, तो मंत्री जी इस पुलिया को बरसात के पहिले ही बनाने की आज्ञा देने की कृपा करेंगे?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। इस पुलिया को कुछ समय के लिये अस्थायी रूप से लोहे की पटरियों से पाटा गया था ताकि यातायात उस के ऊपर से निकल सके।

मध्यप्रदेश का 'डिप्लोमा बेसिक प्रशिक्षण'

*८८--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्य प्रदेश सरकार का डिप्लोमा बेसिक प्रशिक्षण (सीनियर) तथा डिप्लोमा बेसिक प्रशिक्षण (जूनियर) को उत्तर प्रदेश सरकार की जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० ट्रेनिंग के समकक्ष माना जाता है?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

*८९--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मध्य प्रदेश से उक्त प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को नौकरियों में वही सुविधायें दी जाती हैं जो उत्तर प्रदेश के एच० टी० सी० और जे० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को दी जाती हैं?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता।

*९०--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को किन्हीं विशष शैक्षिक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा यदि उक्त सीनियर और जूनियर बेसिक डिप्लोमा को जे० टी० सी० और एच० टी० सी० के समकक्ष मान लिया जाय?

आचार्य जुगलकिशोर--उत्तर प्रदेश की जे० टी० सी० तथा एच० टी० सी० की प्रशिक्षण अवधि दो वर्ष की है। मध्य प्रदेश की सीनियर तथा जूनियर बेसिक डिप्लोमा की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की है। इस प्रकार एक-एक वर्षीय प्रशिक्षण को द्विवर्षीय प्रशिक्षण के समकक्ष मान लेने से प्रशिक्षण स्तर निम्न हो जायेगा।

बरेली जिला परिषद् के अस्थायी अध्यापक

*९१--श्री हरीशकुमार गंगवार--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला परिषद् के अध्यापकों को फरवरी व मार्च, १९६२ का वेतन क्यों नहीं मिला जब कि मार्च, १९६२ तक का सम्पूर्ण अनुदान सरकार द्वारा दिया जा चुका है?

आचार्य जुगलकिशोर--फरवरी तथा मार्च, १९६२ का वेतन वितरण किया जा चुका है।

*९२--श्री हरीशकुमार गंगवार--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद् बरेली में २ वर्ष से अधिक समय से कितने ट्रेन्ड अध्यापक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं? उन्हें अब तक स्थायी न बना कर प्राविडेन्ट फंड आदि की सुविधायें न देने का कारण क्या है?

आचार्य जुगलकिशोर---२४६ अध्यापक अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। पाठशालाओं की संख्या में दिन प्रति दिन वृद्धि होने के कारण जिला परिषद् के कार्यालय में भी कार्य बहुत बढ़ गया है। अतः यथा समय कागजात तैयार न हो सकने के कारण उन्हें प्राविडेन्ट फंड की सुविधा अभी नहीं दी जा सकी है।

छाता क्षेत्र में चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*९३---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६२ के चौथे हफ्ते में जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में किसी चकबन्दी अधिकारी को पीटा गया ? यदि हां, तो इनके पीटने का क्या कारण था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अप्रैल, १९६२ के चौथे हफ्ते में जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में किसी चकबन्दी अधिकारी को नहीं पीटा गया।

*९४---श्री लखीसिंह---क्या यह सत्य है कि सेन्टर कोसी कलां चकबन्दी अधिकारियों के व्यवहार के खिलाफ वहां के किसानों ने शिकायत की थी कि उक्त अधिकारियों का व्यवहार कुशल नहीं है, हटाये जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

*९५---श्री शिवनाथसिंह---[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया।]

पथौली से चकबन्दी में भ्रष्टाचार की शिकायतें

*९६---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या सरकार को श्री कुंवर सिंह भंडारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, पथौली, जिला आगरा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायतें मिलीं हैं ? यदि हां, तो कब और उस मामले में सरकार ने क्या किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। अधिकतर शिकायतें नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६१ में आईं। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्टस) तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा जांच करायी गई पर शिकायतें गलत पाई गईं।

*९७---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक २१ नवम्बर, १९६१ को गांव पथौली, जिला आगरा के पीड़ित चकबन्दी किसान, श्री चन्द्र भानु गुप्त, मुख्य मन्त्री महोदय से अपनी शिकायतों को लेकर सरकिट हाउस मिलने गये थे तो श्री आर० भारद्वाज, जिलाधीश आगरा ने मुख्य मन्त्री से किसानों को नहीं मिलने दिया और इस बारे में कोई शिकायत सरकार के पास पहुंची थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस सम्बन्ध में सरकार को २३-११-१९६१ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि किसानों ने मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित अपना प्रार्थना-पत्र जिलाधीश के सुझाव पर उन्हें आवश्यक जांच कराने के लिये दे दिया था। इस कारण मुख्य मन्त्री से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी।

*९८---श्री राजेन्द्रसिंह---क्या माल मंत्री ने गांव पथौली, जिला आगरा के श्री सालिगराम आर्य द्वारा फर्जी चकबन्दी के तथ्य तथा आंकड़ों (facts and figures) प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उनको सदन की मेज पर रक्खा जायेगा तथा इस प्रकार के तथ्य प्राप्त होने पर सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्री सालिगराम आर्य से इस सम्बन्ध में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जो सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। यह पत्र आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे गये थे। जिलाधीश ने असन्तुष्ट किसानों को आपत्तियां दाखिल करने की सलाह दी। तदनुसार आपत्तियां दाखिल हुईं जिनका निर्णय नियमानुसार किया गया।

बहराइच जिले में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*९९---श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने कि कृपा करेगी कि बहराइच जिले में पिछले साल कौन-कौन सा विधान सभा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया था और उसमें सहायतार्थ अलग-अलग अनुदान तथा तकावी की धनराशि क्या थी, और कितनी दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस प्रकार की कोई घोषणा प्रसारित नहीं की जाती। जिला बाढ़ से प्रभावित अवश्य हुआ था और सहायतार्थ शासन द्वारा २,०५,००० रु० तकावी के लिये तथा १,१०,००० रु० अन्य अहैतुक सहायतार्थ स्वीकार किया गया था।

*१००---श्री नवरंगसिंह---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले के हर विधान सभा क्षेत्र में कितने गाँव बाढ़ पीड़ित घोषित किये गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रश्न नहीं उठता।

मुहिउद्दीनपुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*१०१---श्री हिम्मतसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में ग्राम मुहिउद्दीनपुर मजरा बिरोरा, थाना डिबाई के अन्तर्गत उक्त ग्राम में भीषण आग मई के प्रथम सप्ताह सन् १९६२ में लगी है ? यदि हाँ, तो कितने का नुक्सान हुआ है और सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हाँ। उक्त अग्निकाँड में अनुमानतः ४,७८५ रु० का नुकसान हुआ। पीड़ितों को १,९०० रु० की तकावी दी गई है।

पर्वतीय भत्ता बन्द करना

*१०२---श्री सन्तसिंह यूसुफ---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय इलाकों में शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों और कर्मचारियों को जी० ओ० नम्बर ए-१८५/एस०---बी--८१, दिनाँक १ अगस्त, १९२३ के मुताबिक स्थानीय भत्ता मिला करता था और वह बन्द कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हाँ, क्योंकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को जिन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में भत्ता मिलता था रोक दिया गया था।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विरुद्ध शिकायत

*१०३---श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के निवास स्थान पर ४ स्थायी तथा ४ अस्थायी मजदूर उसके व्यक्तिगत कार्य के लिये नियुक्त किये गये हैं ? उनका वेतन वह निजी कोष से देते हैं या सरकारी कोष से ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

*१०४—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिव श्री शर्मा जब से परिषद् कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किये हैं उन्होंने कितनी मील सरकारी पिकप का प्रयोग अपने निजी कार्य के लिये किया ?

आचार्य जुगलकिशोर—१६४ मील ।

*१०५—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शर्मा के समय में कितने लोगों का वार्षिक वेतन रुका है, कितनों की करेक्टर रोल में इंट्री हुई और कितनों का पारिश्रमिक रुका है और कितने कर्मचारियों का प्रत्यावेदन शासन को अग्रसित नहीं किये गये ?

आचार्य जुगलकिशोर—श्री शर्मा के समय में किसी का वार्षिक वेतन नहीं रुका है ।

ब—शासन तथा शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेक्टर रोल को छोड़कर शेष व्यक्तियों के करेक्टर रोल में इन्ट्री हो चुकी है तथा हो रही है ।

स—किसी कर्मचारी का पारिश्रमिक नहीं रुका है ।

द—केवल ४ कर्मचारियों के प्रत्यावेदन रोके गये हैं ।

*१०६-१०७—श्री भगवानदीन—[११वें मंगलवार के लिये प्रश्न ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०८-१०९—श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—[११वें गुरुवार के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जौनपुर में जफर पुस्तकालय को अनुदान

*११०—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में जौनपुर में जफर पुस्तकालय को कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हाँ, तो कितना ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ । वर्ष १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में क्रमशः १०० रुपये तथा ५०० रुपये अनावर्तक अनुदान दिये गये ।

*१११—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या इस पुस्तकालय को जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुदान के लिये स्वीकृत किया था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ । शिक्षा अधिकारियों ने इस पुस्तकालय को केवल अनावर्तक अनुदान देने की संस्तुति की थी ।

*११२—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह पुस्तकालय जौनपुर जिले की सरकार द्वारा प्रमाणित पुस्तकालयों की सूची में है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । जो पुस्तकालय आवर्तक अनुदान पाने लगते हैं वे ही प्रमाणित सूची में माने जाते हैं ।

अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*११३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में एकड़ों में कुल कितनी भूमि सरकार को अब तक प्राप्त हुई है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—लगभग ७,५०० एकड़ ।

इटावा जिले में माल विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*११४—श्री सहदेवसिंह—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि इटावा जिले की कलेक्टरी और तहसील में माल विभाग के कुल कितने लिपिक और कितने चपरासी हैं ? उनमें से कितने अस्थायी और कितने स्थायी हैं और जो व्यक्ति अस्थायी हैं वे कब से कार्य कर रहे हैं और क्या कारण है कि स्थायी नहीं किये गये ? क्या लगातार ३ वर्ष तक सेवा कर लेने पर भी माल विभाग का कर्मचारी स्वतः स्थायी नहीं होता ? यदि नहीं, तो स्थायीकरण के क्या नियम हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वाँछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*११५—श्री राधेश्याम शर्मा—[११वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

एडीशनल कमिश्नर, इलाहाबाद की अदालत

*११६—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एडीशनल कमिश्नर, इलाहाबाद की अदालत कब और क्यों निर्मित की गई ?

*११७—उक्त अदालत में कौन-कौन से कर्मचारी स्थायी अथवा अस्थायी और किस वेतन-क्रम पर नियुक्त किये गये थे ?

*११८—उक्त कर्मचारियों ने कब से कब तक काम किया और उन्हें इसके लिये क्या वेतन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वाँछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शिक्षा विभाग में एस० डी० आई० के पदों पर नियुक्तियां

*११९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च तथा अप्रैल, १९६२ में शिक्षा विभाग के लिये एस० डी० आई० के कितने पद रिक्त हुये अथवा कितने नवीन पद निर्माण हुये तथा क्या सरकार उनकी सूची जो कि उक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री वरतमान डिग्री कालेज, जिला बिजनौर के लिये अध्याप्त भूमि

*१२०—श्री रक्षपालसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार श्री वरतमान डिग्री कालेज, जिला बिजनौर के वास्ते उसके मंत्री के प्रार्थना-पत्र पर उसकी बताई हुई जमीन प्राप्त करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ ।

*१२१—श्री रक्षपालसिंह—यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसे प्राप्त होने वाली जमीन का अधिकांश भाग गरीब हरिजन परिवारों के जीवन का आधार है जिनके पास और कोई जमीन नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*१२२—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कालेज की आवश्यकताओं की पूर्ति से २० गुना अधिक भूमि कालेज भवन के बिलकुल सामने उसके संस्थापक और अधीन होते हुये भी उस जमीन को न लेकर गरीब हरिजनों की जमीन लेने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—अध्याप्त की जा रही भूमि ही कालेज के भवन की बढ़ोत्तरी इत्यादि के लिये उपयुक्त है तथा इसका अध्यापित किया जाना कालेज और जनता के हित में होगा ।

*१२३—१२४—श्री मतोलासिंह—[१२वें गुरुवार के लिये प्रश्न ११५–११६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

दीक्षा विद्यालयों के पुराने अध्यापकों का स्थानान्तरण करने का सुझाव

*१२५—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी एक ही विद्यालय में कुल सेवा अवधि १० वर्ष या अधिक है ? क्या इनमें से कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जो उस स्थान से स्थानान्तरण की कार्यवाही होने के पश्चात् फिर भी उसी विद्यालय में रोक लिये गये अथवा दुबारा भेज दिये गये ? यदि हाँ, तो कितनी संख्या में ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२६—श्री राजेन्द्रसिंह—ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनकी सेवा अवधि राजकीय दीक्षा विद्यालयों में ही १० वर्ष या इससे अधिक बीती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२७—श्री राजेन्द्रसिंह—सरकारी राजपत्रित अधिकारियों को एक स्थान पर सेवा अवधि ३ वर्ष है । क्या इस प्रकार का नियम शिक्षा विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के लिये भी है ? यदि हाँ, तो कितना ? क्या सरकार १० वर्ष से या इससे अधिक सेवा वाले अवधि वाले अध्यापकों का राजकीय दीक्षा विद्यालयों से अविलम्ब स्थानान्तरण करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१२८—१२९—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[हटा दिये गये ।]

कानपुर जिले की कचेहरियों में हरिजन कर्मचारी

*१३०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कानपुर जिले के केन्द्र तथा तहसीली कार्यालयों में कितने क्लर्क, चपरासी, अमीन, सुपरवाइजर आदि कार्य कर रहे हैं, इनमें से कितने हरिजन हैं ?

*१३१—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपरोक्त पदों की पूर्ति किस प्रकार की जाती है तथा भविष्य में इन नियुक्तियों के लिये जिला स्तर पर एक समिति शीघ्र गठित की जावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वाँछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

शिकोहाबाद–आगरा सड़क की खराब हालत

*१३२—श्री मनसाराम (जिला मैनपुरी) तथा श्री गनेशचन्द काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिकोहाबाद से आगरा जाने वाली पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क पर मक्खनपुर और फिरोजाबाद के बीच में सड़क को ऊंचा किया जा रहा है, इस कारण से मोटरों आदि के चलने को जो रास्ता बनाया गया है उसके खराब होने से मोटरें फंस जाती हैं, टूट जाती है, रास्ता घंटों बन्द रहता है ऐसी दशा में इसे ठीक कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हाँ । अब सड़क बना कर ठीक कर दी गयी है ।

मीरपुर तिखाह से लगान में छूट के लिए आवेदनपत्र

*१३३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त हाकिम परगना सैदपुर, जिला गाजीपुर को प्रधान मीरपुर तिखाह की कोई दरख्वास्त २१ अप्रैल, १९६२ की इस अभ्र की प्राप्त हुई है कि उस मौजे के उन काश्तकारों को जिनकी फसल बाढ़ में डूब गयी थी उनको कोई छूट नहीं दी गई है ? यदि हाँ, तो उसका रकबा क्या है और उनको क्या इमदाद दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—इसी प्रश्न का उत्तर आज के लिये निर्धारित इन्हीं प्रश्नकर्ता महोदय द्वारा पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत पहिले ही दे दिया गया है ।

*१३४—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर तहसील जिला गाजीपुर के खरौना कुसही गौरी गौरष्ट के लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—इस प्रश्न का उत्तर भी आज के लिये निर्धारित इन्हीं प्रश्नकर्ता महोदय द्वारा पूछे गये ताराँकित प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत पहिले ही दे दिया गया है ।

गोंडा में बलरामपुर कोठी का क्रय

*१३५—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा शहर में सरकार ने बलरामपुर कोठी, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिये खरीदी है ? यदि हाँ, तो कब और कितने कीमत पर ?

*१३६—क्या यह सही है कि इस सरकारी इमारत को विद्यालय न खोलकर किसी निजी व्यक्ति को किराया पर दे दिया गया था ? यदि हाँ, तो किसको और कितने दिनों के लिये किराया पर और किसके आदेश से दिया गया ?

*१३७—क्या यह सही है कि बलरामपुर कोठी सरकार द्वारा खरीदने के बाद भी विद्यालय किराये की इमारत में रहा और कोठी किराये पर रहीं ? यदि हां, तो सरकार को विद्यालय हेतु कितना किराया का भुगतान करना पड़ा और इसका जिम्मेदार कौन है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

रुस्तमपुर बड़मार के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वासन के लिये जमा धन

*१३८—श्री रियासत हुसेन—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम रुस्तमपुर, बड़मार तहसील व जिला मुरादाबाद के दरियाब सिंह, भागीरथ सिंह, रोशन सिंह और लटूरी सिंह ने १,३५० रुपया २ आने ३ पैसे सैलाब में कटे हुये गाँव को फिर से बसाने के लिये जमीन का मुआविजा सरकारी खजाने में जमा किया और कई साल गुजर गये, न रुपया वापस हुआ और न जमीन मिली ? अगर हाँ, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी जमा किया था । उसका रिफंड वाउचर उनको दे दिया गया था । ऐसा लगता है उन्होंने रुपया खजाने से नहीं निकाला ।

राजकीय इण्टर कालेज, फतेहगढ़

*१३९—डाक्टर सियाराम गंगवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़ में जो साइन्स क्लब के लिये कैमरा खरीदा गया है उसकी देय धनराशि क्या है और प्राइस लिस्ट में उसकी कीमत क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१४०—डाक्टर सियाराम गंगवार—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़ के प्रधानाचार्य श्री एस० पी० कक्कड़ के कार्यकाल में कितने निम्न कर्मचारी सेवा कार्य से कब-कब पृथक किये गये और किन-किन कारणों से ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१४१—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—[११वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४२—श्री शिवनाथसिंह—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

इलाहाबाद में गांजे का कथित तस्कर व्यापारी

*१४३—श्री नाथूराम शिक्षक—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में एक व्यापारी के पास लगभग २२ हजार रुपये का अवैध गांजा हाल में पुलिस द्वारा बरामद किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस तस्कर व्यापारी पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—इलाहाबाद में हाल में कोई अवैध गांजा पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया ।

यह प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी योजनान्तर्गत आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये जमीन

*१४४—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला में सिकटी शाह मुहम्मद, भगवानपुर, सठियांव, काझा, उम्मरपुर, कोईलारी आदि चकबन्दी दफ्तरों द्वारा हरिजनों तथा अन्य जरूरत मन्दों को आबादी के लिये जमीन छोड़ी गई है ? यदि हां, तो उन बस्तियों की जन-संख्या तथा छोड़ी गई भूमि का रकबा क्या है ? यदि नहीं छोड़ी जा रही है, तो क्या सरकार उसके लिये चकबन्दी कर्मचारियों को आदेश देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सिकटी शाहमुहम्मद, भगवानपुर, सठियांव, काझा, उम्मरपुर कोइलारी आदि चकबन्दी दफ्तरों द्वारा सिद्धांतों का विवरण पत्र बनाते समय हरिजनों तथा अन्य जरूरतमन्दों को आबादी के लिये जमीन छोड़ी गई है । जहां जमीन छोड़ी गई है, उन बस्तियों की जन संख्या २१,४२८ है तथा छोड़ी गई भूमि का रकबा ९३.२३१ एकड़ है ।

*१४५—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत होने वाली चकबन्दी के द्वारा जच्चा-बच्चा की गन्दगी तथा मुर्दा मवेशियों के रखने के लिये हरिजन बस्तियों से दूर इस जमीन की व्यवस्था कराने की व्यवस्था भी करा रही है ? यदि हां, तो क्या जिस गांव में चकबन्दी कार्य पूरा हो गया है वहां कितनी रकबे की भूमि छोड़ी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में उल्लिखित कार्यों के लिये जिला आजमगढ़ में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों से दूर जमीन की व्यवस्था की गई है । जिन गांवों में चकबन्दी पूरी हो गई है उनमें इन कार्यों के लिये ९.१३१ एकड़ भूमि छोड़ी गई है ।

*१४६—श्री सुरजन—क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिला के बरहतिर, जगदीशपुर तथा बजहा चकबन्दी सर्किल के चकबन्दी कर्मचारिगण ने तुलसीपुर, एदिलपुर आदि गांव को चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बनी चकबन्दी कमेटियों से फैसले आदि के बारे में राय ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्रामों में चकबन्दी समिति की राय विधानतः आवश्यकतानुसार ली गई है ।

मैनपुरी, जिला परिषद् में जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन

*१४७—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, मैनपुरी के वह जे० टी० सी० ट्रेन्ड अध्यापक जो गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं को जो वेतन-क्रम १ दिसम्बर, १९६१ से दिया जाता है वह १ जुलाई, १९५५ से दिया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो सरकार बकाया वेतन देने के बारे में क्या विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जे० टी० सी० का वेतन-क्रम १-७-५५ से संशोधित हुआ था। उक्त तिथि के पश्चात् नियुक्त किये गये जे० टी० सी० अध्यापकों को संशोधित वेतन-क्रम उसी तिथि से दिया जाना चाहिये जब से वे जूनियर हाई स्कूलों में जे० टी० सी० अध्यापकों की जगहों पर कार्य कर रहे हैं।

सूचना मिली है कि अन्तरिम जिला परिषद्, मैनपुरी ने कुछ जे० टी० सी० अध्यापकों को उक्त वेतन-क्रम देर से दिया। उसकी जांच की जायेगी और आवश्यक आदेश दिये जायेंगे।

मनहौरा ग्राम का अग्निकांड

*१४८—**श्री श्रीराम तिवारी**—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष ३१ मई, १९६१ को उन्नाव जिले के मरुगैरा ग्राम के भीषण अग्निकांड में कितने मकान जले थे, कितना गल्ला जल गया था तथा कुल कितने की हानि हुई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त तिथि को मरुगैरा ग्राम में नहीं अपितु महनौरा ग्राम में अग्निकांड हुआ था। जिसमें १०६ घर जले तथा लगभग ५,१६८ मन गल्ला जल गया और अनुमानतः २,५८,००० ० की क्षति हुई।

*१४९—**श्री श्रीराम तिवारी**—क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जिला अधिकारियों ने अग्नि पीड़ित किसानों को जिनका गल्ला भी जल कर भस्म हो गया था, रबी की फसल का लगान माफ कर देने का आश्वासन दिया था ? क्या उनका उस वर्ष की रबी की फसल का लगान माफ हुआ अथवा उसमें कोई छूट हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिलाधिकारियों ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। नियमानुसार लगान में छूट देना सम्भव नहीं था।

*१५०—**श्री श्रीराम तिवारी**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने इन अग्नि पीड़ित किसानों की सहायता हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की थी और उसका किस प्रकार वितरण हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार ने अहेतुक सहायता हेतु १०,००० रु० स्वीकृत किया था जिसमें से ८,५०० रु० नगद तथा ३९६.९७ नये पैसे का सामान अन्न आदि बांटा गया।

प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन तथा महंगाई भत्ता

*१५१—**श्री उमाशंकर तिवारी** (जिला वाराणसी)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं के सभी अध्यापकों को महंगाई भत्ता एक समान मिलता है या उसमें कोई अन्तर है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, अन्तर है।

*१५२—**श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या सरकार को यह मालूम है कि नगर-पालिका, मुगल सराय ने पैसे की बचत के लिये राजकीय बेसिक पाठशाला के ट्रेन्ड, अनट्रेन्ड सभी अध्यापकों को मई के अन्त में सर्विस समाप्त करने की नोटिस दी है ? यदि हां, तो सरकार अध्यापकों की हित रक्षा के लिये इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, केवल कुछ अनट्रेन्ड अध्यापकों को ही नोटिस दी गई थी।

*१५३—**श्री उमाशंकर तिवारी**—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन में जो ५ रु० की वृद्धि हुई है, वह सब के लिये समान रूप से है ? यदि नहीं, तो इस अन्तर का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्नगत वृद्धि केवल प्राइमरी स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन में की गई थी जिससे कि उनका वेतन कम से कम ५० रु० प्रति मास हो जाये। प्राइमरी स्कूलों के प्रधान अध्यापकों एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन पर्याप्त समझा गया था।

सहारनपुर जिले में मद्य-निषेध समिति के सदस्य

*१५४—**श्री रामसिंह** (सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में मद्य-निषेध समिति के सदस्य तथा पदाधिकारी कौन-कौन व्यक्ति इस समय हैं ?

डाक्टर सीताराम—सहारनपुर जिले में दो समितियां हैं—एक टेम्परेन्स समिति, सहारनपुरतथा दूसरी मद्य-निषेध समिति, हरिद्वार के नाम से कार्य कर रही है। इनके सदस्यों के नाम तथा पद संलग्न सूची नं० १ एवं २ में अंकित हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७०७—७०९ पर।)

*१५५—**श्री रामसिंह** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मद्य-निषेध समिति को कितना अनुदान किस कार्य हेतु दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—इस वर्ष (१९६२—६३) में अभी कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

*१५६—**श्री रामसिंह** (जिला सहरानपुर)—क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मद्य-निषेध के सुधार हेतु प्रत्येक जिले में कुछ वैतनिक कार्यकर्त्ता (paid workers) नियुक्त किये जाते हैं ? इस तरह के वैतनिक कार्यकर्त्ता जिला सहारनपुर के कौन हैं और वह गत किन वर्षों से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—प्रत्येक जिले में मद्य-निषेध सुधार हेतु वैतनिक कार्यकर्त्ता नहीं हैं। हां, प्रायः जिलों में ऐसे कार्यकर्ता अवश्य हैं जिनको प्रतिमास एक निश्चित मानदेय दिया जाता है। जिला सहारनपुर में मानदेय पाने वाले अभी तक श्री जहारू लाल, मद्य निषेध प्रचारक, पिछले १० वर्ष से अधिक कार्य कर रहे थे। इस वर्ष में अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है।

नैनीताल जिले में सड़क निर्माण योजना

*१५७—**श्री देवेन्द्रसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षय योजना के अन्तर्गत जिला नैनीताल में कौन-कौन सी सड़कें बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई अनुसूची 'क' में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७१०—७१२ पर)

*१५८—श्री देवेन्द्रसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ तक कौन-कौन सी सड़कों पर कार्य किया गया और क्या-क्या कार्य किया गया ?

श्री गिरधारीलाल—सूचना माननीय सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी हुई अनुसूची 'ख' में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७१०-७१२ पर)

*१५९—श्री देवेन्द्रसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल-कालाढूंगी मोटर सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—नगरपालिका की सीमा के अन्दर पड़ने वाले भाग को छोड़कर शेष सड़क का निर्माण हो चुका है ।

गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सीतापुर के अध्यापक

*१६०—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल, सीतापुर में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो सीतापुर के रहने वाले हैं तथा कितने ऐसे अध्यापक हैं जो ५ वर्ष से अधिक से वहां कार्य कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—गवर्नमेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल, सीतापुर में १२ अध्यापक सीतापुर के ही रहने वाले हैं तथा १२ अध्यापक ऐसे हैं जो ५ वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं।

राजकीय विद्यालय, दुद्धी में अतिरिक्त वर्ग खुलना

*१६१—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालय, दुद्धी, जिला मिर्जापुर, में निरन्तर बढ़ती हुयी छात्र संख्या को दृष्टि में रखकर वर्ग ६ और ९ में अतिरिक्त वर्ग जुलाई में खोले जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । अतिरिक्त वर्ग कक्षा ६ और ९ में जुलाई, सन् १९६२ से खोल दिये गये ।

*१६२—श्री रामप्यारे—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुद्धी, मिर्जापुर, के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत हुआ था लेकिन अभी तक वह क्यों नहीं बना ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । धन स्वीकृत हुआ है किन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक भवन निर्माण नहीं कराया जा सका ।

*१६३—श्री रामप्यारे—क्या दुद्धी के आदिवासियों के पिछड़ी दशा देखकर शिक्षा मंत्री, दुद्धी के विद्यालय में जुलाई से इंटर क्लास खुलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० इम्पलाइज यूनियन, आगरा ब्रांच का पत्र

*१६४—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यू०पी० पी० डब्लू०डी० इम्प्लाईज यूनियन, आगरा ब्रांच का पत्र दिनांक ५ मई, १९६२ ट्रैक्टर, रोड रोलर, सी०सी० मिक्सचर इत्यादि मशीनों की सालाना मरम्मत व जनरल ओवर हाल केन्द्रीय एवं रीजनल वर्कशाप से न कराकर, ठेकेदारों तथा अन्य बाहरी वर्कशापों में कराने की बाबत में सरकार को प्राप्त हुआ है ? अगर हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—पत्र सरकार को नहीं किन्तु अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आगरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इसकी जांच की गई और यह मालूम हुआ कि बाहरी वर्कशापों में केवल वह ही कार्य कराये गये जिनका करना विभागीय निर्माणशालाओं में सम्भव न था।

आदर्श प्राइमरी कन्या पाठशाला, नगला

*१६५—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बदायूं जिले में ब्लाकों द्वारा चुनी हुई आदर्श प्राइमरी कन्या पाठशालायें कहां-कहां हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला बदायूं में आदर्श प्राइमरी कन्या पाठशाला विकास क्षेत्र जगत में नगला पूर्वी ग्राम में है।

*१६६—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखित पाठशाला में से किन-किन पाठशालाओं को सन् १९६०-६१, १९६१-६२ में क्या क्या सहायता इन ब्लाकों ने प्रदान की है?

आचार्य जुगलकिशोर—उक्त पाठशाला को विकास क्षेत्र जगत द्वारा वर्ष १९६१-६२ में ११० रु० के अनुमानित मूल्य का सामान सहायता के रूप में प्रदान किया गया।

तारांकित प्रश्न

इण्टरमीडिएट एजूकेशन संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इंटरमीडिएट एजूकेशन संशोधन अधिनियम, १९५८ द्वारा लागू प्रशासन योजना प्रदेश की कितनी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में लागू हो गई है और कितनी में बाकी है?

आचार्य जुगलकिशोर—६७७ मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू हो गई है। ८१९ विद्यालयों में लागू होना बाकी है।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासन योजना लागू करने की अवधि कब तक के लिये बढ़ा दी गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—अवधि बढ़ाई नहीं गई परन्तु इंटरमीडिएट एजूकेशन (एमेन्डमेंट) ऐक्ट, १९५८ की धारा १६-ए से १६-आई के प्राविधानों की वैधानिकता का प्रश्न हाईकोर्ट में कुछ विद्यालयों द्वारा रिट केस दायर करके उठाये जाने पर न्यायालय ने स्टे आर्डर कर दिया था। अतः प्रशासन योजना सम्बन्धी प्राविधानों के लागू करने में शिथिलता बरती गई है।

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन शिक्षा संस्थाओं ने प्रशासन योजना को स्वीकार नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी विद्यालय शीघ्रातिशीघ्र प्रशासन योजना स्वीकार कर लें। परन्तु जिन सहायता प्राप्त विद्यालयों ने योजना नहीं प्रस्तुत की उनको अनावर्तक अनुदान से वंचित रखा जाता है और नये विद्यालयों में जब तक वे प्रशासन योजना स्वीकृत नहीं करा लेते उनको अनुदान सूची पर नहीं लाया जाता।

*४-६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से विलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

स्वतन्त्रता आन्दोलन में छीनी गई भूमि

*७--श्री गनेशचन्द काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी सन् १९३१-३२ में विदेशी सरकार को हटाने के लिये चलाये गये करबन्दी आन्दोलन में जिन व्यक्तियों की भूमि सरकार ने लगान न देने के कारण छीन ली थी उन व्यक्तियों को उक्त भूमि छीने जाने का प्रमाण-पत्र जिलाधीश द्वारा मिल जाने पर सरकार उनकी छीनी गई भूमि के बराबर की कीमत की भूमि उन्हें उनके गांव में अथवा पड़ोस में देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

वाराणसी में गंगा घाटों का पुनर्निर्माण

*८--श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में गंगा के घाटों का पुनर्निर्माण जो हो रहा था उसको क्यों और कब से बन्द कर दिया गया ? किन-किन घाटों का पुनर्निर्माण किया गया, किन-किन घाटों का पुनर्निर्माण होना बाकी है, अब तक कितना रुपया व्यय हुआ उसमें कितना सामान आदि पर तथा कितना तनख्वाहों तथा रखरखाव पर ?

श्री गिरधारीलाल--यह कार्य अभी बन्द नहीं हुआ है। शेष वांछित सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७१३ पर।)

*९--श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल--इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितना रुपया अनुदान स्वरूप कब-कब दिया था ? क्या इस कार्य के संचालन हेतु कोई बोर्ड बनाया ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं और क्या जो गंगा के घाट पुनर्निर्माण से वंचित रह गये हैं उनको पुनः सरकार पुनर्निर्माण कराने पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल-- इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई रुपया अनुदान स्वरूप नहीं दिया। इस कार्य के संचालन के लिये कोई बोर्ड नहीं बनाया गया है। प्रश्न ८ के उत्तर में बताये गये घाटों के अतिरिक्त अन्य घाटों के पुनर्निर्माण की कोई योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१०--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[हटा दिया गया।]

सुरही के निकट नाद नदी पर पुल की आवश्यकता

*११--श्री ऊदल--क्या सरकार नाद नदी में गांव सुरही में फूलपुर से जाने वाले रास्ते तथा फूलपुर से थाना गांव जाने वाले रास्ते पर जो परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में पड़ता है सरकार पुल बनाने के ऊपर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*१२-१३--श्री गंगाधर मैठाणी--[२३ अगस्त १९६२ को प्रश्न २०९-२१० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*१४-१५--श्री कल्पनार्थसिंह--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

राजकीय बालिका विद्यालय, तालबेहट का भवन

*१६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा तालबेहट (जिला झांसी) में राजकीय जूनियर हाई स्कूल (बालिका) किस सन् में खोला गया था और कितने वर्षों से किराये के भवन में चल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय बालिका विद्यालय, तालबेहट (झांसी) सन् १९१३ में खुला था एवं तभी से प्राइवेट भवन में चल रहा है।

*१७—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, तालबेहट के भवन के निर्माण के लिये सन् १९२६ और १९३० में कोई जमीन ली गई थी? यदि हां, तो उसमें अब तक स्कूल भवन न बन सकने का क्या कारण है?

आचार्य जुगलकिशोर—०·४ एकड़ भूमि ७-१२-१९२६ को उक्त विद्यालय के लिये खरीदी गयी थी और ·३४५ एकड़ भूमि Land acquisition द्वारा २६-२-३१ को प्राप्त की गयी थी। इनमें से विद्यालय के पास केवल ०.६०५ एकड़ भूमि बची है इतनी कम भूमि में बालिका विद्यालय के लिये भवन निर्माण कराना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि उक्त भूमि पर अभी तक भवन नहीं बन सका।

मुगलसराय पड़ाव जी० टी० रोड पर स्थायी गैंग न होना

*१८—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिला स्थित चकिया क्षेत्र में श्री शिवनाथ यादव मेट की एक अस्थायी गैंग तीन-चार वर्षों से काम करती है? यदि हां, तो वह किस मार्ग पर काम करती है क्या उक्त गैंग की तरह पहले भी कोई गैंग थी? क्या उक्त मेट चन्दौली-सैदपुर मार्ग पर अवांछनीय कार्य करने के कारण काम से अलग कर दिया गया था?

श्री गिरधारीलाल—(१) जी हां। (२) मुख्यतः यह गैंग चकिया क्षेत्र में जो कच्ची सड़कें हैं (जो पहले विलीन बनारस राज्य में थी और अब सार्वजनिक निर्माण विभाग में हैं) उनकी देख-भाल करती हैं।

(३) सम्भवतः नहीं थी।

(४) ऐसी सूचना कोई विभाग में नहीं है।

*१९—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** तथा **श्री रघुवीरराम**—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पी० डब्ल्यू० डी० इम्प्लाइज यूनियन के संगठन मंत्री श्री राधेरमण तिवारी ने वाराणसी स्थित चन्दवक घाट के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घाट दरोगा की अनुपस्थित में शिकायत पुस्तिका न उपलब्ध होने के कारण घाट के मेट को एक लिखित शिकायत दिनाँक २५ जुलाई, १९६१ को दी थी? उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गिरधारीलाल—उक्त शिकायत-पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, न इस सम्बन्ध में कोई सूचना है।

*२०—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** तथा **श्री रघुवीरराम**—क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुगल सराय से पड़ाव जी० टी० रोड वाराणसी पर लगभग आठ मील में कोई भी स्थायी गैंग काम नहीं करती, यह सड़क का वह हिस्सा है जो बरसात में दोनों ओर से पानी से घिरा रहता है उक्त हिस्से में श्री राम लगन मेट (चकिया) जिसकी स्थायी गोल में मेट पद की नियुक्ति की प्रार्थनायें अधिशासी अभियन्ता के समक्ष विचाराधीन हैं, क्यों नहीं, नियुक्त कर दी जाती?

श्री गिरधारीलाल—(१) मुगलसराय से पड़ाव की दूरी केवल ६ मील है। इस टुकड़े पर कुछ अन्य मीलों के साथ एक स्थायी गैंग काम करती है।

(२) केवल इसी टुकड़े पर एक अन्य स्थायी गैंग के नियुक्ति किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*२१-२३—**श्री लखीसिंह**—[७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

मंजरा भिखना ग्राम का गंगा से कटाव

*२४—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या राजस्व मंत्री को सूचना है कि हड़ता परगना, जिला उन्नाव के अन्तर्गत नम्बरी मौजा मंजरा भिखना जिसका रकबा प्रायः ६ सौ बीघा था, सम्पूर्णतया गंगा गर्भ में विलीन हो गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला उन्नाव के हड़ता परगना के अन्तर्गत नम्बरी मौजा मजरा भिखना का केवल ८ एकड़ क्षेत्रफल छोड़ कर शेष भाग गंगा नदी से कट गया है।

*२५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार इस गांव के निवासियों को अन्यत्र बसाने और खेती बारी के लिये भूमि की व्यवस्था के साथ-साथ मंजरा भिखना के कट जाने से हुई गांववासियों को क्षति पूर्ति करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस गांव के निवासियों को पुरूषोत्तम नगर में बसाने तथा कृषि हेतु भूमि देने की व्यवस्था भूदान समिति द्वारा की गई थी परन्तु इस स्थान के गांव से दूर होने के कारण वह लोग यहां बसने तथा भूमि लेने को तैयार नहीं हुए और अपने-अपने संबंधियों से सम्बद्ध ग्रामों में आबाद हो चुके हैं।

पीड़ितों को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने का न तो कोई प्राविधान ही है और न सरकार के लिये ऐसा सम्भव ही है।

*२६—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि मंजरा भिखना के निकटस्थ गांव नन्दाखेरा टेढ़वा और निबंई की जमीन के कटने का क्रम आरम्भ हो गया है और यदि गंगा की धारा को पलटने की शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही न की गयी तो आगामी वर्ष में हड़हा परगना और औड़िया खेरा परगना के गंगा किनारे के सैकड़ों गांवों के कट जाने का खतरा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम नया खेड़ा, टेढ़वा, बिनई, परगना हड़हा की ओर कटने की संभावना नहीं पाई जाती है अतः गंगा की धारा पलटने के संबंध में कोई कार्यवाही करने का इस समय प्रश्न नहीं उठता।

*२७-२८—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये।]

*२९—श्री झिलमिटराम—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३०—श्री राजेन्द्रसिंह—[१० वें गुरुवार के लिये प्रश्न २१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अनुदान पाने वाले मान्यता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*३१—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मान्यता प्राप्त अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिन्हें राजकीय पोषण अनुदान नहीं मिल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—३८४।

*३२-३४—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[१२ वें मंगलवार के लिए प्रश्न ३६-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३५-३६—श्री बंशीलाल—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७-३८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पलिया–भीरा सड़क पर शारदा नदी––पुल का निर्माण

*३९––श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)––क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पलिया भीरा, जिला खीरी के बीच शारदा नदी पर Rail-cum-Road Bridge का निर्माण कब तक हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल ––इस कार्य के सन् १९६४ के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है ।

*४०––श्री कल्याणचन्द मोहिले––[११ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४१––श्री कल्याणचन्द मोहिले––[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

अलाभकर जोतों का लगान

*४२––श्री उग्रसेन––क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में खेती योग्य भूमि में ६। एकड़ तक लाभकर जोतों के खातों की कुल संख्या क्या है और उनका कुल कितना रकबा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––लगभग १०५ लाख । लगभग १८८ लाख एकड़ ।

*४३––श्री उग्रसेन––अलाभकर जोतों की लगान माफ करने से प्रदेश के राजस्व में कितने रकम की कमी होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––लगभग १० करोड़ रुपए ।

औरंगाबाद में पी० डब्ल्यू० डी० की रोड बाउन्ड्री पर से दूकानें हटाने का आदेश

*४४––श्री हिम्मतसिंह––क्या सरकार दिनांक २३ अगस्त, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२ व ५३ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० की रोड बाउन्ड्री पर कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर से अभी तक दूकानें नहीं हटाई गयीं ? अब तक न हटाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल––(क) जी हां ।

(ख) अनधिकृत दूकानें बनाने वालों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और जिलाधीश, बुलन्दशहर ने अभी तक इन पर अपने फैसले नहीं दिये हैं । मुकदमे के फैसले होने के पश्चात् ही दूकानें हटाने के लिये उचित कार्यवाही की जायगी ।

*४५––श्री सुखदेवप्रसाद––[७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

बरेली में अवैध शराब का कारखाना

*४६––श्री जगन्नाथ राव––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में ६/७ मार्च, १९६२ की रात्रि में पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने का कोई कारखाना पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

डाक्टर सीताराम––बरेली में ६/७ मार्च, १९६२ की रात्रि में पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने का कारखाना पकड़ा गया है, जिसमें चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे । उन पर एक्साइज ऐक्ट के धारा ६० के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पेन्शन देने के सुझाव

*४७—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की पेन्शन की सुविधाओं की घोषणा को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश में भी प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पेन्शन की सुविधा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को पेंशन की सुविधा देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

लखनऊ में गोमती बाढ़ सुरक्षा कार्य

*४८—श्री तेजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी गोमती नदी के सैलाब से गोमती नदी के निकट मुहल्लों जैसे डालीगंज, महानगर इत्यादि के रहने वालों को क्षति को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है जिससे लखनऊ की जनता सैलाब से अपने को सुरक्षित कर सके ?

श्री गिरधारीलाल—ब्रूश ब्रिज (Burice Bridge) के नीचे के मुहल्लों के बचाव के लिये बांधों का उचित प्रबन्ध कर दिया गया है। इस पुल के ऊपर के मुहल्लों के बचाव के लिये भी बंधे बनाने की योजना है परन्तु इस वर्ष इस पर कार्य आरम्भ न हो सकेगा ।

४९—श्री रक्षपालसिंह—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्कूल कालेज कर्मचारी-संघ, वाराणसी का मांग पत्र

*५०—श्री उग्रसेन तथा श्री कल्पनार्थसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि स्कूल कालेज कर्मचारी संघ, वाराणसी का मांग पत्र उन्हें अप्रैल, १९६२ में मिला है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७१४-७१५ पर)

*५१—श्री उग्रसेन तथा श्री कल्पनार्थसिंह—उनकी मांगों पर विचार कर कौन सी कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—मांगों से संबंधित वस्तुस्थिति की तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७१४-७१५ पर)

एटा-कोच-उरई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता

*५२—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि कोच एटा तथा कोच उरई सड़कों के निर्माण की क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—यह दोनों सड़कें अन्तरिम जिला परिषद्, जालौन की हैं और इनके सुधार एवं निर्माण का उत्तरदायित्व परिषद् पर है ।

*५३—श्री तेजनारायण—[१२ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राजकीय आदर्श स्कूल, बिसवां की भूमि पर अधिकार

*५४—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नार्मल स्कूल बिसवाँ के अन्तर्गत राजकीय आदर्श स्कूल की जमीन पर Unauthorised encroachments हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*५५--श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन encroachments के संबंध में जनता ने प्रिंसिपल नार्मल स्कूल व जिले निरीक्षक सीतापुर को निरन्तर सूचना दी है ? यदि हां, तो encroachment रोकने की ओर उसको हटाने की क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। कुछ व्यक्तियों ने डिवीजनल मैजिस्ट्रेट बिसवां तथा प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना दी थी। प्रधानाध्यापक ने विद्यालय की भूमि की नाप-जोख कराई और एस०डी० एम०, बिसवां ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विद्यालय की भूमि पर कोई encroachment नहीं है। अतः उसे रोकने और उसको हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५६-५८--श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--[हटा दिये गये।]

*५९--श्री रघुवीर--[१०वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

एक ही जिले में तीन वर्ष अधिक से कार्य करने वाले निरीक्षक

*६०--श्री दयाराम शाक्य--क्या सरकार प्रश्न संख्या ९३ दिनांक १ जून, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों जिनको एक ही जिले में रहते हुये तीन साल से अधिक हो चुके हैं, के स्थानान्तरण करने पर वह विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--ऐसे मामलों पर प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान रखत हुये सरकार विचार करती है।

*६१--श्री कल्पनाथसिंह--[हटा दिया गया।]

कोसी तहसील कम्पाउन्ड में श्री किशोर पंडित को पीटने की जांच

*६२--श्री झारखंडे राय--क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें गत ११ जून, को कोसी (आजमगढ़) के तहसील के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के एक स्वतन्त्रता सैनिक सरकारी पेन्शनें प्राप्त तथा कांग्रेस कर्मी श्री किशोर पंडित को तहसील कम्पाउन्ड में बुरी तरह मारने-पीटने तथा अपमानित करने के विरुद्ध एक सर्वदलीय आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां।

*६३--श्री झारखंडे राय--यदि हां, तो इस गंभीर कुकर्म के विरुद्ध सरकार उक्त जिम्मेदार लोगों के प्रति क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जांच कराई गई। आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

*६४-६५--श्री तेजभानसिंह--[हटा दिये गये।]

डी० ए० वी० इन्टर कालेज, मैनपुरी के अध्यापक श्री रणजीत सिंह का शिकायती-पत्र

*६६--श्री हरीशकुमार गंगवार--क्या सरकार को डी०ए०वी० इन्टर कालेज मैनपुरी के भूतपूर्व अध्यापक श्री रणजीत सिंह का कोई शिकायती-पत्र इस प्रकार का मिला है जिसमें उन्होंने उपरोक्त कालेज की प्रबन्ध समिति की धांधले बाजी और विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के मैनेजर द्वारा न मानने की सूचना दी है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। आवश्यक जांच की जा रही है।

*६७--श्री रियासत हुसैन--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

मुरादाबाद तहसील में जूनियर हाई स्कूल सरकड़ा खास की इमारत

*६८--श्री रियासत हुसैन--क्या सरकार को मालूम है कि जूनियर हाई स्कूल सरकड़ा खास, तहसील मुरादाबाद तीन साल से एक पंचायत घर की इमारत में चल रहा है ? यदि हां, तो उसके लिये इमारत बनाने में क्या कठिनाई है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, दो वर्ष से पंचायत घर की इमारत में चल रहा है। ग्राम सभा द्वारा आवश्यक भूमि तथा धन अन्तरिम जिला परिषद् को न दिये जाने के कारण भवन निर्माण में कठिनाई प्रतीत हो रही है।

राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़ में अध्यापक द्वारा गबन

*६९--डाक्टर सियाराम गगवार--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० ई० में राजकीय इन्टर कालेज फतेहगढ़ में वार्षिक परिवीक्षण के समय रचनात्मक कोष में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी ? यदि हां, तो उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*७०--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून सन् १९६१ में बिना कारण बताये या आरोप लगाये एक अध्यापक सी० टी० ग्रेड का सेवा से पृथक कर दिया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

आचार्य जुगल किशोर--राजकीय इन्टर कालेज, फतेहगढ़ के एक अस्थायी सी० टी० ग्रेड के अध्यापक ने विद्यालय के रचनात्मक कोष से २,००० रु० गबन किया। जांच करने पर उक्त अध्यापक दोषी पाया गया और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया। अध्यापक ने अपना दोष स्वीकार किया और धन राशि जमा कर दी। उसको राजकीय सेवा में रखना उचित नहीं समझा गया और उसकी सेवा एक माह का वेतन, नोटिस के स्थान पर देकर समाप्त कर दी गई।

*७१--डाक्टर सियाराम गंगवार--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़ राजकीय इन्टर कालेज में प्रवेशिका शुल्क कक्षा ६ से ८ तक अगस्त सन् १९६० से फरवरी सन् १९६२ तक निरन्तर वसूल हुई ? यदि हां, तो उसका उपयोग किस प्रकार किस-किस समय किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७२-७४--श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)--[११वें गुरुवार के लिये प्रश्न १७४-१७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गाजीपुर जिले में बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*७५--श्री कमला सिंह यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अतिरिक्त हाकिम परगना, सैदपुर, जिला गाजीपुर को प्रधान मोरपुर तिखाह को कोई दरख्वास्त मार्च, १९६२ में इस अम्र की प्राप्त हुई है कि उस मौजे के उन काश्तकारों को जिनकी फसल बाढ़ में डूब गयी थी उनको कोई छूट नहीं दी गई है ? यदि हां तो उसका रकबा क्या है और उनको क्या इमदाद दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--जी हां। इस आशय का आवेदन-पत्र अतिरिक्त हाकिम, परगना सैदपुर को २१ अप्रैल, १९६२ ई० को प्राप्त हुआ था। प्रभावित क्षेत्र में से जितने में मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी गई है उसका क्षेत्रफल १३ बीघा ४ बिस्वा था और ऐसे क्षेत्र में कोई अन्य सहायता भी नहीं दी गई है।

*७६--श्री कमलासिंह यादव--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर जिले में सन् १९६१ में किन-किन ग्रामों में तहसीलवार कितनी क्षति हुई और किसानों को क्या इमदाद दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वांछित सूचना संलग्न तालिका† में दी हुई है ।

*७७--श्री कमलासिंह यादव--क्या सकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि सैदपुर तहसील जिला गाजीपुर के खरौना कुसही गौरी गौरहट के लोगों को ऊंचे स्थान पर बसाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--केवल गौरहट ग्राम के निवासियों को ऊंचे स्थान पर बसाने की व्यवस्था का जा रही है । इसके लिये भूमि प्राप्त कर ली गई है जिस पर निर्माण-कार्य पिछले जून से प्रारम्भ कर दिया गया है । अन्य ग्रामों के निवासियों को ऊंचे स्थान पर बसाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है ।

जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टरों के सेलेक्शन रूल्स

*७८--श्री द्विजेन्द्रनारायण--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों के जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टरों का सेलेक्शन किन-किन आधार भूत नियमों के मातहत होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर--७८ जिला परिषद् शिक्षा नियमावली के नियम १४(१), १२ तथा १३-ए तथा जिला परिषद् विधि (District Boards Act) १९२२ के धारा ८२ के अनुसार ।

*७९--श्री द्विजेन्द्रनारायण--हेड मास्टरों के सेलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--परिषद् द्वारा प्रस्तुत ज्येष्ठता सूची में प्रदर्शित पदाधियों को प्रधानाध्यापक के पद के लिये केवल उपयुक्त होने का प्रमाण-पत्र (Fitness Certificates) जिला परिषद् शिक्षा नियमावली के नियम १२(३) के अनुसार प्रदान करना है ।

*८०--श्री द्विजेन्द्रनारायण--बाराबंकी जिले में हेडमास्टरों के गत सेलेक्शन में किन नियमों अथवा सिद्धान्तों का पालन करके चुनाव किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर--बाराबंकी जिले में प्रधानाध्यापकों का गत निर्वाचन भी उन्हीं नियमों का पालन करके हुआ है जो प्रश्न संख्या ७८ के उत्तर में सूचित किये जा चुके हैं ।

बढ़ापुर-शेरकोट तथा अकबराबाद-फिरतपुर मार्ग बनाने की प्रार्थना

*८१--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बढ़ापुर शेरकोट (बिजनौर) मार्ग अब तक क्यों नहीं बना ? कब तक बनेगा और इसी सड़क पर ऊनी तथा नकटा नदियों के पुल कब तक बन जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--बढ़ापुर शेरकोट मार्ग का निर्माण धनाभाव के कारण अभी संभव नहीं है । पुलों के निर्माण की भी अभी कोई योजना नहीं है ।

† (नत्थी छापी नहीं गई ।)

*८२--श्री बसन्तसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अकबराबाद किरतपुर (बिजनौर) सड़क के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह सड़क कब बननी शुरू होगी ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं । इस समय इस सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

*८३--श्री बसन्तसिंह--क्या सरकार कासमपुर-गढ़ी-बनियोवाला (जिला बिजनौर) सड़क के निर्माण पर विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं ।

*८४--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८५--श्री सन्तसिंह यूसुफ-- [७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

निजामाबाद में मादक वस्तुओं का ठेका

*८६--श्री सुरजन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत निजामाबाद कस्बे में आबकारी विभाग की कोई सूचना है ? यदि हां, तो उसका ठेका कब और किस माह में हुआ ?

डाक्टर सीताराम--कस्बा, निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में एक देशी शराब, एक भांग व दो ताड़ी की दुकानें हैं । देशी शराब व भांग के ठेकों का नीलाम सन् १९६२-६३ के लिये दिनांक ७ फरवरी १९६२, को हुआ था । ताड़ी के ठेकों का प्रबन्ध (सेटिलमेन्ट) सन् १९६१-६२ के लिये माह सितम्बर व अक्तूबर, १९६१ में हुआ था ।

*८७--श्री सुरजन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेंडर देने वालों ने कितने कितने का टेंडर दिया था इसमें किसका टेंडर ज्यादा रुपये का था ? क्या यह सही है कि ज्यादा रुपये का टेंडर देने वाले को दूकान नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसके विरुद्ध कोई आवेदन-पत्र संबंधित मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सीताराम--आबकारी की किसी दूकान के लिये टेंडर लेने का कोई नियम नहीं है, अतः टेंडर संबंधी शेष प्रश्न नहीं उठते ।

हरिद्वार में हरि की पौढ़ी पर आग लगने से क्षति

*८८--श्री हिम्मतसिंह--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत २१ मई, १९६२, शनिवार को हरिद्वार में हरि की पौढ़ी के पास कोई भीषण अग्निकांड हुआ है ? यदि हां, तो कितनी आर्थिक हानि का अनुमान है और सरकार क्षतिपूर्ति के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दिनांक २१-५-६२ को न तो शनिवार ही था और न उस दिन कोई आग लगी । हां, १९-२० मई की रात्रि को १ बजे के लगभग हरि की पौढ़ी के समीप दो दूकानों में आग लग जाने के कारण लगभग ४,००० रु० की अनुमानित हानि हुई । सरकारी सहायता उद्देश्य क्षतिपूर्ति नहीं है वरन् निर्धन व असहाय व्यक्तियों की आपत्तिकाल में तात्कालिक सहायता करना है । संबंधित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी अतः वह सहायता योग्य नहीं समझे गये और न उन्होंने ऐसी कोई याचना ही की ।

सहरावां में पान की फसल को क्षति

*८६—श्री श्रीराम तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, सन् १९६१ में अत्यधिक शीत से उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के सहरावां ग्राम के जिन कृषकों की पान की फसल नष्ट हो गई थी उन्हें सरकार की ओर से क्या सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिसम्बर १९६१ ई० की अधिक शीत से उन्नाव जिले की पुरवा तहसील के सहरावां ग्राम (न कि सहरावां ग्राम) के विभिन्न खातों में पान की फसल को रुपये में ३५ नये पैसे से कम की क्षति पहुंची है। इतनी कम क्षति के कारण संबंधित खातेदारों को कोई सहायता नहीं दी गई।

*९०—श्री श्रीराम तिवारी—क्या सरकार को पता है कि गांव सभा सहरावां, जिला उन्नाव के प्रधान एवं अन्य किसानों जिनकी पान की फसल शीत से नष्ट हो गयी थी की ओर से जिला अधिकारियों को एक आवेदन-पत्र सहायता हेतु दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गांव सभा सहरावां (न कि सहरावां) के प्रधान एवं अन्य किसानों का कथित प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारियों को प्राप्त हुआ था। उस पर जांच के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम में पान की फसल की हानि कम पहुंची है जिसके कारण वहां के किसानों को मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी गई। क्षतिग्रस्तों को तकावी लेने के लिये कहा गया था किन्तु उन्होंने तकावी लेने से इंकार कर दिया। इस परिस्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

गवर्नमेन्ट गर्ल्स इन्टर कालेज, सहारनपुर में डिग्री क्लासेज खोलने की प्रार्थना

*९१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार सहारनपुर में Govt. Girls Inter. College में Degree Classes आर्ट या साइंस के साथ खोलने का प्रबन्ध शीघ्र करेगी ताकि नया वर्ष आरम्भ होने पर यह classes चालू हो जायं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

शामली-सरधना सड़क

*९२—श्री विजयपालसिंह—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि शामली गढ़ीसखावत सरधना सड़क का निर्माण आरम्भ करके उसका बनाना स्थगित क्यों कर दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का निर्माण इस विभाग द्वारा कभी आरम्भ नहीं किया गया।

*९३—श्री विजयपालसिंह—क्या निर्माण मंत्री यह भी बतायेंगे कि इस सड़क के पुलों को कब बनाया गया और कुल लागत इन पुलों पर क्या हुई ?

श्री गिरधारीलाल—सरकार द्वारा इस सड़क पर किसी पुल का निर्माण नहीं हुआ।

*९४-९५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—१७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*९६—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले के निर्वाचन क्षेत्र १४२ मगलसी में (१) सारपुर, (२) पाराखननी, (३) सरौली, (४) महुआ फौजपुर, (५) चिरौली, (६) पिठला, (७) कौराहपुरे तिवारीपुर में अग्निकांड से जो क्षति हुई उसकी पूर्ति के लिये सरकार की ओर से क्या कोई व्यवस्था की गई? यदि हां, तो क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ग्रामों में से चिरौली ग्राम में किसी अग्निकांड के होने की सूचना नहीं है। अन्य ६ ग्रामों में आग लगी थी। पर अग्निकांड आदि दुर्घटनाओं से हुई क्षति पूर्ति का कोई विधान नहीं है, अतः क्षति पूर्ति करने का प्रश्न नहीं उठता। हां, तात्कालिक कष्ट निवारण हेतु अनुदान के रूप में ४९० रु० २९ दीन व सहायता योग्य परिवारों में वितरित किया गया था।

*९७—श्री धूमप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि किसानों के घरों में खलिहान और कपड़े और जेवर तक सब राख हो गये उसके लिये सहायता देते समय सही जांच के लिये कोई कड़ा कदम उठाया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अग्निकांड से हुई क्षति की जांच नायब तहसीलदार द्वारा की गई थी। सब संपत्ति तो नहीं जली थी पर गल्ला, कपड़ा और जेवर का काफी नुकसान हुआ था। ६४ परिवारों को हानि हुई थी। सहायता देते समय वास्तविक क्षति और निर्धनता का ध्यान रक्खा गया था।

*९८—श्री रामसिंह (सहारनपुर)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*९९-१००—श्री हरीशकुमार गंगवार—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०१—श्री गंगाप्रसाद तथा श्री हरी सिंह—[हटा दिया गया।]

*१०२-१०३—श्री गंगाप्रसाद तथा हरी सिंह—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी जिला परिषद् के बिना इमारतों के प्राइमरी स्कूल

*१०४—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या २ नत्थी (घ) तारीख १ जून, १९६२ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् वाराणसी ने प्राइमरी स्कूलों के पास इमारतें न होने के संबंध में सरकार के पास कोई लिस्ट सन् १९६२-१९६३ में भेजी है? यदि हां, तो क्या उस लिस्ट की एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*१०५—श्री झारखंडेराय—[१५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०६—श्री विजयपालसिंह—[७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

नागर क्षेत्र ज़मींदारी उन्मूलन

*१०७--श्री रघुवीर राम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने नागर क्षेत्रों में जमींदारी तोड़ी गयी है? यदि हां, तो और कितने में बाकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२१३ में। अभी १६३ में समाप्त करना बाकी है।

एटा जिले में सड़क निर्माण

*१०८--श्री राजेन्द्रसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के फार्मूले के हिसाब से तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिला एटा के लिये कितनी मील लम्बी सड़क का निर्माण आता था तथा वास्तव में कितने मील सड़क का निर्माण किया जा रहा है?

श्री गिरधारीलाल--विभागीय फार्मूले के अनुसार एटा जिले में ४६ मील सड़कों की और जरूरत है। जिस सिद्धांत पर इस प्रकार के जिलों में चालू योजना में सड़कों की लम्बाई तय की गई है उसके अनुसार इस जिले में ६ मील लम्बी सड़क रक्खी गई है और इस पर काम चालू है।

*१०९--श्री चन्द्रजीत यादव--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*११०-११२--श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)--[हटा दिये गये।]

सराय आकिल-महिला घाट सड़क

*११३--श्री नाथूराम शिक्षक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्दर तहसील मंझनपुर जिला इलाहाबाद के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क सराय आकिल से महिलाघाट तक क्या पक्की करा दी जायेगी?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*११४--श्री नाथूराम शिक्षक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सराय आकिल मयोहर करारी मंझनपुर सिराथू जाने वाली सड़क क्या पक्की बनवा दी जायेगी?

श्री गिरधारीलाल--जी हां।

*११५--श्री टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री झारखंडेराय, डाक्टर जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़), श्री चन्द्रजीत यादव, श्री भोखालाल (जिला उन्नाव) तथा श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*११६--श्री टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री झारखंडे राय, डाक्टर जेड० ए० अहमद, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री भोखालाल तथा श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय--[९ वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बाजना में ग्राम समाज न होना

*११७--श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री सुखलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाजना, जिला मथुरा पृथक राजस्व ग्राम ८ सितम्बर, १९६१ को घोषित किया जा चुका है यदि हां, तो उसके लिये पृथक ग्राम समाज कब तक नहीं बनाया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, परन्तु उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, का संशोधन हो जाने के कारण वहां कोई गांव सम.ज स्थापित नहीं की गई।

बबेरू तहसील की इमारत बनाने की योजना

*११८---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार को पता है कि बांदा जिले की तहसील बबेरू की इमारत जीर्ण-शीर्ण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

*११९---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार को जिले के अधिकारी कमिश्नर व कलेक्टर ने भी रिपोर्ट की है कि यह इमारत तहसील के योग्य नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां।

*१२०---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार नवीन इमारत बनाने को सोच रही है? अगर हां, तो कब तक?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। इस निर्माण कार्य को आगामी वर्ष १९६३-६४ की नई मांगों की सूची में सम्मलित करने का प्रयत्न किया जायगा।

शराब बन्दी

*१२१---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केंद्रीय सरकार ने कोई ऐसा पत्र लिखा है जिसमें प्रदेश में शराबबन्दी के कार्य को अन्य जिलों में भी लागू करने को कहा है? यदि हां, तो कब और प्रदेशीय सरकार ने उस पर क्या किया है?

डाक्टर सीताराम---केंद्रीय सरकार ने शराबबन्दी के कार्य को अन्य जिलों में लागू करने के विषय में अक्तूबर, १९६१ में लिखा था। प्रदेशीय सरकार केंद्रीय आयोजना आयोग से अनुरोध किया है कि मद्यनिषेध योजना को कार्यान्वित करने के पूर्व जितनी राजस्व की हानि हो, तथा उसे कार्यान्वित करने में जो भी व्यय हो उसे permanent basis पर दें, तब इस योजना पर विचार हो सकता है।

सिकन्दराराऊ-पुरदिलनगर सड़क

*१२२---श्री लेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ की चाल योजनाओं के अन्तर्गत सिकन्दराराऊ-पुरदिलनगर सड़क बनकर कब तक तैयार हो जायेगी?

श्री गिरधारीलाल---आशा है कि यह सड़क नवम्बर, १९६३ तक बन कर तैयार हो जायेगी।

बनारसीबाग, लखनऊ में संग्रहालय भवन पर व्यय

*१२३---श्री भीखालाल---क्या सरकार यह बताने की यह कृपा करेगी कि बनारसी बाग लखनऊ में बनाया गया प्रदेशीय संग्रहालय का भवन कितनी लागत में बनकर तैयार हुआ है? और उसका निर्माण कब समाप्त हुआ?

डाक्टर सीताराम--अब तक कुल १२,१०,०८१ रुपया व्यय हुआ है। अभी भवन का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है और काम जारी है।

*१२४--श्री भीखालाल--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि कि क्या वह इस नतीजे पर पहुंची है कि यह नया भवन संग्रहालय के लिये अनुपयुक्त है और उसमें विशाल परिवर्तनों की आवश्यकता है? यदि हां, तो भवन किन कारणों से अनुपयुक्त है और उसमें किन-किन परिवर्तनों की आवश्यकता है और उसके लिये कितने अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी?

डाक्टर सीताराम--उपयुक्त है।

त्रिभाषीय योजना

*१२५--श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार उन विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी कि जिनमें त्रिभाषा योजना लागू हो गई है?

आचार्य जुगलकिशोर--अभी त्रिभाषीय योजना किसी विद्यालय में लागू नहीं हुई है।

*१२६--श्री कृष्णपालसिंह--क्या सरकार बतायेगी कि शेष विद्यालयों में यह योजना कब तक लागू हो जाने का अनुमान है?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता।

मद्य-निषेध जांच समिति की रिपोर्ट

*१२७--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम स्वरूप यादव, उपमंत्री की अध्यक्षता में जो मद्य-निषेध जांच समिति का निर्माण किया गया था उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट को सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम--जी हां, उक्त रिपोर्ट की †प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

*१२८-१२९--श्री गयाप्रसाद--[हटा दिये गये।]

सगड़ी तहसील में तकावी वसूली की जांच

*१३०--श्री उमाशंकर (आजमगढ़)--क्या माल मंत्री कृपा करके सगड़ी तहसील, जिला आजमगढ़ तथा बिन्दबल के जमुआंहरीराम, भैरोंपुर चरौआ इत्यादि ग्रामों में किसी गजटेड आफिसर को भेज कर इस बात की जांच करावेंगे कि उनमें कितने किसानों से तकावी वसूल हुई और रसीद नहीं दी गई तथा दी गई तो भी तहसील में बाकीदारों की लिस्ट में नाम दर्ज है?

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जांच परगनाधीश सगड़ी द्वारा कराई गई जिसके फलस्वरूप विदित हुआ कि ग्राम जनुआं हरी राम के केवल एक काश्तकार को शिकायत है कि लगभग ३ वर्ष के पूर्व एक अमीन को १३० रु० दिया था और उसको रसीद नहीं दी गई थी। यह भी विदित हुआ कि ग्राम भैरोंपुर चरौआ में सर्वश्री शिवदास, बल्ली, दलसिंगार, रामकेर, श्रीमती कबूतरी से तकावी की रकमें वसूल की गई थीं तथा उन्हें रसीदें भी दी गई थीं और वसूल की हुई धनराशि खजानें में जमा कर दी गई थी। परन्तु लिखा-पढ़ी की भूल से उनके नाम अमीन के बाकीदार की सूची में आ गये थे। काश्तकारों द्वारा रसीद दिखाने पर उनसे पुनः कोई वसूली नहीं की गई।

लेखपालों का अतिरिक्त वेतन तथा काबिज लिखने का अधिकार

*१३१--श्री विजयसिंह--क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एड-हाक पे ५ रु० राजकीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है? उसके अनुसार लेखपालों को यह वेतन दिया जाना क्या निश्चित नहीं हुआ है? यदि नहीं, तो यह एडहाक पे लेखपालों को कब से दी जायगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, निश्चित हुआ है और उन्हें मिल भी रहा है।

*१३२--श्री विजयसिंह--क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लेख-पालों के काबिज लिखने के अधिकार को खत्म करने पर कुछ विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक यह अधिकार कम किये जायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, यह प्रश्न अभी एक समिति के विचाराधीन है, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करने वाली है।

बार एसोसियेशन, फतेहपुर की भूमि के लिये प्रार्थना

*१३३--श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--क्या राजस्व मंत्री जिला फतेहपुर की कलेक्टरी कचहरी व जजी कचहरी के लिये अपने द्वारा प्राप्त की गई नई जमीन में से कुछ भाग जिला बार एसोसियेशन के सदस्यों के बैठने आदि के लिये भी देने की कृपा कर सकेंगे और सरकारी खर्च से बार एसोसियेशन की उतनी बड़ी इमारत बनवाने की कृपा करेंगे कि जितनी बार एसोसियेशन की मौजूदा इमारत मौजूदा कलेक्टरी कचहरी की जगह में बनी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बार एसोशियेशन, फतेहपुर स्वयं अपने निजी खर्चे से अपने सदस्यों के लिये इमारत बनाना चाहती है और इस संबंध में उन्होंने कलेक्टरी के प्रांगण की कुछ भूमि सरकार से मांगी है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*१३४--श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--[२ अगस्त, १९६२ को प्रश्न १८९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

तहसील हेड क्वार्टर, मंझनपुर

*१३५--श्री नाथूराम शिक्षक--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील हेडक्वार्टर मंझनपुर का वह स्थानान्तरण करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

सलेमपुर तहसील में घाघरा का कटाव

*१३६--श्री कैलाश--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में घाघरा, छोटी गंडक तथा धनुआ नाला से कटे ग्रामों में प्रत्येक गांव को सरकार की ओर से कितनी सहायता किस-किस मद में दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिले की सलेमपुर तहसील में केवल घाघरा नदी की बाढ़ से ५ ग्रामों के क्षेत्रफल का थोड़ा सा भाग कटा। इन ग्रामों में दी गई सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ७१६ पर)

नैपाल सीमा पर नया जिला बनाने की जानकारी

*१३७--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नैपाल सीमा के मध्य कोई नया जिला बनाने की योजना चल रही है ? यदि हां, तो कब तक यह जिला बन जायेगा और किन-किन जिलों के भू-भाग इसमें सम्मिलित किये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

लगान बन्दी आन्दोलन के अन्तर्गत करछना तहसील में बेदखली

*१३८--श्री सत्यनारायण पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लगान बन्दी के राष्ट्रीय आन्दोलन में इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के कितने किसानों की भूमि बेदखल हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

*१३९--श्री सत्यनारायण पांडेय--क्या सरकार ने इन पीड़ित किसानों की सहायता अब तक की है ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें राजनैतिक पीड़ित मान कर सरकार इनकी सहायता करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता।

हैदरगढ़ तहसील में नई सड़कें न बन सकना

*१४०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैदरगढ़ तहसील जिला बाराबंकी की किसी भी सड़क को पक्की बनाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थान नहीं मिला है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां। धनाभाव के कारण।

*१४१--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि क्षेत्रीय जनता की मांग पर हैदरगढ़ से महराजगंज तथा हैदरगढ़ से शिवगढ़ सड़क को तृतीय योजना बनाते समय विचार करने का आश्वासन सरकार ने दिया था किन्तु फिर भी इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल--धनाभाव के कारण इन सड़कों को तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में शामिल नहीं किया जा सका।

*१४२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार हैदरगढ़ से महराजगंज हैदरगढ़ से शिवगढ़ तथा हैदरगढ़ से सुबेहा सड़कों को पक्की बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक यह सड़कें पक्की हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं । धनाभाव के कारण ।

हिमांचल सरकार का देहरादून जिले के भू-भाग पर कथित अधिकार

*१४३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देहरादून जिले में हिमांचल सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की भूमि पर कब्जा किये जाने की कोई शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१४४-१४६—डाक्टर जेड० ए० अहमद तथा श्री चन्द्रजीत यादव—[१० वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

एस० डी० आई० की छटनी

*१४७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में कितने एम० डी० आई० छटनी में निकाले गये हैं और उनका कार्यकाल कितने वर्षों का था ?

आचार्य जुगलकिशोर—२७६ एस० डी० आई० छटनी में निकाले गये हैं इनमें से २५२ ऐसे हैं जिनका कार्यकाल १ या २ वर्ष से कम का है । अवशेष २४ ऐसे हैं जो दो वर्ष से अधिक सेवा कार्य कर चुके हैं ।

*१४८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त निकाले हुये एस० डी० आई० को बेकारी से बचाने के लिये उनके अनुभव और सेवाओं का ध्यान रखते हुये कोई आलटरनेटिव काम-काज देने की बात सोचेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—एस० डी० आई० तथा इसके समकक्ष सभी पद आयोग के purview में हैं अतः आलटरनेटिव कार्य देना उसी समय सम्भव होगा जब वे आयोग द्वारा आयें ।

संस्कृत पाठशालाओं की निरीक्षण व्यवस्था

*१४९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये प्रदेश कितने भागों में बांटा गया है और उनका हेडक्वार्टर कहां-कहां है, क्या मंत्री महोदय संस्कृत अध्ययन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिये एक बोर्ड आफ संस्कृत इस्टडीज की स्थापना करने पर विचार करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण के लिये समस्त प्रदेश छः भागों मे विभाजित है । इनके हेडक्वाटर्स मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर में हैं । संस्कृत अध्ययन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिये बोर्ड आफ संस्कृत इस्टडीज की स्थापना करने का सरकार का कोई विचार नहीं है ।

भूमि कर लगाने पर विचार

*१५०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश के किसानों की भूमि पर लगान या अन्य कोई भूमि-कर लगाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और किस दर से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस विषय पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ।

*१५१---श्री गयाप्रसाद---[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

उर्दू तालीम के लिए सहूलियत

*१५२---श्री मुहम्मद रफी खां---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश ने जून, १९६२ के पहले हफ्ते में एक सरकुलर के जरिये हर जिले के इंस्पेक्टर आफ स्कूल से यह मालूम किया था कि हर स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मादरी जुबान उर्दू चाहते हैं और क्या यह सही है कि इसी सरकुलर में यह हिदायत भी थी कि रिपोर्ट आखिरी हफ्ते जून में आ जानी चाहिये ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

*१५३---श्री मुहम्मद रफी खां---क्या सरकार ने रिपोर्ट इतनी जल्दी मांगते वक्त यह नहीं सोचा कि इस दरमियान में जब कि स्कूल बन्द होंगे बच्चों के मां, बाप किसको कहां जाकर बतलायेंगे कि हमारे बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं और इसका इन्तजाम किया जाय, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्न नहीं उठता ।

*१५४---श्री मुहम्मद रफी खां---क्या सरकार एक बार फिर प्रदेश के हर स्कूल में जांच करा कर उर्दू की तालीम की सहूलियत देने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, सहूलियतें दी जा रही हैं ।

बिहार, उत्तर प्रदेश सीमा-विवाद

*१५५---श्री मैनेजर सिंह---क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार, उत्तर प्रदेश सीमाविवाद के पंच निर्णय हेतु निर्णयार्थ कौन-कौन से प्रश्न विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिहार उत्तर प्रदेश सीमा में निम्नांकित विषय पंच निर्णय हेतु निर्णयार्थ हैं :

(१) क्या बलिया (उत्तर प्रदेश) तथा शाहाबाद और सारन (बिहार) के बीच स्थायी सीमा का सिद्धांत मान लिया जाय ? यदि हां, तो क्या स्थायी सीमा का निर्धारण उसी आधार पर होना चाहिये जो १९५२ में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में तय हुआ था ? अगर नहीं तो सीमा क्या होनी चाहिये ?

(२) यदि स्थायी सीमा का सिद्धान्त हितकर न हो तो वर्तमान गंगा और घाघरा नदी के धूरधारा संबंधी सिद्धान्त में क्या सुधार किये जायें ।

(३) क्या Arbitrator की राय में इस सीमा के प्रश्न का कोई और हल है । यदि हां तो क्या ?

*१५६---श्री मैनेजर सिंह---क्या राजस्व मंत्री जी बिहार, उत्तर प्रदेश सीमा विवाद की समस्याओं पर सामूहिक रूप से बिचार करने हेतु विवाद ग्रस्त क्षेत्र के विधायकों की बैठक आयोजित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी अभी आवश्यकता नहीं है ।

*१५७---कुंवर श्रीपाल सिंह---[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

रामपुर में पी० ड़ब्ल्यू० डी० कार्यालय का भवन

*१५८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि रामपुर में पी० डब्ल्यू० डी० के कार्यालय के लिये जो भवन सरकार द्वारा किराये पर लिया गया है उसका वार्षिक किराया क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—८,४०० रुपये।

*१५९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त भवन कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुये बहुत बड़ा है ? यदि हां, तो यह भवन उस कार्यालय के लिये क्यों लिया गया और पुराना भवन क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। पुराना भवन इसलिये छोड़ना पड़ा क्योंकि वह कार्यालय के लिये उपयुक्त नहीं था। किराये पर लिये हुये भवन में, अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता का निवास स्थान तथा अधिशासी अभियंता, सर्वे डिवीजन, रामपुर और डिप्टी डायरेक्टर हार्टीकल्चर (Horticulture) के कार्यालय भी हैं।

*१६०—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

मैनपुरी जिले के अमीन

*१६१—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में आबपाशी वसूल करने के लिये कितने अमीन ऐसे हैं जो हाई स्कूल पास हैं तथा कितने ऐसे ह जो मिडिल पास हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैनपुरी जिले में केवल आबपाशी की वसूली के लिये अलग से कोई अमीन नहीं है।

बांसगांव तहसील में टेस्ट वर्क से निर्मित बांध

*१६२—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या सरकार को यह सूचना है कि टेस्ट वर्क द्वारा एक बांध गोरखपुर जिला अन्तर्गत तहसील बांसगांव के ग्राम मलवली से गजपुर तक निर्माण किया गया था ? उस पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, उक्त बांध पर ११,९०५ रुपया ४६ नया पैसा व्यय हुआ था।

*१६३-१६४—श्री बालोजी अग्रवाल—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा-जगनेर सड़क पर पुल बनाने की योजना

*१६५—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा-जगनेर रोड पर खारी तथा उटंगन नदियों पर ऊंचा पुल बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक अमल होने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—इन पुलों के निर्माण का कार्य सड़कों तथा पुलों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है और इन का निर्माण तृतीय योजना के अगले वर्षों में स्वीकृत किये जाने की आशा है।

*१६६--श्री चन्द्रबली--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६७--श्री उग्रसेन--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६८-१७०--श्री काशीनाथ मिश्र--[हटा दिये गये।]

*१७१--श्री काशीनाथ मिश्र--[९ वें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न १०० के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

पिंडरा बाजार सड़क की नाली

१--श्री ऊदल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिंडरा बाजार परगना कोल असला, जिला वाराणसी से जो पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क गई है उसके दोनों पटरी पर नाली नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभाग द्वारा उसे बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क पर ४६० फिट लम्बाई में नाली बनी हुई है। आबादी के भाग में जहां नाली नहीं है वहां पर बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

२-४--श्री मतोलासिंह--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

५-७--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

८-९--श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

१०-११--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में टिड्डियों का प्रकोप

१२--श्री रघुवीरराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में तारीख २५ जून, १९६२ से तारीख १ जुलाई, १९५२ तक टिड्डी दल का काफी प्रकोप रहा ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। टिड्डियों को मारने का पूरा प्रयत्न किया गया। लगभग १४ मन जहरीली दवायें इनके नष्ट करने में खर्च की गईं। जून १९६२ में कृषि रक्षा उपकेन्द्र गाजीपुर के पास १८ टन टिड्डी नाशक जहर तथा इसको प्रयोग में लाने के लिये ४४ मशीनें थीं। जुलाई में इन जहरों की मात्रा १० टन और बढ़ा दी गई। जिलाधीश को टिड्डी बिनाश कार्य में खर्च करने के लिये ६०० रुपया दिया गया।

१३--श्री रघुवीरराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त जिले में टिड्डियों के प्रकोप से कितने की क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लगभग २० एकड़ गन्ने की फसल तथा ८६ आम, २० पीपल व ६ इमली के पेड़ों को क्षति पहुंची।

१४-१५--श्री चन्द्रबली--[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

लेखपाल को खसरे में काबिज लिखने का अधिकार देने के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट

१६—श्री भीखालाल—क्या राजस्व मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ५ व ६ दिनांक १८ मई, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिस समिति का जिक्र उक्त प्रश्नों में किया गया है उसमें कितने सदस्य विधान सभा के सदस्य थे और उनमें से अब कौन-कौन सदस्य इस विधान सभा के सदस्य नहीं रहे, तो सरकार उनके स्थान पर नये सदस्यों को मनोनीत करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आरम्भ में समिति के चार सदस्य विधान सभा के सदस्य थे जिनमें से दो सदस्य, डाक्टर विशम्भरसिंह व श्री रामलखन मिश्र, विधान सभा के सदस्य नहीं रहे। चूंकि समिति की कार्यवाही अन्तिम स्टेज पर थी और वे विधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि निजी रूप में समिति के सदस्य नियुक्त हुये थे, अतः उनके स्थान पर विधान सभा के नये सदस्यों को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा गया।

१७-१८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[माननीय सदस्य के सदन की सेवाओं से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

१९-२१—श्री उमाशंकर (आजमगढ़)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

२२—श्री भीखालाल—[११ वें मंगलवार के लिये अतारांकित प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

२३-२५—श्री उमाशंकर (आजमगढ़)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिला परिषद् के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल

२६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् गोंडा के अन्तर्गत कितने जूनियर हाईस्कूल चल रहे हैं और उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—४४ स्थानों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७१८ पर)

२७—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा चलाये गये जूनियर हाई स्कूलों में कितने स्कूलों के भवन हैं और किस प्रकार के ?

आचार्य जुगलकिशोर—४२ सम्बन्धित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ७१८ पर)

२८—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जूनियर हाई स्कूलों के भवन नहीं हैं, उनको हटा कर किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का आदेश सरकार निकालने पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

२९-३०—श्री गंगाप्रसाद—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

३१-३३—श्री रामायण राय—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

३४–३६—श्री उमाशंकर (आजमगढ़)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

३७–३८—श्री गंगाप्रसाद—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

३९—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

४०–४२—श्री अवधेशकुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

४३—श्री रामचन्द्र विकल—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

शाहगंज के कथित चकबन्दी अधिकारी

४४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सरकार के पास चकबंदी अधिकारी शाहगंज जौनपुर के बारे में शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या निर्णय किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शाहगंज जिला जौनपुर में इस समय कोई भी चकबंदी अधिकारी नियुक्त नहीं है अतः उनके विरुद्ध शिकायतें आने का, तथा उनके निर्णय का प्रश्न नहीं उठता।

४५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या उक्त अधिकारी २ वर्ष से ज्यादा जौनपुर में रह चुका है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

४६—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—उक्त अधिकारी का तबादला कितनी बार प्रस्तावित हुआ और कैंसिल किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

४७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

४८–५०—श्री मुमताज मुहम्मद (जिला बुलन्दशहर)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

५१—श्री चन्द्रबली—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

सेटिलमेंट आनरेरी कोर्ट और बटवारा कोर्ट के अस्थायी कर्मचारी

५२—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेटिलमेंट आनरेरी कोर्ट और बटवारा के अहलकारान जो कलक्टरी में काम करते थे १२ साल से ज्यादा काम करने के बाद भी वह मुस्तकिल क्यों नहीं किये?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो ने स्थायी नियुक्ति के लिये इनकार कर दिया है और एक ने अभी मेडिकल प्रमाण-पत्र नहीं दिया है। शेष के लिये स्थायी पद रिक्त नहीं हैं।

५३–५४—श्री बालोजी अग्रवाल—[१० वें शुक्रवार के लिये अतारांकित प्रश्न ३–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

५५–५६—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

५७–५९—श्री मैनेजरसिंह—[७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

६०–६१—श्री मैनेजरसिंह—[७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में पी० डब्ल्यू० डी० के ओवरसियर

६२—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतावेंगे कि आजमगढ़ जिले में सार्वजनकि निर्माण विभाग में कितने ओवरसियर इस समय काम कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि—

(क) प्रत्येक ओवरसियर के जिम्मे कौन-कौन सा निर्माण कार्य सौंपा गया है ?

(ख) प्रत्येक के जिम्मे सौंपे गये कार्यों की कीमत कितनी-कितनी है ?

श्री गिरधारीलाल—इस समय आजमगढ़ जिले में ९ ओवरसियर कार्य कर रहे हैं। इनको सौंपा गया कार्य तथा उसकी तकमीनी कीमत संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ७१९–७२२ पर)

६३–६४—**श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर** (जिला गढ़वाल)—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

६५–६६—**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय**—[१२ वें गुरूवार के लिए अतारांकित प्रश्न २४–२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

६७–६९—**श्री केशरीप्रसाद पांडेय**—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

७०–७१—**श्री काशीनाथ मिश्र**—[७ सितम्बर १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

७२—**श्री काशीनाथ मिश्र**—[हटा दिया गया ।]

जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के विरुद्ध शिकायत

७३—**श्री काशीनाथ मिश्र**—क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि बलिया जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार और रिश्वत का अड्डा बना है ? यदि नहीं तो सरकार क्या एक जांच समिति बैठाने की कृपा करेगी जो यह पता लगावे कि कार्यालय बगैर रिश्वत के न तो किसी विद्यालय के बिल को पास करता है और न किसी भी अध्यापक को स्थायी करने का आदेश जारी होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। प्रश्न नही उठता है।

मानीराम क्षेत्र में नावें लगाने की योजना

७४—**श्री अवेद्यनाथ** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले में मानीराम क्षेत्र में रोहिन नदी के पानी का स्तर इस जुलाई की बाढ़ में क्या रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७२३ पर)

७५—**श्री अवेद्यनाथ**—क्या यह सही है कि खतरे की बिन्दु को भी रोहिन का पानी पार कर गया है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितनी नावें लगाई गई थीं और गायघाट तथा करहिया आदि ग्रामों में किस तारीख को नावें पहुंचाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । अतः नाव लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

७६—**श्री अवेद्यनाथ**—क्या सरकार बतायेगी कि मानीराम निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले बाढ़ केन्द्रों पर जैसा इमरजेन्सी रिलीफ कमेटी के द्वारा १९६२–६३ की स्कीम में दिखाया गया है नावें दी गई थीं ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—फ्लड रिलीफ स्कीम के अनुसार कथित क्षेत्र में नाव लगाने की योजना इस प्रकार है:—

बढ़नी	..	..	.. ५
मनीराम	..	..	.. १७
डोमिनगढ़	..	..	.. १८

चूंकि रोहिन नदी का जलस्तर उच्च बाढ़ स्तर तक कभी भी नहीं पहुंचा। अतः बढ़नी मनीराम बाढ़ केन्द्रों पर १४ नावों और डोमिनगढ़ में १६ नावों से अधिक के लगाने की आवश्यकता ही न पड़ी।

७७-७९—**श्री कल्पनार्थसिंह**—[७ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

८०-८२—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—[७ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

इटावा जिले में चकबन्दी विभाग की फाइलें गायब होना

८३—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिल क चकबन्दी विभाग की कुछ मिसलें सन् १९६१-६२ में गायब हो गई थीं? यदि हां, तो वह किस क्षेत्र से संबधित थीं, किस गांव की थीं तथा कब गायब हो गईं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

इटावा जिले के चकबन्दी विभाग की चार मिसलें जनवरी सन् १९६२ में गायब हो गई थीं। इन मिसलों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ७२४ पर)

८४—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसके सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई? यदि हां, तो यह किसका दोष था और उसे कोई दण्ड दिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करने पर यह ज्ञात हुआ कि तीन मिसलें बन्दोबस्त कार्यालय के एक चपरासी द्वारा गायब की गई थीं, उस चपरासी को वैभागिक जांच के बाद नौकरी से हटा दिया गया (Dismissed from service) चौथी मिसल कार्यालय के एक लिपिक द्वारा गायब को गई थी जिसे निलम्बित कर दिया गया तथा उसके विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है।

८५—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल**—क्या यह सच है कि मौजा बैसोली तहसील विधूना इटावा में एक पट्टा मंसूखी प्रार्थना-पत्र सन् १९५८ में हाकिम परगना विधूना के यहां की गई थी और जब पट्टा मंसूखी का हुक्म हो चुका था तो वह मिसिल गायब हो गई? यदि हां, तो वह किसकी अर्जी थी और इस पर क्या आर्डर हुआ था तथा इस मिसिल गायब होने पर क्या हुआ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

कानपुर-लखनऊ नई सड़क बनाने का सुझाव

८६—**श्री गोपीनाथ दीक्षित**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के गंगाघाट से परियर होकर लखनऊ रोड बनाने की कोई योजना विचाराधीन है जिससे वर्तमान कानपुर-लखनऊ रोड की व्यवस्तता कम हो सके और एक नया कम दूरी का मार्ग चालू हो सके?

गिरधारीलाल—जी नहीं।

प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजेंद्रसिंह (जिला एटा)---अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १२५, १२६ और १२७ के लिये जवाब दिया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि सूचना कब तक एकत्रित हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---फिर आ जायंगे, १५ दिन में ।

२० अगस्त, १९६२ को सदन में घटी घटनाओं के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---विशेषाधिकार के संबंध में कल कई प्रश्न हमारे सामने रखे गये थे । मैं जहां तक विभिन्न नेताओं के दिये हुये विशेषाधिकार की सूचना के प्रश्न हैं उनको विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के लिये सोच अवश्य रहा हूं, लेकिन क्या प्रतिबन्ध होंगे यह निर्णय करने के लिये है । जैसा कि एक मर्तबा तय हो चुका है विरोधी दलों के नेताओं से कि शुक्रवार की सांयकाल को हम लोग बैठ कर आपस में विचार विनिमय करेंगे । मैं विभिन्न दलों के नेताओं से निवेदन करूंगा कि वे आज शाम को ५ बजे आ जायं ताकि हम निर्णय कर सकें कि क्या प्रतिबन्ध रहें इस निर्णय के संबंध में, जो विशेषाधिकार की सूचना से उत्पन्न होते हैं । शाम को तय हो जायगा ।

कई प्रश्न किये गये थे । एक प्रश्न यह था कि मैं चैम्बर में रहकर कुछ आदेश दे सकता हूं या नहीं ? इस संबंध में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में परम्परा है वह मैं आपके सामने रख दूं और जो हमारे सदन में परम्परा रही है वह भी, मैं पढ़ कर सुना दूं । पहले अपने यहां की मैं पढ़ कर सुना रहा हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब आपने अभी निर्णय नहीं लिया है और विचार की अवस्था में है तो यह खंड में जबाव क्यों दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे संबंधित नहीं है । यह प्रश्न कई दफा आ चुका है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं यह निवेदन करता हूं कि जब आप व्यवस्था दें.....

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न का उत्तर है । माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी ने यह सवाल किया था कि "I rise on a point of order Sir," "मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या जब सदन सस्पेंड हो तो उस समय मार्शल या उनके कुछ साथी किसी माननीय सदस्य को विधान भवन से निकाल सकते हैं ?"

उस पर माननीय अध्यक्ष ने यह कहा था---"जी हां, सब को निकाल सकते हैं । यही सिर्फ नहीं । अगर मैं चाहूं तो इस वक्त सदन स्थगित कर दूं और कुछ लोग यहां बैठें रहें और कुछ गड़बड़ी करते रहें तो मुझे अधिकार है कि मैं बगैर किसी कुसूर के सदन के बाहर दूसरों को भी जाने की आज्ञा दूं । सदन का कार्य चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---यह कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह मैं पढ़ रहा हूं---यू० पी० असेम्बली प्रोसीडिंग्स इन हिन्दी, वाल्युम १९७, पृष्ठ संख्या ७८५, ९ सितम्बर, १९५८ की है, जो माननीय राजनारायणसिंह को सदन से बाहर ले जाने की आज्ञा के बाद प्रश्न उठाये गये थे, उसी में से पढ़ रहा हूं ।

"अगर कुछ लोग मेरे दस मिनट सदन स्थगित करने के बाद यहां बैठे रहें, इस लिए कि दस मिनट के बाद सदन का कार्य फिर चलने नहीं देंगे तो मेरा कर्त्तव्य है कि इस बीच में उन लोगों को निकाल दूं । जब वे दस मिनट के बाद भी नहीं हटे और श्री राजनारायण को हटाने नहीं

दिया तो मैंने आध या पौन घंटे के लिए और सदन को स्थगित कर दिया। सदन का इतना नुकसान हुआ। बल्कि इसके ऊपर उस शख्स के ऊपर कार्यवाही हो सकती है जिसे कि दस मिनट के अन्दर हटना था या जिसने श्री राजनारायण को नहीं हटाने दिया। मैंने यह भी किया कि गलरीज के लोग भी हटा दिये जायं क्योंकि गड़बड़ी की अवस्था में वह भी बाधक हो सकते थे सदन के कार्य में।

मुख्य बात यह है कि सदन के कार्य संचालन का भार मुझ पर है। जो लोग गड़बड़ नहीं करते उनको भाषण का समय देना चाहिए और मैं देखता हूं कि कौन बहस कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। सदन का कार्य संचालन करने के लिए जो आज्ञा मैं आवश्यक समझता हूं, देता हूं। वह मेरा कर्त्तव्य है, वह मेरा अधिकार है।"

यह तो माननीय खेर की व्यवस्था है। अब मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, १६ वां एडिशन, पृष्ठ २४९ से अंग्रेजी में पढ़े देता हूं। तत्पश्चात् हिन्दी में अनुवाद कर दूंगा।

"The Speaker is always ready to advise Members of all parties who consult him privately whether upon any action which they propose to take in the House or upon any questions of order which are likely to arise in its proceedings."

अध्यक्ष सदैव सदन के सदस्यों को परामर्श प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में दे सकता है, चाहे वह विषय ऐसा हो जो सदन में आने वाला हो या सदन की प्रोसीडिंग्स से संबंधित हो।

"Such private rulings of the Speaker generally settle the questions at issue,"

जो विवादग्रस्त प्रश्न होते हैं वह इस प्रकार की उनके कक्ष में दी हुई व्यवस्थाओं से, निर्णीत हो जाते हैं।

"but they may, if necessary, be supplemented by rulings given from the chair."

यह हो सकता है कि सदन में पीठासीन होने के समय भी वह अपना अग्रतर निर्णय उसी सम्बन्ध में दें।

'The Speaker's rulings, whether given in public or in private, constitute precedents by which subsequent Speakers, Members, and officers are guided."

जो अध्यक्ष के निर्णय हों वह बतौर नजीर के उपयोग में आ सकते हैं चाहे फिर वह आदेश सदन में हों या सदन के बाहर अपने कक्ष में हों। निवेदन करने का अर्थ यह है कि दोनों में आप देखेंगे कि स्पीकर अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आदेश या तो सदन में रहते हुए दे सकता है या अपने कक्ष में दे सकता है, केवल इस दृष्टि से कि सदन की व्यवस्था रहे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं जो मुझ से किये गये थे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---कल मैंने अध्यक्ष की इसी रूलिंग का हवाला देते हुए आपत्ति की थी तो आपने कहा था कि वह रूलिंग आप नहीं मानेंगे। मैंने कहा था कि जब सदस्य अनुपस्थित हैं तो यह नहीं लिया जा सकता। तो आपने कहा कि मैं उसे नहीं मानूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा था कि मैं देखूंगा। 'नहीं मानूंगा' यह मैंने नहीं कहा---

जर्नल आफ सोसाइटी आफ क्लर्क्स ऐट दि टेबिल के १७ वें वाल्यूम में से मैं आप के सामने पढ़ रहा हूं। पृष्ठ २५८---

"In Committee of Supply on September 9, 1948, when the Chairman was giving a Ruling, a member made an interjection to the effect that the Ruling was that of the Clerk of the House."

[श्री अध्यक्ष]

अपत्ति यह थी कि आपकी रूलिंग जो आप दे रहे हैं वह रूलिंग तो हाउस में जो लिपिक हैं उनकी दी हुई है, क्लर्क वहां सचिव को कहते हैं।

"The incident was reported to Mr. Speaker, who in the course of a statement made to the House on the following day pointed out that it was the duty of the Clerk of the House to advise the Chairman and said,

"As it is my duty to protect officials of the House, I wish to point out that any reference to them on the floor of the House, whether to their advantage or disadvantage, is highly improper and detrimental to the best Parliamentary traditions."

कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सामने एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उपस्थित होता है कि मेरे मार्शल ने क्या किया या मेरे अधिकारियों ने क्या किया उसके सम्बन्ध में सदन के अन्दर वार्तालाप करना या विचार करना या चर्चा करना, यह कम से कम ब्रिटिश पार्लियामेंट में उच्च परम्पराओं के प्रतिकूल समझा जाता है।

इसी प्रकार से उसी जनरल के वाल्यूम १८ के पृष्ठ २२० पर यह है कि—

"I feel it my duty as Speaker, under whom the officials of the House of Assemly serve, to take a strong exception to the allegation that Broederbonders hold all the important positions in the House of Assembly because this is not the case and Hon'ble Members know that the officials are not in a position to protect themselves against false allegations made against them."

कहने का मतलब यह है कि एक आरोप यह लगाया गया था कि एक विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का एक झुंड असेम्बली के समक्ष मुख्य स्थानों को रोके हुये है उस पर स्पीकर ने कहा कि सदन के अन्दर इस प्रकार की आपत्ति उपस्थित करना विशेषकर जब कि वह मेरे आफिसर्स हैं और वह आफिसर्स ऐसे ह कि जो सदन में समुपस्थित हो कर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ठीक नहीं है।

और अन्त में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान वाल्यूम नम्बर ५ जनरल आफ दी सोसाइटी आफ क्लर्क्स ऐट दि टेबिल के पृष्ठ १९९ की ओर आकृष्ट करता हूं —

"If any complaint or representation is at any time made to the Speaker for the time being of the misconduct or unfitness of any clerk, officer, messenger or other person attendant on the House of Commons, the Speaker may cause an inquiry to be made into the conduct or fitness of such person.

If thereupon it appears to the Speaker that such person has been guilty of misconduct or is unfit to hold his situation, the Speaker may, if such clerk, officer, messenger or other person has been appointed by the Crown, suspend him and report such suspension to the Governor-General, and, if he has not been appointed by the Crown, suspend or remove him".

इसका मतलब यह होता है कि अगर इस असेम्बली के अफसरान् या इस असेम्बली के और सेवक कोई गलती करते हैं, मिस कांडक्ट करते हैं, उनका व्यवहार अनुचित है या वह अयोग्य हैं तो उस दशा में यह बात स्पीकर के ध्यान में लानी चाहिये जो उस सम्बन्ध में वे अन्वेषण करके अपना निर्णय दें और उचित कार्यवाही करें।

माननीय गेंदासिंह जी ने कल एक बात कह दी कि पिछले २०० वर्षों में कोई इंगित नहीं किया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पुलिस नहीं गई। उस सम्बन्ध में मैं कह दूं कि १९३१ में ब्रटिश पार्लियामेंट में एक सज्जन इंगित हुये थे। उस पोर्शन को माननीय उग्रसेन जी ने स्वयं पढ़ा था. . . .

श्री उग्रसेन—वह पुलिस द्वारा नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष---हां, ठीक है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---ब्रिटिश पार्लियामेंट में शायद यह है कि वहां पर स्पीकर किसी पार्टी का आदमी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---मैं यह बतलाऊं कि---

"The important duties performed by the Police in the Parliaments of the Commonwealth is obvious to the most casual visitor."

कोई साधारण रूप से पार्लियामेंट को देखे तो पता चलेगा कि पुलिस पार्लियामेंट के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। अगर आप आज्ञा दें तो सचिव इसको पढ़ दें? मुझे खांसी आ रही है।

श्री उग्रसेन---इसको पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, १५वें एडीशन का १०५ का पन्ना आप देखने का कष्ट करें। मैं आप की आसानी के लिये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह तीसरा और चौथा पैरा है---

"For nearly two centuries this form of punishment had been in abeyance, no case of suspension having occurred since 1962."

श्री उग्रसेन---माननीय गेंदासिंह जी वाला जो एडीशन है वह पहला है और मैंने जो पढ़ा ह वह बाद वाला है।

श्री अध्यक्ष---इसमें केवल इंगित करने का प्रश्न है। यह १२७ पृष्ठ पर है। आप इसको स्वयं देख सकते हैं। मैं इसको पढ़ता नहीं हूं।

अब मैं वह विषय रखता हूं जो पार्लियामेंट के अन्दर पुलिस के आने से सम्बन्ध रखता है। जहां पर पार्लियामेंट सिस्टम की व्यवस्था है और उसके अनुकूल शासन होता है वहां के सम्बन्ध में यह चीज है। इसे मैं आप के सामने रखता हूं:---

"and they have become an indispensable adjunct to the Parliamentary system of Government. As well as maintaining order and preventing the intrusion of unauthorized persons, they have their part to play in the ceremonial of Parliament and sometimes, as at Ottawa, where the Royal Canadian Mounted Police are on duty a very colourful part. A sessional order of the British House of Commons directs that the police shall keep the streets leading to the Houses of Parliament free and open, and that no obstruction shall be permitted to hinder the passage thereto of the Lords or Member of the Commons. The Police accordingly give every facility to Members and officials of the two Houses to cross the street and approach the Houses of Parliament without interruption and when necessary hold up the traffic for this purpose. The police maintain order in the lobbies and corridors of the House of Commons and the only occasion on which they were called into the Chamber for this purpose was in 1901 Twelve Irish Nationalists had been suspended but refused to leave the Chamber, and Speaker Gully eventually sent for a body of police to remove them. Nine of the Irish men fiercely resisting to the last, were borned on the shoulders of constables out of the Chamber amidst a tremendous uproar.

[श्री अध्यक्ष]

During the session the House of Commons has an Inspector, a sergeant, and 28 constables on duty under the control of the Sergeant-at-Arms, the cost being borne by the House of Commons. The Metropolitan Police have performed duty at the Houses of Parliament since the constitution the Force in 1829."

तो मेरा निवेदन यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में १९०१ में पुलिस को चेम्बर के अन्दर बुलाया गया था। वैसे वे कोरीडोर्स में और लाबीज में व्यवस्था के लिये रहते हैं। तो वहां भी ऐसी बात नहीं है कि पुलिस नहीं बुलायी जाती और जैसा मैंने निवेदन किया, मैं स्वयं नहीं चाहता कि पुलिस आये।

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात और निवेदन करना है कि जब मैं कक्ष में था, मैंने यह आदेश अवश्य दिया था कि जो लोग बाधा डालें उनको सदन से निकाल दिया जाय। मेरा केवल अर्थ यह था और मैं चाहता था कि वह सभा मंडप से निकाल दिये जायं किन्तु उस आदेश का पालन यों हुआ कि वे सदन के बाहर ले जाये गये। परिसर के बाहर, सड़क पर ले जाये गये, इतनी गलती जरूर हुई। मेरी भी गलती थी। मुझे स्पष्ट कर देना चाहिये था कि सदन से मेरा मतलब सभा मंडप से है न कि बिल्डिंग से। तो मेरी भी गलती थी और मेरे अफसरों की भी गलती थी और अपनी तथा अपने अफसरों की गलती के लिये मैं इस सदन के सामने खेद प्रकट करता हूं। यह गलती हुई। मेरा यह अभिप्राय नहीं था, न मैं यह चाहता था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक जानकारी चाहता हूं। वह यह कि मार्शल को आपने पहले से ही आज्ञा दे कर भेजा था, कि जो बाधा डालें उनको हटा दो या बाद में आज्ञा दी?

श्री अध्यक्ष—मैं यहां से कह कर गया था, मेरा खयाल है प्रोसीडिंग्स में शायद होगा। मैं यह कह कर गया था कि १० मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं। मार्शल जिन सदस्य का निलंबन किया गया है, उनको हटा दें। चार, पांच मिनट बाद उन्होंने रिपोर्ट की कि वह नहीं जाते।

श्री उग्रसेन— श्रीमन्, अभी आपने जो उद्धरण पढ़े मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस से, जरनल से और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली से और उसके साथ कुछ बात हाउस आफ कामन्स की भी कही कि वहां आयरलैंड का जो क्रान्ति का आन्दोलन चल रहा था उसके लिये वहां के मेम्बरों ने काफी जोर शोर से आवाज़ बुलन्द की, काफी कुर्बानियां कीं, तो वह पुलिस द्वारा निकाले गये थे। मैं आप की जानकारी के लिये बतला दूं कि हाउस आफ कामन्स में या दिल्ली की संसद में पुलिस नहीं है, वहां गार्ड्स हैं।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं बतला दूं।

श्री उग्रसेन—मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आज नान आफिशियल डे है।

श्री उग्रसेन—यह चर्चा तो आपने छेड़ी है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, आपने छेड़ी है।

श्री उग्रसेन—नहीं, मैंने नहीं छेड़ी। हमारी बात तो इसके बाद आयेगी। दूसरी बात यह है कि इंगित करने का जो आपका हथियार है प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत वह धारा ३०२ कतल का अधिकार आप के हाथ में है। आप और कुछ नहीं कर सकते, इंगित कर सकते हैं। तो यह प्रश्न विचारणीय है कि अध्यक्ष इंगित करने का अधिकार कब इस्तेमाल करे।

दूसरा प्रश्न यह है कि कल काशीनाथ जी इंगित हो गये और एक महीने के लिये आपने प्रस्ताव मार दिया .....

श्री अध्यक्ष—इस वक्त मैं विशेषाधिकार के बारे में निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन—तीसरी बात यह है कि इंगित करने के बारे में तो मैंने यह कहा। मैंने कहा कि यह हमारी गलती है। लेकिन श्रीमन्, इसे देखें, शायद इस पर आपकी निगाह नहीं गयी कि आपने उनको निकालने का आदेश नहीं दिया था। आपने यह आदेश नहीं दिया था कि राधेश्याम, नत्थाराम और रामआसरे जी को निकालो। लौट कर मार्शल ने आपको रिपोर्ट नहीं दी। इसे विधान सभा के समक्ष रखने का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ। यह है जहां कानून की पूर्ति....

श्री अध्यक्ष—आज शाम को मैं आपसे बातचीत कर लूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानून अपनी जगह पर है और उसका पालन अवश्य होना चाहिये। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरह के कानून हैं, करीब-करीब हमारे यहां भी उसी तरह के कानून हैं।

श्री अध्यक्ष—आप शाम को मुझसे मिल लें।

श्री श्यामलाल—मैं इतना और कहना चाहता हूं कि यह कानून होने के बावजूद भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस आफ कामन्स में दो सौ, तीन सौ वर्षों में बहुत कम मेम्बरों को निकाला गया। तो जहां सभी पार्लियामेंट के अध्यक्षगणों को पावर्स हैं, राइट्स हैं, वहां उनकी कुछ ड्यूटीज़ और रिसपान्सिबिलिटीज़ भी हैं। मैं कहूंगा कि यदि आप पावर्स ऐंड राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए ड्यूटीज़, रिसपान्सबिलटीज़ को भी मद्देनजर रखें तो सैकड़ों वर्षों में भी कोई सदस्य न तो कभी इंगित किया जायगा, न सस्पेंड होगा और न रिमूव होगा।

(करतल ध्वनि)

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—श्रीमन्, जैसा कि आप ने कहा कि चलते समय सदन को स्थगित करने के बाद आपने आज्ञा दी मार्शल को तो वह कार्यवाही में होगा ही। केवल मार्शल के कहने पर ही उन माननीय सदस्यों को हट जाना चाहिये था, पर....

श्री अध्यक्ष—आप समझे नहीं हैं, मैंने इंगित व्यक्तियों को जिनका निलंबन किया गया है उनको हटाने के लिए कहा था।

श्री रघुनाथ—किन्तु जो आदमी बिना इंगित किये हुए हटाए गए, आपकी आज्ञा से, मार्शल के कहने से....

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जाइये। (व्यवधान) कृपया शांत रहें।

२० अगस्त, १९६२ को सदन में घटी घटना के बारे में मुख्य मंत्री द्वारा कथित असत्य वादन के संबंध में विशेषाधिकार की अवेहलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं माननीय उग्रसेन जी ने कुछ लिख कर भेजा है, उसको पढ़ता हूं। वह इस प्रकार है—

मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ६४ के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं —

"कल विधान सभा में जब बिना किसी प्रस्ताव के पुलिस ने बर्बरता पूर्वक सोशलिस्ट सदस्य सर्व श्री राधेश्याम शर्मा, शिवनार्थासिंह, रामआसरे वर्मा, नत्थाराम रावत को घसीट कर सदन से बाहर निकाल कर सड़क पर फेंका। माननीय मुख्य मंत्री सदन में मौजूद थे। उन्होंने

[श्री अध्यक्ष]

सत्य पर पर्दा डाल कर यह कहा कि सोशलिस्ट सदस्यों को पुलिस से हाथापाई हुई, सोशलिस्ट सदस्य निर्दयतापूर्वक पुलिस द्वारा निकाले गये। सोशलिस्ट सदस्य शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठे थे। इस प्रकार मुख्य मंत्री ने सदन में सत्य को छिपाया और आदरणीय सदन का अवमान किया। अतः मुख्य मंत्री का यह आचरण आदरणीय सदन का अवमान है।"

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को मंगाकर देखा तो उसमें, जिन शब्दों के प्रयोग के बारे में माननीय उग्रसेन जी ने लिखा है, वे शब्द प्रयोग नहीं किये गये हैं कि सोशलिस्ट सदस्यों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई। उन्होंने जो भाषण यहां दिया था उसमें यह कहा था कि—"मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित किया कि २ व्यक्ति, जिनके नाम उन्होंने अभी लिये, उनके साथ कोई अभद्र बरताव हो गया। मैं अपनी जगह से यहां पर बैठा हुआ यह तो नहीं देख सकता था कि कौन व्यक्ति सिपाहियों के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं लेकिन इतना मैं जरूर देख रहा था कि जिन दो व्यक्तियों को हटाने की बात थी, उनके यहां से हटाये जाने के कार्य में उधर कुछ २–४ व्यक्ति बाधा डाल रहे थे और वह उनको यहां से नहीं निकालने देना चाहते थे, यह दृश्य मैंने यहीं से देखा, वे बाधा डालने वाले कौन थे यह मैं नहीं कह सकता क्योंकि सभी के नामों में से मैं परिचित नहीं हूं। इसलिये यदि पुलिस का इस्तेमाल आप के आदेश से होता है और २ व्यक्ति जो निकाले गये हैं उनको हटाने का पुलिस प्रयत्न करती है और उस समय यदि कुछ लोग उनके निकाले जाने में बाधा डालते हैं तो हो सकता है कि इस तरह से बीच में आने वाले व्यक्ति कुछ थपेड़ में आ सकते हैं, इस तरह से कैसे पुलिस अलग रखी जा सकती है और बीच बचाव कराया जा सकता है.....वगैरह वगैरह।" तो जिन शब्दों का इस्तेमाल माननीय उग्रसेन जी ने अपनी सूचना में किया है वह मुख्य मन्त्री के भाषण में नहीं मिलते।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान थे और उन्हीं के सामने पुलिस अन्दर घुसी और इन ४ सोशलिस्ट सदस्यों को उठाकर बाहर ले गयी। श्रीमन्, कार्यवाही में से बहुत सी बातें, जो यहां पर कही गयी ह, निकाल दी गयी हैं और प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है, लिख दिया गया है कि प्रस्ताव पेश हुआ। मैं मिसाल के लिये बताऊं कि गवर्नर महोदय जब यहां बैठे हुये थे तो मैंने निवेदन किया था कि आप इतने बड़े मंत्रिमंडल को पहले भंग कर दीजिये, तब सम्बोधन करें, वह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये गये। कोई नहीं कह सकता है कि मैंने वह बात नहीं कही थी। बहुत से पत्र हैं जिसमें लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट सदस्य पुलिस से हाथापाई करते हैं। एक तो यह कह कर माननीय मुख्य मन्त्री जी हमको बदनाम कर रहे हैं और दूसरे वह बात कह रहे हैं जो सत्य नहीं है। सदन में जो घटना घटी उस पर वे अंधकार की छाया डाल रहे हैं। इसमें दो राय नहीं हैं कि उन्होंने कहा है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे रहे और उन्हीं की पुलिस बर्बरता के साथ उनको हटाती रही। माननीय मुख्य मंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, सभी विभाग अपने हाथ में लिये हुये हैं। गृह मंत्री देख रहे थे कि उनकी पुलिस बर्बरता से उनको हटा रही थी, जिन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा था। दूसरी बात, मुख्य मंत्री ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य लड़ रहे थे, यह सत्य पर पर्दा है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। उग्रसेन जी ने अभी आप से कहा है कि बहुत सी बातें कही कुछ जाती हैं, लिखी कुछ जाती हैं, इन शब्दों से सदन का अवमान अवश्य होता है, यह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन—वह तो मैंने घटना बतलायी और उदाहरण दिया था....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, नियम ६८ के उपखंड ३ में स्पष्टरूप से अनुपस्थिति के कारण लिख कर भेजने चाहिए, उसके पहल कार्यवाही चल ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष---यह आवश्यक उस वक्त होगा जब मैं उनको नोटिस दूं और बुलाऊं। अभी मैंने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। जब दे दूंगा तब उनसे पूछूंगा कि क्या जवाब है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, नियम तो यह है कि नोटिस तो हम ही दे देते हैं, दो कापी देनी पड़ती हैं।

श्री उग्रसेन---नोटिस मैंने उनको दे दिया है।

श्री अध्यक्ष---नियम ६७ तृतीय अंश यह है कि "जब अध्यक्ष ने नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति देने से इन्कार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो वे शिकायत को सदन में पढ़ कर सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि वे सम्मति देने से इन्कार करते हैं या वे उसको नियमानुकूल नहीं ठहराते हैं।" तो मैं उसमें कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---यह तो शिकायत के सम्बन्ध में है जो किसी सदस्य के विरुद्ध हो, लेकिन ६८ में जिस सदस्य के विरुद्ध शिकायत दी जायगी उसके बारे में नियम हैं, वही लागू होंगे।

श्री अध्यक्ष---मेरी रूलिंग यह है कि मैं माननीय सदस्य के विरुद्ध जब तक कि अपनी सम्मति न दे दूं विशेषाधिकार के सम्बन्ध में, मैं उनसे नहीं पूछंगा।

अब मैं विशेषाधिकार के सम्बन्ध में पढ़ रहा हूं। यह संकलन १९५२-५७ तक का है। इसके पृष्ठ १३१ पर एक व्यवस्था है। यहां पर प्रश्न यह उठा है कि कोई रुकावट डाल रहा था या नहीं? कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि डाली जा रही थी और कुछ का कहना है कि नहीं डाली जा रही थी। अब सवाल पड़ जाता है कि ऐसी स्थिति में क्या विशेषाधिकार का कहना है का प्रश्न उठता है?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---उसके पहले एक बात सुन लें। माननीय वीरसेन का कहन है कि दो ही बाधा डाल रहे थे। गुप्ता जी भी यही कह रहे थे। वह गवाह हैं।

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। मैं उग्रसेन जी के प्रस्ताव पर कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष और किसी सदस्य के कथन की असत्यता के विषय में यदि वाद-विवाद हो तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

२१ अक्तूबर, १९५४ को शिक्षा मंत्री के कथित असत्य भाषण पर श्री राजनारायण के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को अवैध करार देते हुये श्री अध्यक्ष ने एक बहुत विस्तृत व्याख्यापूर्ण समीक्षा की और निम्न निर्णयात्मक वाक्य कहे---

"किसी को झूठा कहना यह सदन की प्रथा के विपरीत है, बल्कि ऐसे समयों में यदि ऐसा आक्षेप किया जाय तो ऐसे आरोप को वापस लेने की प्रथा सदन की है। क्योंकि किसी के कथन को 'झूठा', शब्द से सम्बोधन करना अनपार्लियामेन्टरी होने के कारण ऐसे संबोधन को वापस लेना चाहिये। यदि एक सदस्य कहता है कि एक बात सत्य है और दूसरा कहता है कि वह असत्य है, तो इस प्रकार के वाद प्रतिवाद पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना यह बहुत ही अनुचित है।"

अब यहां एक वाद-विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अमुक बात हुई है और कुछ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई। एक पक्ष कहता है ऐसी बात हुई और उधर से इसका प्रतिवाद होता है। यदि ऐसे वाद-प्रतिवाद पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय तो इस ओर दोनों पक्षों से तो कोई व्यक्ति अपने विचार इस सदन में स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त कर ही नहीं सकेगा। जब तक कोई ऐसा तथ्य न हो जिससे किसी बात के संबंध में निश्चित रूप

[श्री अध्यक्ष]

न कहा जा सके, या सदन के सामने बात हुई हो, और विवाद न हो तब तक ऐसा प्रश्न उठाना गलत है, कोई बात कही गयी और उसकी बुनियाद पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न लाना, इसका मतलब यह होगा कि इस सदन में कोई बात आजादी से कही ही नहीं जा सकेगी। जैसा कि एक बार कहा गया कि मिल मालिकों के पास १० करोड़ रुपया बाकी है। फलां जगह इस तरह से बाढ़ आयी है, वहां सब कुछ बह गया, लेकिन दूसरी तरफ से कहा गया कि ऐसी बात नहीं हुई। तो क्या इस बात पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जायगा ? यदि उसके बारे में कोई विषेशाधिकार का प्रश्न उठाया जा सके तो माननीय उग्रसेन जी भी नहीं बचेंगे क्योंकि उन्होंने जो यह सूचना दी है, वह सिद्ध नहीं होता कि उन शब्दों का प्रयोग किया गया जो उसमें लिखे हैं। अब अगर इस पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाये तो इसका मतलब यह होगा कि यहां कोई व्यक्ति आजादी से बात न कर सकेगा।

श्री उग्रसेन---आप मेरी बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---जब तक मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, आप कुछ नहीं बोल सकते।

श्री उग्रसेन---आपने मुख्य मंत्री को सुना नहीं। मैं सभी अखबार आपके चरणों में रखूंगा।

श्री अध्यक्ष---उसका भी उत्तर दूंगा। कुछ साल पहले १९४६-५२ की रिपोर्ट में, इसी प्रकार का एक आरोप माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यहां माननीय गुप्ता जी, जो उस समय मिनिस्टर थे, उनके विरुद्ध इस प्रकार का प्रश्न उठाया था "...तीसरी से सातवीं बातों से असत्य भाषण तथा सच को छिपाने का सफल प्रयास किया गया है। आठवीं बात से उच्छृंखल भाषण तथा नियम उल्लंघन है। यह सभी बातें सदन का अपमान हैं और विशेषाधिकार की अवहेलना है।"

इस प्रकार से विशेषाधिकार का प्रश्न उन्होंने उठाया। इस पर बहुत लम्बी विवेचना करते हुये अन्त में इस आरदणीय सदन के अध्यक्ष ने यह कहा था "लेकिन जैसे असत्य बात कहना जुर्म नहीं है और सिर्फ अदालत में या गवाह की हैसियत से असत्य बात कहना जुर्म है इसी तरह से किसी माननीय सदस्य का इस आदरणीय सदन में असत्य बात कहना बुरा होते हुये भी इस समय के कानून के अन्दर विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं कहा जा सकता।"

इस तरह से कोई बात सत्य है या असत्य, इस बात पर कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

अब माननीय उग्रसेन जी ने सदन के बाहर की बात कही है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, कही ही नहीं गयी, वह अखबारों में भी छपी है।

श्री अध्यक्ष---कही गयी हो लेकिन जो सूचना मेरे समक्ष है वह यह है कि इस सदन के अन्दर कुछ बातें हुई थीं। अगर आप समझते हैं कि बाहर भी इस तरह की कोई बात हुई और उसके संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आपकी तरफ से दिया जायगा तो उस पर मैं विचार करूंगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है इसमें मैं इस सूचना को अस्वीकृत करता हूं।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, इसमें कहां तक सत्यता है इस पर आप स्वयं विचार कर लें कि स्वयं माननीय वीरसेन कहते हैं कि दो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने ही बाधा डाली जिनको कि निकाला जा रहा था जब कि ४ सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से बाहर निकाल कर फेंक दिये गये। यह चीज सदन के समक्ष हुई और हमारे गवाह तो वे ही हैं।

लघु उद्योग मंत्री के सभा-सचिव श्री वीरसेन---मैंने यह नहीं कहा था।

श्री अध्यक्ष––माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने एक बात कही और वह कुछ अंश में ठीक है। उनका कहना है कि माननीय शिवनाथसिंह और माननीय राधेश्याम इन दो माननीय सदस्यों के विरुद्ध ही माननीय वीरसेन ने अपने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद––उन्होंने यह भी कहा है कि मैं बिलकुल वहीं पास खड़ा था।

श्री अध्यक्ष––माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोलने दें और बीच में कोई ऐसी बात न खड़ी करें जिससे प्रश्न का कुछ संबंध न हो।

२० अगस्त, १९६२ को सदन में घटी घटनाओं के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष––अब मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि माननीय राधेश्याम जी का जो कल बहुत व्याकुल थे कि उनका बयान हो जाय, आज बयान हो जाने दिया जाय। कल मैंने उनको इसलिये रोका था कि विरोधी दल के सभी नेताओं की तरफ से जो सूचना आयी थी उसके बारे में उनके विचार जानना चाहता था। माननीय राधेश्याम जी, एक बात मैं निवेदन कर दूं कि इस पर मैंने पहले ही पर्याप्त समय दे दिया है इसलिये आप दोनों माननीय सदस्य ५–५ मिनट में ही अपना अपना वक्तव्य दे दें तो अच्छा होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––श्रीमन्, मैं प्रयत्न करूंगा। श्रीमन्, यद्यपि मेरा उस घटना से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जब समाचार-पत्रों में मेरे जिले की जनता नें इस समाचार को पढ़ा होगा तो उसने यही समझा होगा कि मैं किसी तरह से भी इस सदन में बैठने लायक व्यक्ति नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, सरकारी पक्ष से आप जरा कह दें कि अब तक वे इतना कहते रहे, तो मेरी बात तो सुन लें। जो सत्यता है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कल जो बात कही गयी वह तो सब बिलकुल सुनी सुनायी बात कही गयी। डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने जो बयान दिया वह भी सुनी सुनायी बातों के ऊपर था। वे यहां तो थे नहीं जो सारी घटना को देखते। उन्होंने सूचना के आधार पर कुछ बातें कहीं। बाबू गेंदा सिंह जी आई विटनेस हैं, उन्होंने सारी बातें देखीं जो यहां हुईं। उस दिन जब कि यह घटना घटी, जहां उपाध्यक्ष महोदय विराजमान हैं, वहां मैं बैठा हुआ था। जब आप उस दिन सदन स्थगित करके चले गये थे तब मैं यहां शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। मुझे मथुरा से थोड़ी देर पहले ही बड़ी जल्दी में सदन में आना पड़ा। मुझे उस घटना का पहले से जो सदन में बीती थी, कोई ज्ञान नहीं था। सच्ची बात का पता लगाया जाय, क्योंकि सारा मामला आपके सामने ही हुआ तो मैं आकर बैठा ही था कि यहां पुलिस आयी और उनके साथ ही मार्शल भी आये। मुझसे किसी ने नहीं कहा कि आप यहां से हट जांय, क्योंकि मुझे कुछ सदस्यों को निकालना है। उसका नतीजा यह हुआ कि मैं वहीं बैठा रहा और पी० ए० सी० के लोग जब वहां आये तो उन्होंने शायद यही समझा कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसे निकाला जा रहा है या हो सकता है कि जानबूझ कर यह कार्यवाही की गयी हो। माननीय गेंदा सिंह जी आई विटनेस हैं, जब पुलिस आयी तो मैं वहां बैठा हुआ था और मार्शल ने कहा कि इनको उठाओ। चूंकि मैं पश्चिमी जिले और ब्रज का रहने वाला हूं इसलिये मुझे तो मार्शल द्वारा प्रयोग किये हुये शब्दों का बुरा नहीं लगा, लेकिन पूरब वालों के साथ इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता तो उसे असंसदीय भाषा की संज्ञा दी जा सकती है, जिसे मैं सदन में नहीं कहना चाहता हूं। ब्रज में उसे बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोगों के लिये वह बिलकुल ही अनुचित और असंसदीय भाषा थी। उसे सदन के सामने कहने

[श्री राधेश्याम शर्मा]

व उसे दोहराने में मैं कोई गौरव की बात नहीं समझता, क्योंकि मैं ऐसा यहां कहना भी सदन की मर्यादा के खिलाफ समझता हूं और उसको अपना गौरव नहीं समझता । उसके बाद माननीय बाबू गेंदासिंह आई विटनेस हैं, मैंने मार्शल से कहा कि इन पुलिस के सिपाहियों को मेरे पास से हटाओ, मैं तो न सदन से निकाला गया हूं और न मैं इंगित किया गया हूं और न हीं मैंने कोई कानून तोड़ा है, आप क्या मुझ को गलत समझ कर मुझे पकड़ रहें हैं और जूझ रहें हैं । लेकिन वह इतने उत्तेजित थे कि उन्होंने कोई मेरी बात नहीं सुनी । मेरा खयाल है कि मैं भी एक देहात का रहने वाला हूं, अब तो मैं यहां का सदस्य हूं, लेकिन इससे पहले भी कभी अपने जिले में या कहीं भी किसी पुलिस के सिपाही व पुलिस के बड़े से बड़े अफसर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आम जनता के किसी भी आदमी के साथ यहां जो मेरे साथ हरकत हुई वह करे । माननीय गेंदा सिंह जी आई विटनेस हैं, इससे ज्यादा मैं और साक्षी नहीं दे सकता । जब बार-बार आग्रह किया तो ४ माननीय सदस्यों ने मेरी गर्दन पकड़ी, वह तो यह कहिये कि मेरे शरीर में कुछ थोड़ी शक्ति थी जो मैं बच गया नहीं तो न जाने क्या हो जाता, उधर सिपाही मुझे खींच रहे थे साथ-साथ सदस्य, दूसरी ओर खींच रहे थे जिस से मुझे इस तरह से पुलिस बाहर न ले जाय, मैं उन सदस्यों का नाम नहीं जानता, उस वक्त की भगदड़ में ध्यान न कर सका । दो पुलिस के सिपाहियों ने मेरे हाथ पकड़े और दो ने पैर और मेरी उस वक्त एक अजीब हालत थी, वह मुझे यहां से पकड़ कर एक कमरे में न जाने पहले क्यों ले गये, वहां रखना चाहते थे या क्या....

श्री अध्यक्ष---यह सब बातें आप यहां कहेंगे तो फिर इन्क्वायरी में परेशानी होगी ।

श्री राधेश्यामशर्मा ---उस के बाद वह मुझे सड़क पर जाकर पटक आये । मैं ज्यादा डिटेल में न जाकर केवल तथ्य ही यहां प्रकट करूंगा । मैंने आज तक कभी भी कोई सदन का अवमान नहीं किया है और न कोई आप की हुक्मअदूली ही की है और न सदन के कार्य-क्रम में कभी बाधा डाली है, लेकिन बिना किसी कारण के ही पुलिस मुझे उठाकर इस बुरे तरीके से बाहर ले गई । मैं चाहता हूं कि पूरी चीज स्पष्ट हो जाय । यह दूसरी बात है कि यहां पक्ष में और विपक्ष में भिन्न-भिन्न बातें कहीं जायं । मैं माननीय वीरसेन जी के प्रस्ताव की कद्र करता हूं, वह तो उसमें बहुत कुछ कह गये, लेकिन माननीय गेंदा सिंह और श्री झारखंडे राय जी आई विटनेस हैं और इधर के और उधर के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था और कोई नियम की अवहेलना नहीं की । मुझे कभी सन्तोष नहीं हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष आप खेद प्रकाश ही करके इस घटना को टाल दें ।

श्री अध्यक्ष---ऐसा आप न समझें ।

श्री राधेश्यामशर्मा ---मैं बता दूं कि मेरा कसूर यह था कि मैं यहां कुर्सी पर बैठा था और अगर यहां उस समय न होता तो इस तरह से न निकाला जाता । मैं बता दूं कि सूरत यह थी कि मैं यहां बैठा था और यह दोनों सदस्य इधर बैठे थे । इस तरफ जिधर उग्रसेन जी बैठते हैं इधर से भी उन दोनों इंगित सदस्यों को निकाला जा सकता था और अच्छी तरह से वह हटाये जा सकते थे, लेकिन शायद उधर से मार्शल साहब ने समझा कि वह दल के नेता हैं उधर हाथ न डालो, यही नया सदस्य है इन पर ही हाथ डालो और इसीलिये पुलिस ने मेरे पर हाथ डाला, नहीं तो वह आसानी से उधर से ले जाये जा सकते थे, मुझे घसीटा गया जब कि मेरा कोई कसूर नहीं था । यह जनतंत्र की मखौल होगी तो क्या होगा, मैं तो हुक्म मानता हूं आप की बात मानकर बैठ जाऊंगा, लेकिन इस तरह काम नहीं चल सकता । मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने इनटेंशनली मुझे छेड़ा, माननीय गेंदा सिंह आई विटनेस हैं और श्री झारखंडे राय हैं और दूसरे सदस्य भी हैं । अब अगर जो कुछ हुआ उस को यह कहकर टाला गया ।

श्री अध्यक्ष---टाला नहीं जायगा, क्यों आप परेशान होते हैं ।

श्री राधेश्याम---श्रीमन्, वह बड़ी ही खेदजनक घटना हुई है, आप उचित कार्यवाही करें, इतना कहकर ही मैं समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अब माननीय श्रीपाल सिंह कुछ कहना चाहते थे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, ४ आदमी निकाले गये और वीरसेन जी..

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जांय, मैंने कुंवर श्रीपाल जी को बुलाया है ।

श्री उमा शंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं । बात यह है कि क्या माननीय वीरसेन जी का प्रस्ताव जो है उसको आपने स्वीकृत कर लिया है । जैसे मेम्बर सफाई दे रहे हैं, अभी आपने कहा....

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर, आप बैठिये । मैंने श्रीपाल जी को बुलाया है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं भी उस समय जब घटना घटी मौजूद था बिलकुल उसी स्थान पर । जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कान से सुना अगर उसको सदन के सामने न रखूं तो बड़ी भारी गलती होगी । जिस समय मार्शल पुलिस ले कर आये उसके ४ सेकेन्ड बाद वहां पहुंच गया था, काफी भीड़ हो गई थी । माननीय राधेश्याम जी और शिवनाथ सिंह जी कोने वाली कुर्सियों पर थे । लाल पगड़ी वालों ने पहले राधे श्याम जी का हाथ पकड़ा और उसके बाद वह नहीं उठे तो उनको छोड़ कर अलग हो गये । अलग हो कर मार्शल की तरफ उन्होंने देखा कि अब क्या करें । मार्शल ने कहा इनको हटाओ । जब हटे नहीं तब फिर पुलिस वाले लपके, जो देखा है वही मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---जब वह लाल पगड़ी वाले आये, उनका व्यवहार कोई अनुचित रहा ?

कुंवर श्रीपालसिंह---मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ा, जिसके लिये यह कहूं वह अपनी परिधि से बाहर गये । उनका तो काम था, वह बुलाये गये, यह बात दूसरी है कि क्यों बुलाये गये किसने बुलाया, मगर जिस कार्य के लिये वह बुलाये गये थे उस कार्य के करने में उन्होंने अपनी परिधि से बाहर काम नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---मार्शल के बारे में कोई शिकायत है ?

कुंवर श्रीपालसिंह---मार्शल को मैंने यह शब्द कहते नहीं सुना "इस कमीने को हटाओ" जैसा डाक्टर अहमद साहब ने कहा । मैंने यह सुना था इनको भी हटाओ ये शब्द मैंने सुने । हां, एक पी० ए० सी० का आदमी था, उसने जरूर कुछ इस किस्म का बात की जो नहीं करनी चाहिये थी । एक कोई सदस्य मोटे मोटे थे, मैं उनका नाम नहीं जनता, वह पिछली वाली सीट में थे, आगे वाली में नहीं थे, पिछली वाली सीट में कोने में थे और जब राधे श्याम जी और शिवनाथ सिंह जी को उठा रहे थे तो पीछे से कुछ उनको पकड़ रहे थे या क्या कर रहे थे, लेकिन कुछ कर रहे थे । उस वक्त पी० ए० सी० वाले ने उनकी गर्दन पर हाथ रख कर झटका दिया और जहां चपरासी खड़ा है यहां आये तो उसने कमर में घुटने से ठोकर दे करके गेट से बाहर कर दिया । उसने जरूर इस किस्म की हरकत की जो अवांछनीय है ।

श्री अध्यक्ष जो पीछे सज्जन खड़े हुये थे वह माननीय शिवनाथ सिंह या राधेश्याम जो को पकड़े हुय थे ?

कुंवर श्रीपालसिंह—झुके हुये थे, मैं नहीं जानता श्रीमन्, क्या कर रहे थे। अब कुर्सी के नीचे वह क्या कर रहे थे मैं कैसे देख सकता हूं। अब यह कहना कि पुलिस क्यों आयी, क्यों यह घटना हुई, यह बात दूसरी है? मगर इतना जरूर कहूंगा यह जितनी भी घटनायें हुईं, जो बिना कसूर लोग निकाले गये या जिनके ऊपर बिना कसूर हमला हुआ है, या उनकी मानहानि हुई है, या जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी, आप क्षमा करेंगे श्रीमन्, आप पर है और वह इसलिये है कि जब एक पार्टी इस बात का एलान करती है हम शाश्वत सत्याग्रह कर रहे हैं तो आप उस पार्टी को ऐसी जगह पर क्यों बैठाते हैं जो एक ही सीट में सब नथे हुये हैं अगर बीच में कोई आदमी बैठा हो और उस आदमी को हटाना हो, मार्शल या किसी को छोड़ दीजिये, जब एक लाइन में ५, ७ आदमी बैठे हुये हैं बीच से एक आदमी को कैसे हटाया जाय जब तक कि किनारे के आदमी को नहीं हटाया जायगा। क्या कोई यह सोच सकता है कि पुलिस का सिपाही मेज पर चढ़ कर एक आदमी को बीच में से निकाल ले। अगर मेज पर चढ़ता है और जरा सा धक्का दिया जाता तो नीचे गिर जाता। तो यह तै था कि जब तक तीन आदमी नहीं निकाले जायेंगे, बीच का आदमी नहीं निकाला जा सकता। अध्यक्ष महोदय, की जब यह आज्ञा थी कि इस आदमी को न निकाला जाय तो मार्शल और पुलिस उस आज्ञा का पालन करने के लिये आये। मेरा यह भी निवेदन है कि लाल पगड़ी वाली पुलिस जो आई थी वह डर रही थी। जब तक उसको मार्शल नहीं कहते थे जब तक वह नहीं हटाती थी, पीछे हट जाती थी।

यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट की गलती है। इस बात को गवर्नमेंट के ऊपर डालना बिल्कुल निरर्थक है। मैं कल ही इस बात को देख रहा था कि मामला बिल्कुल साइड ट्रेक किया जा रहा है। किस की गलती है, क्या कहना चाहिये इसको छोड़ कर सीधे पुलिस पर हमला हो रहा था। मालूम होता था कि पुलिस ने ही सब कुछ कर डाला। हम लोग यहां पुलिस को बहुत गालियां देते हैं, लेकिन एक चीज निवेदन करता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य हो वह हजरतगंज टहलने जाय और चार गुंडे वहां आ जांय तो वे जिस पुलिस को यहां गालियां देते है वही पुलिस उनको बचायेगी। पुलिस एक मशीनरी है और उस मशीनरी को इस्तेमाल करने वाला आदमी कहां उसे लगाता है यह देखने की चीज है। पुलिस की गलती कुछ नहीं थी। पी० ए० सी० के एक आदमी ने उस दिन जो किया, उसे भी मैंने निवेदन कर दिया जो मैंने देखा था।

एक बात मैं श्रीमन्, से भी कहना चाहता हूं और उसके लिये आपसे क्षमा भी चाहता हूं। आपकी जब रूलिंग हो जाती है तो हमारे पास कोई जाबता नहीं सिवा इसके कि हम जांय हाईकोर्ट और रिट दायर करें और हर बात के लिये रिट करना अजीब सी चीज होगी इसलिये आपसे मेरा निवेदन है कि आप जरा आज्ञा रुक कर दिया करें।

एक चीज और आपसे निवेदन करनी है। मैंने जानबूझ कर यह चीज नोट की है। कल एक दिन में ४४९ दफा "आर्डर" शब्द का अपने प्रयोग किया है। पिछली असेम्बली में श्रीमन्, रहे हैं। आपने देखा होगा कि शायद पिछले अध्यक्ष ने ५ वर्षों में एक बार भी 'आर्डर' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—वह 'आर्डर' शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करते थे। स्थान ग्रहण कीजिये वह कहते थे।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, यह भी आपसे निवेदन है कि आपकी टोन जरा सख्त है। आप जरा अपनी टोन बदल दें और 'आर्डर' शब्द का प्रयोग न करें।

एक निवेदन यह और है कि जिस स्थान पर सोशलिस्ट हैं उस स्थान पर स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर भेज दिये जांय तो सारा झगड़ा खत्म हो जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब आपने यह रूलिंग रिजर्व रखी है और यह प्रश्न है कि

प्रिविलेज कमेटी में यह प्रश्न भेजा जाय तो यहां इस समय यह जो सदन में एविडेंसेज हो रही हैं यह नहीं होना चाहिये। आपके सामने प्रश्न यह है कि इसको प्रिविलज कमेटी में भेजा जाय या न भेजा जाय। जो एविडेंसेज हैं वे वहां होतीं।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, कल आपने सब नेताओं को सुनने के बाद आज अपनी व्यवस्था देने के लिये कहा था। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न है, कम से कम सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—जो सूचना विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से आयी थी उस पर हम ने माननीय राजेश्याम आदि को नहीं सुना था। कल मैंने कहा था कि इन लोगों को सुना नहीं है, इसलिये कल, यानी आज, के लिये रूलिंग देने को कहा था।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मेरा था, उसको आपने पढ़ा नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आप व्यवस्था दें। (व्यवधान)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटनायें सदन के अन्दर हुईं उनसे हर एक सदस्य को अफसोस होना चाहिये और इस संबंध में जिस नजरिये को सामने रख कर डाक्टर जेड० ए० अहमद का बयान हुआ वह सराहनीय है। उसमें दोष की मात्रा कम और अपने हृदय को टटोलने की मात्रा अधिक है कि संसदीय परम्पराओं और प्रणाली को हम ढंग से किस तरह से चला सकते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने जो किया वह गलत किया और मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन जो बातें उसके अलावा इस सदन के अंदर हुई उनसे भी मैं सहमत नहीं हूं, संसदीय प्रणाली को चलाने के लिये यह आवश्यक है कि खजाने की गद्दी पर बैठने वाले सरकार, विरोधा पक्ष और आप, ये सब मिल कर यह कोशिश करेंगे कि ये संसदीय प्रथायें चलती रहें तभी चल सकती हैं। अगर इसमें किसी तरह से भी खामी होगी तो फिर यह तय बात है कि संसदीय प्रथायें नहीं चल सकेंगी और इस मामले में हम ही गुनहगार नहीं है, बल्कि इसकी सब से बड़ी गुनहगार सरकार है, इसका रवैया है जो आज का नहीं, बल्कि उस दिन से शुरू हुआ जबकि अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ कर चले गये थे और जब इस सदन के अन्दर विरोध पक्ष बहुत थोड़ा था। उस समय सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन पवित्र परम्पराओं को कायम रखे, उनको बल प्रदान करे ता कि इस देश के अन्दर संसदीय प्रणाली काम कर सके।

श्री अध्यक्ष—भगवान सहायजी, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि जो विशेषाधिकार की सूचना आयी है उसको क्या किया जाय।

श्री भगवान सहाय—मैं उसी पर कह रहा हूं। मैं आपके द्वारा खजाने की गद्दी पर बैठने वाले तमाम सदस्यों और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने इस सदन का और इस सदन के सदस्यों का मजाक उसी दिन उड़ाना शुरू कर दिया जिस दिन आपने पार्लियामेंट और असेम्बली के मेम्बर जिस कमेटी में शामिल हों उसको प्रेसाइड करने का हक तहसीलदार और कानूनगो को दे दिया। आज जिन कमेटियों में लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा व विधान परिषद् के सदस्य शामिल होते हों, उसको बी० डी० ओ० एवं तहसीलदार प्रीजाइड करते हैं, यह है मजाक संसदीय परम्पराओं का। इसके गुनहगार हम नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय आप नहीं हैं, बल्कि सरकार है।

श्री अध्यक्ष—अब आप कृपया बैठें।

श्री भगवान सहाय—भीमन्, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—भगवान सहाय जी, देखिये, माननीय श्री पालसिंह जी ने कहा है कि मैं 'आर्डर' न कहूं। लेकिन क्या कहूं? शान्त रहिये कहूं?

श्री भगवान सहाय—अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा था कि आप केवल ५ मिनट बोलिये।

श्री भगवान सहाय—अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि सदन के हुदूद कहां तक हैं। इसके बारे में आप भी कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी दिन नवलकिशोर जी ने पी० ए० सी० की ताकत से हम लोगों को सदन में आने से रोका तो कहां से हुदूद शुरू होते हैं, कहां नहीं हैं, इसका कुछ पता नहीं चलता है। अगर हम सदन में आयें तो यह पकड़ सकते हैं, सीढ़ियों पर जांय तो यह पकड़ सकते हैं, बरामदे में यह पकड़ सकते हैं। नवलकिशोर जी पढ़े लिखे आदमी हैं और अगर उसी दिन आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रोसीडिंग्स देख लीं और कर्नल ट्राइब की नजीर उनके सामने आ गई तो वह सब जगह पकड़ सकते हैं। हमें कौन प्रोटेक्शन देगा? हमको प्रोटेक्शन देने वाले आप हैं। धीरे-धीरे यह सरकार सारी जगह को हड़प करती चली जा रही है। यह कहते हैं कि सदन की परम्परा हम तोड़ते हैं। हां, यह हो सकता है कि हम से गलती हो जाय। कल हम से कहा गया कि हम कानून न तोड़ें। लेकिन ऐसी अवस्था आ सकती है।

श्री अध्यक्ष—अब माननीय सदस्य.....

श्री भगवान सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट चाहूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि कानून शिकनी न हो। हो सकता है कि एक व्यक्तिगत मेम्बर आवेश में कानून तोड़ दे। कानून ऐसा बनाना पड़ता है कि कानून शिकनी वाले को सजा हो, लेकिन बदले की भावना न हो, लेकिन कानून तोड़ना गलत बात है, हम भी जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं कि सार्जेन्ट-एट-आर्म्स हाउस आफ कामन्स में एक जिम्मेदार जगह होती है, वहां के बादशाह इसको Royal Warrant से appoint करते हैं और यह एक वहां रिटायर्ड अफसर होता है, जैसे जनरल या एडमिरल होता है। लेकिन यहां एक क्लार्क को मार्शल बना दिया है। उसका कुछ स्टेटस नहीं है, उसकी कुछ शख्सियत नहीं है। दोनों की शख्सियतों में बड़ा फर्क है।

श्री अध्यक्ष—अब तो.....

श्री भगवान सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और चाहूंगा। कल भी मुझे मौका नहीं दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—अच्छा बोलिये।

श्री भगवान सहाय—भीमन्, हाउस आफ कामन्स में क्लार्क आफ दी हाउस हमारे यहां Secretary of Assembly के बराबर की पोस्ट है। Clerk की पोस्ट कुछ ऊंची मानी जाती है; यहां पर Secretary Assembly का कोई status नहीं है। उग्रसेन जी की कानून तोड़ने की बात लोगों की समझ में आती है लेकिन सरकार की कानून तोड़ने की बात लोगों की समझ में नहीं आती है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके अलावा मैं अपने साथी देहरादून के माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि जो घटना यहां हुई कि सदन से बाहर बिला इंगित किये गये मेम्बर निकाले गये, आपको आर्डर देने का हक है लेकिन हमें कम्यूनिकेट न हो, यह कहां की बात है? आप आर्डर दें और हमें सुनाया न जाय? अगर हमें सुनाया जाता तब तो ठीक था। लेकिन हमें सुनाया न जाय तो गलत है।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप कमेटी के सामने बहस कर लें। यहां कहने की क्या आवश्यकता है ?

श्री भगवान सहाय—श्रीमन, उन्होंने कहा कि हाउस आफ कामन्स में निकाले जाने का प्रश्न दूसरा था, उन मेम्बरों ने सार्जेंट को बलपूर्वक नहीं रोका ; हाउस आफ कामन्स की १९३१ को प्रोसीडिंग्स जो उन्होंने पढ़कर सुनाई थी, उसमें ऐसा वाकया नहीं हुआ था, यह उनकी गलत फहमी है बिल्कुल एकसा केस हुआ था उस केस में बलपूर्वक मेम्बरों ने उन मेम्बरों को जिन्हें इंगित किया गया था निकालने से रोका। उस वक्त तरीका क्या हुआ? सार्जेंट-ऐट-आर्म्स ने दूसरे दिन रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई मुझे शब्द याद हैं :—

"*Conduct of certain members vide* page 1607 of House of Commons Debate, Vol. 254.

Mr. Speaker. I have received a report from the Serjeant at Arms which I think, it is my duty to read to the House.

2nd July, 1931.

SIR,

I have the honour to report that, this afternoon, when carrying out your instructions, to remove the hon'ble member for Shettleston, the Messengers of the House, who were acting under my orders, were forcibly obstructed in the execution of their duty by certain members of Parliament.

I have the honour to be, Sir,

Your obedient Servant,
(Sd.) COLIN KEPPEL,
Admiral,
Serjeant-at-Arms.

The Right Hon'ble the Speaker, M. P.,
House of Commons.'

श्री अध्यक्ष—१२ मिनट आप बोल चुके हैं। अब आप खत्म कीजिये।

श्री भगवान सहाय—उसके बाद सदन की सेवा से अलग करने का मोशन आया। उन लोगों ने माफी मांग ली और उनको अध्यक्ष ने क्षमा कर दिया।

आज माननीय गुप्ता जी मौजूद नहीं हैं। एक बात मैं उनसे भी कहना चाहता था, लेकिन उनके साथी आज मौजूद हैं। वे उन तक मेरी बात पहुंचा देंगे। जब गेंदासिंह जी ने दस मिनट के लिये सदन स्थगित करने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं यह आखिरी बार मौका देता हूं। सुलह के लिये जितना भी समय दिया जाय उतना अच्छा है। बिस्मार्क सबसे बड़ा फोर्स को मानने वाला था। उसने कहा है—

"You can do everything at the point of bayonet, but you cannot sit on them."

हर काम आप फोर्स से कर सकते हैं, सदस्यों को निकाल सकते हैं, लेकिन सदन नहीं चला सकते हैं बिना रजामन्दी के।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरसेन जी, शिवनाथ जी हैं नहीं। मैं समझता हूं कि उनको मैं नोटिस दे दूं। २८ तारीख को उनको सुन कर आप बोल लीजियेगा बजाय इसके कि आज कहें।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्रीवीरसेन)---अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मौका दे दें। लेकिन मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि पांच मिनट का बन्धन न हो, क्योंकि जितने प्रश्न उठे हैं उन सबका जवाब देना है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं दो मिनट चाहता हूं अपना स्पष्टीकरण देने के लिये। नेताओं ने मेरा व्यक्तिगत और सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया है। स्पष्टीकरण के लिये एक ही मिनट का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष---उस रोज कह दीजियेगा जब माननीय शिवनार्थसिंह बोलेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। सब समय तो सोशलिस्ट पार्टी वाले ले लेते हैं। बाकी लोग बैठे हैं। हमारा नम्बर कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं "आर्डर, आर्डर" कहूं या क्या कहूं ?

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ की दो सूचनाएं आयी है। एक बाढ़ के संबंध में है। यद्यपि वह विलम्ब से आयी थी, तथापि मैंने माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है; और माननीय सूबेदारसिंह की व्यक्तिगत होने के कारण अस्वीकार कर दी है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---जो सूचना बाढ़ के संबंध में आपने माननीय राजस्व मंत्री के पास भेजी है, कृपा करके उसे तो सुना दीजिये।

श्री अध्यक्ष---सुन लीजिये। माननीय कृष्णपालसिंह, माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद, माननीय शारदानन्द ने भेजा है।

"गोरखपुर, बस्ती, देवरिया आदि पूर्वी जिलों की हालत बाढ़ के कारण अत्यन्त चिन्ताजनक है। बाढ़ का पानी खतरे के बिन्दु को पार कर रहा है। सुरक्षा की कोई व्यवस्था बिलकुल अपर्याप्त है। सैकड़ों ग्राम बह गये हैं। हजारों आदमी तथा पशु बेघरबार हो कर अत्यन्त निरीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अस्तु आपसे निवेदन है कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ५३, ऊपर ५२ लिखा है, नीचे ५३ लिखा है,

के अनुसार उक्त विषय पर विषय को अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

यह मैंने राजस्व मंत्री को भेज दिया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---कल जो मेरा नियम ५२ का था उसको आपने कहा था कि भेज दिया है। मुरादाबाद गोलीकांड के विषय में था। तो वह कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---सोमवार को आयगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---बाढ़ के सम्बन्ध में गोरखपुर की हालत बड़ी खतरे में जा रही है। कल कलेक्टर से मैंने टेलीफोन पर बातचीत की थी। गोरखपुर के कलेक्टर ने मुझसे यह कहा कि उन्होने मंत्री जी को यह टेलीफोन किया था कि हमको आप राय दें कि अब हम क्या करें, स्थिति खतरनाक होती जा रही है। अभी मेरे पास श्री केदारनाथ गुप्त, मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, का तार आया है कि घाघरा बरहज में खतरे के बिन्दु से दो फुट ऊंची चली गई है। खतरे का बिन्दु १८ फुट पर है और पानी २० फुट पर चला गया है। मंत्री जी सोमवार को वक्तव्य देंगे, लेकिन गोरखपुर डूब जायगा तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो उस स्थिति पर मंत्री जी भी कुछ प्रकाश डालते चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना हालत तो यह है कि ४० लाख आदमी गोरखपुर, देवरिया और बस्ती के बाढ़ में फंसे हैं, उनके लिये कोई नाव का इन्तजाम नहीं है, उनका घरद्वार नहीं रह गया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—(राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री से ही मेरी भी दरख्वास्त होगी। अगर आप इजाजत दें तो कह दूं वरना उनको दो बार उठना पड़ेगा।

राजस्व मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मुझे दस मर्त्तबे भी बोलना पड़े तो मैं बोल सकता हूं।

मुझे आदेश हुआ है २७ तारीख को बयान देने का। मैं सब इत्तिलात इकट्ठा कर रहा हूं अप टु डेट। और २७ को सब बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन का यह कहना है कि पानी दो फुट खतरे के बिन्दु से ऊपर पहुंच गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह मैं कह नहीं सकता।

श्री उग्रसेन—मेरे पास तार आया है।

श्री अध्यक्ष—तो वह तार आप उनको दे दीजियेगा।

श्री उग्रसेन—मैं दे दूंगा। लेकिन कल माननीय मंत्री जी ने सदन में यह कहा कि कलेक्टर ने उनसे कहा कि वह सक्षम हैं, सब ठीक कर लेंगे और शाम को कलेक्टर ने मुझसे कहा कि हमने माननीय मंत्री जी से मदद मांगी है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो मुझसे बात हुई वही तो मैं कहूंगा। जो आपसे हुई वह आप कहेंगे।

श्री उग्रसेन—यह कलेक्टर तो आप ही के हैं, उन्हीं के बल पर तो आप शासन चलाते हैं।

श्री गेंदासिंह—मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि जो गोरखपुर, देवरिया, बस्ती से सूचना आयी है और आज सवेरे टेलीफोन पर मेरी देवरिया के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने मुझे खबर दी कि वाटर लागिंग, ऊपर से वर्षा और नदियों से ऐसी बाढ़ वहाँ आयी है और ऐसी हालत वहां है जैसी पहले कभी नहीं हुई थी, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि काम उचित समझें तो पांच या सात दिन के लिये इस सदन को स्थगित कर द और जो रिलीफ के काम हैं उस काम में माननीय राजस्व मंत्री जी भी और हम लोग भी जाकर जुटें और जो कुछ हम लोगों से सेवा हो सके वह करें।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं भी चाहता हूं कि हम लोगों को यह मौका मिले और मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। माननीय मुख्य मंत्री जी आज वहां गये हुए हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम भी चले जायेंगे। सदन भी होता रहेगा और यह काम भी चलता रहेगा। सदन को एक हफ्ते के लिये स्थगित करना ठीक नहीं मालूम होता।

१ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४–३६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

राजस्व मन्त्री के सभा–सचिव (श्री बृजविहारी)—श्रीमन्, विधान सभा की दिनांक १ जून, १९६२ की बैठक में श्री राजेन्द्र सिंह यादव द्वारा पृष्ठ तारांकित प्रश्न संख्या

[श्री बृजबिहारी]

३४–३६ के संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि फर्रुखाबाद तहसील के जो चार अस्थायी लेखपाल निकाले गये थे वे इस विभाग में कितने दिन से कार्य कर रहे थे। उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि सब की मुद्दत ८ वर्ष से कम थी। वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। उक्त चार लेखपालों में से तीन लेखपालों की सेवा अवधि ८ वर्ष से कुछ अधिक थी और शेष एक लेखपाल की सेवा ८ वर्ष से कुछ कम थी।

मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ण' आेर पृष्ठ ७२५ पर)

अध्यक्ष—श्री शारदाभक्तसिंह अब अपना संकल्प उपस्थित करेंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र के निलम्बन पर आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं आपसे एक व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि कल जब सदन की कार्यवाही अन्तिम कड़ी पर चल रही थी तो पांच बजे के बाद तीन बार सदन का समय बढ़ाया गया और आपने एक बार पहले व्यवस्था दे रखी है कि आप जो समय सदन का है उसका सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों में बराबर आवंटन कर देते हैं और उसी के हिसाब से दोनों पक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं। तो अन्त में जब केवल चार ही पांच विरोधी पक्ष के सदस्य रह गये, माननीय काशीनाथ मिश्र, एक दो जनसंघ के माननीय सदस्य और माननीय राधेश्याम शर्मा यहां बैठे हुये थे, तो उस समय माननीय काशीनाथ जी मिश्र तृतीय वाचन के अवसर पर कुछ बोलना चाहते थे, पांच मिनट की मांग वह बोलने के लिये कर रहे थे, उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने एक बदले की भावना से उन्हें एक महीने के लिये निलम्बित करने का प्रस्ताव रख दिया जो कि हिन्दुस्तान के लेजिस्लेचर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या उस समय काशीनाथ जी को हक नहीं था कि विरोधी समय का इस्तेमाल करें जिसका बंटन आपने किया था और जिसके ऊपर पहले से यहां पर काम होता चला आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं उस संबंध में बाद को निवेदन कर दूंगा। अब इस समय माननीय शारदा भक्तसिंह अपना प्रस्ताव रखें।

श्री रामेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरे नाम भी यह प्रस्ताव है . . . .

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, इसमें विरोधी दल के अपमान का प्रश्न है। कल उनको यहां से निकाल दिया गया। वह नियम के अनुसार बोलना चाहते थे कि उनको बोलने का समय दिया जाय। यह उनका अधिकार था, परन्तु आपने इस पर आपत्ति उठाई कि उनको बोलने का समय नहीं दिया जायगा। आपकी तरफ से यह व्यवस्था की गई कि उनको एक मास के लिये इस सदन से निष्कासित किया जाय और उनको एक मास के लिये निलम्बित कर दिया गया। यह उनके साथ अन्याय हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब क्या है और आप क्या चाहते हैं?

कुंवर तेजभानसिंह—हम लोग जो यहां पर चुनकर आये हैं वे सब गरीब लोगों के प्रतिनिधि हैं और गांवों में कार्य करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के अच्छे कार्यकर्त्ता हैं। इस प्रकार से जो हमारे साथ बरताव किया जा रहा है यह अन्याय है और हम इसको बरदाश्त नहीं करेंगे, आपके इस अन्यायपूर्ण रवइये को सहन नहीं करेंगे। हमारी प्रार्थना है कि वे एक तरह से बिलकुल निर्दोष हैं।

श्री अध्यक्ष—आप यह बतलाइये कि आप चाहते क्या हैं ।

कुंवर तेजभानसिंह—आप उनको वापस बुलाइये । हम यह चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—यह मेरे अधिकार की बात नहीं है। सदन की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—हमारी भी एक प्रार्थना है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठ जायं।

कुंवर तेजभानसिंह—यह हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है और हमारे अधिकारों की हत्या हो रही है.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं। (व्यवधान)

कुंवर तेजभानसिंह—मैं नहीं बैठूंगा। यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आपका प्रस्ताव क्या है और क्या आप चाहते हैं ?

कुंवर तेजभानसिंह—मेरा यही कहना है कि श्री काशीनाथ जी को वापस बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके लिये आपको कह चुका हूं कि यह मेरा अधिकार नहीं है। यह सदन को अधिकार है। सदन ही यह कर सकता है।

कुंवर तेजभानसिंह—आप यहां पर पुलिस को बुलाते हैं और यहां की .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आप कोई प्रस्ताव भी नहीं कर रहे हैं। जो बात आपने कही उसका मैंने जवाब दे दिया कि माननीय काशीनाथ जी को वापस बुलाना मेरे अधिकार में नहीं है।

राजस्व मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न.....

(व्यवधान)

कुंवर तेजभानसिंह—हम जनता के प्रतिनिधि हैं और देहात से यहां पर चुनकर आये हैं ....

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते हैं तो आप सदन छोड़ दीजिये।

कुंवर तेजभानसिंह—हमारे साथ अन्याय का व्यवहार किया जाता है .. .

श्री अध्यक्ष—अगर आप सदन नहीं छोड़ेंगे तो मुझे आपको इंगित करना पड़ेगा

कुंवर तेजभानसिंह—हम लोग जनता के प्रतिनिधि.....

श्री अध्यक्ष—देखिये, अगर आप सदन नहीं छोड़ते हैं और बराबर इसी प्रकार का व्यवहार करते चले जाते हैं तो मैं आपको इंगित करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय तेजभान सिंह जी को एक मास के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि माननीय तेजभानसिंह जी को एक मास के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—८३, विपक्ष में—५३।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न स्वीकृत हुआ। माननीय तेजभान सिंह जी सदन छोड़ दें।

(माननीय तेजभान सिंह के सदन न छोड़ने पर।)

श्री अध्यक्ष—मार्शल, आपको सदन के बाहर कर दीजिये।

(मार्शल के कहने पर भी माननीय सदस्य अपने स्थान से नहीं हटे।)

श्री अध्यक्ष—मार्शल, आप हाथ पकड़ कर उनको बाहर ले जाइये। मैं आदेश देता हू ।के हाथ पकड़ कर बाहर ले जाइये।

श्री उग्रसेन—अपने सर पर वह नहीं ले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—जो मेरा आदेश होगा वह वही करेंगे।

(इस पर भी माननीय सदस्य अपने स्थान से नहीं हटे।)

श्री अध्यक्ष—मैं सदन के सब विरोधी दल के नेताओं से उस दिन की तरह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को सदन से बाहर ले जाने का वह प्रयत्न करें। (व्यवधान)

श्री उग्रसेन—काशीनाथ जी एक महीने के लिये कल रात ९ बजे निकाले गये उस समय आपने नेताओं को क्यों नहीं बुलाया?

(विरोधी पक्ष के नेताओं के न उठने पर)

श्री अध्यक्ष—अगर विरोधी दलों के नेता असमर्थ हैं तो मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वे बलपूर्वक माननीय सदस्य को बाहर निकालें।

(व्यवधान)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—(मार्शल द्वारा तेजभानसिंह को उठाने का प्रयत्न करते समय) अध्यक्ष महोदय, यहां बलपूर्वक माननीय सदस्य को बाहर निकालने की कोई परिपाटी आदि .... (व्यवधान)

(मार्शल श्री तेजभान सिंह को उठाकर सदन के बाहर ले गये।)

श्री उग्रसेन—उनको इस तरह से टांग कर बाहर ले जाया गया, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता .... (सोशलिस्ट पार्टी की ओर से घोर व्यवधान, प्रजा समाजवादी पार्टी के सदस्य चुपचाप सदन के बाहर चले गये) हम अहिंसा का पालन करते हैं, माननीय गुप्त, जी की सरकार टैक्स बढ़ाना चाहती है और मार्शल माननीय सदस्य को टांग कर फेंक रहे हैं मेरी विरोधी दलों के नेताओं से अपील है.... (सोशलिस्ट सदस्यों ने मेजें जोर जोर से थपथपाईं तथा सदन में घोर अशांति हुई।)

श्री अध्यक्ष—मैं आधे घंटे के लिये सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय १ बजकर ३५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल और आज जो माननीय सदस्यों को एक एक महीने के लिये निलंबित किया गया, मैं उस बारे में कतई कुछ नहीं कहूंगा कि उनका निलंबन उचित किया गया या गलत। यह दूसरी चीज है। मगर इतना अवश्य कहूंगा मैं कि यह जो कुछ भी हुआ वह बहुत अधिक

हुआ। उतना नहीं होना चाहिये था उसके लिये मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करूंगा कि वह बड़े भाई हैं। उनको अपना बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिये। उनको उसकी मर्यादा रखनी चाहिये। हो सकता है कि हम कहीं गलती करें। मैं मानता हूं कि हमारे अन्दर भी खामियाँ हैं। मगर जब ऐसी नौबत आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं, उस समय हमें जो नहीं करना चाहिये वह भी हम कर जाते हैं। मगर मैं उनसे यही कहूंगा कि वे इसे बड़े होने के नाते एवं अपना बड़प्पन रखने के नाते इसे बरदाश्त करें। वे अपना इस तरह से बड़प्पन दिखलावें कि उसका हम पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े।

मैं एक चीज और सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पक्ष से जब उनकी तरफ से, कोई इस प्रकार की चीज आती है जैसे गुस्सा है या बदले की भावना है तो यह तो तय है कि हम लोगों पर भी, हमारे हृदयों पर भी उसका असर पड़ता है और उस समय जो नहीं करना चाहिये वह भी हम मजबूरन कर बैठते हैं।

एक बात और मैं कहूंगा कि यह जो हरकतें हो रही हैं, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाय वह थोड़ी है। परन्तु उसके साथ साथ यह भी है कि उधर की तरफ से जो बड़ी गरमी दिखलाई जाती है, वह भी अच्छी नहीं है। यह मैं मानता हूं कि कुछ लोग इस प्रकार का काम तय कर लेते हैं कि इस किस्म के काम किये जायेंगे। पर पता नहीं यह सही है या गलत। यह मैं नहीं जानता हूं। तो इसके लिये क्या रास्ता है? वह रास्ता जो कुछ भी हो, परन्तु यह नहीं है जो इस समय है। आप तो अपनी तरफ से गुस्सा दिखलायें तो हम भी मजबूर होंगे, श्रीमन् कि हम उसकी खिलाफत करें, अन्यथा जैसी पहले सरकार थी तो उस समय भी इस प्रकार के अवसर आये, परन्तु इतनी हद तक नहीं जितनी कि अब है। इसलिये मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा सरकारी पक्ष से कि वह अपने बड़प्पन को न छोड़े। वह मैजारिटी में है, उनके हाथ में राज्य है। इस सदन में जितने हैं सब मेम्बर हैं, चाहे वह सरकारी पक्ष के हों और चाहें वह विरोधी दल के हों। उस नाते हम सब एक हैं। इसलिये जब एक हैं तो उनको बड़प्पन नहीं छोड़ना चाहिये। उससे हम को तकलीफ होती है। अन्त में मैं कहूंगा कि यह जो निलंबन हुआ है एक एक महीने के लिये, उस पर फिर से विचार किया जाय और वह जो मैजारिटी वाला पक्ष है वह अपना बड़प्पन कायम रखने का प्रयत्न करे। यह जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे बड़ा ही दुख हुआ है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाई कुंवर श्रीपाल की बातें सुनी और मित्रों से भी बातें हुई। मैं क्या बताऊं? जौनपुर के लोगों के सम्पर्क में आने से गरमी आ ही जाती है, उसको मैं रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि गरमी न आनी चाहिये, मैं कैसे यकीन दिलाऊं और अगर एक मर्तबा कोई प्रोवोकेशन हो, दो मर्तबा हो, तीन मर्तबा हो तो वह प्रोवोकेशन रोका जा सकता है, लेकिन बार बार प्रोवोकेशन पर हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, कोई फरिश्ता नहीं हैं, हममें भी इनसानी कमजोरियाँ हैं, मुमकिन है उनसे मुतास्सिर हो कर कोई बात हुई हो, लेकिन इस तरफ के लोगों का कोई मंशा नहीं होता कि उधर के लोगों की दिलआजारी हो। लेकिन मजबूरियाँ आ जाती हैं जब कुछ करना पड़ता है और बड़ी पेनफुल ड्यूटीज करनी पड़ती हैं। हमारे मित्र ने जैसा कहा, हम सब एक हैं, बिलकुल एक हैं। अगर करेस्पॉडेंट्स बीच से निकल जायं तो हम सब लोग मिल जायं। इनकी वजह से यह दीवार बनी हुई है। वह दीवार बहुत संभव है कि कहीं और इंतजाम इनका हो तो दीवार हट जाय। तो इस बात के हम कांशस रहते हैं कि उधर के बैठने वाले और इधर के बैठने वालों में कोई अन्तर नहीं है, लेकिन आपस में ऐसी बातें हों जाती हैं जिससे अध्यक्ष को मजबूरी हो जाती है।

जो यह कैफियत कई रोज से चल रही है, उस पर न आप खुश हैं, न हम। हम समझते हैं कि जिनकी वजह से यह हो रहा है वह भी खुश नहीं हैं। उनको एक न एक किस्म की परेशानी रहती है, मन में बेचैनी रहती है कि क्या हुआ। तो मजबूरन ऐसी परिस्थिति आ जाती है। हम तो अपने अधिकार के अन्दर हमेशा रहते हैं। बाहर कदम बढ़ाना

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

अपनी परिधि से मैंने कभी सीखा भी नहीं है और इसी वजह से जिन्दगी में हम नाकामयाब भी बहुत कम रहे हैं।

जहाँ तक आज के वाकये का संबंध है, इस संबंध में जैसी कि हम से भाई शारदाबख्श सिंह, कुंवर श्रीपालसिंह और अन्य मित्रों से जो बातें हुई हैं उसके बाद आज जो एक महीने के लिये मुअत्तिल हैं उनका निलम्बन १ हफ्ते के लिये कर दिया जाय और वह भी उससे इत्तफाक करते हैं। जहां तक कल के मसले का ताल्लुक है, मुख्य मंत्री आज यहाँ हैं नहीं, वह जब तक न आ जायं—क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद भी नहीं था जब वह वाकया हुआ-कल उनसे परामर्श करके जो मुनासिब होगा वह कर दिया जायगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे बहुत से साथी जो उस तरफ बैठे हैं, जिनका ऐसा सुझाव रहा है वह हमारी इस बात से इत्तफाक करेंगे और मेरी मजबूरी को भी देखेंगे।

तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमारे मित्र जो आज इंगित किये गये थे श्री तेजभानसिंह—उनके सदन की सेवा से निलम्बन की अवधि को एक महीने से घटाकर एक सप्ताह कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जो प्रस्ताव आज स्वीकार हुआ था उसमें यह संशोधन किया जाय लेकिन इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखने के पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। वह यह है कि एक बार नहीं, तीन तीन बार मैंने माननीय सदस्य से कहा कि मैं आपको निलंबित करना नहीं चाहता, आप बैठ जायं, अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिये। उन्होंने माननीय काशीनाथ के संबंध में जब उल्लेख किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं कर सकता, आप प्रस्ताव ला सकते हैं। उन्होंने प्रस्ताव नहीं रखा। कल रात काशीनाथ जी, जिनका निलंबन हुआ है उनके संबंध में मैंने कहा था कि मैं कोई आदेश नहीं दे सकता। लेकिन उन्होंने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि बैठ जाइये, आप प्रस्ताव लाइयेगा तब कुछ हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, अगर उस प्रकार का व्यवहार होता रहा तो क्या माननीय श्री पालसिंह इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनको इसका हल सोचना पड़ेगा और सदन के समक्ष रखना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि ऐसी बातें होती रहेंगी। तो उसका क्या समाधान होगा? यह सवाल रखकर वह खामोश हो गये। तो मैं फिर सदन के आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरा कर्त्तव्य है कि मैं सदन के गौरव, गरिमा और गाम्भीर्य का संरक्षण करूं। इस बात को ध्यान में रखकर मैं आशा करता हूं कि आप प्रयत्न करेंगे कि जो माननीय सदस्य बाधा डालने पर उतारू हों वे बाधा न डालें।

अब मैं प्रस्ताव रखता हूं कि प्रश्न यह है कि माननीय तेजभानसिंह के सदन की सेवा से निलम्बन की अवधि को एक महीने से घटाकर एक सप्ताह कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—माननीय तेजभानसिंह ७ दिन के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किये गये।

सदन का भावी कार्य-क्रम

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यालय से २६ अक्तूबर तक के लिये सदन का चलना निर्धारित किया गया है, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि किस तारीख को कौन सा विधायी कार्य होगा। विधेयक का उल्लेख नहीं है कि कौन विधेयक किस तारीख को होगा। एक दिन हाउस में चर्चा हुई और शायद माननीय बनारसीदास जी ने आश्वासन भी दिया था कि २० तारीख को यह बतलावेंगे, लेकिन वह नहीं

बताया गया । इससे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम लोगों को बड़ी तकलीफ है। श्रीमन्, आप मध्यस्थ हैं। कल लगभग ८–३५ बजे तक इस हाउस में बहस चली और काशीनाथ जी इसीलिये निलम्बित किये गये कि वह बोलना चाहते थे। श्रीमन्, १।। लाख जनता के हम लोग प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार जो भाषणों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है उधर से, आप उसे कंट्रोल करें । एक-एक दिन में ३ बार और ४ बार समय बढ़ाया जाता है और ९ बजे तक हम लोगों के कर्मचारी, चपरासी ये सब रहते हैं। माननीय मंत्रियों को तो फुरसत मिल जाती है और वे उठकर चले जाते हैं। मैं यह चाहता हूं कि आप उधर के प्रस्तावों का खयाल न करके मध्यस्थता करें ।

दूसरे, एजेंडा हमें दिलवा दें जिससे हमें मालूम हो जाय कि क्या काम किस दिन होने जा रहा है ।

श्री काशी नाथ मिश्र के निलम्बन (क्रमागत) पर आपत्ति

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है। अभी मैंने माननीय श्रीपाल सिंह जी को सुना। यह प्रश्न छोटेपन और बड़ेपन का नहीं है। हम लोग अपने मुंह से बड़ा नहीं बनना चाहते हैं। रात माननीय काशीनाथ जी को निकाला गया, आये दिन हमारे ऊपर जुल्म होता है, पुलिस सदन में बुलाई जाती है। इधर के सदस्यों को घसीटकर निकाला जाता है। हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है कि जाओ, वहाँ जाकर करों का विरोध करो। काशीनाथ जी बोलना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं बोलने दिया गया। माननीय श्रीपालसिंह जी, माननीय गेंदा सिंह जी या माननीय डाक्टर जेड०ए० अहमद कुछ भी कहें, मगर मैं दावत देता हूं सभी नेता विरोधी दलों को, सरकारी पक्ष को और प्रदेश की जनता को सोशलिस्ट पार्टी जो कुछ कर रही है वह जनतंत्र की परम्पराओं के लिये कर रही है या नहीं? यह सही है या नहीं? क्या पुलिस सदन में राज्य करेगी या माननीय अध्यक्ष करेंगे? जो कुछ भी हुआ है हमें उसका बहुत क्षोभ है और उसके विरोध में सोशलिस्ट पार्टी के सभी सदस्य सदन का त्याग करते हैं।

(इसके उपरान्त श्री उग्रसेन ने समाजवादी दल के समस्त सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

सदन का भावी कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—माननीय सूचना मंत्री, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जो शिकायत माननीय रामसुन्दर जी ने रखी है वह शिकायत मुझे भी है। आपके कार्य का एक सप्ताह का पूरा विवरण मुझे आज या कल प्रातःकाल तक मिलना चाहिये। इस समय आप यह बतला दें कि जो विधेयक आपने पुरःस्थापित किये हैं उनमें से कौन-सा विधेयक सोमवार को आवेगा। सोमवार को आपका यह फर्ज होगा कि आप पूरे सप्ताह का विवरण दे दें।

दूसरी बात मुझे विरोधी दलों से कहनी है। मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कई बार कल सत्तारूढ़ दल को रोका कि मैं समय बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब मुझे यह कठिनाई हो रही है कि यद्यपि सत्तारूढ़ दल के सदस्य जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हैं वे तो आ जाते हैं मेरे निमंत्रण पर, मगर विरोधी दलों के सदस्य नहीं आते हैं। जब बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी बैठकर यह तय नहीं करेगी कि किस बिल पर और किस प्रस्ताव पर कितना समय देना चाहिये तो हम सत्तारूढ़ दल के आश्रित रहेंगे। मैं लाचार हो जाता हूं कि जब प्रस्ताव आता है तो उसे सदन के समक्ष रखूं। तो मेरा इंटेरेस्ट, सदन का इंटरेस्ट और प्रदेश का इंटेरेस्ट इस समय यही है कि जो विधेयक आ रहे हैं उन पर हम शांतिपूर्वक, बिना किसी क्लोजर के प्रस्ताव के, इत्मिनान से बहस करें और उन्हें समझें। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं निश्चय कर चुका हूं कि जहाँ-जहाँ कर विधेयक आवेंगे मैं अधिक से अधिक समय

[श्री अध्यक्ष]

विरोधी दलों को दूंगा, लेकिन मैं भी आपका सहयोग चाहता हूं कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी पर मेरे आमंत्रण पर आने की आप लोग कृपा करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ी सी गलत फहमी हो रही है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लोगों को आप बुलाते हैं और आप के निमंत्रण पर वे आने से इन्कार करते हैं। श्रीमन्, आपको याद होगा कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी के विरोधी दलों के सभी सदस्यों ने आपकी सेवा में अपने त्याग-पत्र भेजे उस त्याग पत्र में कारण बतलाये थे। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में जाने से उन्हें गुरेज है और वे कारण सरकार से सम्बन्धित हैं।

दूसरी बात यह है कि सरकार को अगर उन कारणों को दूर करना मंजूर नहीं है तो उसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—मैं उनको बुलाता हूं लेकिन मुझसे कोई राय नहीं ली जाती और न मैं प्रोग्राम बनाता हूं।

श्री गेंदा सिंह—उनको बुलाने में जो आपका कागज और स्याही खर्च होती है उसका भी दुरुपयोग होता है। श्रीमन्, उन्होंने त्यागपत्र दिया, उसके बाद उनकी आप से बातचीत भी हुई और उन सब बातों की जानकारी करायी गयी जिनकी वजह से उन लोगों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन फिर भी सरकार अपनी जगह पर अड़ी रही। इसलिये मैं समझता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से अनुपस्थित रहने में हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसी हालत में सरकार को थोड़ी बरदाश्त होनी चाहिये और बरदाश्त यह होनी चाहिये कि अगर कोई करों का प्रस्ताव आता है और उस पर कोई समय निर्धारित नहीं होता तो फिर विरोधी दलों को इस तरह से मजबूर न किया जाय कि किसी प्रस्ताव को या बिल को वह किसी नियत समय में ही पास कर दें। इस तरह मजबूर करना अनुचित है। यह भी अनुचित है कि हम लोग ११ बजे से ५ बजे तक बैठे रहें और ५ बजे के बाद फिर हमें ९ बजे तक बैठाया जाय। यह सरकार के लिये बहुत अनुचित बात है। इससे उसे बाज आना चाहिये। अगर सरकार बाज नहीं आती तो वैसी हालत में आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये। ऐसी कौन-सी बात आ गयी थी कि हमको ९-१० बजे तक बैठाया गया।

जैसा हुआ, वैसा अगर हम भी होते तो हो सकता था। अगर वैसी जिद की बात होती और मैं होता तो मैं भी इसका प्रयत्न करता कि चाहे १२ बजे तक सदन बैठे, लेकिन उसको पास नहीं होना चाहिये। ऐसी जिद करना सदन के काम में रुकावट डालना है। रुकावट डालने वाले अपने दिल पर हाथ रख कर जरा सोचें, छाती शब्द कहने में तो मुझे डर लगता है, लेकिन वे अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि क्या वह सोचते हैं कि इस तरह जिद पर उतर कर वे सदन का काम चलाना चाहते हैं? इस प्रकार आपस की ज़िद से सदन का काम ठीक से चल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष—श्री गेंदा सिंह, वह वाक्य आपके भाषण से निकालने का मैंने हुक्म दे दिया है।

श्री गेंदा सिंह—निकाल दें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, मैं केवल दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि कार्य मंत्रणा समिति से विरोधीपक्ष के सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। वह इस्तीफा आपके सामने मौजूद है, लेकिन जहां तक मुझे इत्तला है आपने शायद उनको मंजूर नहीं किया है।

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—नहीं किया है ।

श्री झारखंडे राय—जिन कारणों से ये इस्तीफे दिये गये वे भी आपको मालूम हैं। ऐसी सूरत में अगर आप यह सोचते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति फिर बने, या वही रहे, तथा उसमें सब का सहयोग हो, तो आप उसके लिये हम लोग और सरकार के बीच में मध्यस्थ का काम कर सकते हैं, लेकिन आप केवल निमंत्रण भेज दें और एक पक्ष की जो कठिनाई है, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, वह कठिनाई दूर न हो, और वे उसमें भाग लें, यह अनुचित मालूम होता है इसलिये आप मध्यस्थ का काम करें और इस मसले को हल करने की चेष्टा करें ।

मैं इस बारे में अपने पूर्व वक्ता श्री गेंदा सिंह महोदय से सहमत हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम १२ बजे रात तक भी बैठें या और भी ज्यादा लंबे समय तक बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे विधेयक आ रहे हैं और उन पर जैसा विवाद होने वाला है, जिनमें द्वंद्व होने की संभावना हर समय बनी रहेगी, और हमें हर समय पांच बजे बाद बैठना पड़े, यह एक अनुचित बात होगी । इसमें कोई जल्दी की बात नहीं होनी चाहिये कि वह आज ही पास हो । इस सम्बन्ध में आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें, क्योंकि आप ही हमारे राइट्स के कस्टोडियन हैं ।

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में बहुत तो नहीं कहना है, माननीय गेंदा सिंह ने कुछ बातें कहीं उससे मेरे दिमाग में स्पष्टीकरण नहीं हुआ । माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि बिजनेस कमेटी में जो विरोधी पक्ष के मेम्बर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके अन्दर कुछ कारण भी दिये गये हैं । उन्होंने यह भी बतलाया कि उन कारणों का सम्बन्ध सरकार से था । मान्यवर, आपसे नहीं था । ऐसा मैंने समझा कि उन्होंने कहा कि सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया । मैं अब तक मान्यवर, सही या गलत यही समझता हूं कि बिजनेस कमेटी का निर्माण आपके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा नहीं होता है—एक बात ।

यदि उनको उस कमेटी से प्रोटेस्ट है तो ऐसा प्रोटेस्ट आपके खिलाफ हुआ, गवर्नमेन्ट के खिलाफ तो हुआ नहीं । इसलिये कि जितनी स्टैंडिंग कमेटीज गवर्नमेन्ट की बनी हैं उनका बायकाट तो माननीय गेंदा सिंह ने किया नहीं है और न वहां से कोई इस्तीफे की बात आयी है । तो उस कमेटी को जैसा कि मैंने बतलाया, आपने इस नीयत से बनाया कि हमारे यहां का बिजनेस टीक ढंग से चलता रहे, लेकिन उसमें जो हमारे माननीय साथी हैं वे हिस्सा नहीं लेते हैं । मान्यवर, मेरा आज भी ऐसा विचार है कि उनके न आने पर और उनके इस्तीफा दे देने पर भी जिसे आपने माना नहीं है, इस वक्त भी बिजनेस कमेटी एक्जिस्ट करती है । जब बिजनेस कमेटी एक्जिस्ट करती है और आपके आमंत्रण पर भी उसमें विरोधी पक्ष के लोग न आवें और हम बैठ कर कोई फैसला करें तो वह एक्सपार्टी की बात होती है । इस लिये हम वहां निर्णय नहीं लेते हैं । मगर जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि उसमें जो स्याही और कागज का इस्तेमाल होता है, उसका भी दुरुपयोग होता है, मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय मंत्री जी 'हम फैसला कर दें' कहते हैं जब कि इसका फैसला तो ऐडवाइजरी कमेटी ही कर सकती है ।

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब है कि जो इनका कर्त्तव्य है उसको वे पूरा नहीं करते ।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी समझते काफी हैं, लेकिन आजकल बहुत कानूनदा बन गये हैं । लिहाजा कानून के बाल की खाल निकालने की बराबर चेष्टा करते हैं ।

दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कल ५ बजे के बाद भी सदन की कार्यवाही चलने की बात कही, जैसा कि माननीय यादव जी को भी मालूम था कि कल के एजेंडे के अनुसार भी साढ़े ७ बजे तक हाउस को बैठना था । ५ बजे के बाद २ घंटे के लिये तो हमारे होम डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित एक प्रश्न पर ही बहस होनी थी और उसके बाद आधे

[श्री नवलकिशोर]

घंटे के लिये एक दूसरे विषय पर बहस होनी थी। इस तरह से साढ़े ७ बजे तक के लिये सदन के सामने एजेंडा था। यह तो इत्तफाक की बात हो गयी कि उन प्रश्नों पर बहस स्थगित हो गयी।

एक सदस्य—कल सरकारी दिन था।

श्री नवलकिशोर—गैर सरकारी दिन को भी मैं उतनी ही इम्पार्टेंस देता हूं जितनी कि सरकारी दिन को। यह तो अपनी अपनी समझ की बात है। यह बात जरूरी है कि जो भी बिजनेस कमेटी फैसला करे उसके अनुसार टाइम फिक्स कर दिया जाय, लेकिन फिर भी माननीय यादव जी इस बात को जानते हैं कि हमारी आपस में एक अंडरस्टैंन्डिग हो गयी थी कि दो दिन में इस बिल को समाप्त करना है। उसी अंडरस्टैन्डिग के आधार पर सदन का समय साढ़े ७ बजे तक के लिये बढ़ाया गया था और कोशिश यही थी कि टाइम के अन्दर ही बिल पास हो जाय, लेकिन जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि अपोजीशन ने यह तय कर लिया था कि जिस तरह से भी होगा डिलेइंग टैक्टिक्स को इस्तेमाल में लाया जायगा। माननीय गेंदासिंह जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, इसके लिये मैं उनका आभारी हूं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर माननीय काशीनाथ के निकालने की बात मुझे पहले से मालूम होती तो चाहे १२ बजे रात तक मुझे बैठना पड़ता, लेकिन उस बिल को पास नहीं होने देता। तो मुझे केवल इतनी ही बात कहनी थी।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी ईमानदारी की भी दुहाई दी और दूसरी तरफ यह भी कहा कि मैंने यह कहा कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे। कृपा करके मेरे साथ इतनी ज्यादती न करें। मैंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की बात नहीं कही थी, बल्कि मैंने यह कहा था कि हम इस पर बहस करेंगे।

श्री नवलकिशोर—अब आपको जिद्द पैदा हो जाय तो उसके लिये मैं क्या कहूं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो टैक्सेशन के विधेयक आ रहे हैं उनको इस सदन से पास होना चाहिये और अपने एक भाई के नाते में माननीय गेंदा सिंह जी से जो बड़े ही गम्भीर आदमी हैं उन के बारे में सब की बहुत अच्छी ओपीनियन है और वह बहुत सोचसमझ कर बात करते हैं, लेकिन अपोजीशन में होने की वजह से उन की कुछ दिक्कतें हैं और वह बहुत-सी सही बातें उन की वजह से कर नहीं पाते और कह नहीं पाते। इसलिये अगर उन का प्रोटेस्ट गवर्नमेन्ट से है तो वह कोई दूसरी कमेटी भले ही चाहें तो छोड़ दें, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से तो गवर्नमेन्ट का सीधा सम्बन्ध नहीं है। वह तो श्रीमन्, आप की कमेटी है सदन की। वह मेहरबानी कर के मेरी प्रार्थना है कि अपनी उस त्याग-पत्र की दरख्वास्त को वापस ले लें और सहयोग करें ताकि आसानी से यहां का कार्य चल सके।

*सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—अध्यक्ष महोदय, सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जो आप का आदेश है वह शिरोधार्य है, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि जब से अब की बार सदन आरम्भ हुआ है तब से सदन के सामने रख दिया गया है कि क्या कार्यक्रम होगा। २ बिल पारित हो चुके हैं एक तो मोटर वेहिकिल्स के कर का और दूसरा यात्री-कर का जो कल पास हुआ है और उसके बाद आप को यह भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ का पुरःस्थापन सदन में हो चुका है, तो अब अगले सप्ताह में इन्हीं दोनों विधेयकों पर विचार होगा।

श्री अध्यक्ष—इन दोनों का आर्डर क्या होगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसीदास—एजेंडे में जो आर्डर है उसी आर्डर से विचार होगा यानी पहले उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ लिया जायगा और उस के बाद बिक्री-कर विधेयक लिया जायगा। यही अगले सप्ताह का कार्यक्रम रहेगा।

श्री अध्यक्ष—तो अब २७ तारीख को यह उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ पहले चलेगा और उस के बाद दूसरा होगा और बाकी अगले सप्ताह का कार्य क्रम सोमवार को बताया जायगा।

बजट की घाटे की रकम की नवीन करों द्वारा पूर्ति न करने के सम्बन्ध में असरकारी संकल्प

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि.....

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—पूरा मुझे सदन में रखने तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष—पहले वह सदन के समक्ष संकल्प को रख लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का नवीन टैक्स जनता पर न लगाया जाय और न किसी पुराने टैक्स की दर ही बढ़ाई जाय। घाटे की रकम मितव्ययता द्वारा पूरी की जाय तथा बकाया कर वसूल किये जायं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति यह है कि इस प्रस्ताव के ३ हिस्से हैं, एक हिस्सा तो यह है कि नये कर न लगाये जायं, दूसरा हिस्सा यह है कि मौजूदा कर में इजाफा न हो और तीसरा भाग उसका यह है कि इस डेफिसिट को बजरिये करने किफायत और बकाया की वसूली कर के पूरा किया जाय। यही ३ क्वेश्चन उसमें उठाये गये हैं। मैं अर्ज करूंगा कि नियम की दफा ९३ की सब-क्लाज (२) में देखा जाय, वह कहती है कि प्रस्ताव में सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा। इसकी रू से भी यह मंजूर नहीं किया जा सकता।

दूसरा एतराज मेरा यह है कि इससे पहले २ बिल सदन से पास हो चुके हैं, मोटर वेहिकिल्स का और यात्री-कर वाला, एक में रेट बढ़ाया गया है और दूसरे में नया टैक्स लगाया गया है और २ विधेयक भी यहां पेश हो चुके हैं—एक तो भूमि और भवन-कर विधेयक और दूसरा बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६२। इजाफा कुछ शरह हो रहा है। एक (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक में नये टैक्सेज इम्पोज करने का प्रश्न है। दूसरे जो विधेयक पास हो चुके हैं अगर यह प्रस्ताव पास हो जाय तो उन विधेयकों का क्या हश्र होगा? वह इम्प्लीमेंट होंगे या यह प्रस्ताव इम्प्लीमेंट होगा? मैं समझता हूं यह प्रस्ताव इनफ्रक्चुअस हो जायगा और इससे रिपीटीशन होगा। लिहाजा यह प्रस्ताव हर सूरत में काबिले मंजूर नहीं है।

दूसरी बात यह है कि अगर यह प्रस्ताव पास होता है, जैसा रूल ११८ में दिया हुआ है कि कोई मेम्बर एक बिल की नोटिस दे सकता है, इस प्रस्ताव से उस मेम्बर को अपने हक से वंचित नहीं किया जा सकता है, लिहाजा तब भी यह इनफ्रक्चुअस हो जायगा। इसलिये यह प्रस्ताव रिडन्डेन्ट है।

श्री अध्यक्ष—आपने आखिर में क्या कहा?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने यह कहा कि नियम ११८ की रूह से हर मेम्बर को अधिकार है किसी बिल की नोटिस दे सकता है और अगर इस प्रस्ताव के माने यह लगाये जायं कि कोई बिल न पेश करे तो यह हो ही नहीं सकता। बिल पेश करने का अधिकार है। लिहाजा ऐसी सूरत में यह इनफ्रक्चुअस हो जाता है। तो ऐसा प्रस्ताव कैसे ऐडमिट किया जा सकता है?

*श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं नियम ८९ के क्लाज (२) की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। इसमें लिखा है "संकल्प यदि शलाका में स्थान प्राप्त कर ले और अध्यक्ष द्वारा गृहीत हो जाय तो उस पर चर्चा के लिये नियत दिनांक से साधारणतया १२ दिन पूर्व उसकी एक प्रतिलिपि शासन को भेजी जायेगी?"

अब यह शलाका में निकल आया और आपके द्वारा जब गृहीत कर लिया गया और इसकी नोटिस भी भेज दी गई १२ दिन पहले तो अब यह प्रश्न इस समय नहीं उठ सकता कि यह संकल्प ठीक है कि नहीं।

दूसरे जैसा आपने कहा अगर इस सत्र में पास हो जायगा तो जो बिल पहले पास हो चुके हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हमने अपने संकल्प में कोई रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की मांग नहीं की। जिस दिन से यह संकल्प स्वीकार हो जाय उस दिन से सदन भविष्य में कोई नया कर न लगाये।

आपने यह भी कहा कि कोई ऐसा बिल नहीं आ सकता, जिसके लिये सब को अधिकार है। लेकिन जिस दिन से यह संकल्प स्वीकार हो जायगा उसके ६ महीने के अन्दर कोई ऐसा बिल नहीं आ सकता जो इस संकल्प के विरोध में हो। इसलिये इन तीनों बातों से मेरा कहना है कि यह संकल्प ठीक है।

श्री अध्यक्ष---जो हो चुके हैं दो बिल उसके सम्बन्ध में क्या है? और जो दो पुरः स्थापित हो चुके हैं उनके सम्बन्ध में क्या कहना है?

श्री शारदा भक्त सिंह---जब आज संकल्प आ रहा है तो उसका मतलब रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट देना नहीं है। भविष्य के लिये कर न लगाये जायं।

श्री अध्यक्ष---पुरःस्थापित जो हो चुके हैं उनके बारे में कुछ कहना है।

श्री शारदा भक्त सिंह---वह तो नहीं आयेंगे अगर सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा।

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न पर आपत्ति की गई और नियमों का भी उल्लेख हुआ है। नियम मानना ठीक ही है और मानना भी चाहिये, लेकिन टैक्स का एक ऐसा विषय है जो आज इस प्रदेश में ही नहीं वरन सारे देश में एक बड़ा विवाद का विषय बन गया है। चाहे वस्तु स्थिति कुछ भी हो कि हमारी ग्रामीण जनता या पूंजीपति या मजदूर देने लायक हैं कि नहीं, यह तो दूसरा प्रश्न है, मगर यह बड़ा घोर प्रश्न हमारे समाज और प्रदेश में है। तो इस स्थिति को देखते हुये मैं जनहित, प्रदेश हित और लोकहित की दृष्टि से यह समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के समक्ष इस सम्बन्ध में विवाद हो जाय।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता है, विशेष रूप से इसलिये कि यह प्रस्ताव अन्तिम सहारा है उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ जनता का जिसके सर पर वित्त मंत्री की बजट स्पीच की घोषणा के बाद एक नंगी तलवार लटक रही है।

(इस समय २ बजकर ४४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय राजस्व मंत्री ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये आपका ध्यान आकर्षित किया था कि इस संकल्प में एक ही ईश्यू पर बहस हो सकती है, इस पर माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग नहीं दी तो कृपया आप इस पर व्यवस्था दे दें कि एक ईश्यू होना चाहिये या नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अध्यक्ष की रूलिंग हो चुकी है। अतः मैं उस में इंटरफियर नहीं कर सकता हूं।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, वह तलवार यह है कि जिस समय इस सरकार ने टैक्स लगाने की घोषणा की उस समय इसने किसी नीति का निदेशन नहीं दिया। विभिन्न प्रश्न पूछे जाने पर उसने जवाब नहीं दिया कि छोटे वर्गों की आमदनी को टैक्सों के जरिये अधिक नहीं लिया जायगा। आज जब हम इस प्रदेश की सरकार की कर--नीति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो यह बात नजर आती है कि अपनी योजना को चलाने के लिये किसी जगह से पैसा एक दम से निकाल लिया जाय चाहे उस जनता की अपनी योजना चलना संभव हो या न हो। शासन सदा से कर लगाता आया है। प्रशासन चलाने हेतु भी करों की आवश्यकता पड़ा करती है, लेकिन आज इस प्रदेश में और सम्पूर्ण भारतवर्ष में कर जनता की देय क्षमता से कई गुना अधिक बढ़ चुके हैं और इसीलिये यह प्रस्ताव इस सदन के समक्ष मुझे प्रस्तुत करना पड़ा। सदन के समक्ष इस पक्ष और उस पक्ष से यह घोषणा कई बार की जा चुकी है कि पिछली जो हमारी दो योजनायें हैं उनके आधार पर जनता की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जायगी कि हम अपनी अगली योजनाओं के लिये धन विनियोग कर सकेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उन योजनाओं के प्रभावस्वरूप उत्तर प्रदेश में जो जनता की आमदनी थी, उसकी आय का स्तर था वह बजाय बढ़ने के हर स्तर के लोगों में घट गया है विशेषकर उन लोगों का जिनकी आमदनी कम थी। इस समय ऐसे लोगों की तादाद जिनकी आमदनी ५० रुपये प्रति मास प्रति परिवार से भी कम है इस प्रदेश के कस्बों में आधी से अधिक है। कुल ५ प्रति शत लोग इस प्रदेश के गांवों में ऐसे हैं जिनकी १,२०० रुपये वार्षिक आय है। दूसरी ओर जब हम शहरों की ओर देखते हैं तो यहां के एक बहुत ही अच्छे अर्थ शास्त्री ने कहा है मैं हिन्दी में उसका भावार्थ बता देता हूं कि बड़े लोगों पर जो इन्कम टैक्स की धारायें लगायी गयी हैं आज वे इवेजन के द्वारा इतनी अधिक पूंजी बचा लेते हैं कि टैक्स का भार जो शहरों की निम्नतम जनता पर है वह उससे अधिक है और इस कारण जो कर भार उच्चतम जनता पर पड़ना चाहिये वह उस पर न पड़ कर के निम्नतम जनता पर पड़ता है। मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूं—

"In some under-developed countries, among them is India, the yield from income-tax is much less than what is desirable. In India the rates of income-tax in upper ranges are quite high, but yield is low due to large scale evasion while the rates in the middle range are low so much so that the tax burden on middle class is perhaps relatively small on the poorer class in urban areas on whom the incidence of indirect taxation is relatively high."

जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उच्चतम वर्ग की आमदनी पर और मध्यम वर्ग की आमदनी पर जो दो प्रकार का टैक्स है वह मध्यम वर्ग पर उच्चतम वर्ग से अधिक है और निम्नतम वर्ग पर मध्यम वर्ग से भी ज्यादा है।

आज दो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं और उन विधेयकों को लाते समय इस सरकार का केवल एक ही दृष्टिकोण रहा कि वह गरीब जनता पर जो थर्ड क्लास सड़कों पर चलने वाली थर्ड क्लास बसों पर सफर करती है कर बढ़ायेगी। आज यहां की जनता केवल प्रदेशीय सरकार को ही टैक्स नहीं देती है। सरकार बड़े बड़े शब्दों में घोषणा करती है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

हम ३७ रुपये प्रति व्यक्ति प्रदेश में खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम केन्द्रीय सरकार की उस कर नीति को देखते हैं तो पाते हैं कि ३१ रुपये प्रति व्यक्ति इस प्रदेश से केन्द्रीय सरकार को टैक्स के रूप में जाता है। आज प्रदेशीय सरकार ने अपने बजट में जो आकड़े प्रस्तुत किये हैं उनसे यह स्पष्ट है कि इन्कम टैक्स की आमदनी में जब कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकारों का हिस्सा ६० प्रतिशत के बजाय ६६ प्रतिशत कर दिया है तब इस प्रदेश को ३ करोड़ रुपये का घाटा उससे हुआ है। हम देखते हैं कि इस सरकार की नीतियों में एक अन्तर है और वह यह है कि हम उतना टैक्स उस वर्ग से नहीं ले पाते जिससे लेना चाहिये और जब उस स्थान से नहीं ले पाते तो अन्धेर नगरी चौपट राजा वाली बात होती है कि एक को फांसी का हुक्म हुआ। इत्तफाक से फांसी का फन्दा उसके गले में आ या नहीं। महाराज ने हुक्म दिया कि जिसके गले में यह फांसी का फन्दा आ जाय उसे ही फांसी पर लटका दो। ठीक यही नीति इस सरकार की है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपको उन आंकड़ों को दिखाऊं कि भारतवर्ष में किस किस उद्योग में कितनी कितनी आमदनी बढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि १५२ परसेंट तो वेजिटेबिल आयल में बढ़ी है और टेक्सटाइल और जूट्स में २९२ परसेंट बढ़ी है। १४४ प्रतिशत कैमिकल्स में आमदनी बढ़ी, सिल्क वगैरा में २८१ प्रतिशत, इंजीनियरिंग इत्यादि में १७५ प्रतिशत और शुगर इंडस्ट्रीज में १५० प्रतिशत आमदनी बढ़ी है। श्रीमन्, अगर इसी एक आखिरी प्रस्ताव को ले लिया जाय तो वह ऐसा है कि सारी दिक्कतों को हल कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार १६ करोड़ रुपया उन लोगों को छूट के रूप में दे सकती है, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर से कर को कम नहीं कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें देखना पड़ेगा कि इस सदन में प्रान्तीय सरकार यह कहने में क्यों डरती है कि केन्द्र से कभी हमें सहायता उतने रूप में नहीं मिलती है, जितनी कि मिलनी चाहिये। जब तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इस सदन में प्रस्तुत हो रहा था तो उस समय के मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमें जनता के ऊपर इतना अधिक कर लगाना पड़ेगा कि हम इस योजना को चला नहीं सकेंगे, लेकिन आज हमारा प्रान्तीय अंश हर रूप में उस आमदनी से कम हुआ है जितनी कि हमें इस प्रदेश के और देश के पूंजीपतियों के भाग से मिलता था। यह ऐसा हिस्सा है कि इसको पढ़ने में सदन का बहुत समय लगेगा, इसलिये मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार से, जैसा कि हमारा सुझाव है कि वह इन टैक्सों को अब बन्द कर दे और इन टैक्सों का दूसरा पक्ष भी है और उपाध्यक्ष महोदय, वह पक्ष यह है कि इन टैक्सों को हम किस स्थान पर लगायें और किस स्थान पर न लगायें। इस सरकार ने अपनी कर नीति की कोई घोषणा नहीं की है। जो कुछ प्रश्नों के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से जान सके हैं वह यह है और वह एक अखबार में भी छपा था। हमारे जनसंघ के नेता ने कहा था कि अगर छपे हुये आंकड़े जो इसमें लिखे हैं कि १०० प्रतिशत से ऊपर कर लगाने पड़ेंगे तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, लेकिन वे चुप रहे और इसका उत्तर भी नहीं दे सके कि जो सूचना छपी है वह गलत है या सही है। उनकी चुप्पी बताती है कि यह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात देखने की यह है कि किसानों पर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है उससे सरकार ने क्या वायदे किये थे? इसके लिये मैं कृषि मंत्री जी का सहारा लेता हूं। उन्होंने अपने और कमेटी के विचार व्यक्त किये हैं जिसे काश्तकार सुधार कमेटी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि अनिश्चय का वातावरण दूर करना चाहिये और भूमि का अधिकार रखने वाले वर्गों को, चाहे वे छोटे किसान हों या बड़े, इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिये कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? काश्तकार की स्थिति स्पष्ट और सुरक्षित कर देनी चाहिये। भूमि से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को यह विश्वास दिला द कि ये सुधार अन्तिम हैं और दीर्घकाल तक उनमें हेर-फेर नहीं किया जायगा। यह वातावरण विकास कार्य को प्रोत्साहित करता है। ऐसे ही वातावरण की सृष्टि करने का हमारा प्रयास होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो केन्द्रीय सरकार की नन्दा कमेटी है वह कहती है कि—

इस सरकार ने आज तक भूमि सुधार के नाम पर कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि जो काश्तकार अपनी जमीन का दस गुना देकर खरीदना चाहते, खरीद सकते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर दस गुना के लिये काश्तकार के पास नकद रुपया होता तो वह सीधे जमींदार से बैनामा लिखा लेता और खुद जमींदार बनता। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप निश्चित समझिये कि काश्तकार पर इतना रुपया ही नहीं था और जमींदारी अबालिशन कमेटी रिपोर्ट है उसके द्वितीय पृष्ठ पर सरकार ने स्वीकार किया है कि काश्तकारों पर दस गुना देने भर की रकम नहीं है। लेकिन जब उसे कृषकों के लगान का सवाल असेम्बली में प्रस्तुत करना है तो सरकार इस बात को भूल जाती है कि ४० वर्षों के लिये जिन लोगों ने दस गुना दे कर अपना लगान आधा करवा लिया है, उनका क्या होगा ? वह काश्तकार जिन का लगान अधिवासी बन कर देना हो गया है, आज तक उनकी किस्तें उन लोगों को मिल रही हैं जिन्होंने जमीन को ट्रान्सफर किया है। चकबन्दी का टैक्स भी उस काश्तकार पर लगाया गया है, जिसे वह आज देने की स्थिति में नहीं है। जो आपने डेवलपमेंट किया है उसका खर्च भी वह स्वंय चलाता है। स्थानीय निकायों के कर भी उसको देने पड़ते हैं। बैलगाड़ी खरीदते समय उसको कर देना पड़ता है। करोड़ों रुपये के कर उस काश्तकार पर बढ़ चुके हैं। जो आपने फार्म मैनेजमेंट कमेटी बनायी थी उन्होंने फार्म मैनेजमेंट बिजिनेस इन्कम का जिक्र करते हुये लिखा है कि १२० रुपया प्रति एकड़ उन लोगों को आमदनी होती है जिनके पास छोटी होल्डिंग्ज हैं। दूसरी इन्क्वायरी कमेटी जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी उसने खेत मजदूरों का सर्वे किया। उन्होंने कहा है कि खेत मजदर की आमदनी दस रुपये प्रति परिवार, प्रति मास औसतन आती है। जो धोती वह पहनता है, उस में दस रुपये की धोती में दो रुपया आप सेन्ट्रल इक्साइज की ड्यूटी लेते हैं। जब वह अपना भोजन खरीद कर लाता है, तो भी उसको कर देना पड़ता है इस प्रकार उसकी आमदनी का ३७ प्रतिशत कर में चला जाता है। ऐसी स्थिति में इन सब करों को बढ़ाना कौन सा औचित्य है ?

हम यह देखते हैं कि इस राज्य सरकार ने इस प्रदेश के गरीबों से करोड़ों रुपया ले कर जिन फैक्टरियों पर खर्च कर दिया, वह फैक्टरियां महीनों बन्द रहती हैं। उनका उत्पादन बढ़ता नहीं है, सालाना रिपोर्ट निकाल कर देख लें। इन से उतना लाभ भी नहीं होता जितना कि एक सामान्य व्यापार से होना चाहिये। माननीय गुप्ता जी इस सदन में कई बार कह चुके हैं कि मैं बड़ा अच्छा व्यापारी हूं। मैं सदा से व्यापार करता हूं। लेकिन अगर उस व्यापार में उन्होंने कृषकों को तबाह किया तो वह उनकी उसी व्यापारी की दशा होगी जो कि कोई वस्तु एक कटोरा लेकर लेने गया। जब कटोरा भर गया तो कहा कि घाटा भी दे दो। कटोरा उलट दिया और सब सामान गिर गया।

आज वह कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इसी सदन में उत्तर देते हुये माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा था कि ६ करोड़ रुपये की रकम उपयोग में नहीं लायी जा सकी। आज वह ६ करोड़ की रकम जो कि ४८ करोड़ होकर कृषक को मिलती वह उपयोग में नहीं आ सकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की इस प्रकार की नीति के कारण। आज यह करोड़ों रुपये की रकम उस काश्तकार से वसूल करने की तैयारी कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह भी देखें कि आखिर यह योजना बनी कैसे, जिस योजना के लिये सरकार यह टैक्स मांग रही है वह योजना किस प्रकार बनी ? यह सरकार बड़े जोर से नारा लगाती है कि यह योजना नीचे से बनकर आयी है, लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह योजना किसी समय भी नीचे से बनकर नहीं आयी और उसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय वरिष्ठ सदस्यों की राय आपके समक्ष पेश करूंगा कि यह योजना किस प्रकार की है और कैसे बनी है। इस योजना को प्रस्तुत करते हुये इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा कि हमने यह योजना केन्द्र से उधार ली है और वह किस प्रकार उधार ली है ? वह इस प्रकार उन्होंने उधार ली है कि अगर केन्द्र वालों ने

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

किसी चीज के लिये जैसे छोटी इन्डस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग के लिये केन्द्र ने १५० करोड़ रुपया रखा, मैं उन्हीं के शब्दों में दोहरा देता हूं। वह कहते हैं--हम खुद इससे सन्तुष्ट नहीं हैं, लेकिन हमने तो यह देखा कि सारे देश की योजना ३६ सौ करोड़ की बनी, १५० करोड़ उसमें से छोटी इन्डस्ट्रीज के लिये रखा गया, उसका छठा हिस्सा २५ करोड़ मैंने अपने यहां रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हेल्थ के नाम पर ३०० करोड़ वहां रखा गया,उसका छठा हिस्सा हमने ५० करोड़ अपने यहां रख दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई योजना है ? हमारी आवश्यकताओं को न देखते हुये, एक अव्यावहारिक योजना सिर्फ इसलिये कि हमको केन्द्र से कुछ हिस्सा मिल जाय, उससे क्या हमारी कोई भलाई हो सकती है ? टैक्स उसके लिये हम देते हैं, व्यवहार में उसे हमको लाना है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे इस प्रदेश का उद्योगीकरण कैसे हो सकता है ? हमारे प्रदेश के उद्योगीकरण की आज आवश्यकता है। कृषि में लगे हुये काश्तकारों का भार उस समय तक उससे कम नहीं हो सकता जब तक कि अपने यहां उद्योगों को हम न बढ़ायें। लेकिन अगर कहीं किसी ने कोई योजना बनाई या केन्द्र ने कोई योजना बनायी और चटपट उसकी नकल हमने कर ली, तो वह कोई योजना हुई ? इसलिये जनसंघ का आज इस प्रकार का विचार है कि यह योजना फिर से बननी चाहिये, उसमें फिर इन सब बातों का विचार होना चाहिये जो कि माननीय चन्द्रसिंह रावत ने कही थीं। माननीय चन्द्र सिंह रावत ने अपने विचार प्रदर्शित करते हुये यह कहा था कि इसका मतलब यह है कि यह प्लान जिन प्लानर्स ने बनाया उनका दिमाग चौपट था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि वह उन्होंने विदेशी प्लान की किताबों को पढ़कर बनाया था उन्होंने कहा कि गरीब देश के लिए ऐसे प्लान से कोई लाभ नहीं हो सकता। उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहा कि मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस प्लान के प्लानर तो इस देश में रंगरेलियां करना चाहते हैं।

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)--किसको पढ़ रहे हैं ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--उत्तर प्रदेश विधान सभा की १७ सितम्बर की कार्यवाही है। माननीय नवल किशोर को भी पढ़ूंगा। (लाल बत्ती होने पर) उपाध्यक्ष महोदय, समय का तो कोई निश्चय नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--२५ मिनट हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधे घंटे से कम में यह कैसे हो सकता है, यह इतना जरूरी प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष--नियमावली में २५ मिनट लिखा हुआ है। नियम ९९ में दिया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--अच्छा तो रख दीजिये। मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर देता हूं। आज तो सवा दो बजे तक सरकारी काम में आपने ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष--पांच मिनट और ले लीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--दस मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--नहीं, आप पांच मिनट ले लीजिये।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--उपाध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के विषय में कुछ लोगों की राय मैंने बताई कि वे क्या राय रखते हैं। चन्द्र सिंह जी रावत की राय मैंने बताई कि योजनाओं के द्वारा लोग इस देश में रंगरेलियां करना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोविन्दसहाय जी की राय है कि जो इन योजनाओं को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वही इन योजनाओं को कमान्ड करते हैं। यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस का राज है। उनका यह भी कहना है कि मैं समझता हूं कि पिछले दो वर्षों में योजनाओं के अन्दर जो हमको अनुभव हुये हैं उनसे हमको पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिये और हमारे यहां जो नियम बने हुये हैं वह सब पुलिस स्टेट जैसे नियम बने हुये हैं। आगे वह यह भी कहते हैं कि मेरे यहां ट्यूबवेल ६ वर्ष से बना हुआ है लेकिन मेरे यहां एक बून्द भी पानी नहीं निकला है। इंजीनियर और चीफ इंजीनियर में आपस में यह झगड़ा चल रहा है कि आखिर क्या बात है। जब इस प्रकार की योजनायें प्रस्तुत की जाती हैं तो उससे जनता का कल्याण नहीं होने वाला है। मालूम नहीं कि जिस समय इन योजनाओं को बनाया गया उस समय किस आधार को लेकर इनको बनाया गया था। जब इन योजनाओं का आधार ही गलत है, जब ये योजनायें ही ऐसी बन रही हैं जिसमें सरकार के पक्ष के लोग रंगरेलियां करते हों तो फिर इनके लिये किस प्रकार से रुपये की इजाजत दी जा सकती है? जैसा कि नवल किशोर जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि हम यह अनुभव करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय आय जो पहले १८.४ प्रतिशत अधिक थी वह अब घटकर १६.४ प्रतिशत रह गई है। पर कैपिटा आय जो पहले ज्यादा थी वह अब १२ प्रतिशत नीचे आ गई है। इस योजना को समाप्त होते होते इस बात की आशंका है कि वह १० प्रतिशत नीचे आ जायेगी। आगे आप कहते हैं कि आप खयाल करें कि इन कमियों की वजह यह है कि इनके एस्टीमेट बनाने का कायदा गलत है। आगे यह भी कहते हैं कि जो कार्यवाही करते हैं उसमें हमारी योजनायें कार्यान्वित नहीं हो पातीं। उसका रिजल्ट यह होता है कि एस्टीमेट गलत होते हैं। उनका एम गलत है। ऐसी योजनाओं के लिये हमसे रुपया मांगा जा रहा है। यदि इस प्रकार की योजना का जोरदार शब्दों में विरोध न किया जाय तो फिर किस योजना का जोरदार शब्दों में विरोध किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ इस बात को मानता है कि आर्थिक प्लानिंग होनी चाहिये। जनसंघ प्लान्ड इकानामी में विश्वास नहीं करता। आज यह सरकार इस बात में हर तरह से लोगों को कस देना चाहती है कि किसी का विकास न हो सके। आज यह सरकार इस तरह से हर पेशे को हर रोजगार को निकम्मा कर देना चाहती है। आज सरकार यहां पर अगर किसी को बढ़ाना चाहती है तो वह बड़े उद्योगों को बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि बड़े उद्योग यहां पर लागू हों। छोटा पेशा यहां पर प प न सके। छोटे उद्योग यहां पर लागू न हो सकें। जब मैं देखता हूं कि इस बात की तरफ आपका निर्देश है तो मैं यह चाहता हूं कि कोई भी इस प्रकार का टैक्स न लगाया जाय जो जनता की दैनिक आवश्यकताओं को छूता हो। आज जब यह सरकार टैक्स लगाती है तो उन चीजों पर ही लगाती है जो जनता की दैनिक आवश्यकताओं को छूते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश में आमदनी का स्तर भी इस कदर गिर गया है कि जो आमदनी पहले ९६ नये पैसे थी वह आज ५३ नये पैसे हो गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिये उद्योग में जो हमारे मजदूर आज लगे हुये हैं उन्होंने अपनी उत्पादन की क्षमता को किसी प्रकार से कम नहीं होने दिया है और २७ परसेंट जो रियल वेजेज हैं उनमें जो बढ़ोतरी होनी चाहिये थी मजदूरों के उत्पादन बढ़ाने की वजह से, उसको भी सरकार ने मजदूरों को नहीं दिलाया। इन तमाम बातों को देखते हुए यह सरकार न कुछ लोगों के साथ न्याय कर सकी है, न निम्न श्रेणी वाले लोगों के लिये उनके जीवन की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का प्रबन्ध कर सकी है। ऐसी सरकार को क्या औचित्य है कि वह उन गरीबों पर टैक्स लगावे जिनकी आमदनी वह ३,६०० रुपया या उससे कम आंकती है? अगर इन्कम टैक्स के रेट्स देखिये तो उसमें ६०० रुपये या १२०० रुपये शादी व्याह के लिये छूट मिलती है, लेकिन उस गरीब की जिसकी मासिक आय १० रुपया है और जिसमें ही उसे शादी, व्याह, कपड़ा खाना, सब करना है और माननीय नवलकिशोर जी

[श्री टम्बेश्वरी प्रसाद]

की पुलिस के डंडे भी खाने हैं, उसके लिये आप कर का प्रबन्ध करने जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोविन्द सहाय जी कहते हैं कि यह पुलिस स्टेट के नियम हैं। क्या इस योजना में वह गरीब टैक्स देने में योगदान दे सकता है? नहीं दे सकता। आप भी, माननीय नवल किशोर जी भी, सभी अपने क्षेत्र में जाते हैं। क्या आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि उस गरीब का इस योजना में कोई योगदान है। यह योजना ऊपर से आयी है और इसमें जो लखपती हैं करोड़पती, उन्हीं की राय है और यह मामूली सी बात से पता चल जायगा। केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि कुछ चीजों पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाना चाहिये। उनका मतलब यह है कि गरीबों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को टैक्स से मुक्त किया जाय। लेकिन उसका उपयोग दूसरा है ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि यह सरकार और अधिक आगे कर न लगावे और अपनी आमदनी से और उन चीजों से आमदनी बढ़ा कर जिनमें उसने आज तक रुपया लगाया है ,अपना काम चलावे। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम काफी बचत कर लेंगे और इसी बात पर माननीय चरण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। भगवान जाने आज वह सब अस्त्र शस्त्र उनके कहां चले गये। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को पास कर दे और उन मरते हुए लोगों को जीवन प्रदान करें जो कि सरकार को घोषणाओं से मृतप्रायः हो गये हैं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी के संकल्प में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

मेरा पहला संशोधन यह है कि संकल्प की पंक्ति २ में "जनता" के स्थान पर "जन साधारण" रख दिया जाय। पंक्ति २ में ही शब्द "न" और शब्द "किसी" के बीच में "उन पर" रख दिया जाय।

मेरा दूसरा संशोधन है कि संकल्प के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"धनी व्यक्तियों पर कर बढ़ाया जाय और चीनी मिलों का, बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके अतिरिक्त धन प्राप्त किया जाय।"

श्रीमन्, मैंने यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है कि जो प्रस्तुत प्रस्ताव है मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज की अर्थ व्यवस्था में, नियोजन के युग में किसी प्रकार का टैक्स लगाये बिना काम नहीं चल सकता है। खास कर हमारे प्रदेश में जब तृतीय योजना के साधनों पर तमाम संकट मौजूद हैं, जब हम चाहते हैं कि और वह बढ़ायी जाय, विस्तृत की जाय, और पिछली दो योजनाओं को हमने देखा है हर पहलू पर हमारे अर्थ शास्त्रियों ने इस बात की सलाह दी है कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का आकार और स्वरूप बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो हमारे प्रदेश की मौजूदा स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना ७ अरब की हो। सरकार ने अपनी नीतियों के कारण, जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके कारण मजबूर होकर, इस योजना को आज लगभग ५ अरब का बनाया है। इस ५ अरब के ही अगर हमने साधन इकट्ठा नहीं किए तो हमारी पार्टी का निश्चित मत है कि हमारी यह तीसरी योजना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। यह योजना जो ५ अरब की है, इसे ७ अरब का होना चाहिये था। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि कर नहीं लगाये गए और साधन इकट्ठा नहीं किये गये तो यह तीसरी योजना पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हम और हमारी पार्टी कभी इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती कि कर एकदम न लगाये जायं, लेकिन जो सरकार की मौजूदा नीति है, उससे भी हमारा काफी गहरा मदभेद है। हम इस बात को मानते हैं कि सरकार को योजना को पूर्ण करने के लिए, साधन इकट्ठा करने को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिए टैक्स तो लगाना ही चाहिए, लेकिन टैक्स केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लगाना चाहिए जिनकी आमदनी पिछले दिनों बढ़ी है या जिनकी आज भी प्रदेश के अन्दर काफी बड़ी आय है। यदि सरकार ऐसे लोगों से साधन इकट्ठा कर लेती जो टैक्स देने की हालत में है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं थी। जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, यदि उनका इस्तेमाल कर लिया गया होता तो सरकार के लिए यह संकट की स्थिति पैदा न हुई होती। आप उस समय जनसाधारण से भी, कामन मैन से भी कह सकते हैं कि वह भी तीसरी योजना के लिए त्याग करे। आज हमारे प्रदेश में दूसरे ऐसे साधन मौजूद हैं कि सरकार बड़े पैमाने पर यदि आय प्राप्त करना चाहे तो उन स्रोतों से वह ऐसा बड़ी आसानी से कर सकती है, लेकिन सरकार ने लगातार इन साधनों का प्रयोग करने से इंकार किया है। सरकार ने ऐसे कदमों को उठाया है जिससे तृतीय पंचवर्षीय योजना के साधन एकत्रित नहीं किये जा सकते हैं। इसलिए सरकार की टैक्स की नीति का भी मैं गहराई से विरोध करता हूं। यह हमारी पार्टी का निश्चित मत है कि आज की मौजूदा कांग्रेस सरकार की टैक्स की पालिसी बड़े २ पूंजीपतियों को छट दे रही है। ऐसे लोगों को कि जिनकी आमदनी पिछले १० वर्षों में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है उनको सरकार छोड़ दे रही है। उसकी ऐसी प्रवृत्ति सी बन गई है कि जनसाधारण पर और गरीबों पर ही वह टैक्स लगाना चाहती है।

अब मैं अपने प्रदेश के रिसोर्सेज के बारे में कुछ कहूंगा। सबसे बड़ा जरिया तो हमारे प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री का है। जिसको हमारे सूबे के और देश के बड़े २ अर्थशास्त्रियों ने भी माना है। इस प्रदेश के अन्दर खनिज पदार्थ तो नहीं हैं और न मिट्टी के तेल और पेट्रोल आदि के कुएं ही हैं। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश के विकास के मुख्य साधन जो हैं केवल ऐग्रो "इंडस्ट्रि-लाइजेशन ही हैं।" एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इस प्रकार से बढ़ाया जाय और उनके साधनों को सरकार पब्लिक सेक्टर में इस प्रकार से ले कि हमारी योजना के लिए साधन बड़ी सरलता से एकत्रित हो जायें। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार ने चीनी मिलों का राष्ट्रीय-करण नहीं किया है। यह जो बड़ी चीनी मिलें हैं, ये जनता की कमाई से ही बनी हैं। इनको पूंजीपतियों ने और सरमायादारों ने नहीं बनाया है। सन् १९३२ के पहले जो चीनी हमारे देश में आयात होती थी सरकार को उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी से १० करोड़ रुपये का मुनाफा होता था। उसके बाद चीनी उद्योग के विकास के लिए प्रयास किया गया। सरकार ने प्रोडक्टिव ड्यूटी लगाई। मिल मालिकों को और पूंजीपतियों को छूट दी गई थी हमारे प्रदेश में। इस प्रकार से चीनी मिलों का उद्योगीकरण हमारे प्रदेश और देश के अन्दर बढ़ा। उसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को अपने गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिला और मिल मालिकों को सरकार ने टैक्स आदि में छूट दी। अगर सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करती है तो वह एक सही औचित्य स्थापित करती है। जनता ने अपनी कमाई से इस उद्योग को आगे बढ़ाया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये आज आवश्यकता है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो ताकि जनता की भलाई हो। अगर इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण आपने किया तो आज अनुमान है इस बात का कि करीब १५–२० करोड़ रुपये वार्षिक का मुनाफा हमको होने लगेगा। हमारे दोस्त कहते हैं कि इस १०–२० करोड़ से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती, हमको तृतीय योजना के लिये १०९ करोड़ रुपये चाहिये, लेकिन राष्ट्रीय-करण करने के कुछ ही वर्षों के बाद हमको ६०–७० करोड़ की आमदनी होने लगेगी। इसलिये मैं इस बात पर जोर देता हूं। यह बहाना नहीं होना चाहिये कि कांग्रेस की चूंकि एक इंडस्ट्रियल पा-लिसी है, इसलिये हम ऐसा करने में मजबूर हैं। आपको अपनी मिक्स्ड एकोनामी की नीति को छोड़ना पड़ेगा। आप को कदम ब कदम समाजवाद की ओर बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में समाजवाद बड़ी तेजी के साथ सफल हुआ है। दुनिया के हर पिछड़े हुये देश जिनका आर्थिक विकास नहीं हुआ है, समाजवाद की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां समाजवाद एक जरूरी

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कन्डीशन बन गया है। और उसके कोई भी देश आगे बढ़ नहीं सकता। क्या सही रूप में हम समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं? हम घोषणायें बहुत करते हैं। घोषणायें करने से ही कुछ नहीं होता। कांग्रेस सरकार ने इसकी घोषणा की है, लेकिन उसके लिये जो जरूरी कदम हैं उनको नहीं उठाया है। उसके लिये जो आवश्यक कदम है, उनको सरकार को उठाना चाहिये, तभी आप समाजवादी व्यवस्था को कायम रख सकते हैं अन्यथा नहीं। इसके लिये आज जरूरी है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो।

श्रीमन्, अगर हम पिछले वर्षों को देखें तो हमें मालूम होगा कि हमने कितने प्रकार के टैक्सों को बढ़ाया है। हमने कोर्टफीस ड्यूटी बढ़ायी, गरीब आदमी जो न्याय के लिये अदालतों में जाता था उस पर ड्यूटी बढ़ाई, हमने विद्यार्थियों की फीस बढ़ाने के लिये कदम उठाया, रोडवेज का किराया बढ़ाकर यात्रियों पर कर लगाया (लाल बत्ती होने पर) मुझे ५ मिनट का समय और देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—नियमों में १५ मिनट का समय है। दो मिनट आप और ले लें।

श्री चन्द्रजीत यादव—तरह तरह के टैक्स बढ़ाने के बाद अब आखिरी कदम सरकार का लैन्ड रेवेन्यू बढ़ाने का है। हमने इस बात की घोषणा की है कि आज सरकार को औचित्य नहीं है कि किसानों के ऊपर लगान बढ़ाया जाय। अनेकों बार आंकड़े दिये गये हैं। सरकार की पिछले ११ वर्षों की गलत नीति का नतीजा है कि किसानों और देहाती जनता की आमदनी गिरी। आज बड़े किसान की अवश्य बढ़ी है, लेकिन आन दि होल ८५ फीसदी गरीब जनता की गिरी है। इसलिए जन साधारण के ऊपर सरकार किसी प्रकार का टैक्स इस सेशन के अन्दर न बढ़ाये।

कहा जाता है कि फिर आमदनी कहां से बढ़ायें? अभी उत्तर प्रदेश के एक प्रवक्ता ने बतलाया कि केवल उत्तर प्रदेश में केन सेस का चीनी मिल-मालिकों पर ४५ करोड़ से ऊपर बकाया है। हम ने सदन में सरकार का वक्तव्य पढ़ कर सुनाया कि पौने सात करोड़ रुपया सेल्स टैक्स का चीनी मिल मालिकों पर बकाया है। बड़े व्यापारियों पर पौने दो करोड़ बकाया है। केवल कानपुर के बड़े बड़े मिल मालिकों पर १० करोड़ से अधिक रुपया अब तक पड़ा हुआ है। हमने अनेक बार कहा कि बकाया कर के वसूल करने से केन्द्रीय सरकार के करों का जो हिस्सा मिलने वाला है उसको मिला कर २० करोड़ रुपया इस सेशन के अन्दर मिल सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने आज तक उन करों की वसूली के लिए क्यों नहीं कदम उठाया जो गरीबों पर नहीं, प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर बकाया है। मौजूदा वर्ष में किसानों से डंडे मार मार कर साढ़े ९६ फीसदी वसूली हो गयी, उसके लिए गरीबों की अवश्य कुर्की की गयी होगी, जेल भेजा होगा, उन पर डंडे पड़े होंगे और बड़े बड़े पूंजीपतियों को छूट दी जाय, करोड़ों रुपयों की, इसका क्या औचित्य है?

सरकार ने एक इकोनामी कमेटी बनायी, ताकि प्रशासन में खर्चा कम किया जाय। कमेटी ने कहा कि १३ करोड़ रुपये की प्रशासन में इकोनामी हो सकती है। जब संकट का समय है तो सरकार इकोनामी के लिए क्यों नहीं मेजर्स लेती, प्रशासन के खर्च में कटौती करती, ताकि गरीबों पर टैक्स न लगाया जाता? सरकार को औचित्य नहीं है कि जब ऐसे साधन मौजूद हों, सरकार की कमजोर नीतियों की वजह से दूसरों पर करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हो उसको वसूल न किया जाय और गरीबों पर टैक्स लगाया जाय, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता। एक तरफ टैक्स का भार और दूसरी तरफ कीमतों पर नियंत्रण नहीं है। जनता की आमदनी न बढ़े, उचित कदम उसके लिए न उठाये जायं, इसका क्या औचित्य हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि समर्थक होते हुए भी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारे सूबे में कामयाब हो इतना अवश्य कहूंगा कि सरकार उन पर टैक्स लगाये जिन लोगों की आमदनी बढ़ी है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और उम्मीद करता

हूं कि सरकार कम से कम सर्वसाधारण के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स इस सेशन में न लगायेगी।

श्री नवलकिशोर––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया और उसमें माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उन दोनों का विरोध करता हूं। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने अपने भाषण में कहा कि यह प्रस्ताव प्रदेश की जनता के लिये अन्तिम सहारा है। उस अन्तिम सहारे का एक पहलू तो यह है कि आज विरोधी दल का एक भी नेता उस पर बहस करने के लिये उपस्थित नहीं है, इससे स्पष्ट है कि वे इस प्रस्ताव को कितना महत्व देते हैं। माननीय नेता जनसंघ भी नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एजेंडे में हमारे साथी श्री कल्पनाथ सिंह जी का एक संशोधन है। आपने उसको पेश नहीं होने दिया। उस संशोधन के पेश हो जाने के बाद ही आपको किसी माननीय सदस्य को बोलने का आदेश देना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष––मेरी मजबूरी रही कि वे स्वयं उपस्थित नहीं थे और किसी को उन्हों ने उसकी अथारिटी नहीं लिखी।

श्री रामसुन्दर पांडेय––बलवान सिंह जी और कमला सिंह जी को उन्होंने बोलने के लिये लिख कर दे दिया है। जिसको लिखित अधिकार दिया जाय वह संशोधन प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा नियमों में अधिकार दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष––मुझे उसको पेश कर सकने की कोई आथारिटी नहीं दिखायी गयी। उन्होंने बोलने के लिये कहा है तो मैं बोलने की इजाजत उनको दूंगा। बोलने के लिये इजाजत देना और संशोधन प्रस्तुत करने की इजाजत देना, दोनों में बहुत फर्क है। मैंने उनको बोलने की इजाजत देने का वायदा किया है, उसके लिये मैं उनको समय दूंगा।

श्री नवलकिशोर––एक ही प्रस्ताव के बारे में हमारे सामने दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये हैं, एक जनसंघ की ओर से और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। मैंने दोनों को बहुत ध्यान से सुना। माननीय चन्द्रजीत जी हमारी दो बातों से इत्तफाक करते हैं। पहली तो यह कि वे इस बात को मानते हैं कि नियोजन होना चाहिये। प्लान्ड एकोनामी में वे विश्वास करते हैं मगर टम्बेश्वरी प्रसाद जी को उसमें विश्वास नहीं है। दूसरी बात चन्द्रजीत जी ने यह कही कि जनता की गरीबी को देखते हुए इस तीसरी योजना को इससे भी बड़ा होना चाहिये था। नये टैक्सेशन लगने चाहिये, इसको भी वे मानते हैं, यह दूसरी बात है कि उनका इसमें मतभेद हो कि यह टैक्स किस पर लगने चाहिये। इस प्रकार से चन्द्रजीत जी और माननीय टम्बेश्वरी जी के विचारों में बिलकुल भिन्नता है।

माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने कहा कि यह अन्तिम सहारा है। लेकिन मैं इसको दूसरी नजर से देखता हूं। मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश स्यूसाइड (आत्म हत्या) करना चाहे तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रस्ताव को मान ले। इस तरह से यह प्रस्ताव स्यूसाइडल प्रस्ताव है, जो जनसंघ की तरफ से आया है। यह उत्तर प्रदेश की बैकवर्डनेस के लिये मैगनाकार्टा है ताकि फिर उत्तर प्रदेश जीवन में कभी आगे बढ़ ही न सके। इसलिये यह कहना कि यह अन्तिम सहारा है, एबसर्ड है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह जो टैक्सेशन किया जा रहा है वह बियान्ड कैपेसिटी है। मेरे पास एक चार्ट है जिसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि बिहार, उड़ीसा, और जम्मू काश्मीर को छोड़ कर और कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसका टैक्जेशन उत्तर प्रदेश से, अधिक न हो। मैं इस समय उसके आंकड़ों में जाना नहीं चाहता केवल इतना ही संकत कर देना चाहता हूं कि जो नये टैक्स

[श्री नवलकिशोर]

भी उत्तर प्रदेश में लगाये जा रहे हैं उनको मिला कर भी ३–४ स्टेट्स को छोड़ कर यहां सबसे कम हैं और नये टैक्स लग जाने के बाद भी इन्हीं ३ स्टेट्स को छोड़ कर सबसे कम टैक्सेशन उत्तर प्रदेश में रहेगा ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि एडीशनल टैक्स न लगाये जायं और पुराने टैक्सों में भी बढ़ोत्तरी न की जाय और यह कि एकोनामी करो और तीसरी योजना को उससे ही चलाओ । तीसरी बात के ऊपर उन्होंने एक शब्द भी न कहा, केवल पहली दो बातों तक ही अपने को सीमित रखा ।

यह जो नया थर्ड प्लान गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पेश किया है और जिसके लिये टैक्सेशन किया जा रहा है उसके सिलसिले में किस प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में एडीशनल टैक्सेशन हो रहा है, वह इस प्रकार है––

आंध्र ५२ करोड़, आसाम २६ करोड़, बिहार ५० करोड़, गुजरात २९ करोड़, जम्मू काश्मीर ८ करोड़, केरल २३ करोड़, मध्य भारत २८ करोड़, मद्रास ४५ करोड़, महाराष्ट्र ५२ करोड़, मैसूर ४० करोड़, उड़ीसा २३ करोड़, पंजाब ४० करोड़, राजस्थान ३२ करोड़, उत्तर प्रदेश १०९ करोड़, वेस्ट पंजाब ४० करोड़ । यह सही है कि उत्तर प्रदेश में इस समय अधिक टैक्स लग रहे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि सारे देश में उत्तर प्रदेश की तीसरी योजना सबसे बड़ी है । पहली और दूसरी योजना में जो पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर था वह कम था और इतना बड़ा प्लान बनने के बाद भी पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर १५ स्टेट्स में सबसे कम है । तो दो बातें हमारे सामने हैं । खुद उन्होंने यह बात मानी कि दोनों प्लान्स के अन्दर जो हमारा ऐचीवमेंट हुआ उसके बावजूद हमारी स्थिति बैकवर्डनेस की है, हमारे दोनों प्लान सफल नहीं हुए । मैं उनकी इस बात से इतफाक नहीं करता हूं । मेरा ऐसा विचार है कि हमारे स्टेट में जो पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर हुआ वह बहुत से स्टेट्स से कम रहा जिसकी वजह से जितना हमको आगे बढ़ना चाहिये था उतना आगे नहीं बढ़ सके । यह बात हो सकती है कि हमारे शासन में कुछ शासकीय कमी रही हो, उसको भी दूर करना चाहिए, मगर आज जो स्थिति है उसके अनुसार यह सही है कि एकाध स्टेट को छोड़ कर हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है । क्या आप चाहते हैं कि हमारा प्रदेश आगे न बढ़े और यहां की जैसी स्थिति है उसी पर सन्तोष कर लें ? जब तीसरा प्लान बना तो प्लान बनाने वाले एक्सपर्ट्स की राय यह थी कि कम से कम ९०० करोड़ का प्लान यहां का बनना चाहिये तभी हमारा उत्तर प्रदेश और स्टेटों के साथ मुकाबले में खड़ा हो सकता है । जिस समय प्लान बना था उस समय यहां जितने विरोधी दल थे सब ने इसका स्वागत किया था और इस बात की होड़ थी कि प्लान ज्यादा से ज्यादा का बनना चाहिये । प्रदेश की स्थिति को देखते हुये, यहां की गरीब जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ६९० करोड़ या ७०० करोड़ का तीसरा प्लान बना जिससे उस समय की सरकार ने मान कर उसे केन्द्र के प्लानिंग कमीशन के पास भेजा । उस समय उन्होंने हमसे पूछा कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज हैं । जितने रिसोर्सेज हम बतला सकते थे उतने हमने बतला दिये , और इस तरह से १४७ करोड़ की रकम हमारे हिस्से पड़ी और केन्द्र ने ३५० करोड़ देना स्वीकार किया और इस तरह से ४९७ करोड़ का हमारा तीसरा प्लान बना । मैं माननीय चन्द्रजीत जी यादव की इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हमारा प्लान बहुत कम है और आज भी हमारा पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर बहुत कम है । मैं इस बात को मानता हूं , लेकिन मेरे दोस्त माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने कहा कि कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिये, कोई छोटा या बड़ा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिये और साथ ही पुराने टैक्स की दर में भी किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिये लेकिन फिर यह प्रदेश की तरक्की के लिये पैसा कहां से आये । यह कदम किसी भी मानी से सही नहीं कहा जा सकता है । चूंकि उनको प्लान में विश्वास नहीं है, इसलिये वे ऐसा कहते हैं ।

मुझे खुशी है कि विरोधी पक्ष की कम से कम एक कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात में अपना मतभेद स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि वह जनसंघ की प्रतिक्रियावादी नीति से इत्तफाक नहीं करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री टम्बेश्वरी प्रसाद ने प्रदेश की गरीबी की बात कही। सही बात है कि हमारा प्रदेश गरीब है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुये प्रदेश की स्थिति को सदन के सामने अच्छी तरह से बतलाया था कि हमारा प्रदेश कितना गरीब है। हमारे अन्दर ऐसी भावना होनी चाहिये कि अगर हमारा प्रदेश गरीब है तो यहां की जनता खूब मेहनत से काम करे और उसके ऊपर जो यहां एक एक पैसा इनवेस्ट किया जाय उसका रिटर्न इतना मिल सके जिससे प्रदेश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गरीब इंसानों के पास जाकर हमें यह बात कहनी चाहिये कि अपनी गरीबी दूर करने के लिये तुम मेहनत मशक्कत करो जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़ सके, उस में से कुछ त्याग करो जिसका फायदा आगे आने वाली संतानें उठा सकें या यह कहना चाहिये कि तुम तो गरीब इंसान हो, बदनसीब हो, तुम्हारी किस्मत में ही यह लिखा है। मैं समझता हूं कि कोई भी प्रगतिशील दल इसे मानने के लिये तैयार नहीं होगा।

उन्होंने एक बात और भी कही कि यह योजना कैसे बनी, यह उनकी समझ में नहीं आया। उनके कहने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे यह प्लान कहीं से बन कर आसमान से टपक पड़ा। जहां तक उन्होंने यह कहा कि यह कापी की गयी है केंद्र से, यह गलत है। यह बात सही है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार योजनायें बननी चाहियें।....

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—श्रीमन्, मैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द की रिपोर्ट जो तीसरे प्लान के संबंध में है, उससे पढ़ रहा था।

श्री नवलकिशोर—मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम प्लान बनाते तो ६०० करोड़ की नहीं, न मालूम कितने करोड़ और अरब की वह बनती, लेकिन जब वह केवल ४६७ करोड़ की ही मंजूर हुई है तो उस पर ही उन को इतनी आपत्ति है, यह आपत्ति उनकी ठीक नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहां एकोनामी की बात कही गई और कहा गया कि एकोनामी की जाय और बकाया करों की वसूली की जाय। यह दानों बातें ऐसी हैं कि जिनमें काई मतभेद की गुंजाइश नहीं है। इस सरकार ने तो बराबर काशिश की है कि एकोनामी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की कांफ्रेंस में भी शुरू में ही कहा गया है कि वह लोग एकोनामी की चेष्टा करें। लेकिन माननीय यादव जी ने यह नहीं बताया कि एकोनामी किस हद तक हो सकती है। हो सकता है और ज्यादा एकोनामी हो सकती हो। बकाया के बारे में भी आप ने कह दिया कि ६०–७० करोड़ की होगी हालांकि वह इतनी है नहीं, लेकिन यह ठीक है कि उस की वसूली की काशिश होनी चाहिये। यह राइट-आफ नहीं होगी जो बकाया है उस को तो वसूलना ही होगा। वह माफ नहीं किया गया है, वह तो हम वसूल करेंगे इस में काई संदेह नहीं है।

उन्होंने यह भी फरमाया कि जो शकर मिलें है उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाय और जो बिजली के कारखाने हैं उन का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय। वही एक हथियार है और हमेशा वह यही बात कह देते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम ने अपने यहां मिश्रित एकोनामी की व्यवस्था को माना है, उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के चलने की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि मिक्स्ड एकोनामी लेकर नहीं चला जा सकता लेकिन मैं उनको बता दूं कि हमारे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिज्म में यही अन्तर है, हम इसी मिक्स्ड एकोनामी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे, उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर हम राष्ट्रीयकरण करें भी तो हमने जो सिद्धांत माना है उचित मुआवजा देने का वह कहां से पूरा होगा, यह रूस तो है नहीं कि सब की मालियत लेकर जब्त कर लें, फारफीट कर

[श्री नवलकिशोर]

लें। हम ने जमींदारी के ४० साल के बांड ईशू किये हैं जिन का भार हम पर है। इसी तरह से हमें चीनी मिलों का भी कई करोड़ मुआवजा देना होगा और जो यह बिजली की कम्पनियां हैं इनका भी कितने ही करोड़ का हिसाब होगा। इस के अलावा हम ऐसा केंद्रीय सरकार की बगैर इजाजत के कर भी नहीं सकते और करें भी तो इतना पैसा मुआवजा देने को कहां से आयेगा और बजाय इसके कि हम इन आउटडेटेड पुरानी मशीन्स को लें क्यों न हम नये नये कारखाने दूसरे क्षेत्रों में उसी पैसे से लगावें और उन को भी चलने दें?

उन्होंने कहा कि कोर्ट फीस बढ़ा दी गई, रोडवेज का टैक्स बढ़ा दिया, गरीब विद्यार्थियों की फीस बढ़ा दी। एक तरफ तो वह कहते हैं कि नेशनेलाइजेशन किया जाय, लेकिन अगर इसी सदन में ट्रांसपोर्ट रूट्स को नेशनेलाइज करने की बात आती है तो पी०एस० पी० के उस वक्त के नेता मदन मोहन जी ने उस का डटकर इसी सदन में विरोध किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिये। एक तरफ तो वह नेशनेलाइजेशन की बात कहते हैं और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि एक रुपये पर ५ नया पैसा टैक्स भी न बढ़ाया जाय और उस के लिये दोहाई देना उन्होंने आरम्भ कर दिया कि जनता पिस जायगी।

एक बात उन्होंने सही कही कि अगर हम पर और साधन न होते तो वह जनता से कहते कि वह त्याग करे और सरकार का साथ देते। केवल उनके अन्दर एक भ्रांति है। वह भी चाहते हैं कि गरीब जनता त्याग करे और पैसा दे, लेकिन वह यह कहते हैं कि साधनों का पूरा उपयोग अभी तक नहीं किया है और उन्होंने २,३ बातें बतायीं। एक तो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही और दूसरे बिजली के कारखानों के राष्ट्रीकरण की बात कही और यह भी कहा कि अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगता। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अमीरों पर काफी टैक्स लग चुका है, उन पर अधिकांश टैक्सेज ऐसे हैं जिनके लगाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है, प्रदेश की सरकार को नहीं। तो मैं चन्द्रजीत जी से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने राष्ट्रीयकरण की बात कही वह आज की स्थिति में संभव नहीं है।

एक बात टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने कही कि योजना फिर से बननी चाहिये। तो इसके लिये हमारी उनको दावत है कि चौथी योजना बनाने का कार्यारम्भ हो गया है, आप उसमें सहयोग दीजिये। तीसरी योजना को तो सफल बनाइये और आगे के लिये आप जिस तरह की योजना चाहते हैं उसके लिये सुझाव दीजिये।

जन संघ के नेता ने कहा कि उद्योगीकरण होना चाहिये। सही है, जमीन पर से भार हटाने के लिये यह जरूरी है, तभी प्रदेश आगे बढ़ सकता है। यह भार तभी कम होगा जब नये-नये एवेन्यूज पैदा करें। उद्योगीकरण के लिये भी तो पैसा चाहिये, वह भी टैक्स लगा कर ही आयेगा। उद्योगीकरण होगा, कोशिश बराबर की जा रही है। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, काटेज इंडस्ट्रीज, फायनेंस कारपोरेशन आदि जो संस्थायें हैं उन सब के अन्दर पैसा खर्च होता है। लिहाजा मैं टम्बेश्वरी प्रसाद जी से कहूंगा कि वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जनता को बहकाने का कौशल भी है उनके पास और काफी बहकाने की काशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश के जीवन मरण के प्रश्न पर खिलवाड़ न कीजिये। आज देश और प्रदेश जीवन और मरण के स्तर पर खड़ा हुआ है। यदि आपने इस तरह की खिलवाड़ की तो आने वाली पीढ़ियां आपकों माफ नहीं करेंगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वे अपना सुसाइडल प्रस्ताव वापस ले लें जो प्रदेश के भाग्य पर यही मोहर लगाने वाला है कि तू हमेशा बैकवर्ड रहेगा। यदि उनकी सच्ची भावना प्रदेश को प्रगति की है और जो हमारी भी है उसमें सहयोग स्थापित करें और इस प्रदेश को आगे तरक्की के मार्ग पर ले चलने में जुट जायं।

इन शब्दों के साथ मैं जो प्रस्ताव संशोधनों सहित पेश हैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—श्रीमन्, बहुत ही मार्मिक बातें गृह उप-मंत्री जी ने कहीं। वह त्याग की बात कहते हैं और साथ ही प्लानिंग की बात कहते हैं। जहां तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का संबंध है, हम लोग प्लानिंग में यकीन करते हैं और, मुझे जहां तक याद है, माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद ने इकोनामिक प्लानिंग की बात कही है, शायद आपको कनफ्युजन हो गया है। मेरा खयाल है शायद माननीय चन्द्रजीत ने भी कहा है कि टैक्स किस पर लगे। दो योजनायें गुजर गईं, अर्बन एरिया की आमदनी अगर १०० थी तो देहात की ३३ थी १९५२ तक, लेकिन जब आपकी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें गुजर गयीं तो आज यह हाल हो गया ह कि रूरल एरिया की आमदनी ३३ से घट कर २८ हो गयी है। आपकी इस प्लानिंग के बाद देश में तरक्की न हो, गांव के आदमियों के चीथड़ों में से चीथड़े निकाले जायं, देहात के अन्दर बेकारी हो और मालदार अधिक मालदार बनें और गरीब अधिक गरीब बनें तो मैं खास तौर से सरकार से कहने जा रहा हूं कि इस प्लानिंग को बन्द कर दें। मेरा कहना यह है कि जितनी उनकी प्लानिंग है, इस देश का रुपया निचोड़ कर उसका जो बंटवारा है और साथ साथ जो वेस्टेज है उस पर हमारा एतराज है। प्लानिंग के साथ देश के अन्दर विश्वास की जरूरत होती है। इस साढे ७ करोड़ जनता को आपका विश्वास तब आयेगा जब आप इस बात का यकीन दिलायेंगे कि सरकारी अफसरों और सरकार के मिनिस्टरों में त्याग की भावना हो और उनकी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा ठीक ठीक इस्तेमाल हो। लाखों और करोड़ों रुपया स्कीम्स में खर्च करने पर भी देहात के अन्दर किसी किस्म का कोई जोश न पैदा हो, यह आश्चर्य की बात है। यदि देहातों के लिये ७८ लाख रुपये पीने के पानी के लिये रखा जाय और १० करोड़ शहर के अन्दर तो इससे क्या आभास होता है? कानपुर जिले में ही जितनी योजनाओं का सवाल है उनमें १/१०० हिस्सा भी देहात के अन्दर योजना के नाम पर खर्च नहीं किया जा रहा है। ९९/१०० हिस्सा शहर में सिंघानिया, जयपुरिया और रामरतन गुप्त को ही जा रहा है। तो फिर घसीटे, चटरू और मटरू आपको पैसा क्यों दें? आपने इन शहरों को आबाद करने के लिये देहात के किसानों को लूटा यह कहां तक उचित है? आप इन देहातों को बरबाद करके शहरों को आबाद नहीं कर सकेंगे। एक विद्वान ने यह कहा है कि अगर शहर की बरबादी पर देहातों के अन्दर एक नई जिन्दगी आ जाय तो फिर नये नये शहर हिन्दुस्तान में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर उन खेतों को उजाड़ कर शहरों को बनाने की कोशिश की तो फिर मेरा नवलकिशोर जी से कहना है कि इन खेतों को उजाड़ कर शहरों के अन्दर सड़कों पर घास ही नजर आयेगी, रौनक नजर नहीं आयेगी। ५० से ले कर ६२ तक आंकड़े देखिये कि इस गाढ़ी कमाई का पैसा कहां जा रहा है। हमारे और आपके प्रोसीजर में फर्क है। आप हमको भी शामिल करते हैं। अभी उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि दिल्ली की पार्लियामेंट में जितने अपोजीशन पार्टी के लोग थे सब ने थर्ड फाइव ईयर प्लान में योग दिया। विकल साहब की स्पीच, श्रीमन्, आपने पढ़ी होगी। यह बात कही गयी थी कि प्लानिंग लादी गयी तो किसान पर लादी जा रही है लेकिन इस प्लानिंग से फायदा मालदार को हो रहा है और गांव उजड़ रहे हैं। तो यह आपकी बेंच की तरफ से बात कही गयी है। श्री चन्द्रजीत और हममें तो फर्क हो सकता है, लेकिन आपकी बेंच की तरफ से कही गयी बात में तो फर्क नहीं हो सकता। यह बात ठीक है कि जितनी पंचवर्षीय योजनायें हैं उनसे इस देश की जनता को परेशानी मिली। किसी को ज्यादा फायदा नहीं होता। ९५ फीसदी लोगों के सामने कोई पैसा नजर नहीं आता है। जहां तक टैक्सेशन का सवाल है, मंत्री महोदय ने मनु महाराज की दुहाई दी थी कि यह कर क्या है। मनु महाराज ने साफ कहा है कि कर इस तरह से लो जैसे भेड़ से ऊन गर्मियों में ली जाती है। हमारे गोविन्द सहाय जो बैठे हैं, सोशलिस्ट हैं। माननीय पंडित जवाहर लाल जो भी सोशलिस्ट हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर भेड़ के पास ऊन नहीं है तो उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान सिंह]

खाल ले लो। अगर किसान के पास पैसा नहीं है तो उसकी हड्डी ले लो। आज आपका जितना भी टैक्सेशन है उसके जरिये आज जिसकी ५० रुपये से कम की आमदनी है उसे आप मौत की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप एकनामिस्ट हैं तो हमको समझाइये कि कैपेसिटी टु पे किस की है। अगर इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा तो हम आपका साथ देने के लिये तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के स्टैंडर्ड आफ लिविंग के अनुसार एक मिनिमम लिविंग वेज तो रखिये। अगर कोई शख्स जाड़े का लिहाफ तक नहीं बना सकता और आप प्लान के नाम पर उस पर टैक्स लगाते हैं तो यह इस मुल्क के साथ आप वफादारी नहीं कर रहे हैं।

आपने कहा कि यह सुइसाइडल प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव सुइसाइडल नहीं है, बल्कि सुइसाइडल ऐक्शन आपका होगा, जबकि हिन्दुस्तान के गरीब आदमी के नमक और तेल का पैसा तक आप छीन कर सरकारी खजाने में ले आयेंगे। इसके साथ ही साथ आप जरा अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत देखिये। मेरा खयाल है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन पर सन् १९४८ के मुकाबले आज तिगुना खर्च हो चुका है। (बजट कितना बढ़ गया है की आवाजें) लेकिन एफिशेंसी में आप जीरो हैं। आपके अपने ऊपर तो कोई कुरबानी की बात नहीं है। सौ रुपये से अधिक तनख्वाह मिनिस्टरों की न हो, गांधी जी के इस प्रस्ताव को आपने फाड़ कर फेंक दिया। आप हजार रुपये से ज्यादा क्यों लेते हैं? (व्यवधान) आप हमसे त्याग की बात करते हैं। एक एम०एल०ए० को २०० रुपये मिलते हैं। आप जितनी कहिये उतनी कटौती करने के लिये हम तैयार हैं, लेकिन आज ये मिनिस्टर्स जिनके बहुतों के नाम भी मुझे नहीं मालूम और मिनिस्टर्स को खुद नहीं मालूम कि उनका काम क्या है और हमसे नवलकिशोर जी कह रहे हैं कि त्याग करो। मुझे उम्मीद है कि आप के अन्दर भी त्याग की भावना आयेगी।

सजेशन्स का जहां तक सवाल है, सजेशन्स हमारी तरफ से आये हैं। पहला सजेशन शुगर मिल्स का है। १५ करोड़ रुपये की आमदनी आपको होगी। अंग्रेज जब यहां से गये थे तो ईमानदारी के साथ १,४०० करोड़ रुपये का चेक आपको दे गये थे। उतना रुपया आप तब से अब तक अनाज मंगाने में खा गये और आपके पास एक पैसा भी बैलेंन्स में नहीं है। श्रीमन्, देहात में हालत यह है कि आदमियों की पैदावार ज्यादा होती जा रही है और अनाज की पैदावार कम होती जा रही है। ८० फीसदी काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास ५ एकड़ भी जमीन नहीं है और ८० फीसदी गांव के आदमी गरीब हैं, लेकिन हमारे साथी नवल किशोर जी को बरदाश्त नहीं है और वे गांव के आदमी से जिसके पास पैसा नहीं है कहते हैं कि वह त्याग की भावना दिखायें और जो लोग हजारों रुपये रोज कमाये उससे कुछ नहीं कहते हैं। क्या हमारे साथी बता सकते हैं कि पद्मपति सिंहानिया की रोज की क्या आमदनी है? उसकी आमदनी एक लाख रुपये रोज की है। बहुत से हिन्दुस्तानियों को इतना रुपया देखने को भी नहीं मिलता है। (व्यवधान) आप मुझे दीजिये एक लाख रुपया। मैं आपको ९९ हजार रुपये टैक्स में दूंगा। जब हवाई जहाज पर आप लोग जाते हैं तो पद्मपति सिंहानिया से हाथ मिलाते हैं और हम से त्याग की बात करते हैं।

मैं मिलों के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां एक बहुत पुरानी कहावत है कि जितने आने मन गन्ना उतने ही रुपये मन चीनी बिकनी चाहिये।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे ५ मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—फिर लोग कम बोल पायेंगे। आप दो मिनट और बोल लीजिये।

श्री बलवानसिंह—मेरा कहना यह था कि यह उसूल लाखों सालों से चला आता है। जब से सफेद चीनी बननी शुरू हुई होगी तभी से चला आता होगा। अगर २३ आने मन गन्ना बिकता है तो २३ रुपये मन चीनी बिकनी चाहिये। इस तरह से १५ करोड़ रुपये की

सालाना आमदनी सरकार को लेने में क्या हर्ज है ? जब आपने जमींदारी छीन ली तो इनसे आपको क्यों डर लग रहा है ? आप इनकी दोस्ती छोड़ दीजिये। उस दिन हम हर कुरबानी देने के लिये तैयार हैं जब आप हमें यह विश्वास दिला दें कि आप कैपीटेलिस्ट्स नहीं हैं, टाटा, बाटा नहीं हैं। जब तक आप वेस्टेज करेंगे, ऐफीशियेंसी नहीं आयेगी, तब तक आप चाहे कितनी ही योजनायें चलायें, लेकिन देश गरीबी की तरफ ही जायगा। यह कह कर मैं अपने साथी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*कारागार राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा आज की बहस में बोलने का नहीं था और सुनने के ही खयाल से मैं आया था, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने बार बार मेरी ओर संकेत किया और मुझे प्रोवोक किया। मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। कुछ लोग और भी बोल लें तो अच्छा है। इसलिये केवल दो तीन बातें, जो उठाई गईं, उनकी ही चर्चा करना चाहता हूं।

अभी पी० एस० पी० के माननीय सदस्य ने नवल किशोर जी तथा मेरी ओर संकेत कर के २/३ बातें पूछीं। उन्होंने पूछा कि बतलाइये कि आज भी प्लानिंग के बाद बेकारी है, गाँवों के लोगों के ऊपर संकट है, तो फिर आप को टैक्स कैसे दें, सहयोग कैसे दें। बिलकुल मैं उन्हीं बातों को सामने रखता हूं, सिर्फ जरा-सा रुख मोड़ कर। इन सब चीजों को दूर करने के लिये आवश्यक होगा कि आप कोई योजना बनावें और योजना के लिए आवश्यक है कि आप रिसोर्सेज पैदा करें। अगर आप गरीबी के विशस सर्किल को तोड़ना चाहते हैं तो कुदरतन रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे। अब सिर्फ देखना यह है कि क्या सिर्फ प्लानिंग मंजूर कर देने से बेकारी दूर हो जाती है। आप का थीम यह है कि अब आपने प्लानिंग को मंजूर कर लिया तो बेकारी और दूसरी मैलेडीज क्यों हैं ? मेरा कहना है कि प्लानिंग के जरिये इन चीजों की शुरुआत कर के दायरा तंग करते हैं। हम दावा नहीं करते हैं कि प्लानिंग के मंजूर करने से, एक या दो योजनायें चलाने से जो सोशल और इकोनामिक मैलेडीज हैं, वह खत्म हो जाती हैं। देखना यह होगा कि बेकारी का दायरा या जो दूसरी तकलीफें हैं, उनका दायरा कम हुआ या नहीं। मैं दूसरी चीज पूछना चाहता हूं। काश प्लानिंग न होती तो इससे भयानक स्थिति होती। इससे भी भयानक बेकारी होती। लाखों आदमी मरते। इस देश में जब प्लानिंग नहीं थी तो ३५ लाख आदमी बंगाल फेमीन में मर गये। फ्लड में लाखों आदमी मरते थे। इसलिये यह प्रश्न करना उचित नहीं था।

आपने दूसरी बात कही कि आमदनी गिरी है। इसके सपोर्ट में आँकड़े देते हैं। उधर से इसके विपरीत आँकड़े दिये जाते हैं कि नहीं आमदनी बढ़ी है। मैंने कल काउंसिल में भी यह बात कही थी। मैं यह नहीं मानता कि हिन्दुस्तान में अभी आँकड़े इकट्ठे किये जा सकते हैं या आँकड़ों की कोई मशीन है या लोगों में आँकड़े देने की प्रवृत्ति है। आँकड़े कहाँ से इकट्ठा होते हैं ? मैं अपनी कह सकता हूं। अगर बहैसियत किसान के मुझसे पूछा जाय कि मैं कितना अन्न पैदा करता हूं तो स्वभाविक प्रवृत्ति है कि सरकार को कभी ठीक बात नहीं बतानी चाहिए। यह साइकालोजिकल है। मैं सिर्फ इस बहस में आना चाहता हूं कि अगर कुएं बिजली, सड़कें बढ़ती हैं तो यह चीजें किसी न किसी रूप में जिन्दगी को बेहतर बनाने में काम आती हैं। मतलब सिर्फ यह है कि बेकारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, सुरक्षा की भी कमी है, लेकिन प्लानिंग हमारी मदद कर रही है इन चीजों पर हावी होने में। लेकिन एक या दो प्लान से, बल्कि मैं तो कहता हूं कि तीसरे प्लान के बाद भी हो सकता है कि बेकारी ज्यादा हो, क्योंकि वह सोसाइटी जिसमें सरकार कोई जिम्मेदारी लेती नहीं थी, अभी तक रही। नंगे रहो, पढ़ो, न पढ़ो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद नये ढंग की स्टेट बनी। सब लोग सरकार की तरफ देखने लगे। उसका मेकैनिज्म हमारे देश में नहीं बन पाया है। जब प्लानिंग परिपक्व अवस्था में होगी तो यह दिक्कत नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

अब मैं एक बात की तरफ और आना चाहता हूं जो कि जन संघ के मित्र ने कही। उनका एक विचारात्मक दृष्टिकोण है। कल काउंसिल में भी जन संघ के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सोशलिज्म के भी खिलाफ हैं, प्लानिंग के भी खिलाफ हैं। स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाने के लिये कोई प्लानिंग जरूरी नहीं है। अगर प्लानिंग का रास्ता ही उसके लिए जरूरी हो तो बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने प्लानिंग को न मंजूर कर के भी स्टैंडर्ड आफ लिविंग और प्रासपेरिटी को बढ़ाया है, लेकिन हम प्लानिंग को जब मंजूर करते हैं, तो उसका एक विस्तृत क्षेत्र है। वह महज इतना ही नहीं है कि हम प्रोडक्शन बढ़ायें, उसके साथ-साथ समाज की और भी बहुत सी बातें हैं जो कि प्लान्ड ढंग से लायी जा सकती हैं। यदि कोई प्लानिंग के खिलाफ है तो मुझे उसमें कोई ऐसी बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन आज अभी जो मित्र उधर से बोले, उनकी दलील ऐसी ही लगी जैसे किसी आदमी को रजाई ओढ़ के सोने की आदत हो, वह तभी साँस लेता हो, जबकि उसने चद्दर ओढ़ ली हो, और उससे आप कहिये कि चद्दर खोल कर साँस लो तो वह कहेगा कि नहीं जुकाम हो जायगा। उसमें अपने ऊपर कान्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि वह चद्दर खोल कर साँस ले तो जिन्दा भी रह सकेगा। उसी तरीके से अगर आप हर चीज को पुराने तरीके स रखना चाहेंगे, और कोई भी तब्दीली की बात कही जायगी तो आपको मालूम होगा कि इससे तो गजब हो जायगा।

दो एक बात और उठाई गई साइकोलोजी की कि आपने देश के अन्दर ऐसा वातावरण क्यों नहीं तैयार किया, जिससे कि लोग बलिदान की तरफ जायं। इसमें आप उस बैकग्राउन्ड को अलग नहीं कर सकते जो कि हमें मिला। हमको एक ऐंटी-गवर्नमेन्ट सेंटीमेंट मिला है। फिर सन् १९४७, ४८, ४९, ५० की मारकाट और तबाही, बरबादी की आबहवा मिली। इसके बाद हमारा पोलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि यदि एक पार्टी ऐसा चाहे कि देश में ऐसा वातावरण पैदा कर दें तो वह नहीं कर सकती है। इस वातावरण को पैदा करने में सब के सब मिल कर कोशिश करें तो वह पैदा हो सकता है। बहरहाल, वातावरण ऐसा नहीं है, उसका एहसास हमको भी है। उसकी तरफ कोशिश होनी चाहिए और उसमें सिर्फ हम ही को दोषी ठहराना मुनासिब नहीं है। अभी मेरे मित्र ने जिक्र किया और मेरे खयाल से उनकी बात में लाजिक थी और वही हमारे पक्ष में जाती है। उन्होंने बतलाया कि पद्मपत सिंहानिया की कितनी आमदनी है, एक लाख रुपये रोज की उनकी आमदनी उन्होंने बतायी। हो सकता है कि उनकी बात सही हो। मैं मान लेता हूं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, मैं बिल्कुल आप से एक व्यवहारिक सोशलिस्ट के नाते बात कर रहा हूं कि क्या हमको आज हमारे देश में जो उद्योग की कला में हमसे ज्यादा वाकिफ लोग हैं उनकी वाकफियत का फायदा नहीं उठाना चाहिए? उनके साथ में क्या रुख हमारा होना चाहिए? एक रुख तो यह है कि हम उनकी कब्रों पर सोशलिज्म बनायें। दूसरा रुख यह है कि हम उन लाखों करोड़ों आदमियों के सहयोग से सोशलिज्म बनाये। तो हम उन लाखों करोड़ों आदमियों के सहयोग से सोशलिज्म बनाना चाहते हैं। मैं दूसरी मिसाल देता हूं। चाइना जैसे देश में उनको जब आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट महज सरकार के उस पर कब्जा कर लेने से नहीं होता है, सरकार सब कल-कारखानों पर कब्जा कर ले, तो उससे समाजवाद की कल्पना पूरी नहीं होती है, समाजवाद को लाने के लिए जो टेकनोलाजिकल डेवलपमेंट चाहिये उसमें जो क्लास आपको मदद कर सकती है, उससे आप को मदद लेनी चाहिए, और इसीलिए मैं बिलकुल प्रैक्टिकल बात आप से कहता हूं, आपको इस देश में ऐसी बहुत से बातें बहुत दिनों तक बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उसके बाद जब आप एक परिपक्व स्थिति में पहुंच जायेंगे तो बहुत आसानी से एक कानून के द्वारा आप उस चीज को मोड़ सकते हैं। इसलिये आप को आज उससे फायदा उठाना चाहिए। (व्यवधान) मैं तो कह रहा हूं। मैं तो उसे एक ईविल मानता हूं। मैं उस लाइफ को ऐब्सोल्यूट नहीं मानता, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल आदमी की बात कर रहा हूं, चाइना जैसे देश में भी शुरू के स्टेज में उन्होंने अपने यहाँ के कैपिटलिस्ट्स को एक अलग बस्ती बना कर एनकरेज किया और पैट्रिआर्किक कैपिटलिज्म उसका नाम रखा। तो मैं आपसे

बिलकुल प्रैक्टिकल बात कहता हूं कि आज आप एक अपरिपक्व स्थिति में हैं, उनको उसके टेक-निक का तजुर्बा है, देश को उससे फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि केवल स्लोगन से आप सोशलिज्म नहीं ला सकते हैं। बहरहाल, मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हम भी उस बात को सही नहीं मानते हैं। हम लोग तो सब यहाँ कामनर्स हैं। यह तो मौके की बात है, हम इधर हैं आप उधर हैं। आप यदि इधर हुए होते तो कौन जाने आप मिनिस्टर हो गए होते या न होते। हम और आप सब एक ही क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट में साथ साथ हिस्सा लिया है, इसलिये कैपिटलिज्म के लिये कोई साफ्टनेस हमारे अन्दर हो, ऐसी बात नहीं है।

अब आप ने टैक्स के रियलाइजेशन की बात कही। मेरे लिये उसका जवाब देने में कठिनाई है। पहली बात यह है कि जो हमारे एरियर्स हैं उनको रियलाइज करने से हमारे प्लान का काम पूरा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उसके रिय लाइजेशन में, चूंकि इस बात को बारबार उठाया जाता है इसलिये मैं कहता हूं, बहुत-सी प्रैक्टिकल, टेक्नीकल और लीगल डिफिकल्टीज हैं। मैं आप से कहूं कि हमारी धारणा और हमारा संकल्प यह है कि जो सुझाव आप ने दिये उनका हम पूरा उपयोग करें और उपयोग किया जायगा, मगर उसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा, उसमें टाइम उन प्रैक्टिकल, टेक्नीकल और लीगल डिफिकल्टीज की वजह से लग रहा है, क्योंकि कोई भी उद्योगपति उसमें गवर्नमेन्ट के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इस वजह से दिक्कत पड़ती है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे यक़ीन है कि जो सोशलिस्ट कहलाने वाले लोग हैं वे सोशलिज्म के बहाव के रास्ते को बढ़ाने के लिये टैक्सेशन का विरोध नहीं कर सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि जो टैक्स वसूल किया जाय उसका उपयोग सही तरीके से हो। उस पैसे का इस्तेमाल ठीक तरह से हो। उस में जो भी आप सुझाव देंगे उसकी वकत होगी। हम यह कभी दावा नहीं करते हैं कि हम सब बातें जानते हैं। अगर ऐसा प्रैक्टिकल कोई सजेशन आये तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन सोशलिस्ट जिसका कांशेयन्स सोशलिज्म से भरा हो, वह टैक्सेशन का विरोध नहीं कर सकता है और खास तौर से ग्रोइंग इकानामी में वह टैक्सेशन का विरोध नहीं कर सकता है। उसमें रिसोर्सेज को बढ़ाना लाजिमी है। वह उसके साथ रिश्ता रखता है। एक की ताकत से दूसरे की ताकत बढ़ती है। टैक्सेशन का मतलब रुपया नहीं है। टैक्सेशन का मतलब रिसोर्सेज है, यानी ज्यादा लोगों के लिये साधन पैदा करना। इसकी आप मुखालफत नहीं कर सकते हैं। उसके अन्दर मिसयूज को बताना आप का हक़ है। मिसयूज आपने बताया कि एयर कंडीशन्ड किया गया। मैं आप को यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि हम को कोई इन बातों का शौक नहीं है, हवाई जहाज पर चढ़ने का कोई शौक नहीं है, न एयर कंडीशन्ड कमरे में बैठने का शौक है, क्योंकि मेरा यक़ीन है उस से सेहत खराब होती है। फौरन गर्मी और फौरन सर्दी इससे सेहत खराब होती है। मगर मैं कहूंगा कि आप लाखों करोड़ों की बात कहें, यह तो मामूली बातें हैं, हालाँकि एयर कंडीशन भी हमारी टैक्नालाजी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और वह भी इम्प्रूवमेंट का एक चिन्ह है। इसलिये उन बातों को आप जबान पर न लायें तो अच्छा है। बड़े मुंह से छोटी बात अच्छी नहीं लगती। आप का सोशलिज्म में विश्वास है और अपने को सोशलिस्ट कहते भी हैं तो मेरा भी यह यक़ीन है और मेरा विश्वास है कि अगर कोई चीज देश में हमारे मसलों को हल कर सकती है तो वह सोशलिस्टिक सोसाइटी का कंसेप्ट है। वह क्या है उसको बताने का तो इस समय मौक़ा नहीं है, लेकिन मैं सोशलिस्ट भाइयों से यह आशा करता हूं कि उनको टैक्सेशन की मुखालफत नहीं करनी चाहिये। अगर जन संघ के भाई इसकी मुखालफत करते हैं तो मुझे इसका गुरेज नहीं है, क्योंकि वे सरकार के फैलाव में यक़ीन नहीं करते। वे प्राचीन बातों में, प्राचीन सभ्यता में यक़ीन करते हैं। प्राचीन समय में सरकार ये काम नहीं करती थी। न वह सड़कों का काम करती थी, न शिक्षा का वह सरकार काम करती थी और न सेहत का काम उस समय किया जाता था। तो यह बातें नये समय के अनुसार हो रही हैं यें चीजें नई बातों के और नई विचारधारा के विरुद्ध है। इसलिये मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मगर

[श्री गोविन्द सहाय]

यदि ऐसी बातें हमारे उधर के दोस्त कहें तो उचित-सा नहीं लगता। कुछ अगर सजेशन दिये जायं तो उनको देख लेंगे और उन पर हम गौर करेंगे।

आखिर में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि दूसरों का वक्त काटकर आपने मुझे वक्त दिया, किन्तु मेरे लिये कुछ कहना अनिवार्य हो गया था, इसलिये मैंने दो-चार बातें सदन के समक्ष रखीं।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता और जनता के प्रतिनिधि विरोधी दल के लोग टैक्स लगाने का विरोध क्यों कर रहे हैं? टैक्स लगाने का विरोध हम इसलिये करते हैं कि टैक्स का भार गरीब जनता पर, मध्य वर्ग के व्यापारी पर और मध्य वर्ग की जनता पर और गरीब किसानों पर पड़ता है। यदि टैक्स लगाने के साथ साथ सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं द्वारा कुछ मंहगाई भी कम हो जाती, जनता की क्रय-शक्ति बढ़ती और उसकी आमदनी बढ़ती तो शायद गरीब टैक्स देने का विरोध न करता, लेकिन दोनों योजनाओं के फलस्वरूप भी जनता की आमदनी घटी है, उसकी क्रय-शक्ति घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उन्हें खाने-पीने को और रोजगार नहीं मिल पाता। इसीलिये गरीब जनता टैक्सों का विरोध करती है। आपको पता है कि कितनी मंहगाई बढ़ती जा रही है? लोगों के पास खाने को नहीं है, मकान नहीं है और सरकार टैक्स लगाती जा रही है, इसलिये हमको इसका विरोध करना पड़ रहा है। योजनायें आनी चाहिये और पूरी होनी चाहिये और उनके लिये टैक्स भी लगना चाहिये, यह सरकार का कहना ठीक है, लेकिन टैक्स किस पर लगना चाहिये? टैक्स उस जनता पर नहीं लगना चाहिये जो टैक्स देने में असमर्थ हैं। टैक्स पूंजीपतियों पर, करोड़पतियों पर लगना चाहिये जो आराम से अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। योजनायें आने पर भी गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और सरकार जो टैक्स लगाने जा रही है उस का असर गरीब जनता पर ही पड़ता है। यात्री-कर का असर किस पर पड़ेगा? फीस जो बढ़ायी जा रही है उसका असर किस पर पड़ेगा? मकानों पर जो टैक्स बढ़ रहा है उसका असर किस पर पड़ेगा? इन टैक्सों का असर किसी न किसी रूप में गरीबों पर ही पड़ेगा। अगर इन टैक्सों का असर पद्मपत सिंहानिया और जैपुरिया पर पड़ता तो हम इसका विरोध न करते, लेकिन उसका असर गरीब जनता पर पड़ता है, किसान और मजदूरों पर पड़ता है और उन पर पड़ता है जो टैक्स देने में असमर्थ हैं।

योजना में बड़े-बड़े पुल, बांध और सड़कें और कारखाने खोले जा रहे हैं, ठीक है, उनको खुलना चाहिये, लेकिन उनसे गरीब जनता का कोई भला नहीं होगा। उसे तो रोटी चाहिये। उसे तो चिकित्सा, पढ़ाई की सुविधा चाहिये, लेंकिन वह नहीं मिलती और इसीलिये हम टैक्सों का विरोध करते हैं। दो योजनायें समाप्त हुईं और तीसरी चल रही ह। उसके लिये हमें साधन जुटाने हैं। उसके लिये हमें त्याग का उपदेश दिया जाता है। उन उपदेशों को आप अपने ऊपर लादिये। यह ठीक है कि आज प्रान्त की जनता जीवन-मरण के चौराहे पर खड़ी है। हमको देखना है कि हम उसे जीवन दें या मरण दें। सरकारी पक्ष बतलाये कि उसे इन टैक्सों द्वारा जीवन मिलेगा या मरण। मैं समझता हूं कि उसे इन टैक्सों द्वारा जीवन नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा मरण। अगर हम मितव्ययिता करें तो हम इतने रुपये की बचत कर सकते हैं जितना रुपया हम कर द्वारा उगाहना चाहते हैं। हम त्याग कर के अपना आदर्श उपस्थित करें, बलिदान करें और फिर गरीब जनता से कहें कि तुम्हारी भलाई के लिये, उन्नति के लिये हम अपने को तुम्हारे सामने पेश करते हैं, अपना त्याग और बलिदान करते हैं। खुद जो हजारों रुपया तनख्वाह का लेंगे, ऐशोआराम में तमाम रुपया खर्च करेंगे और जनता को कहेंगे कि त्याग करो, अपनी भलाई के लिये त्याग करना चाहिये। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' वाली कहावत लागू होती है। पहले आप अपनी आदतें ठीक कीजिए और आदर्श उपस्थित कीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि आप आदर्श उपस्थित करेंगे और मितव्ययिता करेंगे, सरकार जो बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देती है, उनमें कटौती करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जनता यह कहेगी कि जब बड़े बड़े लोग आदर्श उपस्थित कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे, लेकिन आप स्वयं ऐसा तो करते नहीं हैं और उपदेश करते हैं। मैं कहता हूं कि १३ करोड़ की मितव्ययिता हो सकती है, ९ करोड़ का हमारा घाटा है तो ५ करोड़ की तो हमारी बचत हो गई। इस धन का हम उपयोग और भी साधनों पर कर सकते हैं। जैसे कम तनख्वाह का प्रश्न है, गरीब जनता की रोजी रोटी का प्रश्न है, राजकीय कर्मचारी हैं और स्वायत्त शासन के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह का प्रश्न है, अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का प्रश्न है, तो उन सब को पूरा उस धन से किया जा सकता है, लेकिन जो १३ करोड़ की मितव्ययिता का सुझाव माननीय नवल किशोर जी का है, उसे आप पूरा नहीं करेंगे। आप टैक्स लगायेंगे। जो पुरानी इकोनामी कमेटी की रिपोर्ट है, जो मितव्ययिता के साधन हैं, जो बताये गये, उन पर सरकार क्यों नहीं चलती है? यदि उन पर सरकार चले तो १३ करोड़ की मितव्ययिता हो सकती है। ५ करोड़ की बची हुई धनराशि से गरीब मजदूरों का भला हो सकता है। मैं कहता हूं कि २ हजार अधिक से अधिक वेतन होना चाहिए। पर इसको नहीं मंजूर किया जायेगा, बल्कि इससे भी अधिक तनख्वाहें आप रखेंगे। आप ऐसा कर के केवल प्रशासन का खर्चा बढ़ा रहे हैं और उधर गरीब जनता से कह रहे हैं कि त्याग करो और रुपया बचाओ, योजनाओं के लिए सरकार के टैक्स वहन करो। जैसाकि माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा है, जो निजी बिजली कम्पनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, पर इसको नहीं माना जायगा। इसका कारण केवल यही है कि उनसे आप को चंदे के लिए रुपया मिलता है, वे सरकार को इलेक्शन जीतने के लिये रुपया जो देते हैं।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह समझा था कि यह जो असरकारी दिवस आता है, उसमें शायद कोई ऐसा भी प्रस्ताव आ सकता है जो सरकार के विरोध में न हो। लेकिन यह असरकारी दिवस का अर्थ शायद यह है कि उसमें ऐसा ही प्रस्ताव आयेगा जिसमें सरकार का विरोध हो। खैर, जो भी हो, आज हमारे सामने जो प्रस्ताव है, उसके अजीब शब्द हैं। हमारे प्रस्तावक महोदय यह मानते हैं कि रुपये की आवश्यकता है और उसको पूरा करने के लिये मितव्ययिता पर जोर देते हैं। पर मितव्ययिता एक 'सापेक्ष्य' शब्द हैं। एक आदमी सौ रुपया खर्च कर यह कह सकता है कि मैंने फिजूलखर्ची नहीं की। एक आदमी एक हजार रुपये खर्च करके यह कह सकता है कि उसने भी फिजूल खर्ची नहीं की है। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि सरकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो मितव्ययिता को पसंद न करता हो। हर आदमी यह समझता है कि जहां तक हो सके फिजूलखर्ची रोकी जाय ताकि उस धन का सदुपयोग किया जा सके। यह अच्छी से अच्छी बात है, परन्तु जहां तक टैक्सेशन की बात है मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि टैक्स लगाने में न तो टैक्स लगाने वाला ही और न जिस पर टैक्स लगाया जाय उन दोनों में कोई भी सुख का अनुभव नहीं करता। टैक्स लगाना कोई सुखद काम नहीं है। न लगाने वाला यह पसन्द करता है कि टैक्स लगाया जाय और न देने वाला ही यह चाहता है कि टैक्स देना पड़े। लेकिन मजबूर हो कर ही ऐसा करना पड़ता है। प्रजातन्त्र में ये दोनों काम आवश्यक हैं और उनके बिना कोई भी प्रजातन्त्र शासन चल नहीं सकता है। लगाने वाला टैक्स लगायेगा और देने वाले को टैक्स देना ही पड़ेगा। अब इस बात में मतभेद हो सकता है कि कहाँ टैक्स लगाना चाहिये और कहां नहीं लगाना चाहिये। कौन से आदमी के जरिये हो सकते हैं और कौन से नहीं। जहां तक सरकार का संबंध है, वह इस समय सत्तारूढ़ है और आगे भी रहना चाहती है। इसी उद्देश्य को सामने रख कर उसने प्लान बनायी है और वह उसको पूरा करना चाहती है और हुकूमत को ठीक तरह से चलाना भी चाहती है। अब अगर सरकार ऐसे लोगों पर भी टैक्स लगाती है जो कि गरीब हैं तो यह मान लेना चाहिये कि सरकार के सामने कोई ऐसी मजबूरी है जिसके कारण वह उन पर भी टैक्स लगाना चाहती है, क्योंकि जो सरकार आगे भी सत्तारूढ़ होने का प्रयत्न

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

करती हो और फिर गरीबों पर टैक्स लगाना भी चाहती हो, तो इसका मतलब यह जरूर है कि उसके सामने कोई मजबूरी अवश्य है। कौन ऐसा आदमी होगा जो सत्ता में रहना भी चाहेगा और ऐसे काम भी करेगा जिससे जनता में असंतोष हो, बुरी भावना उसके प्रति पैदा हो ? अगर फिर भी लोगों पर टैक्स सरकार लगाती है तो उसके सामने कोई मजबूरी अवश्य है।

जहां तक नियोजन का सम्बन्ध है, जो अमीर मुल्क हैं जैसे अमेरिका या इंगलैन्ड वगैरह, उनको नियोजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जो भी मुल्क गरीब थे जैसे रूस, चीन, वगैरह, उन्हें अपनी उन्नति के लिये पंचसाला या चारसाला स्कीमों को बनाना पड़ा। आम तौर से नियोजन की तरफ वही लोग या देश आते हैं जिनके पास रुपये पैसे की कमी होती है और जो अपने देशवासियों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। यह मानी हुई बात है कि हमारा सूबा गरीब है। जिन लोगों पर टैक्स लगेगा वह भी गरीब ही हैं। अगर हमारा सूबा अमीर होता तो इन पंचवर्षीय योजनाओं की आवश्यकता ही न होती। इसलिये मैं अपने विरोधी दल के सदस्यों से नम्र निवेदन करूंगा कि हमने यह प्लान इसीलिये बनायी हैं कि हम तरक्की कर सकें। प्लान के पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कत अवश्य होती है। जब डाक्टर के पास फोड़े का मरीज़ जाता है तब डाक्टर को उसका आपरेशन करना जरूरी हो जाता है। वह चीर-फाड़ करना मरीज़ तथा जो वहां सामने होते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसकी भलाई के लिये उसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं रह जाता है। इसी तरह अगर हम गरीबों की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तो हमारे सामने दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय कि हम टैक्स लगायें और लोग उसे खुशी खुशी दें।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल उठाया गया है, मेरी समझ में नहीं आया कि उसका अर्थ क्या समझा जाता है। आज जब शुगर फैक्टरी और बिजली कम्पनियां के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न लाया गया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यह क्यों आया। एक आदमी प्यासा है, अगर उससे कहा जाय कि तुम कुवां खोदो तब तुम्हें पानी मिलेगा, तो उस प्यासे की क्या हालत होगी ? तब तक वह प्यासा क्या मर न जायेगा ? हमारी प्लान का यह दूसरा साल चल रहा है। मिनट मिनट पर हमें पैसे की ज़रूरत है। अब अगर इस राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया जाता है और कुछ अमल किया जाता है तो उसका असर तो कुछ वर्षों में होगा। इस समय हमारी ज़रूरत कैसे पूरी होगी ? इसके अलावा ऐसी भी बात नहीं है कि हम गरीबों का खून चूसना चाहते हों, हम हृदय से उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारी यही भावना उनके प्रति है। हम यह भी नहीं चाहते कि देहात उजड़ें और शहर आबाद करें। हमारी भावना है कि शहर भी आबाद रहें, समृद्धशाली हों और गांव वालों की आमदनी भी बढ़े। बार-बार दुहाई दी जाती है कि आमदनी कम हो गयी, दो प्लान चले गये, लेकिन सरकार ने उसे कभी छिपाया नहीं। तीसरी प्लान की पुस्तक से स्पष्ट है कि पिछली दो प्लानों में आमदनी नहीं बढ़ी है इसीलिये हम थर्ड (तीसरी) प्लान में इस तरह के काम करना चाहते हैं जिससे आमदनी हर एक की बढ़े, उसके लिये कल-कारखाने और खेती की आय बढ़ाना चाहते हैं। कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मिनरल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहां खानों पर क्या ध्यान दिया जा सकता है ? यहां कौन से खनिज पदार्थ हैं ? यहां तो खेती पर ही ध्यान दिया जा सकता है। सिंचाई मंत्री ने बताने की कोशिश की है कि इतनी सिंचाई की योजना पूरी कर चुके हैं, इतनी पूरी करने को पड़ी है, उसके लिये हमारी पूरी स्कीम है जिस पर हम अमल कर रहे हैं। खेती बढ़ाने के लिये कृषिमंत्री ने बताया कि इतना काम कर चुके हैं, इतने और करने जा रहे हैं। जहां तक मंत्रियों के वेतन का सम्बन्ध है, जहां तक मेरी जानकारी है मंत्रियों को सवा नौ सौ रुपया वेतन मिलता है।

श्री बलवान सिंह—नहीं, १२०० कहिये।

श्री मूलचन्द शास्त्री—अखबारी सूचना के आधार पर मैंने कहा है। लेकिन अब यह मालूम हुआ कि १,००० रुपया मिलता है जिसमें से ७० रुपया टैक्स का कट जाता है।

मुझे ९३० कहना चाहिये था ९२५ के बजाय। तो मंत्री कहां ज्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं? एक तरफ जब अध्यापकों को २० रुपया मंहगाई भत्ता मिला तो खुशी मनाई गई, लेकिन फीस बढ़ाई गई तो गरीबों की दुहाई दी जाती है। अगर खर्चा ही खर्चा करेंगे तो आमदनी कहां से आयेगी जिसमें से वह खर्च होगा?

एक नम्र निवेदन मेरा विरोधी माननीय सदस्यों से है कि कभी कभी एक तो असरकारी प्रस्ताव ऐसा रखा करो जिस पर हम सब मिल कर एक जैसा बोला करें। हमेशा ऐसी बात मत किया करो जिसे आप तो मानते हों किन्तु उसकी दूसरा पक्ष मुखालिफत करें। आप अगर यह चाहते हों कि जो आपके बराबर में बैठे हैं उनपर टैक्स तो लगे, किन्तु सोशलिस्टों पर न लगे यह तो ठीक हो सकता है, लेकिन टैक्स ही न लगे यह कैसे संभव है? एक तरफ कहा जाता है कि देश में ५ फीसदी रईस हैं और ९५ फीसदी गरीब और अगर उन ५ फीसदी पर ही टैक्स लगेगा तो काम कैसे चलेगा।

इन शब्दों के साथ, जो रेजोल्यूशन जनसंघी माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसकी मुखालफत करता हूं और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस रेजोल्यूशन को वापिस ले लें, कोई अच्छा सा प्रस्ताव रखना चाहिये जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की भलाई हो।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उस पर संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सर्व प्रथम तो मैं अपने निकट बैठे हुये माननीय बलवान सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बातें मुझे कहनी थीं वह उन्होंने पहले ही कह दी हैं। जो किसानों की, गांव वालों की स्थिति है, उसके बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसी योजनाओं में विश्वास नहीं करते। जिस हद तक उन्होंने कहा, ठीक है। लेकिन मैं और आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि हम समाजवादी योजनाओं में विश्वास नहीं करते हैं। उसके मैं कारण देना चाहता हूं। जिस योजना के लिये हमसे त्याग और बलिदान करने के लिये कहा जाता है, उसके क्या नतीजे निकले हैं? यदि यह योजना पहली हुई होती, तो सम्भव है कि हम भी इससे चकाचौंध हो जाते और समझते कि इससे बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन इस सरकार के दुर्भाग्य से दो योजनायें पहले बीत चुकी हैं, और उनके परिणाम हमारे सामने हैं। जिस योजना की इतनी तारीफ की जाती है, उसके विषय में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके फलस्वरूप आर्थिक प्रगति में भारत संसार के लगभग सभी देशों से पीछे रहा है। पिछले १० वर्ष का यदि हिसाब लगाया जाय तो भारत की आर्थिक प्रगति सबसे पीछे रही है। मैं अमरीका और इंगलैन्ड जैसे प्रगतिशील देशों की बात नहीं करता हूं, बल्कि ईरान, ईराक, बर्मा, सीलोन जैसे देशों की बात करता हूं। क्या कारण है कि एशिया और अफरीका के पिछड़े हुये देशों से भी भारत की आर्थिक प्रगति पीछे रही है?

श्रीमन्, यह कहा गया कि पिछड़े हुये देशों के लिये समाजवादी नियोजन के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पिछड़े हुये और देशों ने समाजवादी नियोजन का प्रश्रय नहीं लिया और हमसे आगे बढ़ गये हैं तो हम इस समाजवादी योजना को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कई बार इधर से कहा गया कि गरीबों की गरीबी बढ़ रही है, किसानों की ही संख्या इस प्रदेश में सबसे अधिक है। आंकड़े प्रस्तुत किये गये कि उनकी गरीबी बढ़ रही है। माननीय गोविंद सहाय जी ने जो सम्भवतः इस समय यहां मौजूद नहीं हैं उन्होंने कहा है कि आंकड़े उधर से भी पेश किये जाते हैं और इधर से भी पेश किये जाते हैं। हम सरकार के विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका से ही आंकड़े पेश करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों की खुशहाली साबित करने के लिये सरकारी पक्ष कौन से आंकड़े पेश करता है। बार बार कहा गया है कि उन्नति के लिये साधन होने चाहिये। दलील यह है कि गरीबी दूर करने के लिये योजना आवश्यक है, योजना के लिये धन चाहिये और धन के लिये टैक्स लगना जरूरी है। परन्तु क्या कारण है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुगुना से ज्यादा

[श्री भानुप्रताप सिंह]

रुपया खर्च हुआ, फिर भी आर्थिक उन्नति की दृष्टि से, या राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दृष्टि से, या प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी की दृष्टि से, उससे ज्यादा वृद्धि नहीं हुई जितनी कि पहली योजना में हुई थी ? मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना औरद्वितीय योजना के नतीजों के। पूंजी विनियोग पहली योजना में ३,३६० करोड़ था और दूसरी में ६,७५० करोड़। पहिली योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य ११ प्रतिशत था और उसकी तुलना में पूर्ति १८.४ हुई। दूसरी योजना में २५ प्रतिशत लक्ष के मुकाबिले में केवल २० प्रतिशत की पूर्ति हुई। प्रति व्यक्ति आय में पहली योजना में वृद्धि ८.२ प्रतिशत और दूसरी में ७.८ प्रतिशत हुयी। विनियोग उत्पादन का अनुपात, यानी कितना रुपया खर्च करके कितनी आय हुई, प्रथम योजना में २ रु० खर्च करके १ रु० राष्ट्रीय आय की वृद्धि हुई परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३.३ रुपया खर्च करके १ रुपये की वृद्धि हुई है। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है इसका क्या आप योजनाओं को इस प्रकार की कोई चीज समझते हैं जैसे चीनी का कारखाना कि एक ओर से गन्ना लगाया जाय और दूसरी तरफ से चीनी निकले। केवल साधन इकट्ठे हो जाने मात्र से किसी देश की उन्नति नहीं हो सकती। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश की पहली और दूसरी योजनायें हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जापान में पिछले तीन वर्ष से प्रति वर्ष १५ प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। न वहां समाजवाद है और न वहां पंच वर्षीय योजनायें बनायी जाती हैं। फिर भी जो हम ५ वर्ष में नहीं कर पाते वह वे एक वर्ष में कर डालते हैं।

गोविंद सहाय जी ने कहा कि कल्पना कीजिये यदि योजनायें न होतीं तो देश की क्या स्थिति होती। परिषद् में भी उन्होंने ऐसा कहा था, वह मैंने अखबार में पढ़ा था। मेरा कहना है कि अगर ये समाजवादी योजनायें न होतीं तो देश की स्थिति आज से अच्छी होती। गोविन्द सहाय जी ने एक बात और कही कि राष्ट्रीय आय ही को बढ़ाने के लिये ये योजनायें नहीं हैं, इनका एक दूसरा भी उद्देश्य है, उनका संकेत था कि गरीबों और अमीरों को हम बराबर कर के समानता ला रहे हैं। मैं भी उनके इस लक्ष्य से सहमत हूं, लेकिन उसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली, अगर सफलता मिलती तो योजना के लिये रुपया देने में मैं न हिचकता। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि गरीब और अमीर में अन्तर बढ़ता जा रहा है। अभी महालानोविस कमेटी नियुक्त हुई थी जिसको यह काम सुपुर्द किया गया था कि वह पता लगाये कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार से वितरित हो रही है। उसका संकेत उन्होंने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में किया है कि गरीबों और अमीरों का अन्तर बढ़ता जा रहा है। इसलिये न तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी और न गरीब-अमीर का अन्तर दूर हुआ। भले आज लोगों को यह कहने में संकोच हो कि हम योजनाओं के विरुद्ध हैं। परन्तु हम को इस बात का गर्व है कि हम ऐसी पार्टी से सम्बन्धित हैं जो स्पष्ट रूप से इन योजनाओं का विरोध करती है और हम कहते हैं कि न तो यह समाजवाद है और न ये योजनायें ही हमारे देश को ही आगे ले जा सकती हैं। अन्त में फिर मैं टैक्स के विषय पर आता हूं। टैक्स कितना लगे यह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की सरकार आप चाहते हैं। जो आज सरकार की तरफ से दलीलें दी गयी हैं, उनको मैं आंशिक रूप में स्वीकार करता हूं, इस माने में कि यदि आप चाहते हैं कि सरकार सारे कामों की जिम्मेदारी उठावें तो आपको उन सारे कामों के लिये सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस देश की जनता अपने लिये कुछ भी ईमानदारी से अपने देश के हित में करने में असमर्थ है, वह केवल सरकार ही कर सकती है। जब सरकार ही सब कुछ करेगी तो स्पष्ट है कि सरकार का खर्चा बढ़ेगा। इधर के बैठने वाले माननीय मित्र जो समाजवादी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, मैं जानता हूं कि वे भ्रम में हैं, उनका वह भ्रम एक दिन दूर होगा। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि आप ऐसी असंगत बात क्यों कहते हैं। समाजवाद का अर्थ सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालना है। जब आप समाजवाद को स्वीकार करते हैं तो यह बिलकुल तय है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स से नहीं बच सकते हैं।

श्रीमन्, राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी है, राष्ट्रीयकरण द्वारा साधन जुटाने की बात कही गयी है । चूंकि समय कम है इसलिये मैं और कुछ न कहकर समाजवाद के एक बहुत बड़े नेता, मैं समझता हूं कि वे पी०एस०पी० के सबसे बड़े नेता थे, उनकी बात को इस सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

"किसी समय समाजवादियों का यह विश्वास था कि यदि उत्पादन और वितरण के माध्यमों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा तो प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना अपने आप हो जायगी, परन्तु अधिनायकवादी कम्युनिज्म के अनुभव ने यह सिखला दिया है कि इन सब के पूर्ण राष्ट्रीयकरण द्वारा भी प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं, बल्कि उल्टे यह सम्भव है कि राष्ट्रीयकरण द्वारा ऐसे तानाशाही शासन की स्थापना हो, जिसमें व्यक्तियों का शोषण और उनके आपस का अन्तर पहिले से और भी अधिक बढ़ जाय । अतः समाजवादियों को पुराने राष्ट्रीयकरण के ढंग को छोड़ कर आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की बात सोचनी चाहिये ।" ये श्री जयप्रकाश नारायण के शब्द हैं ।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री बनारसीदास)—मसानी की बात आपने नहीं कही ।

श्री भानुप्रताप सिंह—अभी जय प्रकाश जी की बात आप सुन लें, मसानी की बात भी कहनी होगी तो उसे भी कहूंगा ।

हमारे गोविंद सहाय जी न कहा कि सोशलिज्म का जो आज विरोध करते हैं वे पुरातनवादी हैं । मैं उनसे निवेदन कर दूं कि उनके सोचने का ढंग, जो आज के भारत में प्रचलित है कम से कम ३५ वर्ष पुराना हो चुका है । आज दुनियां में सोचने का ढंग बहुत आगे बढ़ चुका है । क्या आप समझते हैं कि आज जापान या इंगलैन्ड व वेस्ट जर्मनी में प्रगतिशीलता नहीं है ? इंगलैन्ड की लेबर पार्टी राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध करती है । उन्होंने कहा है कि इस दिशा में हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये । आज वेस्ट जर्मनी में जो सोशलिस्ट डैमोक्रेटिक पार्टी है, वह चाहती है "मैक्सिमम आफ कम्पटीशन ऐंड मिनिमम आफ कंट्रोल" । तो वही आज हम भी चाहते हैं "मैक्सिमम आफ कम्पटीशन ऐंड मिनिमम आफ कंट्रोल" । आज यदि यूरोप का कोई देश इस तरह की बात करता है, तो उसे आप प्रतिक्रियावादी कहने का साहस नहीं करते, लेकिन जब हम उसी तरह की बात कहते हैं, तो आप हमें प्रतिक्रियावादी कहते हैं । यहां का समाजवाद कम से कम ३५ वर्ष पुराना है । स्वतंत्र पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों की रक्षा नहीं करना चाहती बल्कि, जैसा कि श्री जय प्रकाश जी ने कहा है, आर्थिक विकेन्द्रीयकरण हम चाहते हैं । आज एक प्रस्ताव आने वाला था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय । उसमें मैंने यह संशोधन नहीं दिया था कि राष्ट्रीयकरण न किया जाय । बल्कि मैंने यह संशोधन दिया था कि चीनी मिलों का सहकारीकरण किया जाय । इससे यह स्पष्ट है कि जिस आर्थिक विकेन्द्रीकरण द्वारा गरीब जनता के हितों की रक्षा हो, उसे हम जरूर चाहते हैं । परन्तु यदि आप चाहते हैं कि हम पूंजीवाद के स्थान पर राजकीय पूंजीवाद को स्वीकार कर लें तो हम यह कदापि नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री टम्बेश्वरी प्रसाद अपना भाषण देंगे । आज का समय समाप्त हो गया है इसलिये आप अगले दिन भाषण दें ।

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २७ अगस्त, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

श्री देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
२४ अगस्त, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८४ पर]

बलिया जिले के सरकारी अनुदान पाने वाले विद्यालयों की सूची जिन्होंने अध्यापकों का वेतन चार माह या अधिक से नहीं दिया है

हाई स्कूल—

१—मुरारपट्टी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुरारपट्टी ।

२—के० एन० के० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छितौनी ।

३—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिवानकलां ।

४—परशुराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकवाईनगर ।

५—सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ताड़ीबड़ा गांव ।

६—सी० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहतवार, (केवल प्रधानाचार्य का वेतन देना बाकी है)

इण्टर कालेज—

१—श्री गांधी महाविद्यालय, मलयनगर, मलय ।

२—महात्मा गांधी विद्यालय, दलनछपरा ।

३—नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतनपुरा ।

४—राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करम्बर ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९८ पर]

आजमगढ़ जिले के कलेक्शन विभाग में सन् १९५२ से १९६२ तक की नियुक्ति तथा उनमें हरिजन, पिछड़ी जाति तथा मोमिन अन्सारी आदि की संख्या का ब्योरा निम्नलिखित है

सन्	संख्या कर्मचारी जो नियुक्त किये गये	संख्या		
		हरिजन	पिछड़ी जाति	मोमिन अंसारी
१	२	३	४	५
१९५२ ..	४८३	२३	१२५	२
१९५३ ..	४८९	६४	५६	२
१९५४ ..	२०	२	२	..
१९५५ ..	१४	१	२	..
१९५६ ..	४५	७	११	..
१९५७ ..	१४	४	४	..
१९५८ ..	३	..	१	..
१९५९ ..	४	१	..	..
१९६० ..	१	..	..	..
१९६१ ..	३३	२	९	..
१९६२ ..	६	१	१	..

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०२ पर]

राप्ती एवं गोरी नदी से क्षति-ग्रस्त गांवों तथा उनके निवासियों को दिये गये अनुदानों की सूची

ग्राम	आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों का विवरण		पूर्ण ध्वस्त मकानों का विवरण		सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण		विशेष विवरण
	संख्या	अनुमानित मूल्य	संख्या	अनुमानित मूल्य	मुफ्त लकड़ी के परमिट की संख्या	कीमत	
१	२	३	४	५	६	७	८
१—दीवा ..	४	४५०.००	..	..	..	..	..
२—भवरही ..	८	१८००.००	२	५००.००	..	..	
३—विशुनमुर मटियारा ..	३	१०००.००	..	..	२	७५.००	
४—सिलहटा ..	४	१०५०.००	..	..	..	..	
५—पकड़डीहा ..	९	१६००.००	..	..	६	१५०.००	
६—डीहघाट ..	४	२२००.००	२	४००.००	२	१००.००	
७—चिनहरी ..	१३	२९५०.००	१	३००.००	३	६२.५०	
८—भरकछा ..	१९	३४५०.००	—	—	७	१३७.५०	
९—खरखूटा ..	१	२७५.००	३	१०२५.००	—	—	
१०—रौहा ..	५	११००.००	३	२००.००	१	५०.००	

११—दुलहरा	..	३	७७५.००	७	७००.००	१	२५.००
१२—भगने	..	५	१६००.००	३	५६००.००	१	१२.५०
१३—डुमरैला	..	१२	१२५०.००	—	—	१०	१५०.००
१४—कैथवलिया	..	८	१५००.००	—	—	—	—
१५—इटावा	..	१४	१६५०.००	१	१००.००	१	५०.००
१६—मुहुअरकोल	..	१५	३०००.००	—	—	—	—
१७—नेउठी	..	१३	३४००.००	—	—	—	—
१८—बड़हरा	..	५	६९००.००	२	५०००.००	—	—
१९—लकड़ियहा	..	२	४००.००	—	—	—	—
२०—गोबड़ौर	..	१	२००.००	१	३००.००	—	—
२१—भकुरहा	..	१९	२९५०.००	१	५००.००	७	११२.५०
२२—शिकारगढ़	..	१४	१६००.००	—	—	—	—
२३—डुमरी	..	१३	१३३०.००	५	११५०.००	१	२५०.००
२४—गोपालपुर	..	९	११००.००	२	४००.००	१	५०.००
२५—तुलसी पाकड़	..	१	१००.००	१	३००.००	१	२५.००
२६—वैरवा	..	४	८६०.००	३	२००.००	१	५०.००
२७—अमारी	..	७	२८५.००	३	३५०.००	१	२५.००
२८—करौता	..	१७	१३५०.००	६	६००.००	१	५०.००
२९—मुड़ेरा	..	२०	१५३०.००	११	१९००.००	१	२५.००
३०—गजाईकोल	..	४	७००.००	२	९०००.००	—	—
३१—पकड़पुरा	..	१२	११००.००	२	५५०.००	—	—
३२—मुगहा	..	२	१००.००	३	५००.००	—	—

ग्राम		आंशिक क्षतिग्रस्त मकान का विवरण		पूर्ण ध्वस्त मकानों का विवरण		सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण		विशेष विवरण
		संख्या	अनुमानित मूल्य	संख्या	अनुमानित मूल्य	गुप्त लकड़ी के परमिट की संख्या	कीमत	
१		२	३	४	५	६	७	८
३३—पुरनहा	..	८	६१००.००	५	९००.००	—	—	
३४—प्रावगीर	..	—	—	४	४५०.००	१	५०.००	
३४-ए—पेमरौना	..	२२	१९३५०.००	१०	३१२५.००	—	—	
३५—टानापार	..							
३६—वौठा	..							
३७—महोड़वा	..							
३८—चकसतहवा	..							
३९—थुन्ही महोवचक	..							
४०—सरारमझ गांवा	..							
४१—टमठा	..							
४२—लेडुवाबारी	..							
४३—मकपरफोरवा	..							
४४—ब्रकसड़ी	..							
४५—गोबरौड़ी	..	इन ग्रामों में कोई क्षति नहीं हुई यद्यपि ये ग्राम बाढ़ प्रभावित थे ।						

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४६—जद्दपुर ..						
४७—जमरू ..						
४८—कटसिकरा ..						
४९—मिश्रौलिया ..						
५०—पकड़ियार ..						
५१—टेगरी ..						
५२—करही ..						
५३—कोनासोनवरसा ..						
५४—वरही ..						
५५—चकदेइया ..						
५६—चकदह ..						
५७—वरगदवा ..						
कुल ग्राम संख्या ५८						
योग ..	२९९	७५९६५.००	८३	३४०५०.००	४९	१२२५.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०३ पर]

गत शीतकाल में बद्रीनाथ पुरी में बर्फ से जो क्षति हुई है उसका विवरण इस प्रकार है :—

मन्दिर के मकानों की क्षति

१—आन्ध्र धर्मशाला का रसोई घर, खिड़की और थोड़ी-सी छत

२—सन्त निवास की छत तथा किवाड़

३—बिजली के खम्भे

४—बिजलीघर की दो खिड़कियां

५—राय महाबीर ट्रस्ट धर्मशाला की छत

बाबा काली कमली संस्था की क्षति

१—कार्यालय का सारा भवन

२—जयपुरिया धर्मशाला

३—बंगाल का ६ कमरे वाला मकान

४—गेस्ट हाउस सहित रसोई घर व गोशखाना

५—दुधवा धर्मशाला के सब किवाड़

पुरी के बाजार में अन्य मकानों की क्षति

१—डाक्टर वंशीधर का मकान व दुकान

२—श्री पूरन चन्द्र की दुकान की छत

३—श्री उमाशंकर चन्द्र प्रकाश का मकान

४—श्री नगीलाल का मकान

५—श्री शिव प्रसाद जुगीलाल का मकान

६—श्री मुकरबिहारी लजागढ़ के दीवाल की साधारण क्षति

७—श्री कमला धर्मशाला के बरामदे के खम्भे तथा निचली मंजिल के किवाड़

८—श्री पालीवाल का मकान

९—श्री केशवानन्द के मकान का कुछ हिस्सा

१०—श्री पीताम्बर डिमरी का सारा मकान

११—श्री मनोहरलाल शाह की दुकान का आगे का हिस्सा

१२—श्री चन्द्रसिंह वाली दुकान

१३—श्री कलीराम विधुप्रसाद की दुकान

१४—श्री नारायण सिंह की दुकान ।

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर]

तहसील देवरिया

क्र० सं०	नाम मौजा	क्षति रु०
१	सान्डा ..	४२१
२	तेनुही ..	६२
३	महाराजपुर ..	२,५२५
४	बथरा ..	५५१
५	बघड़ा महुआरी ..	१५०
६	बनरहा नरहनपटी ..	५३०
७	चकबन्दी उर्फ परान वरण	७६५
८	सिरवनिया ..	६२०
६	पटवनिया ..	५२०
१०	चकिया ..	८२५
११	दरसिया ..	७०
१२	बौड़िया अनन्त ..	१५८
१३	हरैया ..	१७५
१४	सकतुई ..	२०६
१५	मसविदया ..	५,१३६
१६	मदरापाली ..	५००
१७	विरवा ..	२५०
१८	रामलछन ..	६५०
१६	देवकली जैराम ..	४,७५०
२०	मलकौली ..	१२०
२१	माधौपुर ..	२,८५०
२२	मलघौट बिरैचा ..	३६३
२३	चिउरहा ..	३००
२४	वेतवा ..	१,६००
२५	घुन्डी कुन्ड कला ..	५०५
२६	रामपुर ..	६०
२७	मुजहना घाट ..	३००
२८	महुववा खुर्द ..	१,७००
२६	अहिरौली ..	५८५
३०	डाला ..	६०
३१	हरैया ..	१,०६६
३२	हरूपुर ..	१६५
३३	छितही ..	३,३५१
३४	सेमरी ..	८०६
३५	सराव ..	२५
३६	नेरूआरी ..	३३१
३७	मेसाडावर ..	४३२
३८	भिन्डा ..	२,१८२
३६	बरियारपुर ..	३८०
४०	भीमपुर ..	४००
४१	मेहा हरहंगपुर ..	४२०
४२	रामपुर खानपुर ..	२३४
४३	गौनसिया ..	२३४
४४	तेनुरी ..	१,७२७
४५	उधोपुर ..	७२०
४६	पौहारी छापा ..	७१७
४७	हरियापार ..	१,३६०
४८	छितरवा ..	१,५८७
४६	भिखमपुर ..	१,५३०
५०	निवई ..	१,१००
५१	जगदीशपुर ..	३८४
५२	बलियवर ..	५००
५३	कोडर ...	७२०
		४७,७५७

लिस्ट मवाजियात जहां आग लगी, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया

क्रमाँक	नाम ग्राम	तादाद मालियत रुपयों में जो क्षति हुई
१	२	३
		रु०
१	अहिरौली ..	४२५
२	तूसिह ..	१२४
३	पिपरा देवराज ..	१०८
४	कोला ..	३००
५	तुलसी धारा ..	३१४
६	लार ..	४००
७	पयासी ..	३२६
८	राउत पयर पाँडे ..	७००
९	बलदेव छपरा ..	८०
१०	गडौना ..	१८६
११	वगही ..	२७५
१२	भटनी खास ..	४७०
१३	सही पार ..	२५
१४	मौजा गढ़वा ..	१,५२६
१५	मझौवा ..	५२५
१६	अलावलपुर ..	९९
१७	इटवाचौन्दौली ..	२,२००

क्रमांक	नाम ग्राम	तादाद मालियत रुपयों में जो क्षति हुई
१	२	३
		रु०
१८	चोरडीहा ..	८५
१९	बनकटा मिश्र ..	१,९००
२०	अहिरौली बघेल ..	१३४
२१	सोहन बार ..	३७६
२२	कुकुर घाटी ..	१,३५६
२३	रारी ..	५९२
२४	रानी घाट ..	१०
२५	छत्र पुरा ..	३६५
२६	रामपुर ..	५७५
२७	मझौली ..	५२५
२८	कोला ..	४९८
२९	नुनसार ..	३२९
३०	तेलिया अफगान ..	१,६९२
३१	हाटा ..	१,७२०
	कुल ३१ ग्राम ..	२१,०९७

सूची मवाजियात जहां आग की घटनायें दिनांक १-१-६२ लगायत ३१-३-६२ तक हुई हैं

तहसील हाटा

क्रमांक	नाम मौजा	तखमीना नुक्सान (रुपयों में)
१	२	३
१	सकरौली ..	३००
२	कुरमौटी ..	१,२८६
३	घरनी घटी ..	२,१२७
४	रामपुरा बगहा ..	१,४७५
५	कोटवा ..	६०६
६	कटाई भरपुरवा ..	६०६
७	रामपरव बुजुर्ग ..	६९२
८	वरसिया ..	१६८
९	कुलहवा ..	२,३००
१०	सकरौली ..	१४०
११	मोती पाकड़ कबिलसहा	२५०
१२	पडरी ..	९००
१३	पटना मिश्रौली ..	१,०५०
१४	लेहनी ..	१८१
१५	बेन्दूवार ..	४५३
१६	मंगलपुर ..	१५०
१७	पहन ..	६०८
१८	नौहार जंगल ..	१,४१३
१९	कुरहवा ..	३००
२०	खडा कलाँ ..	९१९
२१	कटाई भरपुरवा ..	२,३३८
२२	वचरा ..	६३९
२३	कुसुम्भी ..	८५
२४	पतवाँ ..	१२०
२५	बिपरा कपुर ..	४१०
२६	भटनी ..	६८९
२७	परवरपार ..	४१०
२८	जौरहा ..	३८०
२९	खोडही ..	४३०
३०	गेहड़ा ..	४२३
३१	मंशाछपरा ..	१५५
३२	मदरहाँ ..	१४०
३३	नरायनपुर ..	४३२
३४	खौटही ..	२,६८३
३५	मेड़ीहारी ..	३८,४५५, ४९०
३६	मंगलपुर ..	४८५
३७	[illegible]रमही ..	८०
३८	भकगावा ..	३८६
३९	कोहरगाड़ी ..	४९५
४०	शिपुरठिया ..	५,७१२, २०
४१	अगया ..	४००
४२	अडरौना ..	२,४६२
		७३,८३३ रु०
		७८० रु०

तहसील पडरौना

क्रमांक	नाम मौजा	तखमीना नुकसान रुपयों में
१	२	३
१	बसडिला ..	१९७
२	मकडियार ..	२,३८०
३	गौरी जगदीश ..	१००
४	रामपुरपटी ..	५०
५	प्रसादपुर ..	११४
६	अरनहवा ..	१,६१५
७	मुगलपुर ..	९३५
८	चाफ ..	३००
९	डुमरा खुर्द ..	४१७
१०	डुमही खास ..	७१५
११	गगलवा ..	१२०
१२	भटवलिया ..	४९०
१३	नादह ..	१,१२७
१४	अमवा ..	६६८
१५	नाथापटी ..	२,०५७
१६	भरौली ..	१,२५०
१७	हरिया बुजुर्ग ..	२७०
१८	अकबरपुर ..	१,८७२
१९	मठिया परसिया तिवारी	५६०
२०	कन्ठीछायार ..	१,५७५
२१	शुबुलही ..	८३८
२२	कटसीखुर्द ..	३००
२३	मठिया माफी ..	४,८२०
२४	चाफ ..	१,३७०
२५	अमवा खास ..	४,१२७
२६	बासगाँव ..	२५०
२७	खुबुरिया ..	३१०
२८	तिनकेलिया ..	२,५१६
२९	खरमह खुर्द ..	१,१००
३०	गौरी शुकुल ..	१५३
३१	बटुलहा ..	२००
३२	तरऊनवा ..	१,०२५
३३	सुखपुरा ..	३१०
३४	बंगलजोगवा ..	५०
३५	अनवा खास ..	६,७९५
३६	बंसहया बनवारीपुर ..	१००
३७	बन्दरहा भुरगवटी ..	१,१७२
३८	सबहा ..	१,३५०
३९	अकबरपुर ..	२९५
४०	बाँक खास ..	१४,३४१
४१	सिवपुर बुजुर्ग ..	२००
४२	कोकील पट्टी ..	१,३००
४३	सिधुवाबागर माठ ..	१००
४४	रसकटिया ..	२१०
४५	मदनपुर ..	२,५१९
४६	बनसहिया बनवारीपुर	५,०००
४७	भडसरवा ..	१,७०८
४८	आमवा दीगर ..	२००
४९	ठाठी पार ..	४,४६१
५०	मनकिरा ..	६,३००
५१	कुड़वा उर्फ दलिमनगर	२१०
५२	गौरी श्री रामटोला	१,९७०
५३	हरपुर ..	१,४७२
५४	भखुवा ..	३५२
५५	हरपुर ..	१,४७२
५६	जिगना ..	२,९४५
५७	सलेमगढ़ ..	३०
५८	नौतन हरदो ..	१,५००
५९	गोपाल गढ़ ..	२,९६०
६०	गरवालिया ..	१,१३१
६१	खेवट केन्हवलिया	६,९३५
६२	गोडइना अहिराम ..	७,९४१
६३	नरचोवा ..	८,५७७
६४	विशुनपुर बरिया पट्टी	१,३००
६५	पडरौना भड़ारी ..	७,१००
६६	अमवा दीगर ..	४,९१७
६७	दादोपुर ..	५,२३८
६८	महुअवा बुजुर्ग ..	१२२
६९	सोहब गंज ..	१,९६७
७०	सेगटा हाओ ..	१३,७००
७१	मठिया अठिराम ..	३,०६५
७२	बलिवया ..	५७८
७३	मदुअवा ..	९१०
७४	अजावा खुर्द ..	८९५
		१,४२,८७८ रु०

नत्थी 'च'

टेम्परेन्स समिति, सहारनपुर

[देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत ताराँकित प्रश्न १५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१७ पर]

सूची १

सदस्य

१—अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्	.. ..	अध्यक्ष
२—जिला एक्साइज आफिसर ..	.. ..	मंत्री
३—श्री चन्द्र मणी वैद्य ..	.. ..	ज्वाइंट सेकेटरी
४—श्रीमती शकुन्तला देवी, एम० एल० ए०	.. ..	सदस्य कार्यकारिणी समिति
५—श्री बलबीर सिंह, सरपंच ..	.. ..	,,
६—श्री श्याम सिंह प्रधान ..	.. ..	,,
७—श्री रतन सिंह प्रधान ..	.. ..	,,
८—पुलिस अधीक्षक ..	.. ..	,,
९—एक्साइज इन्सपेक्टर सिटी ..	.. ..	,,
१०—जिला सूचना अधिकारी ..	.. ..	,,
११—जिला पी० आर० डी० अधिकारी	.. ..	,,
१२—डा० पी० एस० माथुर ..	.. ..	,,
१३—जिला नियोजन अधिकारी, सहारनपुर	.. ..	,,
१४—जिला स्वास्थ्य अधिकारी	.. ..	,,
१५—मण्डलापति, देवबन्द	.. ..	,,
१६—मण्डलापति, सहारनपुर ..	.. ..	,,
१७—मण्डलापति, नकुड़ ..	.. ..	,,
१८—सिविल सर्जन ..	.. ..	,,
१९—जिला विद्यालय निरीक्षक ..	.. ..	,,
२०—रीजनल प्रोहिविशन अधिकारी, मुरादाबाद ..	.. ..	,,
२१—डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज आफिर	.. ..	,,
२२—पंचायत इन्सपेक्टर, सहारनपुर	.. ..	सदस्य
२३— ,, ,, देवबन्द	.. ..	,,
२४— ,, ,, नकुड	.. ..	,,
२५— ,, ,, रुड़की	.. ..	,,
२६—मण्डलापति ..	.. ..	,,
२७—अध्यक्ष नगरपालिका, रुड़की	.. ..	,,
२८— ,, ,, मंगलौर	.. ..	,,
२९— ,, ,, देवबन्द	.. ..	,,
३०— ,, ,, गंगोह	.. ..	,,
३१—अध्यक्ष नगरपालिका, सहारनपुर	.. ..	सदस्य
३२—अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी बहेट	.. ..	,,
३३—अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी नकुड़	.. ..	,,
३४— ,, ,, सरसावा	.. ..	,,
३५— ,, ,, नानौता	.. ..	,,

३६—अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी रामपुर मनिहारान	..	सदस्य
३७— ,, ,, अम्बैहटा	.. ..	,,
३८— ,, ,, चिलकाना	.. ..	,,
३९— ,, ,, तीतरो	.. ..	,,
४०— ,, ,, झबरेडा	.. ..	,,
४१—श्री ठाकुर फूल सिंह, एम० एल० ए०	.. ..	,,
४२—श्री जगदीश नारायण सिनहा, एम० एल० ए०	..	,,
४३—श्री सईद अहमद, एम० एल० ए०	.. ..	,,
४४—श्री राम सिंह, एम० एल० ए०	.. ..	,,
४५—श्री सरदार सिंह, एम० एल० ए०	.. ..	,,
४६—श्री यशपाल सिंह	.. .. ..	,,
४७—श्री वृह्म दत्त मायर	.. .. ..	,,
४८—श्री दीन दयालु शास्त्री, एम० एल० सी०	.. ..	,,
४९—श्री शुगन चन्द्र	.. .. ..	,,
५०—श्रीमती दयावती	.. .. ..	,,
५१—डाक्टर जयगोपाल, एम० एल० ए०	.. ..	,,
५२—अध्यक्ष, बार एशोसियेशन ..	.. ..	,,
५३—श्री जहारू लाल, गढ़ी मलूक	.. ..	,,
५४—श्रीमती सत्यवती शिवा	.. .. ..	,,
५५—प्रतिनिधि, भारत सेवा समाज	.. ..	,,
५६—श्री मोहम्मद, यामीन गोपाली	.. ..	,,
५७—श्री श्याम सिंह, सरपंच पंवारका	.. ..	,,
५८—श्री राम गोपाल प्रधान, कोटा	.. ..	,,
५९—श्री दीप सिंह प्रधान, लक्सर	.. ..	,,
६०—श्री तुंगल सिंह प्रधान, बहादुरपुर	.. ..	,,
६१—श्री दर्शन लाल	.. .. ..	,,
६२—श्री महीपाल सिंह वैद्य	.. .. ..	,,
६३—श्री प्रतिनिधि, रामकृष्ण मिशन	.. ..	,,
६४—प्रतिनिधि, क्रिश्चियन मिशन	.. ..	,,

मद्य-निषेध समिति, हरिद्वार

सूची २

१—मण्डलापति, रुड़की	.. .. ..	अध्यक्ष
२—स्थानीय न्यायाधीश, हरिद्वार	.. ..	उपाध्यक्ष
३—श्री कृष्ण कुमार वशिष्ठ	.. .. ..	मंत्री
४—डिप्टी एस० पी०, रुड़की	.. .. ..	सदस्य
५—प्रोहिविशन आर्गेनाइजर..	.. ..	,,
६—एक्साइज इन्सपेक्टर हरिद्वार	.. ..	,,
७—रीजनल प्रोहिविशन एवं सोशल अधिकारी, मुरादाबाद	..	,,
८—श्री दीन दयालु शास्त्री	.. .. ..	,,
९—श्री स्वामी रामानन्द	.. .. ..	,,
१०—चेयरमैन, हरिद्वार यूनियन	.. ..	,,
११—अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, हरिद्वार	..	,,
१२—पंचायत इन्सपेक्टर, हरिद्वार	.. ..	,,

१३—आर्गेनाइजर, पी० आर० डी०, हरिद्वार .. .. सदस्य
१४—अध्यक्ष, नगरपालिका शिक्षा विभाग, हरिद्वार .. ,,
१५—अध्यक्ष, बार ऐसोशियेशन, हरिद्वार .. .. ,,
१६—श्री केशव गिरी, निरंजनी अखाड़ा, हरिद्वार .. .. ,,
१७—श्री हरप्रसाद पटवाल .. .. .. ,,
१८—श्री हरवंश लाल, अध्यक्ष, सेवा समिति, हरिद्वार .. ,,
१९—श्री स्वामी राघवा नन्द .. .. .. ,,
२०—श्री अनन्त प्रकाश, मंत्री, गंगा सभा, हरिद्वार .. ,,
२१—श्री सीताराम प्रेमी .. .. .. ,,
२२—श्री यू० डी० सिन्हा, रीजनल टूरिस्ट आफिसर .. ,,
२३—श्री रतन लाल, क्राइम प्रिवेंशन कमेटी .. .. ,,
२४—श्री एल० एन० म्लारिया प्रेम रिपोर्टर .. .. ,,
२५—श्री डी० एन० भार्गव .. .. .. ,,
२६—श्री बुध सिंह, जमालपुर .. .. .. ,,
२७—श्री गणेशवी लाल, भगजीतपुर .. .. ,,
२८—श्री प्रेम चन्द .. .. .. ,,
२९—श्री डा० शर्मा, जी० डी० हास्पिटल .. .. ,,
३०—थानाध्यक्ष, हरिद्वार .. .. .. ,,
३१—थानाध्यक्ष, ज्वालापुर .. .. .. ,,
३२—अध्यक्ष, भारत स्काउट ऐण्ड गाइड .. .. ,,
३३—श्रीमती कौशल्या देवी .. .. .. ,,
३४—श्रीमती बीबा महेन्द्रकौर .. .. .. ,,
३५—श्रीमती विद्यावती जिज्ञासु .. .. .. ,,

विधान सभा

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १५७–१५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१७–६१८ पर]

अनुसूचित 'क'

विधान सभा के वर्त्तमान सत्र के आठवें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री देवेंद्र सिंह के प्रश्न संख्या १५७ के उत्तर की अनुसूची

चालू योजना

(नव निर्माण)

१––खतीमा–सितारंगज
२––कालीढूंगी––नैनीताल
३––टनकपुर -हल्द्वानी -रामनगर (हल्द्वानी -कालाढूंगी)
४––रानीबाग–भीमताल सड़क के बचे हुये ३ मील
५––खैराना–बेताल घाट–गोजिया
६––चांफी–पदमपुरी

नई योजना

(नव निर्माण)

१––रुद्रपुर–नागला

सी० सी० ट्रैक योजना

बाजपुर चीनों मिलो के आस-पास की निम्नलिखित सड़कों का निर्माण––

१––बाजपुर जंगी नाला
२––केशोवाला बिन्ट खोरी
३––बाजपुर देरिया दौलत
४––इन्सपेक्शन हाउस से बाजपुर
५––काशीपुर–अलीगंज

चालू योजना

(आधुनीकरण)

१––नैनीताल–कालाधूरी तथा नैनीताल–रतिघाट
२––भीमताल–रानीबाग
३––हल्द्वानी टांडा

नई योजना

(सुधार)

१––रानीबाग भीमताल मोटर मार्ग के ८ मील का सुधार तथा चौड़ा करना।

सी० आर० एफ० योजना

१––पहाड़पानी मोरनौला मोटर मार्ग का एक भाग।

अनुसूची 'ख'

क्रम-संख्या	सड़कों का नाम	कार्य का विवरण
१	नैनीताल कालाढूंगी मार्ग	इस मार्ग पर केवल पहला मील छोड़कर शेष सारा कार्य समाप्त हो चुका है।
२	रानीबाग भीमताल मार्ग	१० मील लम्बाई में अर्थवर्क, पुलियों का कार्य पूरा किया गया है।
३	बाजपुर दोरहा मार्ग	पूरी लम्बाई में अर्थवर्क सोलिंग, इन्टर, व टोपकोट तथा पहला कोट पेंटिंग किया गया है ।
४	खटीमा सितारगंज	इस मार्ग पर अर्थवर्क ७ ३/८ मील पुल ७ ३/८ मील, सोलिंग ६ १/८ इन्टरकोट ६ मील का कार्य हो गया है ।
५	किच्छा सितारगंज का पक्का बनाना	१५ मील तक में, पहले कोटपेंटिंग तथा सभी कार्य पूरे हो चुके हैं।
६	हल्द्वानी टांडा मोटर मार्ग	टोप कोट कलेक्शन, ११ मील, कन्सोलिडेसन ११ मील, पोन्टिग पहला कोट ११ मील हो चुका ।
७	पदमपुरी खनस्यू मार्ग का सुधार	यह मोटर मार्ग कच्चा बनाया जा चुका है ।
८	पटवाडांगर के लिये मोटर मार्ग का सुधार ..	अर्थवर्क सोलिंग, व टोपकोट तथा पेन्टिग का कार्य पूरी लम्बाई में हो चुका है।
९	पहाड़पानी मोरनौला मार्ग	अर्थवर्क, व पुलों का कार्य ५ मील मे पूरा किया गया ।
१०	पैदल मार्गों का पुनः निर्माण तथा सुधार ..	इसमें मिट्टी का काम पूरा हो गया है। शेष कार्य के लिये आगणन (इस्टीमेट) भेजा गया जिसकी स्वीकृति अभी नहीं आई है।
११	भुवाली रामगढ़ मार्ग को मुक्तेश्वर तक बढ़ाना ..	अर्थवर्क, सोलिंग, इन्टर टोपकोट तथा पैंटिग पहला कोट किया जा चुका है।
१२	सर्गाखेत पहाड़पानी मार्ग	अर्थवर्क व पुल, सोलिंग, पूरी लम्बाई में किया जा चुका है ।
१३	बरेली अल्मोड़ा मार्ग मील ३६ से ४० तथा ५८ व ५९ ..	सोलिंग, इन्टर व पहाला कोट पेन्टिग पूरा किया जा चुका है ।

१४	शक्तिफार्म के लिये मार्ग		अर्थवर्क व पुल सोलिंग व इन्टरकोट पूरी लम्बाई में पूरा किया गया तथा टोपकोट के लिये २ मील कलेक्शन किया गया ।
१५	शक्तिफार्म में बस्तियों को मिलाने वाली सड़कें ..		अर्थवर्क व पुल ४ १/४ मील इन्टरकोट ३ मील ४ १/४ सोलिंग ४ १/४ मील व टोप कोट ३ मील पूरे किये गये ।
१६	तल्ला व मल्ला रामगढ़ मार्ग		अर्थवर्क पूरी लम्बाई में पूरा किया गया Causeway का काम भूमि प्राप्त न होने कारण शुरू न हो सका ।
१७	हल्द्वानी शहर की सुरक्षा ७ स्पंसी का निर्माण ..		इस कार्य के अन्तर्गत सिमेन्ट कंकरीट ब्लाक के ७ स्पर्स बनाये गये ।
१८	चांफी पदमपुरी मार्ग		अर्थवर्क व पुलों का कार्य ३ मील में पूरा हो चुका है तथा तीन मील में कार्य चल रहा है ।
१९	हल्द्वानी कालाढूंगी मार्ग		६, ७, ८ मीलों में कार्य प्रारम्भ किया गया बकाया मीलों में भूमि प्राप्त न होने की वजह से कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

[देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२० पर]

निम्नलिखित घाटों का पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य या तो समाप्त हो गया है अथवा समाप्त प्राय है :—

१—चेतसिंह घाट
२—गुलरिया घाट
३—बिजयानगरम घाट
४—शीतला घाट
५—त्रिपुरा भैरवी, मीर घाट तथा त्रिपुरा भैरबी और ललिता घाट के बीच का भाग।
६—दुर्गा ब्रह्मा और बूंदीपरकोटा घाट
७—आदिकेशव घाट
८—जैन घाट
९—मां आनन्दमयी घाट

इन घाटों के अतिरिक्त निम्नलिखित घाटों की सुरक्षा का कार्य भी सम्पादित हुआ है :—

१—हनुमान घाट का सुरक्षा कार्य (बोल्डर एप्रन लांचिंग) — कार्य समाप्त हो गया है।
२—सिंधिया घाट का सुरक्षा कार्य (बोल्डर एप्रन लांचिंग) — काम चालू है।
३—मां आनन्दमयी घाट से लेकर राजघाट तक एप्रन लांचिंग का कार्य

जिसके अन्तर्गत निम्नांकित घाटों के समक्ष एप्रन लांचिंग किया गया—

(१) गुलरिया घाट .. .. यह कार्य भी प्रायः समाप्त हो
(२) बिजयानगरम घाट .. .. चुका है।
(३) शीतला घाट
(४) त्रिपुरा भैरवी, मीर घाट
(५) दुर्गा ब्रह्मा और बून्दी परकोटा घाट

इन कार्यों पर मार्च, १९६२ तक कुल व्यय ६५,७१,३०० रु० हुआ है। यह व्यय मुख्यतः सामग्री पर ही हुआहै। तनख्वाह तथा रख रखाव पर कुल व्यय लगभग एक लाख रुपया हुआ है।

इसके अतिरिक्त एक और योजना चालू है जिसके अंतर्गत निम्नांकित पोले घाटों के समक्ष बोल्डर एप्रन लांचिंग का कार्य किया जा रहा है :—

१—हरिश्चन्द्र घाट
२—लाली घाट
३—केदार घाट
४—चौसट् घाट
५—राणो महल घाट
६—दरभंगा घाट
७—मुन्शी घाट
८—अहिल्या बाई घाट
९—दशाश्वभेध घाट
१०—घोड़ा घाट
११—मान मन्दिर घाट
१२—ललिता घाट
१३—मणिकार्णिका घाट
१४—लाल घाट
१५—गाय घाट
१६—त्रिलोचन घाट
१७—प्रहलाद घाट
१८—लाल घाट से त्रिलोचन घाट का भाग

नत्थी 'झ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ५०–५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२४ पर]

स्कूल और कालेज कर्मचरी संघ, वाराणसी के पत्र दिनांक १६–४–६२ जो शिक्षा मन्त्री जी उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है की प्रतिलिपि

वाराणसी जिले के स्कूल, कालेज तथा संस्कृत विश्वविद्यालय में काम करने वाले निम्न कर्मचारियों को निम्नांकित न्यायोचित मांगे आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुये हम निवेदन करते हैं कि उनकी मांगें पूरी कर, उनके जीवन की समुचित व्यवस्था करने को कृपा करें।

हमारी मागें

१––स्कूल और कालेज में काम करने वाले निम्न कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाय और उनकी नौकरी सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाय।

२––कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (मय मंहगाई) १५ वां श्रम सम्मेलन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित हो और उनका ग्रेड १२५–५–१७५ का हो।

३––कर्मचारियों के काम के घंटे निश्चित और निर्धारित काम के घंटे से अधिक काम लेने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाय।

४––परीक्षाकाल में जिस प्रकार भत्ता अन्य लोगों को मिलता है उसी प्रकार निम्न कर्मचारियों को भी कम से कम दो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता मिले।

५––निम्न कर्मचारियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो।

६––प्राविडेन्ट फंड को योजना जिन स्कूल और कालेजों में नहीं लागू है वहां लागू किया जाय।

७––निम्न कर्मचारियों को कैजुअल बीमारी तथा प्रिविलेज की छुट्टियां उन सभी जगहों मिलें जहां नहीं मिलती।

८––औद्योगिक विवाद कानून १९४७ निम्न कर्मचारियों पर लागू किया जाय।

९––ग्रीष्म व शरदकालीन वर्दी की समुचित व्यवस्था हो।

१०––पढ़े लिखे कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति दी जाय।

प्रश्नोत्तर ५१ में उल्लिखित तालिका

मांग	वस्तुस्थिति
१—स्कूल और कालेज में काम करने वाले निम्न कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जावे और उनकी नौकरी सुरक्षित करने की व्यवस्था की जाये ।	इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट १९२१ की धारा १६. वी के अन्तर्गत बनाये गयेविनियमों (regulations) में स्कूल और कालेजों के निम्न कर्मचारियों को स्थायी करने और उनकी नौकरी सुरक्षित करने की व्यवस्था है ।
२—कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (मय मंहगाई) १५ वीं श्रम सम्मेलन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर निश्चित हों और उनका ग्रेड १२५–५–१७५ का है ।	विद्यालयों के निम्न कर्मचारी औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों के श्रेणी में नहीं आते। अतएव १५ वीं श्रम सम्मेन के मान्य सिद्धान्तों के आधार पर उनके वेतन निश्चित करना सम्भव नहीं है ।
३—कर्मचारियों के काम के घंटे निश्चित हों और निर्धारित काम के घंटे से अधिक काम लेने पर अतिरिक्त वेतन दिया जावे ।	इस प्रकार की सुविधायें केवल फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत देय हैं । उक्त ऐक्ट विद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू नहीं है ।
४—परीक्षा काल में जिस प्रकार भत्ता अन्य लोगों को मिलता है उसी प्रकार निम्न कर्मचारियों को भी कम से कम दो रुपया प्रति दिन के हिसाब से भत्ता मिले ।	परीक्षा केन्द्रों के निम्न कर्मचारियों को भी परीक्षाफल में नियमानुसार पारिश्रमिक (remunerations) दिया जाता है ।
५—निम्न कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो ।	ऐसी व्यवस्था शिक्षा संहिता के पैरा १०७ में है ।
६—प्राविडेन्ट फंड को योजना जिन स्कूल और कालेजों में नहीं लागू है वहां लागू किया जाय ।	इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को धारा १६. वी के अन्तर्गत बनाये गये विनियम ७७ के अनुसार प्राविडेन्ट फंड योजना सूची प्राविडेन्ट फंन्ड योजना सभी विद्यालयों के सब कर्मचारियों पर लागू करने की व्यवस्था है ।
७—निम्न कर्मचारियों को कैजुअल बीमारी तथा प्रिविलेज की छुट्टियां उन सभी जगहों मिले जहां नहीं मिलती है ।	छुट्टी संबंधी नियम बनाये जा रहे हैं ।
८—औद्योगिक विवाद कानून १९४७ निम्न-कर्मचारियों पर लागू किया जावे ।	ये कर्मचारी औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं हैं अतएव कथित कानून उन पर लागू करना सम्भव नहीं है।
९—ग्रीष्म व शरद कालीन वर्दी की समुचित व्यवस्था है ।	इस प्रकार के कोई नियम नहीं हैं । साथ ही ऐसी व्यवस्था करने पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है । इस संबंध में शासकीय आदेश की आवयश्कता प्रतीत नहीं होती ।
१०—पढ़े लिखे निम्नकर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति दी जाय ।	इस संबंध में कोई शासकीय आदेश नहीं है । समुचित योग्यता के निम्न कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति पर कोई रोक भी नहीं है । शासन इस विषय में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	अहेतुक सहायता	तकावी	छूट माल-गुजारी	वितरित गल्ला
१	२	३	४	५	६
		रु०	रु०	रु० न० पै०	मन सेर
१	विशुनपुरा देवार ..	८५	८१०	६७३३.८०	८—३४
२	परसिया देवार ..	११०	६२०	५९१८.५३	८—२६
३	भागलपुर ..	—	—	१०२.५०	—
४	बलिया उत्तर ..	२५	१७५	७४.७०	—
५	हाल बन झरिया ..	१०५	१०२०	६०५३.४१	१५—०

नत्थी 'ट'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २६–२७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४० पर]

अन्तरिम जिला परिषद्, गोंडा द्वारा चलाये गये ४४ बालक तथा बालिकाओं के जूनियर हाई स्कूलों की सूची

क्रम-संख्या	स्थानों के नाम जहाँ पर जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं	क्रम-संख्या	स्थान के नाम जहां पर जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं
१	२	१	२
१	दर्जी कुआँ	२४	बनजरिया
२	दुल्लापुर खालसा	२५	मछलीगाँव
३	विशुनपुर बरिया	२६	विद्यानगर
४	काडिया	२७	रेहराबाजार
५	खरगूपुर	२८	सादुल्लानगर
६	पुचपेड़वा	२९	इटई रामपुर
७	गखड़ा	३०	कोट खास
८	महूराजगंज तराई	३१	चारु
९	हरया	३२	मनिकवाँ
१०	देवरिया रानी जोत	३३	फतेहपुर
११	इटिया थोक	३४	करनैलगंज
१२	धानपुर	३५	हारासहपुर बालपुर
१३	परखपुर	३६	कंखापुर
१४	तरवगंज	३७	गिलाली
१५	राँगा	३८	बसालतपुर
१६	बुराली		**बालिका जूनियर हाई स्कूल**
१७	बुलसर	३९	पंचपुती
१८	पसरिया	४०	मनकापुर
१९	टिकरी	४१	तुलसीपुर
२०	मझगवाँ	४२	कैनैलगंज
२१	बजीरगंज	४३	नवाबगंज
२२	अल्लीपुर बेजुरज	४४	उतरौला
२३	चमरपुर		

प्रश्न संख्या २७ में उल्लिखित सूची

अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा चलाये गये जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की दशा निम्न प्रकार से है:—

१—अन्तरिम जिला परिषद् के पक्के भवन	..	१७
२—जनता के सहयोग से प्राप्त पक्के भवन	..	४
३—अन्तरिम जिला परिषद् के मिश्रित भवन	..	२
४—जनता के सहयोग से प्राप्त मिश्रित भवन	..	४
५—जनता के सहयोग से प्राप्त कच्चे भवन	..	५
६—किराये के भवन	..	१
७—मंगनी से प्राप्त भवन	..	९
योग	..	४२

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ठ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर]

आजमगढ़ में ओवरसियरों को सौंपे गये कार्यों की सूची

ओवरसियर का नाम	कार्य का विवरण	तखमीना (लाख रु० में)	१९६२–६३ के लिये अनुदान (लाख रु० में)
१—श्री कन्हैया लाल सिंह	१—वाराणसी—आजमगढ़ सड़क का पक्का करना ..	१.५०	१.५०
	२—आजमगढ़ रोड पर पुलिया की विशेष मरम्मत ..	०.३४	.२६
	३—लालगंज में इमारतों का काम ..	१.२६	०.२२
	४—बोनी में इमारतों का काम ..	१.३१	०.५०
	५—चंदबक—औरिहात सड़क का बनाना ..	२.८०	०.८५
	६—चंदवक—औरिहास सड़क का रखरखाव Maintenance	०.३०	०.३०
	७—जे० टी० एस० (जूनियर टेक्निकल स्कूल) आजमगढ़	३.६६	१.००
	८—स्टाक व टेल आजमगढ़	०.७०	०.७०
		११.९०	५.३३
२—श्री प्रेम चन्द लाल	१—इलाहाबाद—गोरखपुर रोड के मील ९० से ९४ तक का फाउन्डेशन ..	७.८२	४.४०
	२—इलाहाबाद—गोरखपुर रोड के मील ९० से ९४ तक का मार्डनाइजेशन ..	२.००	०.५०
	३—ए० पी० रोड पर पुलिया की विशेष मरम्मत	१.००	०.२५
	४—रानी की सराय में इमारतों का काम ..	१.३२	०.२५
	५—आजमगढ़ में पूर्वी खंड ..	३.६०	०.५०
		१५.७४	५.९०

ओवरसियर का नाम	कार्य का विवरण	तखमीना (लाख रु० में)	१९६२-६३ के लिए अनुदान (लाख रु० में)
३--श्री जकीउल्ला खां	१--सारदा स्कूल में इमारत का काम ..	१.३२	०.६५
	२--मोहनगर तरवा में इमारत का काम ..	१.३२	१.०५
	३--स्माल इंडस्ट्रियल इस्टेट आजमगढ़ ..	६.४२	१.००
	४--आजमगढ़ में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट ..	७.७८	१.१३
	५--आजमगढ़ का पोल्ट्री फार्म	०.४५	०.४०
		१७.२९	४.२२
४--श्री नाथ सिंह	१--गाजीपुर--आजमगढ़ रोड का रखरखाव ..	७.७०	७.७०
	२--मोहम्मदाबाद चिड़ियाघर का रखरखाव ..	०.११	०.११
	३--आजमगढ़--मऊ रोड का रखरखाव ..	१.३०	१.३०
	४--बरहलगंज में इमारतों का रखरखाव ..	०.३१	०.२३
	५--रामपुर में इमारतों का रखरखाव ..	१.३२	०.६६
	६--जहानाबाद ब्लाक में इमारतों का रखरखाव ..	१.३२	०.५५
	७--लग्रियायों ब्लाक में इमारतों का रखरखाव ..	१.३२	०.६०
	८--आजमगढ़--मऊ रोड का मार्डनाइजेशन ..	१.३४	०.७२
		७.७२	४.८७

ओवरसियर का नाम	कार्य का विवरण	तखमीना (लाख रु० में)	१९६२–६३ के लिये अनुदान (लाख रु० में)
५––श्री ओमप्रकाश चौहान	१–––राष्ट्रीय मार्ग का रखरखाव	१.०९	१.०९
	२––घोसी––अकबरपुर रोड, घोसी महावन रोड व मधुबन––बेअवरा रोड का रखरखाव ..	१.२५	१.२५
	३––अपराओं में इमारतों का काम ..	०.८५	०.६४
	४––घोसी में इमारतों का काम ..	१.७८	१.०५
	५––घोसी–महोदाबाद रोड का बनाना ..	१७.७६	१.६०
		१५.३३	५.५३
६––श्री भारत वीर	१––मऊ की तरफ टोंस नदी पर आने वाली सड़क ..	४.८५	०.४०
	२––मऊ––फूलपुर रोड का बनाना	२.६०	०.४०
	३––मऊ का बुनाई स्कूल ..	१.६१	१.२०
	४––मऊ की बुनाई बस्ती ..	४.६४	२.३०
	५––मऊ का नार्मल स्कूल ..	३.५२	०.७५
	६––परवा ब्लाक N. E. S. में इमारती कार्य ..	१.०४	७.३७
	७––राष्ट्रीय मार्ग तथा मऊ यूसुफपुर रोड का रखरखाव ..	०.७०	०.७०
		१८.९६	५.६२
७––श्री हामिद अली खां	१––सुघनपुर––बीदारगंज रोड का पुर्ननिर्माण ..	६.००	०.१५
	२––सुघनपुर––दीदारगंज रोड का रखरखाव ..	०.६०	०.६०
	३––अतरौला व अवाई में नाव निर्माण कार्य ..	२.६३	१.६६
		९.२३	२.४१

ओवरसियर का नाम	कार्य का विवरण	तखमीना (लाख रु० में)	१९६२–६३ के लिये अनुदान (लाख रु० में)
८––श्री टी० एन० श्रीवास्तवा	१––इलाहाबाद––गोरखपुर रोड के मील १०९ से मील ११८ तक का मार्डनाइजेशन ..	४.३७	०.५८
	२––इलाहाबाद––गोरखपुर रोड के मील ११९ से १२८ तक का मार्डनाइजेशन ..	४.९८	०.२०
	३––दोभीघाट में टी० ई० पी० भवन निर्माण कार्य ..	१.९२	१.२०
	४––पी० डब्ल्यू० डी० गोदाम व अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय का काम ..	१.१५	०.७०
	५––इलाहाबाद––गोरखपुर रोड का वर्षा ऋतु से हुई टूट-फूट की विशेष मरम्मत ..	०.९६	०.६३
	६––फैजाबाद––आजमगढ़ रोड का रखरखाव ..	०.८७	०.८७
	७––तासवारपुर में भवन निर्माण कार्य ..	१.३२	०.६८
	८––सूरजपुर बाँध ..	१.६८	०.९०
		१७.१५	५.७६
९––श्री जे० एन० दूबे	१––मिश्रित (Combined) हस्पताल, आजमगढ़ ..	७.८०	१.५०
	२––एन० डी० आई० (New Engineering Diploma Institute), आजमगढ़	१०.३९	१.००
	३––आजमगढ़, बिलरियागंज, परसरापुर में भवन निर्माण कार्य ..	१.९०	१.९०
	४––शाहगंज––आजमगढ़ रोड का रखरखाव ..	१.३०	१.३०
	५––फूलपुर व सरायमीर में भवन निर्माण कार्य ..	०.९३	०.८०
	६––ई०/एम सेक्शन ..	०.२०	०.२०
		२२.५२	०६.७

नत्थी 'ङ'

[देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर]

दिनाँक जुलाई	दिनांक जुलाई
१—२३८.७५	१७—२४०.५०
२—२३८.५०	१८—२४०.५०
३—२३८.५०	१९—२४०.२५
४—२३८.७५	२०—२४०.५०
५—२३८.७५	२१—२४०.५०
६—२४०.५०	२२—२३९.५०
७— —	२३—२३८.७५
८—२४१.७५	२४—२३७.७५
९—२४२.५०	२५—२३७.००
१०—२४२.७५	२६—२३७.००
११—२४२.५०	२७—२३७.२५
१२—२४१.७५	२८—२४०.७५
१३— —	२९—२४०.५०
१४—२४०.७५	३०—२४२.००
१५—२४०.५०	३१—२४२.२५
१६—२४०.२५	

नत्थी 'ढ'

[देखिये अतारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४३ पर]

क्रमांक	मिसल संख्या	ए० सी० ओ० क्षेत्र जिससे संबंधित थी	गांव जिससे संबन्धित थी	किसके द्वारा गायब की गई थी
१	मुकदमा मिसल संख्या ६६, धारा १२ सी० एच ऐक्ट बद्री बनाम हेमकली	सिसाहाट	बहोरीपुर	चकबन्दी विभाग के कार्यालय के चपरासी द्वारा ।
२	मुकदमा मिसल संख्या ८४, धारा ११(१)सी० एच० ऐक्ट—द्वारिका बनाम धनीराम	सिसाहाट	उदेपुर	,,
३	मुकदमा मिसल संख्या २१४, धारा ११ (१) सी० एच० ऐक्ट—गजाधर बनाम ज्वाला प्रसाद	चौबिया	ईश्वरपुर	,,
४	मुकदमा संख्या २३१७— धारा ९ सी० एच० ऐक्ट— श्रीमती रामवती बनाम नवाबसिंह	बरलोकपुर	नगलासबनी	कार्यालय के लिपिक द्वारा

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६६२ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के ५वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा पूच्छित तारांकित प्रश्न संख्या ३४–३६ के उत्तर

प्रश्न	तहसील	संख्या	अस्थायी	स्थायी
३४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला में तहसीलवार लेखपालों की संख्या क्या है इनमें कितने अस्थाई तथा स्थाई है ?	फर्रुखाबाद	१०८	२७	८१
	कायमगंज	७३	१८	५५
	कन्नौज	७८	१९	५९
	छिबरामऊ	८३	२२	६१
३५—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि हाल में तहसीलवार कितने लेखपाल नौकरी से निकाले गये और इनके जाने का क्या आधार है ?	तहसील फर्रुखाबाद के ४ अस्थायी लेखपाल । इनकी आवश्यकता नहीं थी ।			
३६—क्या सरकार इनकी ८ या १० वर्ष नौकरी तथा उम्र का ध्यान रखते हुये फिर से नौकरी देने पर विचार करेगी ?	ऐसा विचार नहीं है ।			

हुकुमसिंह विसेन,
राजस्व मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०–१५२ एल० ए०–१९६२–८४५ ।